खण्ड-381, अंक-7
सोमवार, 22 आषाढ़, शक संवत् 1909
(13 जुलाई, 1987 ई0)

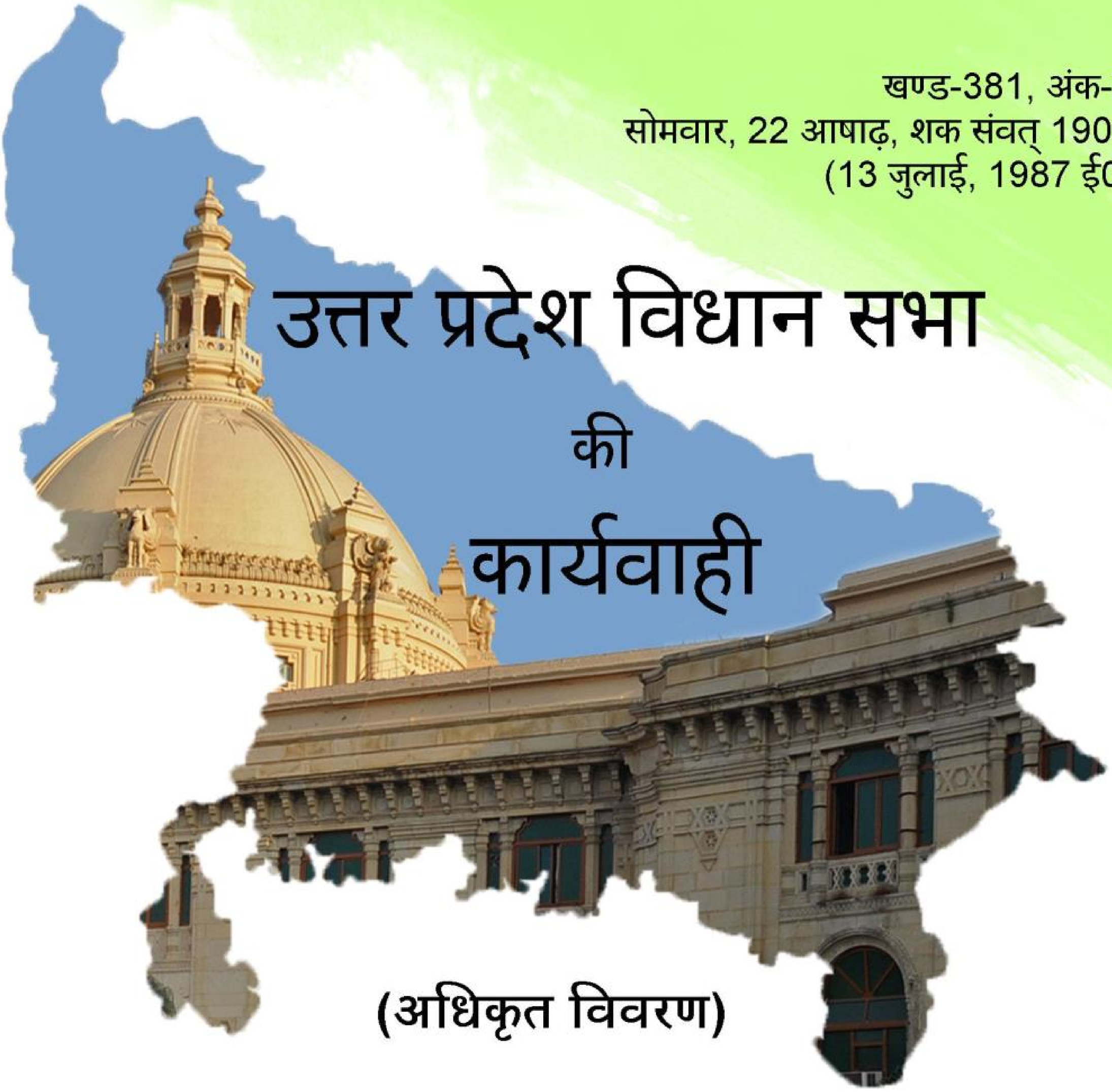

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 381 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उत्तर प्रदेश (भारत)
1987

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 25 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	1
प्रश्नोत्तर	3–79
प्रश्नों के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न	79–80
ग्राम रटौल, मेरठ में लाखों रुपये मूल्य के प्राचीन मूर्तियों के पाये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	80
विकास खंड खैराबाद, सीतापुर के किसानों की भूमि के मुआवजे तथा प्रतिकर के भुगतान के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	80–81
प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, अमरोहा, मुरादाबाद में दवाओं का अभाव तथा कर्मचारियों की निष्क्रियता के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	81
काशीपुर, नैनीताल में पुलिस द्वारा पत्रकारों का उत्पीड़न होने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	81–82
श्री हरीश चन्द्र राणा, थानाध्यक्ष, भोजपुर, मुरादाबाद द्वारा किये गये अत्याचार के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	82
रामेश्वर फ्लोर मिल, फ्री गंज रोड, आगरा में भीषण अग्निकांड की घटना के प्रसंग में नगरमहापालिका कर्मचारियों की निष्क्रियता के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	82–83
फिरोजाबाद, आगरा में विद्युत आपूर्ति की अव्यवस्था के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	83
औचित्य के प्रश्नों की सूचनायें	83–85
द्वितीय सत्र 1985 के पहले मंगलवार हेतु निर्धारित श्री सुखपाल पांडेय तथा श्री प्रमोद तिवारी के अतारांकित प्रश्न संख्या 37 के गलत उत्तर दिये जाने के सम्बन्ध में दोषी पाये गये कर्मचारी के विरुद्ध की गयी कार्यवाही की सूचना	85
कार्य-स्थगन प्रस्तावों की सूचनायें	85–99
सार्वजनिक उपक्रमों में निरन्तर बढ़ते हुये घाटे और भ्रष्टाचार पर प्रभावी अंकुश लगाये जाने के सम्बन्ध में संकल्प--(स्वीकृत) ..	99–133
उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम, 1950 की धारा 171 की उपधारा (क) में संशोधन का संकल्प (जारी)	133

विषय	पृष्ठ-संख्या
नियमों को निलम्बित करके आज की कार्य-सूची में शेष संकल्पों को प्रस्तुत किये जाने की अनुमति की मांग	133-134
प्रदेश में खारे पानी के बढ़ते हुये क्षेत्र को रोकने के लिये सरकार द्वारा प्राथमिकता के आधार पर प्रभावी कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में संकल्प--(प्रस्तुत किया गया)	134
प्रदेश के नागरिकों को अच्छी स्तर की सस्ती दवायें तथा सभी चिकित्सीय सुविधा एवं व्यवस्था सुदूर ग्रामीण अंचल तक उपलब्ध कराने हेतु सदन की एक समिति का गठन किये जाने के सम्बन्ध में संकल्प--(प्रस्तुत किया गया)	135
प्रदेश के नदियों के किनारे जंगलों में बसी मल्लाह जाति के आवास, खेती और रोजगार के अभाव तथा पुनर्वास की आवश्यकता हेतु नदी के बालू के ठेके और मछली पालन विभाग की सेवाओं में 50 प्रतिशत आरक्षण की संस्तुति का संकल्प--(प्रस्तुत किया गया)	135
उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950 की धारा 171 की उपधारा (क) में संशोधन का संकल्प (चर्चा जारी)	135-137
उत्तर प्रदेश सार्वजनिक सेवाओं में आरक्षण का विनियमन विधेयक, 1985 (वापस लेने की अनुज्ञा दी गयी)	137-140
नियम 51 के अन्तर्गत सूचनायें	140
प्रदेश में सी० पी० एम० टी० की परीक्षा में हुयी व्यापक अनियमितताओं के सम्बन्ध में वक्तव्य	140-148
नत्थियां..	149-159

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

सोमवार, दिनांक 13 जुलाई, 1987

विधान सभा की बैठक सभा मंडप, लखनऊ में 11 बजे दिन में अध्यक्ष, श्री नियाज हसन की अध्यक्षता में आरम्भ हुयी ।

निम्नांकित सदस्यों के अतिरिक्त अन्य सभी सदस्य उपस्थित थे :--

अकबर हुसैन बावर, श्री (फैजाबाद)
अकबर अहमद डम्पी, श्री (नैनीताल)
अचल सिंह, श्री (फतेहपुर)
अतर सिंह यादव, श्री (एटा)
अशोक बाजपेयी, श्री (हरदोई)
कमलेश कुमार पाठक (इटावा)
कौशिक रमा शंकर, श्री (मुरादाबाद)
गया प्रसाद वर्मा, श्री (इटावा)
गोपीनाथ दीक्षित, श्री (उन्नाव)
गौरी शंकर भइया, श्री (बलिया)
जगमोहन सिंह यादव, श्री (मैनपुरी)
जफर अली नकवी, श्री (लखनऊ)
जमुना प्रसाद बोस, श्री (बांदा)
जवाहर सिंह यादव, श्री (इलाहाबाद)
जौहरी लाल त्रिवेदी, श्री (कानपुर)
दुर्गा प्रसाद यादव, श्री (आजमगढ़)
दूधनाथ, श्री (जौनपुर)
देवेन्द्र कुमार सिंह, श्री (ललितपुर)
नरेश पाल सिंह यादव, श्री (बदायूं)
पद्मा सेठ, श्रीमती (सीतापुर)
परमाई लाल, श्री (हरदोई)
पारसनाथ यादव, श्री (जौनपुर)
फरीद महफूज किदवई, श्री (बाराबंकी)
फसीउर्रहमान, श्री (उर्फ मुन्नन खां) (गोंडा)
बलबीर सिंह यादव, श्री (मैनपुरी)
बलराम यादव, श्री (आजमगढ़)
बाबू राम यादव, श्री (मैनपुरी)
बालेश्वर, श्री (देवरिया)
बुनियाद हुसैन अन्सारी, श्री (सीतापुर)
बेनी प्रसाद वर्मा, श्री (बाराबंकी)
भगौती सिंह, श्री (लखनऊ)
भोला शंकर मौर्य, श्री (बदायूं)
महाराज सिंह, चौधरी (इटावा)
महावीर सिंह, श्री (सहारनपुर)
महेन्द्र भाटी, श्री (गाजियाबाद)
मित्र सेन, श्री (फैजाबाद)
मुलायम सिंह यादव, श्री (इटावा)
मुहम्मद आजम खां, श्री (रामपुर)
मोहम्मद आकिल, श्री (उर्फ मुन्ना मियां) (मुरादाबाद)
रमाकान्त, श्री (आजमगढ़)
रमेश चन्द्र उर्फ रमेश यादव, श्री (एटा)
राकेशधर त्रिपाठी, श्री (इलाहाबाद)
राज किशोर सिंह, श्री (वाराणसी)
राजेन्द्र सिंह, श्री (फर्रुखाबाद)
राम औतार दीक्षित, श्री (हरदोई)
राम गोविन्द चौधरी, श्री (बलिया)
रामचन्द्र बख्श सिंह, श्री (बाराबंकी)
राम जनम, श्री (आजमगढ़)
राम नन्दिनी वर्मा, श्रीमती (फर्रुखाबाद)
रामबदन एडवोकेट, श्री (आजमगढ़)
राम सजीवन, श्री (बांदा)
राम शरण दास, श्री (सहारनपुर)
राम सागर, श्री (बाराबंकी)
रेवती रमण सिंह, कुंवर (इलाहाबाद)
विष्णु देव, श्री (आजमगढ़)
वीरेन्द्र सिंह, श्री (एटा)
शारदानन्द अंचल, श्री (बलिया)
शिव बालक पासी, श्री (रायबरेली)
श्री प्रकाश, श्री (आजमगढ़)
सीताराम निषाद, श्री (फैजाबाद)
सुनील शास्त्री, श्री (गोरखपुर)
सुरेन्द्र पाल वर्मा, श्री (बांदा)
सैयद सईदुल हसन, श्री (बुलन्दशहर)
हफीज भारती, श्री (आजमगढ़)
हर्ष वर्धन, श्री (गोरखपुर)
हृदय नरायन दीक्षित, श्री (उन्नाव)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

प्रश्नोत्तर

सोमवार, दिनांक 13 जुलाई, 1987 ई0

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

प्रदेश के विभाजन का प्रस्ताव

**1.--श्री सूर्य प्रताप शाही--

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश की जनसंख्या और भौगोलिक क्षेत्र को देखते हुये प्रदेश के समन्वित विकास तथा प्रशासनिक पकड़ को मजबूत बनाने के लिये प्रदेश के विभाजन किये जाने की संस्तुति राज्य सरकार ने केन्द्र सरकार को भेजी है ? यदि हां, तो उसका स्वरूप क्या है ? यदि नहीं, तो क्या राज्य सरकार उत्तराखण्ड राज्य तथा पूर्वांचल राज्य की जनता द्वारा की जा रही मांग को ध्यान में रखकर उक्त प्रस्ताव केन्द्र सरकार को भेजने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सामान्य प्रशासन राज्य मंत्री (श्री राम नरेश शुक्ल)--

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

राज्य सरकार प्रदेश के विभाजन के पक्ष में नहीं है । अतः उक्त सम्बन्ध में केन्द्र सरकार को संस्तुति नहीं भेजी गई ।

प्रदेश के समन्वित विकास के लिये छोटे राज्य का होना आवश्यक नहीं है । भारत में ही क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश से बड़े राज्य हैं और सभी अपने-अपने राज्य में प्रभावी प्रशासन प्रदान कर रहे हैं ।

वर्तमान में उत्तर प्रदेश का ढांचा बहुत ही सुसंगठित और सुव्यवस्थित है । प्रशासनिक एवं विकास के कार्यों में गति लाने के उद्देश्य से विभागाध्यक्षों, कार्यालयाध्यक्षों, जिलाधिकारियों तथा मण्डलायुक्तों को पर्याप्त वित्तीय एवं प्रशासकीय अधिकार दिये गये हैं । प्रदेश का विकास सत्ता के अधिक से अधिक विकेन्द्रीकरण पर निर्भर है जिसके लिये सरकार जागरूक है और अधिक से अधिक अधिकारों का प्रतिनिधायन किया जा रहा है ।

श्री सूर्य प्रताप शाही--

मान्यवर, मंत्री जी ने आक्षेप किया है कि यह प्रदेश के खण्डन का सवाल है, मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि यह खण्डन का सवाल नहीं है बल्कि यह पुनर्गठन से सम्बन्धित मसला है । जो प्रश्न में मैंने पूछा था कि प्रशासनिक पकड़ को मजबूत बनाने के लिये और समन्वित विकास की ओर जो इसमें इशारा किया गया है, उसी के सन्दर्भ में मेरा निवेदन है कि प्रदेश में दो राज्य हों । भौगलिक क्षेत्र को देखते हुये अन्य 12 प्रान्त जैसे मणिपुर, हिमांचल, हरियाणा आदि ऐसे राज्य हैं जहां 15 लाख से लेकर 64 लाख तक की आबादी है । उत्तर प्रदेश में कई जिले ऐसे हैं जिनकी आबादी 40 हजार और 30 हजार के बीच में है । इस सन्दर्भ में मैं निवेदन करना चाहता हूं कि समन्वित विकास को दृष्टि में रखते हुये जैसे कि महाराष्ट्र, हिमांचल प्रदेश, केरल और कर्नाटक आदि में है कि परकैपिटा इनकम वहां उत्तर प्रदेश के मुकाबिले दुगनी है । जो हमारी पंचवर्षीय योजनायें रही हैं उसमें परकैपिटा इनकम.... ।

श्री अध्यक्ष--

शाही जी, आप प्रश्न करिये ।

श्री सूर्य प्रताप शाही--

तो ऐसी विषम परिस्थितियां रही हैं कि समन्वित विकास ठीक ढंग से नहीं हो पा रहा है । इसमें समन्वित विकास का सवाल है राजनीतिक ढांचे का सवाल नहीं है तो क्या उत्तर प्रदेश की जन-संख्या को देखते हुये और इसका समन्वित विकास हो, ऐसा ध्यान में रखते हुये उत्तर प्रदेश की सरकार, पूरे प्रदेश में जो यह सवाल उठ रहा है क्या उत्तर प्रदेश की जन-मानस की भावनाओं को ध्यान में रखते हुये हमारे प्रदेश की सरकार इन सब चीजों का पता लगाने के लिये कोई आयोग बनाने का या कोई उच्च स्तरीय समिति के बनाने पर विचार करेगी जो कि जन भावनाओं को ध्यान में रखते हुये इन सब बातों की छानबीन कर सके कि जनता की मांग क्या है ?

श्री राम नरेश शुक्ल--

उत्तर प्रदेश बड़ा है और बड़ा रहेगा । बोस सूत्रीय कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश भारत में प्रथम आया है । बड़ा होते हुये भी हम उत्तर प्रदेश को मणिपुर नहीं बनाना चाहते हैं ।

(श्री अध्यक्ष द्वारा श्री विजय सिंह राणा का नाम पुकारे जाने पर)

श्री सूर्य प्रताप शाही--

मान्यवर, मेरे सवाल का जवाब मंत्री जी ने नहीं दिया कि इसके अध्ययन के लिये क्या वे कोई आयोग या उच्च स्तरीय समिति के गठन पर विचार करेंगे ?

श्री अध्यक्ष--

वह हो गया ।

श्री विजय सिंह राणा--

मान्यवर, जिन आधारों पर पंजाब और गुजरात का विभाजन हुआ है, वह सारे के सारे आधार उत्तर प्रदेश में हैं, तो जिन आधारों पर उनका विभाजन हुआ, उनके आधार पर आप उत्तर प्रदेश का विभाजन क्यों नहीं चाहते हैं, अगर नहीं चाहते हैं तो पूर्वी उत्तर प्रदेश से पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जान छुड़ाने का कोई प्रयास करेंगे ?

श्री राम नरेश शुक्ल--

आप बिलकुल सुरक्षित हैं, आपकी जान खाने का कोई प्रश्न नहीं है ।

श्री विजय सिंह राणा--

मान्यवर, मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं आया ।

श्री अध्यक्ष--

वह कहां आपकी जान खा रहे हैं ।

श्री रघुवर दयाल वर्मा--

माननीय मंत्री जी ने उत्तर दिया कि उत्तर प्रदेश 20 सूत्रीय कार्यक्रम में देश में नम्बर एक पर है, तो मैं इसी सम्बन्ध में आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या पश्चिमी उत्तर प्रदेश की आबादी व आकार को देखते हुये भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश की 20 सूत्रीय कार्यक्रम में घोर उपेक्षा की गयी है, क्या इसको देखते हुये पश्चिमी उत्तर प्रदेश को अलग करने पर शासन विचार कर रहा है ?

श्री राम नरेश शुक्ल--

पश्चिमी उत्तर प्रदेश की कोई उपेक्षा नहीं हुई है । मैं माननीय सदस्य से पूछना चाहता हूं कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश कहां से शुरू होता है ?

डाक्टर शिवानन्द नौटियाल--

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में कहा है कि विकास की गति को देखते हुये उत्तर प्रदेश का किसी प्रकार से विभाजन नहीं करना चाहिये स मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश के पर्वतीय अंचल में पर्वतीय विका के नाम से एक प्रयोग किया गया था और उसमें 3511 पेयजल के लिये योजनायें बनी लेकिन 2912 योजनाओं में पानी नहीं है, सड़कों पर चलने के लि रास्ता नहीं है, स्कूलों में अध्यापक नहीं हैं, तो इस प्रकार से असफल प्रयोग किया गय है, सरकार उस प्रयोग में असफल रही है, तो क्या माननीय मंत्री जी उत्तराखंड की जो आवाज उठ रही है, उसको देखते हुये उत्तराखंड राज्य बनाने के लिये आश्वासन देंगे, यदि नहीं, तो क्या इस प्रकार की समिति बैठाने का आश्वासन देंगे, जो इस पर अपनी रिपोर्ट दे ?

श्री राम नरेश शुक्ल--

मान्यवर, इस पर आश्वासन का कोई प्रश्न नहीं उठता है ।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

मान्यवर, माननीय मंत्री जी प्रदेश का बंटवारा इसलिये नहीं करेंगे क्योंकि उनकी प्रशासनिक क्षमता मजबूत है । मैं आपके माध्यम से माननीय मन्त्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि पूर्वांचल की समस्याओं जैसे बाढ़, गरीबी और अपार सम्पति के रहते हुये भी किसी उद्योग का वहां पर न लगना, को देखते हुये और उसके विकास के लिये कोई विशेष आयोग का गठन करने की घोषणा करेंगे ?

श्री राम नरेश शुक्ल--

मान्यवर, पूर्वांचल का विकास तो इतना हो रहा है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोग शिकायत करते हैं ।

श्री नरेन्द्र देव--

माननीय मंत्री जी ने कहा कि विकेन्द्रीकरण की नीति उनकी विकास के लिये है, तो मिर्जापुर जैसे ढाई तीन सौ किलोमीटर वाले जिले को विभाजित करने पर विचार करेंगे ?

श्री राम नरेश शुक्ल--

मान्यवर, स्थिति तो यह है कि जो भी बड़ा जिला है, उसको दो जिलों म कर रहे हैं । अभी हमने तीन और जिले बढ़ाये हैं, मऊ, हरिद्वार और सिद्धार्थ नगर तो अब धीरे धीरे: शनै: जो बड़े जिले होंगे उन पर विचार जायेगा ।

श्री राम आसरे वर्मा--

मान्यवर, इतने बड़े प्रदेश के पुनर्गठन के लिये यह सरकार तैयार नहीं है। मैं जानना चाहूंगा कि पूर्वांचल, पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश इन दो पाटों के बीच में मध्य उत्तर प्रदेश कब तक पिसता रहेगा। दूसरी बात यह है कि पूरे उत्तर प्रदेश में उत्तराखंड, बुन्देलखंड, पूर्वांचल, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में प्रदेश के पुनर्गठन की मांग काफी अर्से से चलती आ रही है तो जन भावना को देखते हुये प्रदेश के पुनर्गठन की मांग को स्वीकार न किये जाने का क्या कारण है ?

श्री राम नरेश शुक्ल--

क्या मांग हो रही है। हरबोई से तो कोई मांग नहीं आयी।

(व्यवधान)

(चौधरी श्याम लाल का नाम पुकारे जाने पर।)

श्री राम आसरे वर्मा--

मान्यवर, मैंने यह भी पूछा था कि मध्य उत्तर प्रदेश कब तक इन दोनों के बीच पिसता रहेगा ?

श्री अध्यक्ष--

इसका वे जवाब दे चुके हैं....।

(व्यवधान)

माननीय वर्मा जी, आप इस सदन के एक वरिष्ठ सदस्य हैं, आपसे कह दिया जाय तो आपको बैठ जाना चाहिए।

चौधरी श्याम लाल--

मान्यवर, मैं यह जानना चाहता हूं कि विकास के दृष्टिकोण से बुन्देलखंड से भी अधिक कोई उपेक्षित क्षेत्र है....।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

आप प्रश्न दुहरा दें।

चौधरी श्याम लाल--

माननीय मंत्री जी के उत्तर के संदर्भ में मैं यह जानना चाहता हूं कि विकास के दृष्टिकोण से बुन्देलखंड से भी उपेक्षित कोई क्षेत्र है ?

श्री राम नरेश शुक्ल--

इसकी खोज तो आप कीजिये....।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

कृपया शांति बनाये रखें।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी--

मैं माननीय मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि ये सारी विभाजन की बातें, असन्तोष की बातें केवल इसलिये उठ रही हैं कि हमारे यहां जो रीजनल इन्बैलेंसेज हैं, क्षेत्रीय असमानतायें हैं सरकार अपनी योजनाओं को ईमानदारी से क्रियान्वित नहीं कर पा रही है, । क्या माननीय मंत्री जी इस बात का आश्वासन देंगे कि भविष्य में जो क्षेत्र जिस मामले में सर्वाधिक पिछड़े हों योजनाओं में या धन के आवंटन में, उन क्षेत्रों में इस मामले में सर्वोपरि प्राथमिकता दी जायेगी ?

श्री राम नरेश शुक्ल--

मान्यवर, जो क्षेत्र पिछड़े हैं उनको बढ़ाना सरकार की नीति है । जहां तक इस मांग का प्रश्न है, मैं साफ कर दूं कि केवल दो छपे हुये मांग पत्र हमारे पास आये हैं जिनमें दस्तखत भी नहीं हैं । 14 करोड़ की आबादी में से 2 छपे हुये (प्रिंटेड) पत्र जिनमें न अंगूठे का निशान है न दस्तखत हैं, शायद एक आदमी का किसी का दस्तखत है । तो 14 करोड़ की आबादी में यह जनता की मांग कैसे हो गई ।

श्री सुरेन्द्र सिंह--

मान्यवर, मैं जानना चाहूंगा कि जैसे अभी आपने खुद ही कहा कि प्रदेश की प्रगति को दृष्टिगत रखते हुये हम सब काम कर रहे हैं । इसी उद्देश्य की पूर्ति हेतु पर्वतीय अंचल में पर्वतीय विकास विभाग का गठन भी किया गया था । इस विभाग के माध्यम से वहां पर योजनायें बन रही हैं । लेकिन इसके बावजूद भी जब विभाग वहां पर अलग से काम कर रहा है, अलग से धन का आवंटन किया जा रहा है फिर भी जो मांग उत्तराखंड की उठ रही है, क्या माननीय मन्त्री जी उन कारणों को जानने का प्रयास करके सरकार के माध्यम से उस पर कोई निर्णय लेने का कष्ट करेंगे ?

श्री राम नरेश शुक्ल--

मान्यवर, जहां तक कारणों को जानने का प्रश्न है कोई कारण ऐसा है नहीं ।

श्री बदन सिंह--

मान्यवर, मंत्री जी ने अपने उत्तर में साफ इंकार कर दिया प्रदेश के विभाजन को, भले ही पश्चिमी उत्तर प्रदेश को धन आबंटन में उपेक्षित किया जाय । लेकिन उन्होंने यह स्वीकार किया कि जो बड़े-बड़े जिले हैं उनमें से कुछ हिस्सों को अलग कर छोटे जिले बनाये जा रहे हैं और अभी हाल में तीन जिले बना दिये । मैं जानना चाहता हूं क्योंकि आगरा जिला आबादी के हिसाब से 30 लाख से ऊपर है और वहां यमुना और चम्बल जैसे भौगोलिक क्षेत्र हैं जो ऐसे नहीं हैं कि वहां सुचारु रूप से प्रबन्ध चल सके । जनता राजनैतिक आन्दोलन की आवाज उठा रही है कि फिरोजाबाद को अलग जिला बनाया जाय । तो क्या माननीय मंत्री जी इसकी घोषणा करेंगे कि फिरोजाबाद का एक जिला बनाया जायेगा ?

श्री राम नरेश शुक्ल--

सवाल क्या है और आप पूछ क्या रहे हैं, इस सवाल से इसका कहां सम्बन्ध है ।

(व्यवधान)

श्री बदन सिंह--

अभी आपने ही कहा कि छोटे-छोटे जिले बना रहे हैं ।

श्री मलिक मोहम्मद कमाल यूसुफ--

मान्यवर, जब आपने इजाजत दे दी तो यह कौन होते हैं सवाल क्या है कहने का ।

श्री सत्य प्रकाश विकल--

माननीय मंत्री जी के उत्तर के संदर्भ में उन्होंने प्रदेश के विभाजन की मांग को अस्वीकार कर दिया और प्रदेश की विशालता का जिक्र उन्होंने किया। तो मैं जानना चाहता हूं कि सभी अंचलों के लोग अपने को उपेक्षित महसूस कर रहे हैं यह हकीकत है तो क्या उस चीज को ध्यान में रखते हुये कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश अपने को उपेक्षित महसूस करता है भले ही वह पिछड़ा नहीं है, तो क्या पश्चिमी उत्तर प्रदेश सहित सभी अंचलों के समन्वित विकास की संस्तुति करने की दृष्टि से इस सदन की एक समिति गठित करने का आश्वासन देंगे ?

श्री राम नरेश शुक्ल--

मान्यवर, पश्चिमी उत्तर प्रदेश अपनी गति से प्रगति कर रहा है इसलिये समिति बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है ।

श्री हरदेव--

मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि यह सर्वविदित है कि पूर्वांचल पिछड़ा हुआ है हर दृष्टि से औद्योगिक दृष्टि से भी और विकास की दृष्टि से भी तो क्या उसके लिये पूर्वांचल औद्योगिक विकास निगम और पूर्वांचल विकास निगम की स्थापना करने की कृपा करेंगे ?

श्री राम नरेश शुक्ल--

मान्यवर, माननीय हरदेव स्वयं सब चीज देख रहे हैं तो विकास निगम गठन करने की क्या जरूरत है ।

श्री काशी सिंह ऐरी--

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूं जैसा उन्होंने अपने उत्तर में कहा कि विभाजन की कोई आवश्यकता नहीं है और न कहीं से विभाजन की मांग उठ रही है । माननीय मंत्री जी इस बात से अवगत होंगे जब माननीय मुख्य मंत्री जी से ऋषिकेश में हुई हत्याओं का यहां जवाब दे रहे थे । तो कहा था कि इतना बड़ा प्रदेश है सब जगह देखना मुश्किल है जो रिकार्ड में दर्ज है । तो उसको देखते हुये ।

श्री अध्यक्ष--

आप प्रश्न पूछिये ।

श्री काशी सिंह ऐरी--

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे क्योंकि पर्वतीय क्षेत्र के विकास के लिये अलग से बजट आवंटित होता है उसका 75 प्रतिशत केन्द्र सरकार देती है वह केयरगाफ आपके आता है....।

श्री अध्यक्ष--

आप प्रश्न करिये ।

श्री काशी सिंह ऐरी--

वहां योजनाओं को कार्यान्वित करने के लिये कोई प्लानिंग सैल नहीं है, क्रियान्वयन की कोई मशीनरी नहीं है तो इन सारी चीजों को देखते हुये, उन्होंने यह भी कहा कि उन्हें विभाजन की मांग की कोई जानकारी नहीं है ।

श्री अध्यक्ष--

आपको प्रश्न नहीं करना है तो बैठें, आप भाषण दे रहे हैं ।

श्री काशी सिंह ऐरी--

तो मैं पूछना चाहता हूं कि बहुत समय से विभाजन की मांग है । मैं जानना चाहता हूं कि प्रदेश के पुनर्गठन की मांग की जानकारी का क्या तरीका है । अभी शान्तिपूर्ण तरीके से पुनर्गठन की मांग वहां लोग कर रहे हैं, वहां के विकास की मांग आपके सामने आ रही है ।

श्री अध्यक्ष--

ऐरी जी, आप प्रश्न करें, भाषण न करें ।

श्री काशी सिंह ऐरी--

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि आप के पुनर्गठन की मांग बताने का तरीका क्या है ?

श्री अध्यक्ष--

इसका प्रश्न नहीं उठता है ।

श्री नेक चन्द्र पाण्डेय--

मान्यवर, तमाम संगठन पश्चिमी या पूर्वी उत्तर प्रदेश में इस प्रकार की विभाजन की मांग करते हुए तमाम हिंसा पैदा कर रहे हैं जिससे सरकार के समक्ष कानून व्यवस्था की समस्या उठ रही है, क्या वह इस प्रकार के संगठनों पर प्रतिबन्ध लगाने की यहां घोषणा करेंगे ?

श्री राम नरेश शुक्ल--

मान्यवर, जो भी व्यक्ति या संगठन कानून को तोड़ेगा या उसके खिलाफ जायेगा तो उसके खिलाफ सख्त कार्यवाही की जायेगी ।

सहकारी तथा सरकारी शीतगृहों के समान ही निजी शीतगृहों को भी भण्डारण प्रभार के छूट की मांग

**2--डा0 दिनेश जौहरी--

क्या सरकार को जानकारी है कि निजी शीतगृहों के मुकाबले सहकारी एवं सरकारी शीतगृहों में प्रति कुन्तल भण्डारण प्रभार की अधिक छूट दी गयी है जिसके कारण निजी शीतगृहों को भारी घाटा उठाना पड़ रहा है एवं बहुत से बन्द भी हो गये हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार निजी शीतगृहों में भी उतना ही भण्डारण प्रभार निर्धारित करेगी जितना कि सहकारी एवं सरकारी शीतगृहों को दिया जा रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

कृषि मंत्री (चौधरी नरेन्द्र सिंह)--

उत्तर प्रदेश कोल्ड स्टोरेज विनियमन अधिनियम, 1976 के अन्तर्गत सहकारी, सरकारी तथा निजी शीतगृहों के लिए एक ही अधिकतम भण्डारण प्रभार शासन द्वारा निर्धारित किया जाता है, जिसके कारण एक दूसरे की तुलना में किसी को घाटा होने का प्रश्न नहीं उठता । शासन द्वारा निर्धारित किये गये अधिकतम भण्डारण प्रभार से अधिक प्रभार वसूल करना अधिनियम के अन्तर्गत निषिद्ध है ।

किन्तु शासन द्वारा निर्धारित अधिकतम भण्डारण प्रभार एवं इससे अधिक न वसूल करने सम्बन्धी अधिनियम के उपबन्ध विश्व बैंक की सहायता से निर्मित शीतगृहों के सम्बन्ध में दिनांक 10 अक्तूबर, 1983 से दस वर्ष की अवधि के लिए लागू नहीं किये गये हैं ।

डा० विनेश जौहरी--

मान्यवर, मैं दो प्रश्नों के द्वारा जानना चाहता हूं कि एक तो जब प्रदेश में बिजली, पानी की दरें एक ही, चाहे सरकारी हो या प्राइवेट या विश्व बैंक से बना शीतगृह, ली जाती हैं, एक ही खर्चा आता है, तो यह विसंगतियां क्यों हैं और प्राइवेट से ज्यादा पैसा क्यों ले रहे हैं और विश्व बैंक की योजना के तहत बने शीतगृहों को ज्यादा छूट दिया है, तो ऐसा क्यों ?

दूसरा प्रश्न है क्या आपके पास जितने शीतगृह हैं, आलू या फल भंडारण के लिए, क्या पर्याप्त हैं । यदि नहीं, तो क्या और शीतगृह बनाने के लिये लाइसेन्स दे रहे हैं या सरकारी क्षेत्र में बनाने जा रहे हैं ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह--

मान्यवर, विश्व बैंक की सहायता से जो शीतगृह बने हैं या बन रहे हैं, वह ज्यादातर पिछड़े क्षेत्रों में हैं, जहां कोल्ड स्टोरेज के मालिक नहीं लगाना चाहते हैं, इसलिये उनको प्रोत्साहित करने के लिये विश्व बैंक के साथ बात हुई और 10 सालों के लिये यह छूट दी गयी है ।

दूसरा जो लाइसेन्स देने की बात कही है, तो हर साल लाइसेन्स दिये जाते हैं । मान्यवर, प्रदेश में 739 शीतगृह हैं, उनकी संख्या लगातार बढ़ रही है ? जहां तक पर्याप्त हैं या नहीं, जितनी जरूरत है तो अभी जरूरत और है और उसके लिये लाइसेन्स दिये जा रहे हैं । इस वर्ष कोई कठिनाई किसानों को महसूस नहीं हुई ।

श्री मनेजर सिंह--

मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि प्रदेश के अन्दर निजी शीतगृह जो हैं उनमें सीमा से अधिक भंडारण किया जाता है और निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क लिया जा रहा है जिसके कारण अधिक आलू रखने से वह सड़ जाता है जिससे किसानों को नुकसान होता है । यह बीमा कम्पनियों से रुपया ऐंठ लेते हैं, तो क्या माननीय मंत्री जी प्राइवेट शीतगृहों के खिलाफ, इन सब चीजों को देखते हुए, कड़ाई बरतेंगे और लाइसेन्स न दिए जाने पर विचार करेंगे ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह--

मैं बताना चाहता हूं कि ज्यादा से ज्यादा शीतगृह बने ऐसा हम चाहते हैं जिससे किसानों को सुविधा हो । और इसीलिए ज्यादा से ज्यादा लाइसेन्स दिए जायेंगे जहां तक अनियमितताओं का सवाल है शोषण का सवाल है उसको नहीं होने दिया जाएगा मान्यवर, पिछले साल 38 शीतगृहों के मालिकों के खिलाफ कार्यवाही की गई और दो शीतगृह के मालिकों को जेल भेजा गया, तो किसानों के हितों के लिए सरकार पूरी तरह से सजग है ।

श्री दिवाकर विक्रम सिंह--

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि मंत्री जी ने जैसा कि बताया वर्ल्ड बैंक की योजना में जो शीतगृह लगेंगे उसमें प्रभार में न्यूनतम से अधिक छूट दी जाएगी, तो क्या माननीय मंत्री जी प्राइवेट शीतगृह जो लगायेंगे उनको भी यह सुविधा देने की कृपा करेंगे । दूसरी बात यह जानना चाहता हूं कि वर्ल्ड बैंक के शीतगृह जो पिछड़े क्षेत्रों में लग रहे हैं क्या यह सही है कि पिछड़े क्षेत्रों के लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए जो शीतगृह लग रहे हैं उनसे अधिक प्रभार लिया जा रहा है ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह--

मान्यवर, अभी वर्तमान में ऐसा कोई विचार नहीं है कि जो छूट हमने विश्व बैंक योजना के तहत शीतगृह बनाने वालों को दी है वही छूट प्राइवेट शीतगृह बनाने वालों को दी जाए । इस तरह का कोई प्रश्न हमारे विचाराधीन नहीं है । दूसरा प्रश्न जो माननीय सदस्य ने किया उसको भी बता दूं प्राइवेट शीतगृह के मालिक जो हैं वह ऐसी जगह शीतगृह लगाते हैं जहां उनका फायदा हो, तो सरकार का इरादा है कि वह ऐसे क्षेत्रों में किसानों को सुविधा उपलब्ध करायें जहां प्राइवेट शीतगृह, लोग नहीं लगाते हैं, तो इससे सुविधा मिल सकेगी ।

श्री दिवाकर विक्रम सिंह--

मान्यवर, मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं आ रहा है ।

चौधरी नरेन्द्र सिंह--

मान्यवर, मैं उत्तर ही दे रहा हूं, जहां सुविधा नहीं है शीतगृहों की वहां शीतगृह बनवाये जायेंगे तो किसानों को सुविधा होगी और उत्पादन भी बढ़ेगा । मान्यवर, एक योजना के तहत अधिकांश पिछड़े क्षेत्रों में 41 शीतगृह बनाने की बात हुई है और उन शीतगृहों का निर्माण कराया जा रहा है । सरकार की मंशा किसानों को सुविधा देने की और मदद करने की है ।

श्री समरपाल सिंह--

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में यह बात मान ली है कि निजी शीतगृहों से सरकारी शीतगृहों के प्रभार में भिन्नता है, इस सम्बन्ध में एक मामला हाई कोर्ट में भेजा गया था, तो मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि हाई कोर्ट का उसमें क्या निर्णय हुआ ? दूसरी बात मैं यह पूछना चाहता हूं कि जिन शीतगृहों ने किसानों से ज्यादा प्रभार वसूल किया है उसको क्या माननीय मंत्री जी वापस दिलाने की कृपा करेंगे ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह--

मान्यवर, गत वर्ष शीतगृह के मालिक ने रिट फाइल किया था उसमें हाई कोर्ट ने पुनर्विचार के लिए निर्णय दिया है । दूसरा प्रश्न जो इन्होंने पूछा है उसके बारे में कहना चाहता हूं और आश्वस्त करना चाहता हूं कि जो निर्णय हुआ और उससे अधिक अगर प्रभार का शीतगृहों के मालिकों ने पैसा वसूल किया है तो वह निश्चित रूप से वापस कराया जाएगा ।

श्री रघुवर दयाल शर्मा--

मान्यवर, जैसा माननीय मंत्री जी ने अपने अनुपूरक में कहा है कि पिछड़े क्षेत्रों को प्रोत्साहन देने के लिए विश्व बैंक की सहायता से आप शीतगृह का निर्माण करा रहे हैं तो वह कौन-कौन से ऐसे जिले हैं । जिनमें आपने पिछड़ा क्षेत्र समझकर शीतगृह का निर्माण कराया है और उनकी संख्या क्या है ? दूसरा मान्यवर, जो आप हाईकोर्ट के फैसले को लेकर लिगर आन किये जा रहे हैं । आपने इसी

सदन में कहा था कि 19 रुपये से अधिक पैसा वसूलने वाले के खिलाफ सख्त कार्यवाही करेंगे और अब बढ़ते-बढ़ते पहुंच गया 32 रुपये 33 रुपये, हाई कोर्ट की सहायता लेकर, तो मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि हाईकोर्ट का आर्डर आपका आर्डर और दोनों के आर्डर के बाद 32 रुपये जो ले रहे हैं इस 32 रुपये पर प्रतिबन्ध लगाकर जो किसानों से वसूल किया गया है उसको वापस दिलाने की कृपा करेंगे ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह--

मान्यवर, इस वर्ष की भंडारण दर 23 रुपये तय हुई है, 25 रुपये नहीं है और इस तरह की लोगों की शिकायत भी नहीं आई है कि 25 रुपये लिया जा रहा है।

श्री रघुवर दयाल वर्मा--

मान्यवर, मैंने कहा था कि 32 रुपये लिये जा रहे हैं 25 रुपये नहीं कहा था।

चौधरी नरेन्द्र सिंह--

मान्यवर, अगर कहीं लिया जा रहा है तो आप मुझे अवगत करा दें, मैं उसको दिखवा लूंगा।

इसमें मान्यवर, बहुत लम्बी लिस्ट है 41 शीतगृह जो विभिन्न क्षेत्र पिछड़े हुए हैं।

श्री रघुवर दयाल वर्मा--

पश्चिम में कहीं बनाया है।

चौधरी नरेन्द्र सिंह--

शायद आपके जिले में एक आध हो।

श्री हरदेव--

मान्यवर, माननीय, मंत्री जी ने जैसा निर्णय लिया है, जनपद बलिया उत्तर प्रदेश में पिछड़ा हुआ जनपद है और रसड़ा तहसील पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, वहां कोई भी शीतगृह नहीं है और आलू के उत्पादक बहुत ज्यादा हैं। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या वहां पर एक शीतगृह स्थापित करने का निर्णय लिया है अगर नहीं लिया है तो क्या भविष्य में स्थापित करने की कृपा करेंगे ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह--

मान्यवर, यह सही है कि बलिया पिछड़ा हुआ जिला है, वहां पर इस तरह के प्रयास की जरूरत है। अगर हरदेव जी किसी से लाइसेन्स के लिए एप्लाई करा देंगे तो हम फौरन लाइसेन्स दिला देंगे।

डाक्टर दिनेश जौहरी--

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि सहकारी क्षेत्रों में कौन-कौन जिलों में आपने शीतगृह लगाये हैं और आगे लगाने की योजना है ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह--

मान्यवर, यह जिले हैं--मैनपुरी, बाराबंकी, फैजाबाद, एटा, मेरठ, फैजाबाद, बुलन्दशहर, बस्ती, देवरिया, इलाहाबाद, आजमगढ़, जौनपुर, प्रतापगढ़, वाराणसी, मिर्जापुर, फतेहपुर, देवरिया, फर्रुखाबाद, अलीगढ़, इलाहाबाद इसी तरीके से मान्यवर, 41 हैं। खीरी लखीमपुर, सीतापुर, गाजीपुर, कानपुर देहात में भी हैं शिवली में और आजमगढ़, इसी तरह से 41 शीतगृह बनने हैं।

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्यसंचालन नियमावली, 1958 के नियम 29 (4) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

प्रदेश में ग्राम पंचायतों के कार्यकाल में वृद्धि तथा रिक्त पदों हेतु चुनाव

*1—श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी—

क्या ग्राम्य विकास एवं पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सही है कि सरकार ने प्रदेश में गांव सभाओं के आगामी आम चुनाव निर्धारित समय पर न कराकर मौजूदा चुनी हुई गांव सभाओं की ही, कार्यावधि को बढ़ाने का निश्चय किया है ? यदि हां, तो इसका कारण क्या है और ऐसी स्थिति में प्रदेश भर में प्रधानों तथा सदस्यों के रिक्त पदों का चुनाव कब तक पूरा करा दिया जायगा ? यदि नहीं तो क्यों ?

ग्राम्य विकास एवं पंचायती राज मंत्री (श्री श्याम सूरत उपाध्याय)—

गांव पंचायतों का कार्यकाल एक वर्ष के लिये बढ़ाया गया है ।

सामान्य निर्वाचन के पूर्व गांव पंचायतों के पुनर्गठन एवं परिसीमन सम्बन्धी प्रारम्भिक कार्यवाही करनी होती है तथा निर्वाचन तैयारी में पर्याप्त समय की आवश्यकता होती है ।

प्रदेश में रिक्त प्रधान/उप प्रधान/सदस्यों के शीघ्र उप चुनाव के कराने के लिये आवश्यक आदेश 31 जुलाई, 1986 को निर्गत किये जा चुके हैं ।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी—

मान्यवर, माननीय मंत्री जी के उत्तर के संदर्भ में गांव सभाओं के कार्यकाल को एक साल बढ़ाने का कारण माननीय मंत्री जी ने बताया कि पुनर्गठन और परिसीमन वगैरा में एक साल का समय लगेगा । मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि वह गांव सभाओं का कार्यकाल एक साल बढ़ाने का फैसला कब और कब तक के लिए लिया गया और दूसरा यह परिसीमन वगैरा की कार्यवाही एक साल पहले से ही शुरू करके निर्धारित समय में क्यों नहीं पूरा करा लिया गया ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

मान्यवर, गांव पंचायतों का कार्यकाल बढ़ाने के लिए विज्ञप्ति 15 जून, 1987 को हुयी है ।

श्री भगवती सिंह विशारद—

मान्यवर, क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि गांव पंचायतों के चुनाव हो जाने के बाद प्रधानों व उप प्रधानों के कितने स्थान अभी रिक्त हैं, जिनके चुनाव अभी तक नहीं कराये गये हैं क्या माननीय मंत्री जी प्रधानों व उप प्रधानों के चुनाव के साथ-साथ जिला परिषदों के प्रमुखों के चुनाव भी कराने का कष्ट करेंगे ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

31 जुलाई, 1986 को सभी जिला अधिकारियों को यह निर्देश दे दिए गये थे कि वे गांव सभा के प्रधानों व उप प्रधानों के चुनाव जहां नहीं हुए हैं अभी तक वहां के जिलाधिकारी यह चुनाव सम्पन्न करा सकते हैं ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मान्यवर, इस आदेशों के बावजूद यदि जिन स्थानों पर अभी तक चुनाव नहीं कराये गये हैं तो क्या माननीय मंत्री जी उन जिलाधिकारियों के खिलाफ कोई कार्यवाही करेंगे ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

ऐसी बात जहां भी जिस जनपद में होगी उसे दिखवा लेंगे कि क्या मामला है, और चुनाव क्यों नहीं हुए ?

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी—

मान्यवर, प्रदेश भर में ऐसी कितनी प्रधानों व उप प्रधानों की रिक्तियां हैं जिनके चुनाव अभी तक नहीं हुए और जिन जिलाधिकारियों ने इन आदेशों के अनुपालन में अब तक कार्यवाही नहीं की है, वह कितने हैं और क्या इस सत्र के उठने से पहले-पहले उनके प्रति की गयी कार्यवाही से इस सदन को अवगत करा देंगे ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

31 जुलाई, 1986 से पूर्व 1812 प्रधान के पद रिक्त थे और 512 उप प्रधानों के । यह आदेश जारी करने के बाद कई जिलों में यह चुनाव हुए हैं और अगर किसी जिले में चुनाव नहीं हुये हैं तो माननीय सदस्य उसके बारे में लिख कर दे दें तो हम उसे दिखवा लेंगे कि अब तक चुनाव क्यों नहीं हुए ?

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मान्यवर, माननीय मन्त्री जी ने अभी एक वर्ष बढ़ाने की बात कही है, उसका परिसीमन कराने के लिए परन्तु मान्यवर चुनाव कराने की जो विधि है उसके अनुसार परिसीमन कराना कोई मैनडेटरी नहीं है, यदि आपको कराना ही था तो एक साल पहले इसकी कार्यवाही को प्रारम्भ कर सकते थे । तो क्या माननीय मन्त्री जी अब यह बतायेंगे कि यह परिसीमन की कार्यवाही कब तक प्रारम्भ करा देंगे ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

मान्यवर, गांव सभा के चुनाव कराने के पूर्व परिसीमन कराना आवश्यक होता है और जैसा कि सभी माननीय सदस्य जानते हैं कि जो अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के सदस्य होते हैं, उसमें उनका रिजर्वेशन होता है ।

अनुसूचित जाति और जनजाति के लिये और इसके अलावा मान्यवर, वोटर लिस्ट को भी फिर से देखा जाना है, उसे संशोधित किया जाता है । इसमें मान्यवर, काफी समय लगने की गुंजाइश रहती है, इसलिये यह प्रक्रिया पूरी नहीं हुई है और एक वर्ष के लिये समय बढ़ा दिया गया है, ग्राम सभा के चुनाव के बारे में माननीय सदस्य ने कहा कि क्या सरकार प्रक्रिया शुरू करेगी, इस पर सरकार विचार कर लेगी कि इसकी प्रक्रिया कब से शुरू करें ।

श्री नेक चन्द्र पाण्डेय—

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि जिस तरह से एक वर्ष का कार्यकाल ग्राम प्रधानों का बढ़ाया गया है, क्या शासन इस पर विचार कर रहा है कि जिला परिषदों और ब्लाक प्रमुखों का भी कार्यकाल बढ़ायेंगे ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

मान्यवर, अभी तो जिला परिषदों का गठन ही नहीं किया गया, तो कार्यकाल क्या बढ़ायेंगे ।

श्री कल्यान सिंह—

मान्यवर, वैसे तो सरकार की नीयत साफ है कि वह चुनाव कराने से कतरा रही है, चाहे स्थानीय निकाय के चुनाव हों गांव सभा के चुनाव हों, या जिला परिषद् के चुनाव हों । मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जो विधान परिषद् के स्थान रिक्त हैं, वह स्थानीय निकायों से जो भरे जाने वाले स्थान हैं, उनकी

भरने के लिये क्या मौजूदा ग्राम सभाओं के निर्वाचित प्रधानों को वोटर मानेंगे या अगली ग्राम सभा के चुनाव के बाद उन स्थानों को भरेंगे ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय--

मान्यवर, ग्राम सभाओं का कार्यकाल चूंकि एक वर्ष के लिये बढ़ाया गया है इसलिये मौजूदा चुने हुए प्रधानों के वोट देने का अधिकार बरकरार रहेगा ।

श्री राजेन्द्र सिंह (एटा)--

मान्यवर, क्या माननीय मंत्री जी बताने कि कृपा करेंगे कि जिस तरह से प्रधानों और उप प्रधानों के बाई इलेक्शन्स कराये गये हैं, उसी तरह से प्रधानों और जिला परिषदों के जो स्थान रिक्त हैं, उनके भी चुनाव कराने जा रहे हैं यदि नहीं तो क्यों ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय--

विचार किया जायगा ।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

मान्यवर, माननीय मंत्री जी के उत्तर के संदर्भ में क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि न्याय पंचायतों का गठन तो हुआ नहीं, क्या न्याय पंचायतों के इतिहास में ऐसा कोई कार्यकाल होगा जबकि उनका गठन होगा, इनकी एक वर्ष की अवधि शेष रह गई है, अब तो इनका गठन करा दें ।

श्री श्याम सूरत उपाध्याय--

मान्यवर, हम न्याय पंचायतों का चुनाव शीघ्र कराने पर विचार कर रहे हैं ।

श्री कल्यान सिंह--

मान्यवर, एक बहुत जरूरी प्रश्न है ।

श्री अध्यक्ष--

यह प्रश्न बहुत देर से चल रहा है ।

उ0 प्र0 रा0 स0 प0 नि0 का क्षेत्रीय कार्यालय जनपद मुख्यालय पिथौरागढ़ में खोलने की मांग

*2--श्री काशी सिंह ऐरी--

क्या परिवहन मंत्री कृपया बतायेंगे कि उ0 प्र0 रा0 स0 प0 नि0 का क्षेत्रीय कार्यालय जनपद मुख्यालय पिथौरागढ़ में खोलने हेतु लगभग तीन वर्ष पूर्व शासनादेश हो जाने के बावजूद भी दिनांक 1 जून, 1987 तक उक्त कार्यालय टनकपुर (नैनीताल) में ही स्थित है ? यदि हां, तो इस अनियमितता का उत्तरदायित्व किस पर है ? उक्त कार्यालय को पिथौरागढ़ में खोलने व इस हेतु भवन आदि की अविलम्ब व्यवस्था हेतु सरकार अविलम्ब कार्यवाही कब तक करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

परिवहन मंत्री (डाक्टर संजय सिंह)--

जनपद पिथौरागढ़ में क्षेत्रीय कार्यालय दिनांक 1 जनवरी, 1983 से खोलने का निर्णय लिया गया था, परन्तु कार्यालय हेतु भवन न मिल सकने के कारण तथा पिथौरागढ़ में क्षेत्रीय मुख्यालय बनाने में निहित व्यय एवं निगम की वित्तीय स्थिति के परिप्रेक्ष्य में निगम बोर्ड ने अपनी 88वीं बैठक दिनांक 21/22 जून, 1984 में क्षेत्रीय मुख्यालय को टनकपुर में ही रखने का निर्णय लिया ।

पल्लवन कमेटी की संस्तुतियों के अनुसार केवल मण्डलीय मुख्यालयों पर ही क्षेत्रीय प्रबन्धक कार्यालय खोलन का निर्णय लिया गया है । चूंकि पिथौरागढ़ मण्डलीय मुख्यालय नहीं है, अतः यहां क्षेत्रीय प्रबन्धक का कार्यालय खोलने का कोई विचार नहीं है ।

श्री काशी सिंह ऐरी—

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि जैसा कि उन्होंने अपने उत्तर में कहा है कि दिनांक 1 जनवरी, 1983 को पिथौरागढ़ में मण्डलीय कार्यालय खोलने का निर्णय लिया गया था, लेकिन उसके बाद निगम बोर्ड ने 21-22 जून, 1984 की बैठक में क्षेत्रीय कार्यालय टनकपुर में ही रखने का निर्णय लिया। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जैसा कि उन्होंने बताया है कि जगह उपलब्ध नहीं हुई तो क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि यह जगह नहीं मिलने की संस्तुति किस अधिकारी ने कब की, जिसके कारण मुख्यालय खोलने का निर्णय नहीं लिया गया। मेरा आरोप है कि ये सारे निर्णय केवल टनकपुर में ही बैठकर लिये जाते हैं और पिथौरागढ़ में जाकर जगह नहीं ढूंढी जाती है। यह संस्तुति की पिथौरागढ़ में जगह उपलब्ध नहीं है, किस अधिकारी ने दी थी, जिसके आधार पर निगम ने क्षेत्रीय कार्यालय टनकपुर में ही स्थापित करने की संस्तुति की ?

डाक्टर संजय सिंह—

मान्यवर, यहां लखनऊ से प्रबन्ध निदेशक की तरफ से एक टीम गयी थी, जिसने वहां पर जांच की। उस निर्णय के पश्चात्, वहां पर आफिसर्स ट्रांसफर किये गये। उस लेबिल के सारे अधिकारी ट्रांसफर किये गये। उसमें रहने की व्यवस्था नहीं हो सकी, इसलिए उनको वापस जाना पड़ा।

श्री काशी सिंह ऐरी—

मान्यवर, कुमायूं मण्डल का मुख्यालय वह नैनीताल में है। जैसा कि आपने बताया कि पल्लवन कमेटी की सिफारिश के अनुसार आपके क्षेत्रीय कार्यालय जो हैं, मण्डल कार्यालय म खुलेंग ?

श्री अध्यक्ष—

आप प्रश्न करें।

श्री काशी सिंह ऐरी—

आपका टनकपुर किसी भी मण्डल का मुख्यालय नहीं है मान्यवर, मैं आपको सूचित करना चाहूंगा कि माननीय मंत्री जी ने गलत उत्तर देकर सदन को गुमराह किया है। पल्लवन कमेटी की सिफारिश के अनुसार क्षेत्रीय कार्यालय में मण्डल मुख्यालय पर होना चाहिये। टनकपुर मण्डल का मुख्यालय नहीं है।

श्री अध्यक्ष—

आप इतिहास बयान कर रहे हैं। आप प्रश्न करें। नहीं तो मैं आगे का प्रश्न ले लूं।

श्री काशी सिंह ऐरी—

मान्यवर, मैं सदन को माननीय मंत्री जी के विरुद्ध विशेषाधिकार हनन की सूचना देता हूं। इस विशेषाधिकार हनन की सूचना को मैं लिखित रूप में दे दूंगा।

श्री अध्यक्ष—

आप प्रश्न करें, नहीं कर रहे हैं तो मैं आगे बढ़ रहा हूं।

श्री किशन सिंह तड़ागी—

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि टनकपुर में जब कार्यालय के लिये काफी जगह है और उसके उलावा वर्कशाप के लिये भी जगह है तो क्या वह व्यवस्था मुख्यालय टनकपुर में ही रखने का आश्वासन देंगे ?

डाक्टर संजय सिंह--

मान्यवर, जो भी व्यवस्था टनकपुर में है, वह व्यवस्था वहां ही रहेगी ।

*3--श्री सन्तोष चतुर्वेदी एडवोकेट--

[सदन की सेवा से निलम्बित होने के कारण हटाया गया]

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्यसंचालन नियमावली, 1958 के नियम 38(2) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

इस्लामिया इंजीनियरिंग कालेज, मेरठ में व्याप्त अनियमितताओं की जांच

*1--श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि इस्लामिया इंजीनियरिंग कालेज, मेरठ में व्याप्त अनियमितताओं के बारे में जो शिकायती पत्र दिनांक 31 जुलाई, 1986 में प्रश्नकर्ता द्वारा प्राप्त हुआ तथा जिसकी स्वीकारोक्ति अर्द्ध शासकीय पत्र संख्या 427-बी0 आई0 पी0-आठ-3-12(23)-पी/86-गृह (पुलिस) अनुभाग-3, दिनांक 29 अगस्त, 1986 लखनऊ द्वारा प्राप्त हुई है, के बारे में अब तक क्या कोई जांच कराई गयी ? यदि हां, तो जांच रिपोर्ट क्या है ?

गृह राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान)--

जी हां, जांच कराई गई । जांच में पाया गया कि यह संस्था मान्यताप्राप्त नहीं है । फिर भी इसमें छात्रों को प्रवेश दिया जाता रहा है । इस संस्था के चलाने में किसी राजनीतिक पार्टी के व्यक्ति विशेष का नाम प्रकाश में नहीं आया है । संस्था की विवरण पत्रिका में कतिपय प्रतिष्ठा प्राप्त लोगों का संरक्षण प्राप्त होना अंकित किया गया है । संस्था में सभी सम्प्रदाय के छात्र पढ़ते थे, लेकिन एक समुदाय के छात्रों की बहुलता थी । इस संस्था की किसी निश्चित साम्प्रदायिक भूमिका की जानकारी प्राप्त नहीं हुई है ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, माननीय मन्त्री जी के उत्तर के सन्दर्भ में, माननीय मन्त्री जी ने बताया कि संस्था मान्यता प्राप्त नहीं है । संस्था मान्यता प्राप्त नहीं है और चल भी रही है । इसके अलावा माननीय मन्त्री जी ने उत्तर में बताया है कि संस्था की विवरण पत्रिका में कतिपय प्रतिष्ठा प्राप्त लोगों का संरक्षण प्राप्त होना अंकित किया गया है । मैं माननीय मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि वे कतिपय प्रतिष्ठा प्राप्त महानुभाव कौन-कौन हैं जिनका इस गैर मान्यता प्राप्त संस्था को संरक्षण प्राप्त होना बताया गया है ?

श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान--

मान्यवर, श्री नियाज हसन, श्री सिब्ते रजी, श्री सईदुल हसन, श्री नारायण दत्त तिवारी जी ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

क्या माननीय मन्त्री जी यह बताने का कष्ट करेंगे कि संस्था मान्यता प्राप्त है नहीं और यह हमारे प्रतिष्ठित महानुभाव इससे जुड़े हैं, जो शिकायती-पत्र प्राप्त हुआ था उसमें इस संस्था के खिलाफ क्या-क्या शिकायतें थी और इसकी जांच किस अधिकारी से करायी गयी ?

श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान--

इसमें जो मुख्य रूप से शिकायत मिली है वह इसके बारे में है कि इसमें भवन नहीं है ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

माननीय मन्त्री जी कृपया माइक पर आकर बोलें आवाज सुनाई नहीं दे रही है।

श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान—

इस संस्था के खिलाफ माननीय विधायक ने अपने पत्र में निम्नांकित शिकायतें की थी :—

(1) इस संस्था को किसी विश्वविद्यालय अथवा कालेज ने न तो मान्यता दी है और न ही किसी से इसका सम्बन्ध है;

(2) छात्रों को गुमराह करके प्रवेश देकर उनके जीवन के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है;

(3) कालेज के अभिलेख में कुछ राजनैतिक क्षेत्र में प्रतिष्ठित प्राप्त नेताओं जैसे सर्वश्री नारायण दत्त तिवारी, नियाज हसन, श्रीमती मोहिसिना किदवई, श्री सिब्ते रजी का नाम प्रख्यापित है जिस कारण छात्र विश्वास पाकर प्रवेश ले लेते हैं;

(4) एक समुदाय विशेष के ही अधिकांश छात्र इस संस्था में हैं तथा उनके खिलाफ समय-समय पर समाज विरोधी गतिविधियां उजागर हुई हैं। विगत कुछ तनावों में इस कालेज की महत्वपूर्ण भूमिका रही है।

(इस समय 11 बजकर 50 मिनट पर श्री उपाध्यक्ष पीठासीन हुए)

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मान्यवर, मैंने पूछा था कि जांच किस से कराई जा रही है, उसका उत्तर नहीं आया।

श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान—

मान्यवर, जांच सी० ओ० सेकेन्ड, मेरठ द्वारा कराई गई।

श्री कल्यान सिंह—

मान्यवर, यह मामला अपने में बहुत गम्भीर बन जाता है। एक संस्था है, जो गैर मान्यता प्राप्त है। उस संस्था ने अपने किसी पत्रिका में या कागजों में ऐसे लोगों का नाम अंकित किया है, जिनका सार्वजनिक जीवन में एक महत्वपूर्ण स्थान है। एक प्रकार से संस्था द्वारा यह धोखा-धड़ी है। जिन महानुभाव नेताओं के नामों का जिक्र किया गया है, उनकी स्वीकृति ली गई होगी और वह अभिलेखों में भी होगा। अगर स्वीकृति प्रदान नहीं की गई है तो फिर यह कैसे चल रही है। यह संस्था इन्जीनियरिंग कालेज के स्तर तक की चल रही है जो छात्रों के साथ खिलवाड़ कर रही है। जो छात्र इसमें पढ़ भी रहे हैं, उन्हें कहीं मान्यता नहीं मिल सकती है। सरकार ने जांच में भी पा लिया है कि यह गैर मान्यता प्राप्त संस्था है, तो इस संस्था को सरकार कब तक बन्द कर देगी ?

श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान—

मान्यवर, जिन प्रतिष्ठित लोगों के नामों का उल्लेख किया गया है, उनके संरक्षक बनने की स्वीकृति के अभिलेख उपलब्ध नहीं हो पाये हैं। दूसरा, आपने जो बन्द करने की बात कही है, यह कालेज 2-2-1986 से बन्द पड़ी है।

श्री कल्यान सिंह—

मान्यवर, शिक्षा मन्त्री जी यहां पर उपस्थित हैं, वह बता दें कि उन्होंने संरक्षक बनने के लिए स्वीकृति दी थी या नहीं, बात साफ हो जायेगी ?

शिक्षा मन्त्री (श्री सिब्ते रजी)--

मान्यवर, जहां तक मेरी याददाश्त काम कर रही है, मैंने इस प्रकार की कोई स्वीकृति नहीं दी है ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, माननीय शिक्षा मन्त्री तथा माननीय गृह मन्त्री जी के उत्तर को ध्यान में रखते हुए, जैसा कि जांच से भी स्पष्ट हो गया कि यह संस्था गैर मान्यता प्राप्त है, प्रबन्धाधिकरण के खिलाफ शासन ने आज तक कोई कार्यवाही क्यों नहीं की और उसके कारण क्या थे ?

श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान--

मान्यवर, प्रबन्ध समिति का आपस में ही इतना बड़ा विवाद है, जिसके कारण कई छात्र वहां से भागकर अन्यत्र कालेजों में प्रवेश ले लिये हैं । इसके अलावा मैनेजमेन्ट के खिलाफ 420 का अभियोग भी अंकित हो गई है, इसके अलावा हाईकोर्ट में भी एक रिट-पिटीशन पेन्डिंग है । 2-2-1986 से यह कालेज बन्द पड़ा है ।

श्री मैनेजर सिंह--

क्या माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि सरकार ने उस संस्था को बन्द नहीं किया है, तो छात्रों से जो नाजायज धन लिया गया था संस्था द्वारा, उस धन की मांग छात्र कर रहे थे, इसलिये उनके डर से वह भाग गये ? दूसरी बात क्या हमारे अध्यक्ष, विधान सभा का भी उसमें नाम है ?

श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान--

जी हां, किसी भी संस्था के अगर अच्छे एम्स और आबजेक्ट्स होते हैं, तो हम लोग राजनीतिक जीवन में हैं, अक्सर लोग आते हैं और कहते हैं कि स्कूल खोल रहे हैं, कालेज खोल रहे हैं, संरक्षक बन जाइए । यह मैं नहीं कह सकता कि पैटर्न बनने की स्वीकृति दी थी या नहीं, हो सकता है कि दे भी दी हो क्योंकि इस संस्था को खोलने का उद्देश्य अच्छा था ।

श्री राजेन्द्र शर्मा--

जिन छात्रों को यह बताया गया था कि अच्छा कालेज है, पढ़ाई अच्छी होगी, इसके बाद उनसे पैसा लिया गया था, क्या उस पैसे को लौटायेंगे ?

श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान--

मान्यवर, और भी सवाल उधर से भी माननीय सदस्यों ने किये । शासन को किसी प्रकार की धोखा-धड़ी की शिकायत या सूचना प्राप्त नहीं हुई है ।

कुंवर देवेन्द्र सिंह--

इस प्रश्न से सम्बन्धित माननीय मन्त्री जी को प्रश्नकर्ता सदस्य का पत्र 31-7-1986 को प्राप्त हुआ यानी सूचना एक साल पहले दी गयी थी । इसमें काफी वरिष्ठ लोगों के नाम थे केन्द्र के भी और राज्य सरकार के भी । इस सूचना में जो अनियमिततायें थीं, वह तो हैं ही, उसके साथ-साथ एक साम्प्रदायिक प्रभाव पैदा हो रहा था गन्दी भावना पैदा की जा रही थी । क्या माननीय मन्त्री जी को इस बात की जानकारी है ? क्या माननीय मन्त्री जी इस बात की जानकारी रखेंगे कि ऐसी कोई सूचना मिले तो एक साल न लगायें ? जिन लोगों के नाम लिये गये हैं यह भी नहीं पता आपको कि वह लोग वास्तव में उसमें हैं कि नहीं, यह ही बता दें कि कितने लोगों के नाम झूठे हैं ? क्या उनको सख्त सजा दी जायगी ?

श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान--

माननीय सदस्य को जानकारी कराना चाहता हूं कि एक साल पुराना प्रश्न नहीं है, यह 15-4-1987 को फिर स्थगन की दी 29-6-1987 और उसके बाद में जो

आपने कहा कि पूर्ण जानकारी करा देंगे । यह जब प्रश्न सामने आया तो इस बात का प्रयास कल से ही किया गया, जानकारी उपलब्ध की गयी । यह कई साल पुरानी बात है, जिन प्रतिष्ठित व्यक्तियों ने अगर स्वीकृति दी भी होगी तो इतना पुराना रिकार्ड किसके पास रहता है कि स्वीकृति दी थी या नहीं । इसमें समय तो लगता ही है ।

श्री रघुबर दयाल वर्मा--

माननीय मन्त्री जी से जानना चाहूंगा कि जिस संरक्षक मन्डल में जिन लोगों के नाम हैं, उनके सम्बन्ध में 31-7-1986 को माननीय गुप्ता जी के प्रश्न के बाद, माननीय सिद्दे रजी जी की सूचना तो मिल गयी कि उनकी सहमति नहीं है, बड़े-बड़े लोगों के नाम होने के कारण उसमें लड़कों की संख्या हो गयी, इस प्रभाव के कारण जो स्थिति पैदा हुई, उसके कारण जिस तरह से शोषण किया, उस विद्यालय के खिलाफ कार्यवाही करेंगे ?

श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान--

मान्यवर, एक, तो रिट पिटीशन हाईकोर्ट में विचाराधीन है । दूसरे मैनेजमेंट के विरुद्ध 420 का अभियोग अंकित हो गया और उस पर विचार चल रहा है । जब यह चल रहा है और विचाराधीन है तो न्यायालय में विचाराधीन होने के पूर्व शासन कोई भी कार्यवाही करने में समर्थ नहीं है ।

श्री कल्यान सिंह--

मान्यवर, एक तो मंत्री जी ने कहा हाईकोर्ट में मैनेजमेन्ट के खिलाफ रिट दायर है । यह रिट किसने दायर किया है ? कब दायर किया है ? दूसरी चीज यह है जो ज्यादा महत्वपूर्ण है, अगर मान्यता प्राप्त संस्था के साथ प्रतिष्ठित व्यक्तियों के नाम जुड़े हैं, मंत्री जी का कहना है कि उनके पास जानकारी नहीं कि उन्होंने स्वीकृति दी या नहीं दी । क्या माननीय मंत्री जी जानकारी प्राप्त करेंगे कि इन प्रतिष्ठित व्यक्तियों के नाम, जो जोड़े गये हैं, उन्होंने स्वीकृति दी या नहीं दी । अगर स्वीकृति नहीं दी थी तो मैनेजमेन्ट ने फर्जी आधार पर उस मांगों का गलत इस्तेमाल किया । मैनेजमेन्ट के खिलाफ कार्यवाही माननीय मंत्री जी करेंगे ?

श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान--

पहला प्रश्न जो माननीय सदस्य ने किया उसके बारे में कहूंगा कि हाईकोर्ट में याचिका मैनेजमेन्ट के ही एक व्यक्ति ने की है । दूसरी बात कि कोई स्वीकृति सम्भ्रान्त व्यक्तियों की थी या नहीं, यह जानकारी प्राप्त कर लेंगे ।

श्री सिद्दे रजी--

मैं अपनी स्थिति स्पष्ट कर चुका हूं । एक माननीय सदस्य ने मेरा नाम लिया । मैं पुनः स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि इस संस्था से मेरा ताल्लुक नहीं है ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, इस संस्था को जिन लोगों ने बनाया उसका उद्देश्य गलत था । पैसा पैदा करना तो उनका उद्देश्य था ही, उन्होंने लड़कों को गुमराह किया, उसके बाद लड़कों का गलत इस्तेमाल भी किया । मेरठ के सदस्यों को जानकारी होगी पिछली बार मेरठ में दंगा हुआ था । उसका रूट कारण यह था कि इस विद्यालय के लड़कों ने एक अबोध बालिका के साथ बलात्कार किया । महिलाओं में रोष पैदा हुआ उन्होंने आन्दोलन किया । तब पुलिस अधिकारियों ने इस विद्यालय के खिलाफ कार्यवाही की थी । तब विद्यालय की वास्तविक स्थिति का भंडाफोड़ हुआ । मेरी सूचना को सही मानते हुए क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि मैनेजमेन्ट के आपसी विवाद के अतिरिक्त शासन ने कोई कार्यवाही की ? विद्यालय की गतिविधियों, छात्रों को गुमराह करने, गलत पैसा पैदा करने, प्रतिष्ठित व्यक्तियों के नाम जोड़े जाने, जिसमें माननीय अध्यक्ष का भी नाम जोड़ दिया गया है, के विरुद्ध तत्काल कोई कार्यवाही की गयी ।

श्री किरन पाल सिंह--

क्या बतायेंगे आप ?

श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान--

मान्यवर, जो आपने पहले बात कही उसके खिलाफ कार्यवाही हुयी । न्यायालय में तो मुकदमा चल ही रहा है । जहां तक कोई कार्यवाही इस विद्यालय के विरुद्ध करने की बात है मैंने अभी बड़े सम्मानपूर्वक निवेदन किया कि 420 का मुकदमा न्यायालय में विचाराधीन है । दूसरे हाईकोर्ट में याचिका चल रही है । प्रबन्ध समिति के विरुद्ध यदि कोई बात आती है तो नियमानुसार शासन कोई भी कार्यवाही करने में नहीं हिचकेगा ।

श्री रघुराज प्रसाद उपाध्याय--

मान्यवर, गुप्त जी ने कहा मैनेजमेन्ट के मेम्बरों के खिलाफ शासन द्वारा कोई कार्यवाही की गयी ? क्या माननीय मंत्री जी इस संस्था से ऐसे सम्भ्रान्त लोगों के जुड़े होने पर सदन की भावनाओं का ख्याल करते हुए, ऐसे लोगों के विरुद्ध जिन्होंने इन व्यक्तियों के नाम जोड़े कार्यवाही करेंगे । तथा इसकी जांच कराकर सदन को अवगत करायेंगे । जिन व्यक्तियों के नाम दिये गये हैं उनकी स्वीकृति थी या नहीं थी । यदि नहीं, तो क्या इन नामों का दुरुपयोग करने वाले लोगों की जांच करायेंगे । और इन बिन्दुओं पर की गयी कार्यवाही से सदन को अवगत करायेंगे ?

श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान--

मान्यवर, मैंने अभी निवेदन किया कि नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही अवश्य की जायेगी ?

श्री रघुराज प्रसाद उपाध्याय--

मान्यवर, शासन नियमानुसार क्या कार्यवाही करेगा मेरे क्लियर दो बिन्दु हैं कि सम्भ्रान्त व्यक्तियों के नाम से जोड़े गये हैं इसकी जानकारी प्राप्त करेंगे या नहीं ? दूसरा उस संस्था ने सम्भ्रान्त व्यक्तियों के नाम जोड़ कर पैसा कमाने का धन्धा बना लिया है तो क्या मंत्री जी जांच कराकर जांच की रिपोर्ट से सदन को अवगत कराने का कष्ट करेंगे ? मंत्री जी को क्या आपत्ति हो रही है ?

श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान--

मान्यवर, मैं माननीय सदस्य, उपाध्याय जी के प्रश्न का उत्तर दे चुका हूं लेकिन अब पुनः बतला रहा हूं कि मालूम करके, ज्ञात करके, जांच करा के आवश्यक कार्यवाही करूंगा और उससे सदन को भी अवगत करा दूंगा ।

श्री काजी कलीमुर्रहमान--

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि अभी जिस विद्यालय के बारे में बात हो रही थी, जब तालीम देने के लिए यह विद्यालय कायम किये गये हैं तो राजनीतिक कारणों से यह विद्यालय प्रभावित होते हैं तो क्या सरकार इस तरह के विद्यालयों को चलाने के लिये संरक्षण देगी या नहीं देगी ?

उपाध्यक्ष--

वह तो जांच हो रही है, संरक्षण कैसे देंगे ?

श्री हरिश्चन्द्र, हरीश जी--

मान्यवर, यह बात तो स्पष्ट हो गयी है कि विद्यालय मान्यता प्राप्त नहीं है । जिन माननीय नेताओं के नाम उसमें रखे गये हैं उसे भी शिक्षा मंत्री जी ने स्पष्ट कर दिया है कि उनसे कोई अनुमति नहीं ली गयी । माननीय मंत्री जी समझ रहे होंगे कि जो नाम भरे गये हैं तो मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि क्या इसके लिये

कोई विज्ञप्ति निकालेंगे कि ये विद्यालय मान्यता प्राप्त नहीं हैं और इसमें लोगों के नाम जाली भरे गये हैं, इसलिये एडमिशन के लिये शासन की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी ।

श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान--

मान्यवर, इसमें तो सब जानते ही हैं कि कौन ऐसे विद्यालय चल रहे हैं जिनको प्राप्त नहीं है और इस बात को जानते हुए भी लोग अपने बच्चों को वहां पढ़ने के लिये भेजते हैं । इसमें जो प्राविधिक शिक्षा अधिनियम, 1962 है उसमें इस तरह का कोई प्राविधान नहीं है कि हम कोई इस तरह की विज्ञप्ति जारी करें, यह तो अभिभावकों के देखने का काम है कि वे मान्यता प्राप्त हैं कि नहीं ।

श्री राजेन्द्र शर्मा--

मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जितने इंजीनियरिंग कालेज चल रहे हैं उसमें कई के विरुद्ध वाद के मामले न्यायालय में विचाराधीन हैं ? यदि हां, तो किस कारण से ?

श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान--

स्वामित्व के मामले को लेकर लोग कोर्ट में गये थे वहां से जीत भी गये हैं ।

[सोमवार, दिनांक 13 जुलाई, 1987 हेतु निर्धारित तारांकित प्रश्न]

प्रदेश के कतिपय जनपदों में जिला विद्यालय निरीक्षक के रिक्त पदों पर नियुक्ति

*1--श्री कुंवर मानवेन्द्र सिंह--

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में कौन से जनपद ऐसे हैं जिसमें 1 मार्च, 1986 तक जिला विद्यालय निरीक्षक नहीं थे ? इतने पदों के रिक्त रखने का क्या औचित्य है, यह कब से स्थित है और इन्हें कब तक भर दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सिब्ते रजी--

1 मार्च, 1986 तक मैनपुरी, फतेहपुर, जालौन तथा ललितपुर जनपदों में जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यरत नहीं थे ।

मैनपुरी, फतेहपुर तथा जालौन जनपदों में उक्त पद को भरने हेतु 1 मार्च, 1986 से पूर्व व्यवस्था की जा चुकी थी, किन्तु सम्बन्धित अधिकारियों ने कार्यभार ग्रहण नहीं किया था । जनपद ललितपुर में तत्कालीन जिला विद्यालय निरीक्षक श्री पंचम लाल की सेवा निवृत्ति पर उक्त पद 1 फरवरी, 1986 से ही रिक्त हुआ था और उस पर 1 मार्च, 1986 तक व्यवस्था नहीं की जा सकी थी ।

जिला विद्यालय निरीक्षक, मैनपुरी का पद दिनांक 2 दिसम्बर, 1985 से जिला विद्यालय निरीक्षक, फतेहपुर का पद दिनांक 19 जनवरी, 1985 से, जिला विद्यालय निरीक्षक, जालौन का पद दिनांक 22 सितम्बर, 1985 से तथा जिल विद्यालय निरीक्षक, ललितपुर का पद दिनांक 1 फरवरी, 1986 से रिक्त हुये थे ।

वर्तमान समय में जनपद जालौन में दिनांक 10 अप्रैल, 1986 से तथा जनपद ललितपुर में दिनांक 9 अगस्त, 1986 से, जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यरत हैं । जनपद फतेहपुर में शासन की दिज्ञप्ति दिनांक 26 जून, 1987 द्वारा जिला विद्यालय निरीक्षक पद पर तैनाती की जा चुकी है । जनपद मैनपुरी के लिये शीघ्र व्यवस्था की जायेगी ।

कुंवर मानवेन्द्र सिंह--

माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं माननीय मंत्री जी के उत्तर के सन्दर्भ में पूछना चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी ने स्वीकार किया है कि 2-3 जनपदों में डेढ़-दो साल से

जिला विद्यालय निरीक्षकों के पद रिक्त हैं, तो मैं जानना चाहता हूं कि क्या माननीय मंत्री जी ऐसे आदेश देंगे कि जिला विद्यालय निरीक्षकों के पद कहीं पर खाली न रहें और यदि रिक्त हो जायें तो एक आध महीने में भर दिये जायें ।

श्री सिब्ते रजी--

मान्यवर, शासन का प्रयास रहता है कि जिले में कोई भी पद जिला विद्यालय निरीक्षक का खाली न रहे, महत्वपूर्ण पद है, खाली न रहे, लेकिन कभी-कभी जो हमारा आयोग है, उससे पदोन्नति या सीधी भरती से पदों के भरे जाने में देरी हो जाती है, इसीलिये हम एक नोशनल ज्येष्ठता सूची तैयार करा रहे हैं और प्रयास कर रहे हैं कि जहां पर कोई स्थान खाली हो, उसको जल्दी से जल्दी भर दिया जाये ।

श्री सन्तोष चतुर्वेदी एडवोकेट--

मान्यवर, फर्रुखाबाद में जिला विद्यालय निरीक्षक का पद खाली है ।...

श्री उपाध्यक्ष--

यह फर्रुखाबाद जिले का प्रश्न नहीं है ।

श्री सन्तोष चतुर्वेदी एडवोकेट--

मान्यवर, यह तो नीति का प्रश्न है । मेरी जानकारी है कि फर्रुखाबाद जनपद में जुलाई, 1986 से जिला विद्यालय निरीक्षक का पद खाली है, क्या वहां पर जिला विद्यालय निरीक्षक की नियुक्ति करने की कृपा करेंगे ?

श्री सिब्ते रजी--

मान्यवर, वहां पर प्रयास किया जा रहा है और जो वार्षिक स्थानान्तरण होंगे, तो नियुक्ति करने का प्रयास किया जायेगा ।

श्री हरि शंकर तिवारी-

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि जिन जनपदों में जिला विद्यालय निरीक्षक के विरुद्ध गम्भीर आरोप हैं और उनके खिलाफ उच्च न्यायालय में कन्टेम्ट आफ कोर्ट की नोटिस भी है । क्या आप ऐसे अधिकारियों के खिलाफ जांच करायेंगे और कार्यवाही करने का आश्वासन देंगे, मिसाल के तौर पर गोरखपुर ?

श्री सिब्ते रजी--

जो भी जिला विद्यालय निरीक्षक हैं, उनके सम्बन्ध में इस तरह के मामले शासन के संज्ञान में आयेंगे तो शासन यथोचित कार्यवाही करेगा ।

श्री हरिश्चन्द्र, हरीश जी--

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि आपको जानकारी होगी कि बहुत बड़ी संख्या में ऐसे जिला विद्यालय निरीक्षक हैं, जिनके विरुद्ध कार्यवाही चल रही है, कुछ निलम्बित हैं, क्या उनके मामले शीघ्रातिशीघ्र निबटाने की कृपा करेंगे, जिससे या तो वह सेवा में आ जायेंगे या उनके स्थान रिक्त हो जायेंगे और शासन उनके स्थान पर नई नियुक्ति कर सकेगा ।

श्री सिब्ते रजी--

माननीय सदस्य का सुझाव अच्छा है, इस तरह के मामलों को दिखलवा लिया जायेगा ।

जनपद सुल्तानपुर के शातिर डकैत महन्तू सिंह का आत्म-समर्पण तथा श्री रमेश चन्द्र दुबे, थानाध्यक्ष, चांदा का स्थानान्तरण

*2--श्री शिव नारायण मिश्र--

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विधान सभा क्षेत्र चांदा, जनपद सुल्तानपुर के अन्तर्गत थाना चांदा में वर्ष 1985 से माह जुलाई, 1986 के बीच शातिर डकैत

महन्तू सिंह, निवासी शाहपुर, थाना चांदा ने किस थानाध्यक्ष के कार्यकाल में आत्म-समर्पण किया ? क्या उक्त थानाध्यक्ष को पुलिस अधीक्षक ने मात्र 6 माह में स्थानान्तरित कर दिया ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान--

महन्तू सिंह ने श्री रमेश चन्द दुबे, थानाध्यक्ष, चांदा के कार्यकाल में न्यायालय में आत्मसमर्पण किया था। श्री रमेश चन्द्र दुबे, थानाध्यक्ष, चांदा स्वयं अपना स्थानान्तरण थाना चांदा से चाहते थे। स्थानीय राजनीति के कारण उनका स्थानान्तरण उचित समझा गया और उन्हें थाना दोस्तपुर पर थानाध्यक्ष के रूप में स्थानान्तरित कर दिया गया था।

श्री शिव नारायण मिश्र--

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि मेरे प्रश्न के उत्तर में माननीय मंत्री जी ने दो बातें कही हैं। पहली बात यह है कि थानाध्यक्ष, चांदा ने स्वतः अपना स्थानांतरण चाहा था और दूसरी बात उन्होंने यह कही है कि स्थानीय राजनीति के कारण उनका स्थानांतरण उचित समझा गया। मैं जानना चाहता हूं कि वह स्थानीय राजनीति क्या थी जिसके कारण उनका स्थानांतरण किया गया था ?

श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान--

मान्यवर, वैसे तो माननीय सदस्य मिश्र जी बखूबी वाकिफ हैं फिर भी वहां पर कुछ इस तरह की राजनीति थी और कुछ व्यक्ति विशेष उनको किसी प्रकार की राजनीति के रूप में सम्बद्ध मानते थे और इन थानाध्यक्ष के खिलाफ शिकायतें करने में लगे रहते थे। इस तरह उनको यहां पर काम करना मुश्किल हो रहा है इसलिये पुलिस प्रशासन ने उचित समझा कि इनका स्थानांतरण हो जाना ठीक है। इसलिये उनका स्थानांतरण किया गया।

इलाहाबाद विश्वविद्यालय में व्याप्त वित्तीय अनियमितताओं की जांच हेतु गठित पेनल कमीशन की निरीक्षण रिपोर्ट

*3--श्री अनुग्रह नारायण सिंह--

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय में व्याप्त अनियमितताओं तथा वित्तीय भ्रष्टाचार के निरीक्षण हेतु 2 जुलाई, 1986 को गठित पेनल कमीशन पर कितना धन व्यय किया गया और उसका औचित्य क्या था ? क्या वह निरीक्षण रिपोर्ट सदन के पटल पर रखने का कष्ट करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उच्च शिक्षा राज्य मंत्री (श्री प्रवीण कुमार शर्मा)--

रु0 37,349.35 उक्त धनराशि निरीक्षण पैनल के अध्यक्ष एवं सदस्यों के मानदेय और उनके यात्रा भत्ता के भुगतान तथा कार्यालय के आकस्मिक मदों पर व्यय की गई।

माननीय सदस्य मेरे कक्ष में रिपोर्ट का अवलोकन कर सकते हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री अनुग्रह नारायण सिंह--

मान्यवर, 37, 349.35 रुपये खर्च करके इलाहाबाद विश्वविद्यालय में व्याप्त भ्रष्टाचार की जांच करायी गई। इस पर माननीय मन्त्री जी ने कहा कि मैं उनके कक्ष में जाकर रिपोर्ट देख लूं। मैं जानना चाहता हूं कि क्या इस रिपोर्ट में कोई व्यक्ति दोषी पाये गये हैं ? यदि हां, तो उनके खिलाफ क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री प्रवीण कुमार शर्मा--

मान्यवर, इस जांच के लिये जो पैनल गठित किया गया था उसने अपनी रिपोर्ट शासन को दे दी । रिपोर्ट आने पर शासन ने उसका परीक्षण किया था । उसके बाद पैनल रिपोर्ट में राज्य सरकार को जो भी परामर्श दिया गया उसे राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 8 (4) के तहत वाइस चांसलर, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी को भेजी गई । उसको वे विश्वविद्यालय की एग्जीक्यूटिव कौंसिल के सामने रखेंगे । उसके बाद एग्जीक्यूटिव कौंसिल जो भी कार्यवाही करेगी और जो प्रस्तावित कार्यवाही होगी उसकी सूचना वह शासन को देंगे । शासन ने उनको 31 अगस्त, 1987 तक का टाइम दे दिया है । मैं समझता हूं कि थोड़ा हम उसे भी देख लें ।

श्री गोपाल दास यादव--

मान्यवर, माननीय सदस्य ने प्रश्न किया था कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय में जो भ्रष्टाचार व्याप्त है उसको लेकर एक पैनल गठित किया गया था और उस पैनल पर 37 हजार रुपये का दुरुपयोग किया गया था । इस उम्मीद के साथ पैनल को उसकी जांच के लिये गठित किया गया था और उस पर पैसा खर्च किया गया था कि सदन में उसकी रिपोर्ट पेश की जायेगी । लेकिन रिपोर्ट आने के बावजूद भी माननीय मन्त्री जो न जाने किन कारणों से इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर को संरक्षण दे रहे हैं और यहां पर वह रिपोर्ट पेश नहीं कर रहे हैं । मैं जानना चाहता हूं कि वाइस चांसलर के खिलाफ कौन से आरोप सिद्ध हुये, उनको बताने की कृपा करेंगे ?

श्री प्रवीण कुमार शर्मा--

मान्यवर, विश्वविद्यालय संचालन के विरुद्ध 25 आरोप थे । उनमें से कुछ का मैंने अध्ययन किया है । मुख्य-मुख्य इस प्रकार हैं :--

जैसे 12 तदर्थ शिक्षकों का जो मामला था उसमें पैनल रिपोर्ट यह आई है--कार्य परिषद् का विनिश्चय स्वयं में अवैधानिक था अतः वी0 सी0 का उसका पालन न करना 13 (1) (ख) का उल्लंघन नहीं है । दूसरा प्रशासनिक--धारा 34 (2) का उल्लंघन करके एक से अधिक पारिश्रमिकीय पदों पर नियुक्त करना--इस पर पैनल ने लिखा है कि इसका उल्लंघन लम्बी अवधि से हो रहा है इसे यथाशीघ्र समाप्त किया जाय ।

ग्राम सोहरिया, जनपद सीतापुर निवासिनी श्रीमती दुलारा के साथ श्याम बिहारी सिपाही द्वारा बलात्कार

*4--श्री मूल चन्द--

क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि श्रीमती दुलारा पत्नी राम लखन, ग्राम सोहरिया, थाना सकरन के साथ श्याम बिहारी सिपाही (थाना सकरन) ने जबरिया बलात्कार किया और साथ में दरवाजे की रखवाली में बनवारी सिपाही रहा, जिसकी सूचना श्रीमती दुलारा ने 21-7-1986 को एस0 पी0 को दी ? क्या उसकी पूरी जांच हुई और क्या उन सिपाहियों को दण्डित किया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

गृह मन्त्री (श्री गोपी नाथ दीक्षित)--

प्राप्त सूचना के अनुसार श्रीमती दुलारा पत्नी रामलखन, निवासी ग्राम सोहरिया,

नोट--तारांकित प्रश्न संख्या 3 के पश्चात् प्रश्नों का समय समाप्त हो गया ।

थाना सकरन, जनपद सीतापुर ने प्रश्नगत आरोपों के सम्बन्ध में एक शिकायती-पत्र दिनांक 22-7-1986 को पुलिस अधीक्षक, सीतापुर को दिया था। इस सम्बन्ध में क्षेत्राधिकारी, बिसवां द्वारा जांच कराने पर शिकायती-पत्र में अंकित आरोपों की पुष्टि नहीं हुई। किन्तु जांच के दौरान कानि0 श्यामबहादुर द्वारा शराब पीकर लोगों को धमकी देने एवं परेशान करने की बात प्रकाश में आयी। अतः उक्त कानि0 को पुलिस-लाइन स्थानान्तरित कर दिया गया तथा अर्दली रूम में दंडित किया गया। अब इसका स्थानान्तरण सशस्त्र पुलिस में कर दिया गया है।

माध्यमिक शिक्षकों को विधान सभा/विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने पर एक वेतन देने पर विचार

*5--श्री दिवाकर विक्रम सिंह--

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि सरकार ने माध्यमिक शिक्षकों को जो विधान सभा/विधान परिषद् के सदस्य हो जाते हैं, को शिक्षक का वेतन तथा विधान सभा/विधान परिषद् का दोनों वेतन लेने की अनुमति दे रखी है? यदि हां, तो क्या सरकार उन्हें केवल एक ही वेतन देने पर विचार करेगी?

श्री सिब्ते रजी--

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

ग्राम बन्दीगढ़, थाना खैरागढ़, जनपद मैनपुरी निवासिनी श्रीमती गुड्डी के साथ कतिपय सिपाहियों द्वारा बलात्कार

*6--श्री रघुबर दयाल वर्मा--

क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मैनपुरी के ग्राम बन्दीगढ़, थाना खैरागढ़ की श्रीमती गुड्डी पुत्री श्री जसवन्त सिंह के साथ मई, 1985 में पुलिस चौकी मक्खनपुर के दीवान व सिपाहियों तथा ग्राम प्रधान ने बन्दूक की नोक पर सामूहिक बलात्कार किया था? यदि हां, तो शासन ने अब तक क्या कार्यवाही की है?

श्री गोपी नाथ दीक्षित--

प्राप्त सूचना के अनुसार श्रीमती गुड्डी द्वारा क्षेत्राधिकारी, शिकोहाबाद को दिये गये प्रार्थना-पत्र के आधार पर दिनांक 13-5-1985 को थाना खैरागढ़ पर अभियुक्तों के विरुद्ध मुकदमा अपराध सं0 168, धारा 376 भा0 दं0 वि0 पंजीकृत किया गया।

उपर्युक्त अभियोग की विवेचना से चौकी मक्खनपुर, थाना खैरागढ़ के हेड कानस्टेबुल सुरेन्द्र पाल, कान्स्टेबुल असगर खां, कान्स्टेबुल रमेश सिंह तथा प्रधान चन्द्र किशोर व रमेश चन्द्र के नाम अभियुक्तों के रूप में प्रकाश में आये। अभियुक्तगण चन्द्र किशोर, प्रधान तथा रमेश चन्द्र को गिरफ्तार करके जेल भेजा गया। हेड कान्स्टेबुल सुरेन्द्र पाल, कान्स्टेबुल असगर खां, कान्स्टेबुल रमेश सिंह, हाजिर अदालत होकर जेल गये। हे0 कां0 सुरेन्द्र पाल, कां0 असगर खां एवं कां0 रमेश सिंह को दिनांक 6-6-1985 को निलम्बित कर दिया गया था और तब से वे निलम्बित चल रहे हैं।

हे0 कां0 सुरेन्द्र पाल के विरुद्ध धारा 376 भा0 दं0 वि0 तथा शेष सभी अभियुक्तों के विरुद्ध धारा 376/109 भा0 दं0 वि0 के अन्तर्गत आरोप-पत्र प्रेषित किया गया जो न्यायालय में विचाराधीन है।

जनपद आजमगढ़ के अन्तर्गत थाना निजामाबाद के पुलिस कर्मियों के विरुद्ध शिकायत

*7—श्री विक्रमादित्य पाण्डेय—

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि 21 मई, 1985 को या उसके आस-पास उन्हें श्री अनिरुद्ध सिंह, अध्यक्ष, जनता पार्टी, विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र, निजामाबाद, जिला आजमगढ़ का पुलिस थाना निजामाबाद के विरुद्ध एक शिकायती पत्र मिला, जिसमें एक शिकायत यह भी है कि उपर्युक्त थाने के पुलिस कर्मियों ने ग्राम सहरिया, थाना निजामाबाद निवासी लस्करी व दो हरिजनों को अकारण हस्बबेजा में रखा और तस्करी के 6 थान व जेवरत भी गायब कर लिये ? यदि हां, तो शिकायत-पत्र में अंकित आरोपों पर क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री गोपी नाथ दीक्षित—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

*8—श्री मित्र सेन—

[सदन की सेवा से निलम्बित होने के कारण हटाया गया]

*9—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

[दिनांक 6 जुलाई, 1987 को ता0 प्र0 सं0 1 द्वारा उत्तरित]

जिला ग्राम्य विकास अभिकरणों के देय धनराशि से न्याय पंचायतों में सामुदायिक विकास भवन बनाये जाने हेतु शासन के निर्देश

*10—श्री जयदीप सिंह बरार—

क्या ग्राम्य विकास मंत्री को जानकारी है कि वर्ष 1986-87 में जिला ग्राम्य विकास अभिकरण को दी गई धनराशि के सम्बन्ध में शासन का ऐसा कोई निर्णय न होते हुये भी सचिव, ग्राम्य विकास ने राष्ट्रीय रोजगार योजना में वितरित किये गये धन के व्यय के सम्बन्ध में प्रत्येक विकास खण्ड को दो न्याय पंचायतों में सामुदायिक विकास भवन बनाना अनिवार्य कर दिया और इसके फलस्वरूप अभिकरण की स्वायत्तता तथा क्षेत्रीय विषमताओं को दूर करने के प्रयासों पर भारी आघात हुआ ? यदि हां, तो क्या सरकार तत्काल जिला ग्राम्य विकास अभिकरणों की स्वायत्तता बरकरार रखने के लिये ऐसे आदेशों को निरस्त करने तथा भविष्य में ऐसे निर्देश न देना सुनिश्चित करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

प्रदेश शासन द्वारा लिया गया संदर्भित निर्णय भारत सरकार द्वारा निर्गत गाईड लाइन्स के अनुरूप है । चूंकि सम्पूर्ण विकास के आवश्यकताओं की दृष्टि से एवं जनहित में यह कार्य महत्वपूर्ण समझा गया । अतः पूरे प्रदेश में एकरूपता बनाये रखने के उद्देश्य से इस तरह के सामान्य निर्देश निर्गत किये गये थे । इससे अभिकरण की स्वायत्तता किसी प्रकार प्रभावित नहीं हुई है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

*11—श्री हर्षवर्धन—

[सदन की सेवा से निलम्बित होने के कारण हटाया गया]

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजनान्तर्गत निर्मित सम्पर्क मार्गों की परिसम्पत्तियों का अनुरक्षण

*12--श्री भगवती सिंह विशारद--

24 फरवरी, 1986 तीसरे सोमवार के नत्थी (क) के अल्पसूचित प्रश्न संख्या 2 के उत्तर के संदर्भ में क्या ग्राम्य विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजनान्तर्गत जिन कार्यदायी संस्थाओं द्वारा निर्मित सम्पर्क मार्ग एवं अन्य निर्माण कार्य कराये गये हैं, क्या यह सब इन्हीं संस्थाओं की परिसम्पत्ति मानी जायेगी ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में शासन ने कब और क्या आदेश प्रदान किये हैं ? यदि नहीं, तो यह निर्मित परिसम्पत्ति किसकी होगी और इनके रख-रखाव का उत्तरदायी कौन होगा ?

श्री श्याम सुरत उपाध्याय--

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत निर्मित परिसम्पत्तियां समान्यतः सामुदायिक परिसम्पत्तियां हैं। भारत सरकार के निर्देशों के अनुसार इन परिसम्पत्तियों में से जिन परिसम्पत्तियों के रख-रखाव के लिये कोई विभाग, संस्था अथवा अभिकरण अपने बजट से संसाधन जुटाता है उन परिसम्पत्तियों का रख-रखाव ऐसे विभाग, संस्था अथवा अभिकरण करेगी। इनसे भिन्न परिसम्पत्तियों के रख-रखाव के लिये राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के वार्षिक आबंटन में से 10 प्रतिशत धनराशि व्यय करने के लिये जिला ग्राम्य विकास अभिकरण को अधिकृत कर दिया गया है।

*13--श्री मुलायम सिंह यादव--

[सदन की सेवा से निलम्बित होने के कारण हटाया गया]

*14--श्री दिवाकर विक्रम सिंह--

[10वें सोमवार में ता0 प्र0 सं0 20 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

*15--कर्नल केशरी सिंह--

[11वें मंगलवार में ता0 प्र0 सं0 20 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

पंचायत करों की वसूली हेतु ठोस व्यवस्था

*16--श्री राम आसरे वर्मा--

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पंचायत करों की वसूली राजस्व के साथ कराने अथवा अन्य कोई स्थायी व ठोस व्यवस्था बनाने का प्रस्ताव शासन के विचाराधीन है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्याम सुरत उपाध्याय--

पंचायती राज संस्थाओं को अधिक प्रभावी, सुदृढ़ एवं जन आकांक्षाओं के अनुरूप बनाये जाने तथा उनके वित्तीय संसाधनों में वृद्धि करने के उद्देश्य से शासन द्वारा पंचायती राज ग्रामीण वित्त आयोग का गठन किया गया था। उक्त आयोग ने, पंचायतों से करों की वसूली राजस्व विभाग द्वारा किये जाने की संस्तुति की है जिसका परीक्षण किया जा रहा है :

*17--श्री हरिश्चन्द्र, हरीश जी--

[दिनांक 22 जून, 1987 को अता0 प्र0 सं0 54 द्वारा उत्तरित।]

*18--श्री हृदय नरायन दीक्षित--

[सदन की सेवा से निलम्बित होने के कारण हटाया गया ।]

*19--कुंवर रेवती रमण सिंह--

[सदन की सेवा से निलम्बित होने के कारण हटाया गया ।]

*20--श्री राम सजीवन--

[सदन की सेवा से निलम्बित होने के कारण हटाया गया ।]

अतारांकित प्रश्न

श्री ए0एन0 राय बी0 डी0 ओ0 सरदार नगर, गोरखपुर द्वारा

धन व सरकारी जीप का दुरुपयोग

1--श्रीमती शारदा देवी--

क्या ग्राम्य विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि विकास खंड सरदार नगर, जनपद गोरखपुर के बी0 डी0 (श्री ए0 एन0 राय) द्वारा दिनांक 13 नवम्बर, 1986 से 29 नवम्बर, 1986 के बीच में विकास खंड की जीप का चलना दिखा कर फर्जी लाग-बुक भर कर, डीजल खरीदना दिखाया गया है जबकि उक्त तिथियों में जीप चालक, कर्मचारियों की माह नवम्बर, 1986 में हुई राज्य व्यापी हड़ताल में शामिल था ? यदि हां, तो क्या उक्त धोखाधड़ी व शासकीय धन व सरकारी जीप के दुरुपयोग के मामले में उक्त खंड विकास अधिकारी के खिलाफ प्रशासनिक कार्यवाही की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय--

जी नहीं । विकास खंड सरदारनगर के खंड विकास अधिकारी (श्री ए0 एन0 राय) द्वारा दिनांक 13 नवम्बर, 1986 से 29 नवम्बर, 1986 के बीच विकास खण्ड की जीप का चलना दिखाकर फर्जी लाग-बुक का भरना सही नहीं पाया गया । जीप का उपयोग शासकीय कार्यहित में केवल 13 नवम्बर, 1986 से 17 नवम्बर, 1986 की अवधि में किया गया तथा दिनांक 17 नवम्बर, 1986 को 15 लीटर डीजल का क्रय किया गया जो गाड़ी की लाग बुक में अंकित है । दिनांक 18 नवम्बर, 1986 से 29 नवम्बर, 1986 की अवधि में कोई यात्रा नहीं की गई । जीप चालक दिनांक 13 नवम्बर, 1986 से 17 नवम्बर, 1986 तक हड़ताल पर नहीं रहा तथा उक्त अवधि में वह कार्य पर उपस्थित रहा तथा 18 नवम्बर, 1986 से उक्त जीप चालक हड़ताल पर गया ।

चूंकि सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारी द्वारा कोई अनियमितता नहीं बरती गई है अतः उनके विरुद्ध किसी कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता ।

श्री हरेराम यादव, जिला प्रौढ़ शिक्षा अधिकारी, देवरिया द्वारा अपने

सगे सम्बन्धियों की अनियमित नियुक्ति

2--श्रीमती शारदा देवी--

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि वर्तमान प्रभारी जिला प्रौढ़ शिक्षाधिकारी, देवरिया (श्री हरे राम यादव) ने जिला चयन समिति की अवहेलना करके जून, 1985 में अपने भतीजे हरे कृष्ण मोहन यादव को नैत्यिक लिपिक पद पर और श्री अनिल कुमार को चतुर्थ श्रेणी में तथा श्री मुश्ताक ड्राइवर को पद पर नियुक्त किया है ? क्या मंत्री जी को यह भी ज्ञात है कि इन नियुक्तियों पर जिला सेवायोजन अधिकारी, देवरिया एवं अपर जिला अधिकारी विकास, देवरिया द्वारा आपत्ति की गयी है ? यदि हां, तो शासन ऐसे भ्रष्ट अधिकारी के विरुद्ध तथा उसके द्वारा की गयी नियुक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही कर रहा है ?

श्री सिब्ते रजी—

जी हां।

तत्कालीन प्रभारी जिला प्रौढ़ शिक्षा अधिकारी, देवरिया द्वारा, जो अब अपने मूल विभाग में प्रत्यावर्तित हो चुके हैं, ये नियुक्तियां की गयी थीं।

जी हां।

निदेशक, प्रौढ़ शिक्षा, उत्तर प्रदेश, द्वारा इन नियुक्तियों को निरस्त करने के निर्देश दिये गये थे। तत्कालीन प्रभारी जिला प्रौढ़ शिक्षा अधिकारी ने अपने पत्र दिनांक 1 मार्च, 1986 के द्वारा श्री हरे कृष्ण मोहन यादव तथा अनिल कुमार राम की सेवायें एक माह की नोटिस देकर समाप्त भी कर दी थी। जिला सेवायोजन अधिकारी देवरिया के कार्यालय में ड्राइवर के पद हेतु जिला चयन समिति द्वारा चयनित अभ्यर्थी उपलब्ध न होने के कारण तत्कालीन प्रभारी जिला प्रौढ़ शिक्षा अधिकारी, देवरिया ने विभागीय चयन समिति के माध्यम से नियमानुसार नियुक्ति की थी। जिला सेवायोजन अधिकारी तथा अपर जिलाधिकारी (विकास) देवरिया के पत्रों में इस पद पर नियुक्ति में कोई आपत्ति भी नहीं की गयी है। अतः इस नियुक्ति को निरस्त करने का प्रश्न नहीं उठता। शेष दोनों कर्मी माननीय उच्च न्यायालय से सेवा समाप्ति के आदेश का स्थगन आदेश दिनांक 1 अप्रैल, 1986 को प्राप्त कर अभी सेवा में बने हुये हैं। प्रकरण माननीय उच्च न्यायालय म विचाराधीन होने के कारण तत्कालीन प्रभारी जिला प्रौढ़ शिक्षा अधिकारी श्री यादव के विरुद्ध कोई कार्यवाही अब तक नहीं की जा सकी है।

3—श्रीमती शारदा देवी—

[दिनांक 6 जुलाई, 1987 को अता0 प्र0 सं0 17 द्वारा उत्तरित।]

जनपद गाजीपुर के थाना सादियाबाद में श्री राम नाथ द्वारा अंकित करायी गई रिपोर्ट पर कार्यवाही

*4—श्री राम नरेश यादव—

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि जनपद गाजीपुर के थाना सादियाबाद म दिनांक 2 अप्रैल 1985 को श्री राम नाथ पुत्र सहदेव, निवासी ग्राम मरदानपुर लछिमन, थाना विश्नों ने लिखित रिपोर्ट पुलिस सब इन्सपेक्टर महेन्द्र प्रताप सिंह एवं पुलिस सब इंसपेक्टर श्री शिव गोपाल गुप्ता आदि के विरुद्ध की थी? यदि हां, तो क्या कोई कार्यवाही अभियुक्तगण के विरुद्ध की गई? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री गंगा नाथ दीक्षित—

सूचना एकत्र की जा रही है।

5—श्री हृदय नरायन दीक्षित—

[सदन की सेवा से निलम्बित होने के कारण हटाया गया]।

6—श्री अशोक बाजपेई—

[विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त]।

श्री कौशल किशोर लिपिक के रिक्त स्थान पर अन्य व्यक्ति की नियुक्ति का आधार

7—श्री द्वारिका प्रसाद—

विधान सभा के द्वितीय सत्र 1986 के पहले सोम को उत्तरित अतारांकित प्रश्न संख्या–109 के उत्तर के संदर्भ में क्या शिक्षा मंत्री यह भी बताने की कृपा करेंगे कि उक्त रिक्त पदों पर अन्य व्यक्तियों को नियुक्त किया गया है ? यदि हां, तो यह नियुक्ति किसके द्वारा की गई ? क्या नियुक्त किये गये व्यक्ति सेवायोजन कार्यालय में पंजीकृत थे ? यदि नहीं, तो इन पदों पर नियुक्ति किस प्रकार की गई और इसका आधार क्या था ? क्या इस सम्बन्ध में मंत्री जी किसी उच्च अधिकारी से जांच कराने का कष्ट करेंगे तथा पूर्व में नियुक्त किये गये चयनित कर्मचारियों को कब तक सेवा में ले लिया जायेगा ? यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

श्री सिब्ते रजी—

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

सेवा में लेने का प्रश्न ही नहीं उठता क्योंकि अनियमित रूप से सृजित पद ही समाप्त हो गये हैं ।

8—श्री शारदानन्द अंचल—

[सदन की सेवा से निलम्बित होने के कारण हटाया गया] ।

जनपद बरेली के प्राइमरी व जूनियर हाईस्कूलों में अध्ययनरत छात्र एवं उनका परीक्षाफल

9—श्री जयदीप सिंह बरार—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पिछले पांच वर्षों में प्रत्येक वर्ष क्रमशः जनपद बरेली के प्राइमरी तथा जूनियर हाईस्कूलों में कितने–कितने बच्चे शिक्षा प्राप्त कर रहे थे तथा प्राइमरी एवं जूनियर हाईस्कूल की अन्तिम कक्षाओं से क्रमशः कितने–कितने बच्चे उत्तीर्ण हुये और वह इन कक्षाओं की परीक्षाओं में सम्मिलित हुए बच्चों का कितना–कितना प्रतिशत था ?

श्री सिब्ते रजी—

गत पांच वर्षों में शिक्षा प्राप्त करने वाले बच्चों की संख्या निम्नवत् है :—

वर्ष	प्राइमरी स्कूल	जूनियर हाई स्कूल
82	1,71,996	30,412
83	1,89,095	36,447
84	1,86,832	42,212
85	1,99,019	46,164
86	2,03,131	68,086

प्रश्नगत कक्षाओं में निम्नांकित बच्चे उत्तीर्ण हुये :

वर्ष	कक्षा–5	कक्षा–8
82	17,478	7,256
83	17,514	7,544
84	18,292	9,358
85	19,377	11,067
86	19,383	11,035

वर्ष	कक्षा–5	कक्षा–8
82	99.5	98.9
83	92.6	89.6
84	99.7	89.8
85	99.9	92.9
86	99.8	90.6

10—श्री जयदीप सिंह बरार—

[विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त]।

शिक्षा विभाग द्वारा बरेली में प्राइमरी व जूनियर हाईस्कूल भवनों के निर्माण हेतु देय धन की वापसी

11—श्री जयदीप सिंह बरार—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बरेली में जिला शिक्षा सलाहकार समिति ने वर्ष 84–85 हेतु बनाए जाने हेतु प्राइमरी तथा जूनियर हाई स्कूलों के भवनों के स्थान का चयन कर लिया था तथा शिक्षा विभाग द्वारा इन स्कूलों के भवनों के लिए आवंटित धनराशि सहित ग्रामों की सूची भवन निर्माण हेतु ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा खण्ड बरेली को भेज दी थी ? यदि हां, तो क्या कारण था कि उक्त धनराशि के चेक शिक्षा विभाग ने वापिस मंगा लिया ?

श्री सिद्धे रजा—

जी हां,

जी हां,

शासन के निर्णयानुसार भवन निर्माण सा० नि० वि० द्वारा कराया जाना था।

जनपद बरेली के कतिपय ब्लाकों के ग्रामों में संचालित भवन विहीन राजकीय प्राइमरी स्कूल के भवन का निर्माण

12—श्री जयदीप सिंह बरार—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बरेली के विकास खंड, मीरगंज शेरगढ़, फतेहगंज (प0) तथा बहेड़ी में किस-किस ग्राम में राजकीय प्राइमरी स्कूल कार्यरत हैं तथा इनमें से कौन-कौन से विद्यालय खुले में भवन के बिना अथवा असरकारी भवन में चल रहे हैं ? उपरोक्त भवनहीन विद्यालयों के भवन कब तक बना दिये जायेंगे ? क्या मंत्री जी उपरोक्त भवनहीन विद्यालयों के भवन एक निश्चित समय में बनाने के आदेश देंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सिब्ते रजी—

प्रश्नगत विकास खण्डों में संचालित परिषदीय स्कूलों की संख्या निम्नवत् हैं :—

मीरगंज	78
शेरगढ़	79
फतेहगंज (प0)	68
बहेड़ी	99
	324

भवनहीन विद्यालयों की स्थिति निम्नवत् है : *(सूची संलग्न है)

मीरगंज	55
शेरगढ़	22
फतेहगंज (प0)	30
बहेड़ी	23
	130

भवन निर्माणार्थ जनपद की सम्बन्धित जिला योजना में कराये गये प्राविधान के अनुसार ही भवनों का निर्माण कराया जाता है ।

निश्चित समय बताना संभव नहीं है ।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ 149 पर)

13—श्री इम्तियाज मोहम्मद खां—

[5वें बुधवार में अता0 प्र0 सं0 65 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

14-15—श्री हर्ष वर्धन—

[सदन की सेवा से निलम्बित होने के कारण हटाये गये]

उत्तर प्रदेश विधान सभा

शिक्षा विभाग के अन्तर्गत चयनित लिपिकों की सेवायें उपविद्यालय निरीक्षक द्वारा समाप्त किया जाना

16--श्री द्वारिका प्रसाद--

विधान सभा के द्वितीय सत्र, 1986 के पहले सोमवार को उत्तरित अतारांकित प्रश्न सं0 109 के सन्दर्भ में क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि जिला विद्यालय उप निरीक्षक द्वारा कितने लिपिकों की नियुक्ति की गयी थी ? क्या उक्त लिपिकों के पद हेतु सेवायोजन कार्यालय के माध्यम से अभ्यर्थियों की सूची मांगी गयी थी ? क्या चयनित अभ्यर्थियों को उप विद्यालय निरीक्षक के पृष्ठांकन आदेश संख्या 2555/73-74, दिनांक 13 नवम्बर, 1973 के माध्यम से बिना पूर्व सूचना दिये सेवायें समाप्त कर दी गयी थीं ? यदि हां तो उनकी सेवायें समाप्त करने के क्या कारण थे ? क्या सेवा मुक्त किये गये अभ्यर्थियों को उनके वेतन भुगतान एवं शासन के शासनादेश के अन्तर्गत एक माह की सूचना या एक माह का वेतन दिया गया था ? यदि नहीं, तो इसके लिए कौन कर्मचारी/अधिकारी जिम्मेदार हैं और उसके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री सिब्ते रजी--

जिला विद्यालय उप निरीक्षक द्वारा कोई नियुक्ति नहीं की गई थी वरन् जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा 4 लिपिकों की नियुक्ति की गई थी ।

जी हां ।

जी नहीं । जि0 वि0 उ0 नि0 के पत्र संख्या 2555-1/73-74, दिनांक 13-11-73 द्वारा कार्यमुक्त किया गया है । इनकी सेवायें जि0 बे0 शि0 अ0 के आदेश संख्या शि0 स0-5922/जि0 प0/73-74, दिनांक 12-11-73 द्वारा समाप्त की गईं । पद सृजित न किए जाने के कारण । एक माह का वेतन देने का आदेश है । वित्तीय आपत्ति के कारण भुगतान नहीं हो सका ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

कुमार कोल्ड स्टोरेज, जहानगंज, जनपद फर्रुखाबाद के विरुद्ध काश्तकारों के आलू में धोखाधड़ी किये जाने की जांच

17--श्री संतोष चतुर्वेदी एडवोकेट--

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कुमार कोल्ड स्टोरेज जहानगंज, जिला फर्रुखाबाद के भागीदारों के विरुद्ध दिनांक 14-8-85 को थाना जहानगंज जिला फर्रुखाबाद में काश्तकारों के आलू में धोखाधड़ी करने के बाबत अपराध सं0 101 धारा 406, 420, 467, 468 भा0 दण्ड संहिता के अन्तर्गत पंजीकृत हुआ था ? यदि हां, तो क्या जांच करके दोषी व्यक्तियों को दण्डित किया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गोपी नाथ दीक्षित--

जी हां ।

मामले की विवेचना विशेष अनुसंधान शाखा द्वारा की गयी । विवेचनोपरान्त इस मामले में अंतिम रिपोर्ट प्रेषित की गयी ।

18--श्री संतोष चतुर्वेदी एडवोकेट--

क्या गृह मन्त्री यह भी बताने की कृपा करेंगे कि कुमार कोल्ड स्टोरेज, जहानगंज, फर्रुखाबाद के भागीदारों के द्वारा काश्तकारों के साथ बेइमानी, धोखाधड़ी करने के संदर्भ में थाना जहानगंज में 14 अगस्त, 1985 को पंजीकृत अपराध संख्या 101 की जांच की शिथिलता के सम्बन्ध में मुख्य मन्त्री को कोई पत्र प्राप्त हुआ था ? यदि हां, तो उक्त मामले में क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गोपी नाथ दीक्षित--

जी हां ।

विशेष अनुसंधान शाखा की जांचोपरान्त अंतिम रिपोर्ट प्रेषित की गई ।

जनपद बदायूं के कतिपय ब्लाकों हेतु ग्राम्य विकास अभिकरण द्वारा अपूर्ण मार्गों के निर्माण हेतु आवंटित धनराशि

19--श्री मोहम्मद अबरार अहमद--

क्या ग्राम विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1984-85 एवं 1985-86 में एन0 आर0 ई0 पी0 योजना के अन्तर्गत मिट्टी एवं खड़न्जे के मार्ग निर्माण हेतु जनपद बदायूं के विकास खन्ड सालारपुर, वजीरगंज जगत में ग्राम विकास अभिकरण द्वारा किन-किन मार्गों हेतु कितना-कितना धन आवंटित किया गया था ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय--

वर्ष 1984-85 एवं 1985-86 में एन0 आर0 ई0 पी0 योजना के अन्तर्गत मिट्टी एवं खड़ंजे के मार्ग निर्माण हेतु जनपद बदायूं के विकास खण्ड सालारपुर, वजीरगंज जगत में ग्राम्य विकास अभिकरण द्वारा जिन मार्गों हेतु धन आवंटित किया था, उन मार्गों की सूची तथा आवंटित धनराशि का विवरण परिशिष्ट "क" में संलग्न है ।

(देखिये नत्थी "ख" आगे पृष्ठ 152 पर ।)

20--श्री मोहम्मद अबरार अहमद--

क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जिन-जिन मार्ग निर्माणों हेतु जो धन ग्राम विकास अभिकरण द्वारा क्रमशः स्वीकृत किये गये थे एवं जिनका कार्य निर्माण हेतु शुरू कर दिया गया था उन मार्गों का पूर्ण निर्माण करा दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार सम्बन्धित दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय--

जिन मार्ग निर्माण हेतु धन ग्राम्य विकास अभिकरण द्वारा स्वीकृत किये गये थे एवं जिनका कार्य निर्माण हेतु शुरू करा दिया गया था, उनमें से बदायूं-बरेली मार्ग से फरीदपुर तक खड़न्जा कोर्ट स्टे के कारण अपूर्ण है, लाही फरीदपुर से बरी-समसपुर तक मिट्टी एवं पुलिया का कार्य प्रगति पर है । ग्राम बीबीपुर से तालागांव तक मिट्टी का कार्य विवादग्रस्त होने के कारण रुका रहा । आरिफपुर नबादी से आलमपुर तक मिट्टी तथा पुलिया के कार्य में मिट्टी का कार्य कब्रिस्तान होने के कारण शेष है । नौली हरनाथपुर से घोमरपुर तक मिट्टी के कार्य में एक पुलिया पर निर्माण का कार्य प्रगति पर है । ब्योली से निजामपुर तक मिट्टी के कार्य में 400 मी0 मिट्टी का कार्य शेष है । इसके लिये कौन दोषी है जांच कराई जायेगी यदि कोई दोषी पाया जायेगा तो उसके विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी । अन्य समस्त कार्य पूर्ण हो चुके हैं ।

आर0 ई0 एस0 विभाग बदायूं द्वारा स्कूलों का निर्माण

21—श्री मोहम्मद अबरार अहमद—

क्या ग्राम्य विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1984–85 एवं 1985–86 में आर0 ई0 एस0 विभाग, बदायूं को कितने जू0 हा0 स्कूल एवं कितने प्राइमरी स्कूल के भवन निर्माण हेतु धन प्राप्त हुआ है, इनमें से कितने भवनों का निर्माण पूर्ण कर लिया गया है एवं कितने शेष हैं ? क्या सरकार जनहित को देखते हुए भवन निर्माण समय पर न कराने पर सम्बन्धित अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

बदायूं जनपद में ग्रामीण अभियंत्रण सेवा विभाग को वर्ष 1984–85 में 3 जूनियर हाई स्कूल एवं 6 प्राइमरी पाठशाला भवनों के निर्माण के लिए 7,90,200 रु0 की धनराशि प्राप्त हुई। वित्तीय वर्ष 1985–86 में जूनियर हाईस्कूल भवन एवं प्राइमरी पाठशाला के भवनों के निर्माण के हेतु कोई भी धनराशि बेसिक शिक्षा अधिकारी, बदायूं से प्राप्त नहीं हुई।

इस प्रकार वित्तीय वर्ष 1984–85 में उपलब्ध 3 जूनियर हाईस्कूल तथा 6 प्राइमरी पाठशाला भवनों के विरुद्ध 3 जूनियर हाईस्कूल तथा 3 प्राइमरी पाठशाला भवनों का निर्माण कार्य पूर्ण कराया जा चुका है तथा शेष 3 प्राइमरी पाठशाला भवनों का निर्माण कार्य–स्थल प्राप्त न होने के कारण आरम्भ नहीं कराया जा सका है।

उक्त भवनों का निर्माण कार्य समय से पूर्ण हो जाने के कारण किसी भी अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने का प्रश्न नहीं उठता।

जनपद गाजीपुर की तहसील मुहम्मदाबाद में राजकीय महाविद्यालय की स्थापना

22—श्री अफजाल अंसारी—

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गाजीपुर की तहसील मुहम्मदाबाद क्षेत्र के छात्रों की सुविधा और विकास हेतु एक महाविद्यालय की कमी को दृष्टि में रख कर राजकीय महाविद्यालय की स्थापना इसी वित्तीय वर्ष में कराने की घोषणा करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सिब्ते रजी—

नये महाविद्यालय खोले जाने हेतु निर्धारित मानकों के आधार पर गाजीपुर जनपद के मुहम्मदाबाद क्षेत्र में महाविद्यालय स्थापित किये जाने का औचित्य नहीं बनता। अतएव उक्त स्थान पर महाविद्यालय की स्थापना की घोषणा करना सम्प्रति सम्भव नहीं है।

23–26—श्री मित्रसेन—

[सदन की सेवा से निलम्बित होने के कारण हटाये गये।]

जनपद मिर्जापुर के थाना राबर्ट्सगंज में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट

27—श्री रघुवर दयाल वर्मा—

क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 5 अप्रैल, 1986 को मिर्जापुर के थाना राबर्ट्सगंज में क्रम–सं0 73 पर कोई एफ0 आई0 आर0 दर्ज की गई ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गोपी नाथ दीक्षित—

जी हाँ ।

विवेचनोपरान्त तीन अभियुक्तों के विरुद्ध आरोप-पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया ।

बल्देव वैदिक इंटर कालेज, पलिया कला, जिला लखीमपुर-खीरी की निर्वाचित प्रबन्ध समिति को चार्ज

28—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि बल्देव वैदिक इंटर कालेज, पलियाकला, जिला लखीमपुर-खीरी की प्रबन्धकारिणी समिति का जो चुनाव 15 जुलाई, 1982 को जिले के बेसिक शिक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में कराया गया उसमें निर्वाचित प्रबन्ध समिति को अभी तक कालेज का चार्ज न दिलाने का क्या कारण है ? उक्त चार्ज कब तक दिला दिया जायेगा ?

श्री सिब्ते रजी—

प्राप्त सूचना के अनुसार मण्डलीय उप शिक्षा निदेशक, लखनऊ ने कथित प्रबन्ध समिति को मान्यता प्रदान नहीं की । इस कारण उक्त प्रबन्ध समिति को चार्ज नहीं दिया गया ।

प्रश्न नहीं उठता ।

कार्मिक विभाग द्वारा निर्गत शासनादेशानुसार राजकीय महाविद्यालयों के अध्यापकों का विनियमितीकरण

29—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश शासन, कार्मिक विभाग द्वारा निर्गत शासनादेश संख्या 18-5-1981-कार्मिक-1, दिनांक 22 मार्च, 1984 राजकीय महाविद्यालयों में नियुक्त 1-1-1977 के पश्चात् प्राध्यापकों तथा प्रधानाचार्यों पर अब तक लागू न होने का क्या कारण है ? क्या यह सही है कि इससे तदर्थ नियुक्त अध्यापकों का विनियमितीकरण नहीं हो पा रहा है और इनमें भीषण असन्तोष व्याप्त है ?

श्री सिब्ते रजी—

उल्लिखित शासनादेश, जिसकी वास्तविक संख्या 19-5-1981-कार्मिक-1, दिनांक 22 मार्च, 1984 है, राजकीय महाविद्यालयों के प्राध्यापकों पर लागू है परन्तु राजकीय महाविद्यालयों के प्रधानाचार्यों पर लागू नहीं है क्योंकि यह पद केवल प्रोन्नति से भरे जाते हैं ।

जी नहीं ।

अब तक 373 तदर्थ प्रवक्ताओं को विनियमित किया जा चुका है ।

सरदार पटेल हायर सेकेण्डरी स्कूल, तम्बौर, जनपद सीतापुर के अध्यापकों का फार्म निरीक्षण व अग्रसरण का पारिश्रमिक

30—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

क्या शिक्षा मन्त्री कृपया बतायेंगे कि माध्यमिक शिक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेश की प्राइवेट हाई स्कूल परीक्षाओं में वर्ष 1984 तथा 1985 के लिए सरदार पटेल हायर सेकेण्डरी स्कूल, तम्बौर, जिला सीतापुर के अध्यापकों को फार्म निरीक्षण तथा अग्रसारण

का पारिश्रमिक अभी तक न दिए जाने का क्या कारण है ? पारिश्रमिक कब तक दे दिया जायेगा ?

श्री सिब्ते रजी--

माध्यमिक शिक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेश की प्राइव हाई स्कूल परीक्षा, 1984 तथा 1985 के लिये सरदार पटेल हायर सेकेण्डरी स्कूल, तम्बौर, सीतापुर पंजीकरण केन्द्र के आवेदन-पत्रों की जांच में सहयोग करने वाले अध्यापकों तथा अग्रसारण अधिकारी के भुगतान हेतु पावना-पत्र पारित कर क्रमशः वर्ष 1984 का दिनांक 22 फरवरी, 1985 को एवं वर्ष 1985 का 1 जुलाई, 1986 को प्रेषित कर दिया गया था ।

प्राचार्य, सरदार पटेल हायर सेकेन्ड्री स्कूल, तम्बौर, सीतापुर की सूचना के अनुसार वर्ष 1984 का पारित देयक उन्हें प्राप्त नहीं हुआ था जिसके लिए कोषागार, सीतापुर से अदेय प्रमाण-पत्र प्राप्त कर भुगतान कराने की कार्यवाही की जा रही है । वर्ष 1985 का फार्म निरीक्षण एवं अग्रसारण सम्बन्धी पारिश्रमिक का भुगतान सर्वसम्बन्धित को किया जा चुका है ।

31--श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

[राज्य सरकार से असम्बद्ध होने के कारण निरस्त]

श्री नन्द किशोर सिंह, निवासी बस्ती द्वारा थाना मुन्डेरवा में दर्ज प्रथम सूचना रिपोट

32--श्री हरिश्चन्द्र, हरीश जी--

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 6 जुलाई, 1983 को बस्ती जिलान्तर्गत मुण्डेरवा थाना में श्री नन्द किशोर, निवासी बस्ती द्वारा कोई एफ0 आई0 आर0 दर्ज कराई गयी थी ? यदि हां, तो उस सम्बन्ध म अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गोपी नाथ दीक्षित--

श्री नन्द किशोर, निवासी बस्ती द्वारा कोई एफ0 आई0 आर0 थाना मुन्डेरवा, जनपद बस्ती में दिनांक 6-3-83 को दर्ज नहीं कराई गई है ।

शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

33-34--श्री हृदय नरायन दीक्षित--

[सदन की सेवा से निलम्बित होने के कारण हटाया गया]

राजकीय इन्टर कालेज उमरवा, जनपद फर्रुखाबाद के शिक्षकों की दक्षता रोक

35--श्री ब्रह्म दत्त द्विवेदी--

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद फर्रुखाबाद स्थित राजकीय इन्टर कालेज, उमरवा के कई शिक्षकों एवं कर्मचारियों के दक्षता रोक पार करने के प्रकरण उप शिक्षा निदेशक, इलाहाबाद मण्डल इलाहाबाद के कार्यालय में कई साल से लम्बित हैं ? क्या इन कर्मचारियों के यात्रा भत्ता बिल भी इसी भांति विचाराधीन हैं जिनके कालातीत हो जाने की सम्भावना है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री सिब्ते रजी—

जी नहीं ।

दो शिक्षकों के यात्रा-भत्ता बिल समय से प्रस्तुत न किये जाने और एक शिक्षक का यात्रा-भत्ता बिल धनाभाव के कारण कालातीत हो गया है ।

जनपद फर्रुखाबाद से सम्बद्ध कतिपय मार्गों पर चालित गाड़ियों तथा स्थायी व निरस्त परमिटों की संख्या

36—श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी—

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फर्रुखाबाद में फर्रुखाबाद से जरियनपुर, फर्रुखाबाद से हरपालपुर, फर्रुखाबाद से अल्हागंज आदि मार्गों पर कुल कितने स्थायी परमिट हैं तथा कितनी-कितनी गाड़ियां चल रही हैं, कितने स्थायी परमिट निरस्त हैं तथा कितने परमिट सरेन्डर हैं ? क्या परिवहन मंत्री यह भी बताने की कृपा करेंगे कि क्या रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिए प्रार्थना-पत्र मांगे गये थे ? यदि हां, तो उस पर अभी तक क्या कार्यवाही की गयी तथा स्थायी रिक्त स्थान कब तक पूर्ण रूप से भर दिये जायेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डाक्टर संजय सिंह—

फर्रुखाबाद—जरियनपुर मार्ग पर कुल 20 स्थायी परमिट हैं, 14 स्थायी परमिट पर 14 वाहन चल रहे हैं । 6 परमिट निरस्त हैं । कोई परमिट समर्पित नहीं है ।

फर्रुखाबाद-हरपालपुर मार्ग पर—

6 स्थायी परमिट स्वीकृत हैं जिनमें 4 स्थायी परमिटों में से 3 परमिटों पर वाहन चल रहे हैं । 2 परमिट निरस्त हैं । 1 परमिट समर्पित है ।

फर्रुखाबाद-अल्हागंज मार्ग पर—

3 स्थायी परमिट हैं जिनमें से 2 परमिटों पर वाहन चल रहे हैं । कोई परमिट निरस्त नहीं है तथा 1 परमिट समर्पित है ।

इन मार्गों पर रिक्तियों के अनुसार-परमिट स्वीकृत करने की कार्यवाही संभागीय परिवहन प्राधिकरण, कानपुर द्वारा की जा रही है ।

37—श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी—

क्या परिवहन मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद फर्रुखाबाद में फर्रुखाबाद—जरियनपुर मार्ग पर कुल कितने स्थायी परमिट प्राइवेट स्वामियों को निर्गत किये गये हैं ? इनमें से कितने परमिटों पर प्राइवेट गाड़ियां चल रही हैं तथा कितने परमिट विभिन्न कारणों से निरस्त कर दिये गये हैं ?

डाक्टर संजय सिंह—

जनपद फर्रुखाबाद में फर्रुखाबाद-जरियनपुर मार्ग पर कुल 20 स्थायी परमिट निर्गत किये गये । 14 परमिटों पर गाड़ियां चल रही हैं ।

6 परमिट विभिन्न कारणों से निरस्त कर दिये गये हैं ।

उत्तर प्रदेश परिवहन निगम, लखनऊ मुख्यालय व मण्डल में कार्यरत उप प्रधान प्रबन्धक तथा उनका स्थानान्तरण

38--ब्रह्मदत्त द्विवेदी--

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश परिवहन निगम में कुल कितन उप प्रधान प्रबन्धक हैं, उनमें से लखनऊ मुख्यालय व मंडल में कौन-कौन तैनात और कब से ? इन अधिकारियों के स्थानान्तरण का क्या नियम है और इनको इतने लम्बे समय से एक ही स्थान पर बनाये रखे जाने का औचित्य क्या है ?

डाक्टर संजय सिंह--

उत्तर प्रदेश परिवहन निगम में इस समय कुल 12 उप प्रधान प्रबन्धक कार्यरत हैं, जिनमें से लखनऊ मुख्यालय पर 7 तथा मध्य जोन (मुख्यालय) लखनऊ में एक अधिकारी तैनात हैं । उनके विवरण निम्न प्रकार हैं :--

क0-संख्या	अधिकारी का नाम	लखनऊ में तैनाती की तिथि
	सर्वश्री--	
1	आर0 के दुबे	13-12-82 से
2	एस0 एन0 उपाध्याय	4-8-82 से
3	डी0 के0 श्रीवास्तव	21-2-80 से
4	जे0 डी0 सिंह	31-7-86 से
5	पी0 स्वरूप	30-1-87 से
6	आर0 सी0 सिंहल	20-9-86 से
7	एस0 एस0 मेहरोत्रा	1-3-85 से
8	आर0 पी0 जैन	25-9-81 से

स्थानांतरण शासन तथा निगम द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों के अनुसार किये जाते हैं, परन्तु निगम मुख्यालय पर तैनाती हेतु विशिष्ट प्रकार के कार्य तथा उसके लिये अधिकारी की उपयोगिता को भी ध्यान में रखा जाता है ।

श्री सत्य नारायण यादव, एडवोकेट, निवासी उन्नाव के पुत्र को कोतवाली पुलिस द्वारा अवैध निरुद्धि की जांच

39--श्री राम नरेश यादव--

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता ने दिनांक 30-11-85 द्वार श्री सत्यनारायण यादव, एडवोकेट, निवासी जनपद उन्नाव के पुत्र अरुण कुमार यादव को कोतवाली पुलिस द्वारा दिनांक 17-11-85 से 19-11-85 की शाम 6 बजे तक बन्द करने के सम्बन्ध में जांच की नियुक्ति हेतु उनको पत्र भेजा था ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? क्या यह भी बतायेंगे कि जांच किस अधिकारी द्वारा की गयी

व क्या जांचकर्ता ने श्री सत्यनारायण यादव, एडवोकेट से पूंछताछ की थी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गोपी नाथ दीक्षित--

जी हां । पत्र प्राप्त हुआ था । पत्र में लगाये गये आरोपों की जांच क्षेत्राधिकारी, नगर द्वारा करायी गयी । जांच से स्थानीय पुलिस पर लगाये गये आरोपों की पुष्टि नहीं हुई । जांचकर्ता द्वारा जांच के दौरान श्री सत्यनारायण यादव, एडवोकेट से सम्पर्क करने का प्रयास किया गया परन्तु उनकी उपस्थिति नहीं होने के कारण पूंछताछ नहीं की जा सकी ।

श्री सुभाष सक्सेना, सहायक कुल सचिव रोहेलखण्ड विश्व विद्यालय के निलम्बन की जांच

40--डाक्टर दिनेश जौहरी--

क्या शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि रोहेलखण्ड विश्वविद्यालय के सहायक कुल सचिव, श्री सुभाष सक्सेना को कुलपति ने माह अप्रैल, 1987 में किन कारणों से निलम्बित कर दिया था ? क्या इस प्रकरण की जांच कराई गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सिब्ते रजी--

परीक्षा सम्बन्धी कार्य में की गई अनधिकृत कार्यवाही के कारण आरम्भिक जांच के फलस्वरूप निलम्बित किया गया । विश्वविद्यालय द्वारा जांच अधिकारी नियुक्त किया गया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

बरेली नगरपालिका द्वारा संचालित स्कूलों तथा शिक्षा विभाग द्वारा संचालित स्कूलों के कर्मचारियों को समान सुविधाओं की मांग

41--डाक्टर दिनेश जौहरी--

क्या शिक्षा मन्त्री को जानकारी है कि वर्ष 1975 से बरेली नगरपालिका द्वारा संचालित स्कूलों के शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को वेतन शिक्षा विभाग ने देना प्रारम्भ कर दिया था, परन्तु इन कर्मचारियों को शिक्षा विभाग द्वारा संचालित स्कूलों के कर्मचारियों के समान वेतन नहीं दिया जा रहा है एवं न ही उनके समान पेंशन एवं प्रावीडेन्ट फण्ड की सुविधा दी जा रही है ? यदि हां, तो क्या मन्त्री जी उपरोक्त स्कूलों के शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को भी शिक्षा विभाग द्वारा संचालित स्कूलों के समान वेतन एवं अन्य देय समान रूप से दिलाने की कृपा करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सिब्ते रजी--

जी हां । क्योंकि नगरपालिकाओं द्वारा संचालित उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षणेत्तर कर्मचारियों की सेवा शर्तें उत्तर प्रदेश नगर महापालिका अधिनियम, 1959 के प्राविधानों के अधीन नियन्त्रित होती हैं जबकि गैर सरकारी उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षणेत्तर कर्मचारियों की सेवा शर्तें इन्टरमीडिएट शिक्षा अधिनियम, 1921 के प्राविधानों के अधीन नियन्त्रित होती हैं ।

केवल वेतन वितरण की व्यवस्था उ0 प्र0 हाई स्कूल तथा इन्टरमीडिएट कालेज (अध्यापकों तथा अन्य कर्मचारियों के वेतन का भुगतान) अधिनियम, 1971 के अधीन की जाती है जबकि ऐसे कर्मचारी उक्त प्रकार के स्कूल में कार्य कर रहे हों।

नहीं, क्योंकि स्थानीय निकायों द्वारा संचालित विद्यालयों के ऐसे कर्मचारियों के उनके समकक्ष कर्मचारियों के मिले जुले संवर्ग हैं, जो कि नगरपालिका बरेली के अधीन कार्यरत हैं।

42--श्री हर्ष वर्धन--

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

ग्राम पंचायत उद्योग, भोवापुर-मस्तान, जनपद गाजियाबाद में सरकारी धन का गबन किये जाने की जांच

43--श्री कनक सिंह--

क्या ग्राम्य विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम्य पंचायत उद्योग, भोवापुर मस्तान, नगर, ब्लाक सिम्भावली, जिला गाजियाबाद में पचास हजार के गबन के विषय में प्रश्नकर्ता के विशेष सचिव, पंचायत को प्रेषित पत्र, दिनांक 20 सितम्बर, 1985 में क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय--

प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 20 सितम्बर, 1985 का नहीं वरन् दिनांक 21 सितम्बर, 1985 का है उक्त पत्र में उल्लिखित आरोपों की जांच करायी गयी। जांच रिपोर्ट का परीक्षण करके मामले में आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।

वर्तमान प्रधानाचार्य अशोक इन्टर कालेज, रामपुर कारखाना, जनपद देवरिया द्वारा मुन्नर प्रसाद यादव की सेवा पुस्तिका में कटिंग

44--श्री भयंकर सिंह--

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि अशोक इन्टर कालेज, रामपुर कारखाना, जिला देवरिया के वर्तमान प्रधानाचार्य द्वारा उक्त विद्यालय के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी मुन्नर प्रसाद यादव की सेवा पुस्तिका में दर्ज जन्म तिथि 6-7-37 काट कर 6-7-26 कर दिया गया है ? यदि हां, तो क्या उक्त कर्मचारी की सेवा पुस्तिका सदन के पटल पर रखने की कृपा करेंगे और उक्त प्रधानाचार्य के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही कर निलम्बित कर दण्डित करने की कार्यवाही करेंगे ?

श्री सिब्ते रजी--

सेवा पुस्तिका में जन्म-तिथि 6 जुलाई, 1937 काटकर 6 जुलाई, 1926 अंकित किया गया है।

सेवा पुस्तिका मेरे कार्यालय कक्ष में इस सत्र के दौरान देखी जा सकती है।

शिक्षा निदेशालय द्वारा जिला विद्यालय निरीक्षक, देवरिया को निर्देश दे दिया गया है कि वे प्रबन्धक को इस कटिंग के लिये जिम्मेदारी निर्धारित करने का निर्देश दें।

स्व0 श्री मोहनी कुमार सक्सेना, वरिष्ठ आलेखक एवं प्रालेखक, जि0 वि0 नि0 कार्यालय, बरेली को पेंशन ग्रेच्युटी का भुगतान

45—डा0 दिनेश जौहरी—

क्या शिक्षा मन्त्री को जानकारी है कि श्री मोहनी कुमार सक्सेना जो कि जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय, बरेली में वरिष्ठ आलेखक एवं प्रालेखक पद पर कार्यरत थे, का देहान्त दिनांक 17 मार्च, 1986 को हो गया था ? यदि हां, तो इनकी पत्नी को बोनस, ग्रेच्युटी आदि का भुगतान न होने एवं मृतक के स्थान पर उनकी पत्नी की नियुक्ति न होने के क्या कारण हैं ? क्या मन्त्री जी उनके स्थान पर उनके लड़के अथवा उनकी पत्नी की नियुक्ति करा देंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सिब्ते रजी—

जी हां ।

मृतक कर्मचारी की पत्नी को ग्रेच्युटी, बोनस आदि का भुगतान किया जा चुका है । उनकी पत्नी की नियुक्ति भी कनिष्ठ लिपिक के पद पर कर दी गयी है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

स्व0 श्री तारा चन्द्र गौड़, संस्कृत प्रवक्ता, राजकीय इन्टर कालेज, बरेली की बीमा ग्रेच्युटी का भुगतान

46—डा0 दिनेश जौहरी—

क्या शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि श्री ताराचन्द गौड़ जो राजकीय इन्टर कालेज, बरेली में संस्कृत प्रवक्ता के पद पर कार्यरत थे, का देहान्त 8 जुलाई, 1985 को हो गया था किन्तु अभी तक उनके फण्ड, बीमा एवं अन्य लाभों का भुगतान नहीं किया गया है ? क्या मंत्री जी को यह भी जानकारी है कि स्व0 ताराचन्द्र गौड़ के स्थान पर उनकी पुत्री कु0 कादम्बरी ने स्वयं की नियुक्ति हेतु आवेदन किया है किन्तु अभी तक उसकी नियुक्ति न होने का क्या कारण है ? क्या मंत्री जी उनके परिवार को समस्त लाभ एवं उनकी पुत्री की नियुक्ति हेतु अविलम्ब आदेश देंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सिब्ते रजी—

जी हां ।

स्व0 श्री गौड़ के अवशेष उपार्जित अवकाश के नकदीकरण की स्वीकृति मण्डलीय उप शिक्षा निदेशक, बरेली के आदेश दिनांक 7 जुलाई, 1987 द्वारा दी जा चुकी है ।

जीवन बीमा तथा फन्ड का भुगतान शेष है ।

कु0 कादम्बरी की नियुक्ति हेतु कोई प्रार्थना-पत्र प्राप्त नहीं हुआ ।

श्री गौड़ के पुत्र, श्री विश्वनाथ ने मृतक सरकारी सेवक के आश्रित सुविधा के अन्तर्गत लिपिक पद पर नियुक्ति हेतु आवेदन-पत्र दिया था । उनकी नियुक्ति लिपिक पद पर 1 अगस्त, 1986 के आदेश द्वारा कर दी गई थी । परन्तु उन्होंने इस नियुक्ति के प्रति कार्यभार ग्रहण नहीं किया ।

विकास खण्ड, मुरादाबाद को आई० आर० डी० पी० योजना का धन प्राप्त न होना

47—श्री मोहम्मद रिजवानुल हक—

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विकास खण्ड, मुरादाबाद का वर्ष 1983-84, 1984-85 का आई आर० डी० पी० योजना का 9 लाख रुपये का अनुदान इतना समय बीत जाने के उपरान्त भी क्यों नहीं भेजा गया ? कब तक वह धन मंत्री जी उपलब्ध करा देंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

विकास खण्ड, मुरादाबाद द्वारा आई० आर० डी० पी० योजना के अन्तर्गत छठी पंचवर्षीय योजना में स्वीकृत परिव्यय 35 लाख रु० के विपरीत 9 लाख रु० की धनराशि शासन की स्वीकृति की प्रत्याशा में अधिक खर्च कर ली गयी थी।

इस अतिरिक्त व्यय के लिये प्रदेश सरकार के पत्र दिनांक 7 अक्तूबर, 1985 द्वारा भारत सरकार को लिखा गया था परन्तु भारत सरकार ने अपने पत्र दिनांक 30 जून, 1987 द्वारा प्रस्ताव निरस्त कर दिया है।

ऐसी स्थिति में भारत सरकार से आवंटन प्राप्त न होने के कारण अतिरिक्त धनराशि का भुगतान किया जाना सम्भव नहीं हो सका।

48—श्री बेनी प्रसाद वर्मा—

[सदन की सेवा से निलम्बित होने के कारण हटाया गया।]

49—श्री बेनी प्रसाद वर्मा—

[5वें बुधवार में अतां० प्र० सं० 64 के अन्तर्गत स्थानान्तरित।]

संभागीय परिवहन अधिकारी, गोरखपुर के विरुद्ध जांच

श्री त्रियुगी नारायण मिश्र—

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1986 में कार्यरत तत्कालीन सम्भागीय परिवहन अधिकारी, गोरखपुर के विरुद्ध शिकायतों की जांच हेतु गोरखपुर मण्डल के आयुक्त को शासन ने नियुक्त किया था ? यदि हां, तो जांचोपरान्त क्या कार्यवाही की गयी ?

डा० संजय सिंह—

सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण, गोरखपुर की जनवरी, 1986 की बैठकों से सम्बन्धित शिकायतों के सम्बन्ध में गोरखपुर में कार्यरत सम्भागीय परिवहन अधिकारी व अन्य के विपरीत मंडलायुक्त, गोरखपुर से जांच करायी गयी थी।

जांचोपरान्त दोषी अधिकारी व सहायकों का स्पष्टीकरण प्राप्त कर उनके विरुद्ध वैभागिक कार्यवाही की जा रही है।

राज्य भूगर्भ जल सर्वेक्षण संगठन के गठन का औचित्य

51—कुंवर मानवेन्द्र सिंह—

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश जल निगम प्रदेश में खारे पानी के ग्रामों का सर्वेक्षण करता है ? यदि हां, तो राज्य भूगर्भ

जल सर्वेक्षण संगठन का क्या औचित्य है एवं शासन पर दोहरा वित्तीय भार डालने का क्या कारण है ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

जी हां, उत्तर प्रदेश जल निगम द्वारा शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने हेतु सीमित स्थलों पर खारे पानी के ग्रामों का सर्वेक्षण कार्य किया जाता है। भूगर्भ जल सर्वेक्षण संगठन द्वारा मुख्य रूप से भूगर्भ जल उपलब्धता का आंकलन करना, सिंचाई हेतु उसकी रासायनिक उपयुक्तता ज्ञात करना, उपभोग की सीमायें निर्धारित करना, लघु सिंचाई साधनों जैसे—नलकूप और कुओं इत्यादि के मध्य रखी जाने वाली न्यूनतम दूरी ज्ञात करना, भूगर्भ जल प्रबन्ध में सबसे उपयुक्त उपचारिक एवं सतर्कता के उपायों को ज्ञात करना एवं भूगर्भ जल भंडारों की उपस्थिति तथा विस्तार का पता लगाना आदि कार्य किया जाता है। उपरोक्त कार्य के आधार पर तकनीकी प्रतिवेदन संगठन द्वारा तैयार किया जाता है जिसके आधार पर लघु सिंचाई विभाग द्वारा कार्यान्वित लघु सिंचाई के निर्माण की योजना के लिये नाबार्ड द्वारा संस्थागत वित्त की सुविधा प्रदान की जाती है तथा कृषकों को बैंक से वित्तीय सहायता तथा शासन से अनुदान प्रदान किया जाता है। इस प्रकार भूगर्भ जल सर्वेक्षण संगठन का सर्वेक्षण कार्य उत्तर प्रदेश जल निगम के सर्वेक्षण कार्य से विस्तृत एवं भिन्न है। अतः शासन पर कोई दोहरा वित्तीय भार नहीं पड़ता है।

ग्राम्य विकास विभाग के अधिशासी अभियन्ता, भूगर्भ जल सर्वेक्षण संगठन खण्ड, हमीरपुर के विरुद्ध वित्तीय अनियमितताओं की जांच

52—कुंवर मानवेन्द्र सिंह—

क्या ग्राम्य विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि अधिशासी अभियन्ता, भूगर्भ जल सर्वेक्षण संगठन खण्ड, हमीरपुर द्वारा वर्ष 1982–83 से की गयी वित्तीय अनियमितताओं के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का कृषि उत्पादन आयुक्त को सम्बोधित पत्र 1 जुलाई, 1986 का उन्हें प्राप्त हुआ था ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

जी हां।

प्रश्नकर्ता का शिकायती पत्र दिनांक 1 जुलाई, 1986 की जांच करायी जा रही है जांच आख्या निदेशक, भूगर्भ जल सर्वेक्षण संगठन से प्रतीक्षित है। इस देरी के लिये जांचकर्ता अधिकारी तथा निदेशक को चेतावनी दे दी गयी है।

53–54—श्री भगौती सिंह—

(सदन की सेवा से निलम्बित होने के कारण हटाये गये)

जनपद झांसी व जालौन में गत तीन वर्षों में हुई दहेज हत्यायें

55—कुंवर मानवेन्द्र सिंह—

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि झांसी एवं जालौन जिलों के किस–किस थाने में गत तीन वर्षों में कितनी–कितनी महिलाओं के जल कर मरने या अन्य प्रकार से दहेज हत्याओं की सूचनायें दर्ज की गयी, और थानेवार कितने मामलों में अन्तिम आख्या दी गई, कितने मामले में आरोप पत्र दिये गये तथा कितनों में सजा हुई और कितने अदालत में विचाराधीन हैं ?

श्री गोपीनाथ दीक्षित--

सूचना संलग्न है ।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ 154 पर)

जनपद बरेली में उर्दू अध्यापकों की नियुक्ति

56--श्री शफीकुर्रहमान वर्क--

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद बरेली में 4 मार्च, 1986 को उर्दू अध्यापकों की नियुक्ति के लिये जो साक्षात्कार लिया गया था उन पर अभी तक नियुक्तियां नहीं की गयीं ? यदि हां, तो अध्यापकों को जो आर्थिक क्षति हुई उसका उत्तरदायी कौन है और दोषी व्यक्ति के प्रति क्या कार्यवाही प्रस्तावित है ?

श्री सिब्ते रजी--

नियुक्ति आदेश दिनांक 25 फरवरी, 1987 को निर्गत कर दिए गये ।

प्रश्न नहीं उठता ।

57--श्री हर्ष वर्धन--

[6वें मंगलवार के लिए स्थगित]

58--श्री हर्ष वर्धन--

[सदन की सेवा से निलम्बित होने के कारण हटाया गया]

भूगर्भ जल सर्वेक्षण संगठन के भूवैज्ञानिक सिविल एवं यान्त्रिक अभियन्त्रण के अधिकारियों का प्रतिशत

59--कुंवर मानवेन्द्र सिंह--

क्या ग्राम्य विकास मंत्री को जानकारी है कि भूगर्भ जल सर्वेक्षण संगठन में भूवैज्ञानिक सिविल एवं यान्त्रिक अभियन्त्रण के कितने प्रतिशत अधिकारी कार्यरत हैं ? विभिन्न संवर्गों के वर्तमान प्रतिशत को निर्धारित करने का आधार क्या था एवं वर्ष 1983 से लम्बित पुनर्गठन प्रकरण में विभागीय कार्य प्रणाली को ध्यान में रखते हुए समस्त पदों का पुनर्विभाजन किया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय--

भूगर्भ जल सर्वेक्षण संगठन में भू-वैज्ञानिक सिविल एवं यांत्रिक अभियन्त्रण के क्रमशः 35.16 प्रतिशत 24.17 प्रतिशत एवं 14.28 प्रतिशत अधिकारी कार्यरत हैं । भूगर्भ जल सर्वेक्षण संगठन के द्वारा सम्पादित वैज्ञानिक एवं तकनीकी कार्य एवं उसके लिये निर्धारित योग्यता रखने वाले अधिकारियों को दृष्टिगत रखते हुये, संगठन में सृजित पदों को संवर्गवार विभाजित किया गया है । भूगर्भ जल सर्वेक्षण संगठन के पुनर्गठन हेतु गठित कमेटी द्वारा कुछ नये खण्डों तथा पदों के सृजन की संस्तुति की गई है । समिति की संस्तुतियों के अनुसार पदों के सृजन के उपरान्त यदि आवश्यक होगा, तो वर्तमान में सृजित पदों का पुनर्विभाजन किया जा सकता है ।

60—श्री विष्णु देव—

[सदन की सेवा से निलम्बित होने के कारण हटाया गया]

61—कुंवर मानवेन्द्र सिंह—

[5वें सोमवार में अता0 प्र0 सं0 169 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

महोबा (हमीरपुर) मौदहा निवासी, श्री फजलउद्दीन मूर्तिचोर की पुलिस हिरासत में मृत्यु की जांच

62—कुंवर मानवेन्द्र सिंह—

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि 18 अगस्त, 1986 को महोबा (हमीरपुर) पुलिस द्वारा कथित मूर्तिचोरी के अभियोग में गिरफ्तार मौदहा निवासी, फजलउद्दीन उर्फ मुन्ना अंसारी की पुलिस हिरासत में पुलिस पिटाई के कारण मृत्यु हो गयी थी ? यदि हां, तो क्या मृतक के भाई, श्री रियाजुद्दीन ने पुलिस महानिदेशक, गृह सचिव आदि को भेजे प्रार्थना-पत्र में यह आरोप लगाया है कि हमीरपुर जिले के कुछ लोगों ने उनके भाई की हत्या कराई है ? यदि हां, तो उक्त प्रार्थना-पत्र पर कराई गई जांच की रिपोर्ट क्या है ? यदि जांच नहीं कराई गयी, तो क्यों ? क्या मंत्री जी मृतक के भाई द्वारा प्रार्थना-पत्र में बताये गये तथ्यों की जांच गुप्तचर विभाग द्वारा करायेंगे ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री गोपी नाथ दीक्षित—

प्राप्त सूचना के अनुसार दिनांक 18 अगस्त, 1986 को प्रभारी निरीक्षक, थाना महोबा को सूचना मिली कि मुन्ना अंसारी उर्फ फजलउद्दीन, जिसके पास नाजायज असलहा है व कुलपहाड़ के एक मंदिर से चोरी गई मूर्ति है, इन्हें लेकर बाहर जा रहा है। प्रभारी निरीक्षक ने पुलिस बल व गवाहान को लेकर नाकाबंदी की। मुन्ना अंसारी हाथ में बैग लिये आता दिखाई दिया। टोकने पर उसने पुलिस पार्टी पर फायर कर भागा। पुलिस बल ने पीछा कर आवश्यक बल प्रयोग कर उसे पकड़ लिया। मुन्ना अंसारी ने पकड़ते समय जेब से कोई वस्तु निकाल कर खाली। पूछने पर उसने दिल के मर्ज की दवा बताई। जमा तलाशी में मुन्ना अंसारी के पास से एक देशी तमंचा 12 बोर, 4 कारतूस एवं बैग के अन्दर से रामलला की अष्टधातु की मूर्ति एवं अन्य वस्तुयें बरामद हुई। मुन्ना अंसारी को जब गिरफ्तार कर थाने लाया जा रहा था, तो उसकी अवस्था अर्धचेतन होने लगी थी। उसका हरसंभव उपचार कराया गया किन्तु 7-30 बजे शाम उसकी जिला अस्पताल, हमीरपुर में मृत्यु हो गई। मुन्ना अंसारी, सुरेश सोनी गैंग का सक्रिय सदस्य एवं थाना मौदहा का प्रचलित हिस्ट्रीशीटर था। मुन्ना अंसारी के शव का पंचायतनामा परगनाधिकारी द्वारा भरकर शव को पोस्टमार्टम हेतु भेजा गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से मृत्यु का कारण ज्ञात न होने पर विसरा को रसायनिक परीक्षण हेतु भेजा गया है, जिसका परिणाम अभी प्राप्त नहीं हुआ है। मामले में मजिस्ट्रेट द्वारा जांच प्रचलित है।

मृतक के भाई, श्री रियाजुद्दीन के प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुये हैं, जिनमें पुलिस के विरुद्ध उसके भाई की हत्या के आरोप लगाये गये हैं। श्री रियाजुद्दीन के प्रार्थना-पत्र की भी मजिस्ट्रेट द्वारा जांच की जा रही है, घटना की गुप्तचर विभाग द्वारा जांच कराये जाने की आवश्यकता नहीं प्रतीत होती है।

63—श्री रघुवर दयाल वर्मा—

[दिनांक 6 जुलाई, 1983 को अता0 प्र0 सं0 83 द्वारा उत्तरित]

जनपद गोरखपुर के विधान सभाई क्षेत्र पिपराइच में निःशुल्क बोरिंग पर लगे पम्प सेट

64--श्री सैयद जावेद अली सज्जपोश--

क्या ग्राम्य विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि विगत वर्ष में जनपद गोरखपुर में पिपराइच विधान सभा क्षेत्र के कितने निःशुल्क बोरिंग पर पम्प सेट लग चुके हैं तथा उनके सापेक्ष अनुदान का समायोजन हो गया है ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

प्रदेश के समस्त खण्ड विकास अधिकारियों के वेतन की समानता पर विचार

65--श्री सयद जावेद अली सज्जपोश--

क्या ग्राम्य विकास मंत्री जी को यह जानकारी है कि खण्ड विकास अधिकारियों को दो प्रकार के वेतनमान में रखा गया है जो क्रमशः 850-1720 तथा 690-1420 हैं ? यदि हां, तो क्या समान कार्य पर समान वेतन के सिद्धांतों को मानते हुये खण्ड विकास अधिकारियों का वेतनमान एक करने पर विचार किया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय--

जी हां । वर्तमान में खण्ड विकास अधिकारियों के दो वेतनमान हैं :

1--खण्ड विकास अधिकारी (साधारण वेतनक्रम रु0 690-1420) ।

2--खण्ड विकास अधिकारी (विशेष वेतनक्रम रु0 850-1720) ।

खण्ड विकास अधिकारियों के कुल पदों में से 50 प्रतिशत पद विशेष वेतनक्रम में शासन द्वारा 1 अगस्त, 1979 से स्वीकृत किये गये हैं जिन पर साधारण वेतनक्रम के खण्ड विकास अधिकारियों की पदोन्नति दी जाती है ।

समस्त खण्ड विकास अधिकारियों को विशेष वेतनक्रम देने के सम्बन्ध में शासन स्तर पर अभी कोई विचार नहीं किया जा रहा है ।

जनपद गोरखपुर के बेला नथुआ मार्ग व कुसली इब्राहीमपुर मार्ग पर बड़ी पुलियों के निर्माण की मांग

66--श्री सैयद जावेद अली सज्जपोश--

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि जनपद गोरखपुर के विकास खंड, पिपराइच में बेला नथुआ मार्ग पर एवं विकास खंण्ड सरदार नगर में कुसली इब्राहिमपुर मार्ग पर एक-एक पुलिया का निर्माण हुआ था ? यदि हां, तो क्या पानी के बहाओं की मात्रा ध्यान में न रखने के कारण पुलिया के बगल से सम्पर्क मार्ग को पानी काट कर बह रहा है, जिसके कारण पुलिया का महत्व समाप्त हो गया है और ग्रामीणों को आवागमन में अधिक कठिनाई का सामना करना पड़ता है ? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी जांच कराकर उपरोक्त मार्गों पर बड़ी पुलिया, पानी के बहाओं की मात्रा को ध्यान में रखकर निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री इमाम सूरत उपाध्याय--

सूचना एकत्र की जा रही है।

जनपद फर्रुखाबाद के फार्रुखाबाद-जीरमनपुर अर्जरित मार्ग से स्पेशल क्लास का कर वसूलने का औचित्य

67--श्री ब्रह्म दत्त द्विवेदी--

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि फर्रुखाबाद में जीरमनपुर मार्ग को स्पेशल क्लास मार्ग में रखा गया है ? यदि हां, तो जनपद में अन्य किन-किन मार्गों को स्पेशल क्लास मार्गों की श्रेणी में रखा गया है ? यदि किसी भी मार्ग को नहीं, तो फिर फर्रुखाबाद से जीरमनपुर मार्ग पर ही जहां अभी तक ग्राम गूजरपुर प्रस्तावित पुलिया का निर्माण भी न हो सका है और सड़कें भी टूटी हैं, स्पेशल क्लास रूट का मार्ग-कर क्यों वसूला जा रहा है ?

डा0 संजय सिंह--

जी हां।

प्रश्नगत मार्ग के अतिरिक्त फर्रुखाबाद जनपद के निम्नलिखित मार्ग स्पेशल श्रेणी में वर्गीकृत हैं :

(1) फफूंद-घटियाघाट।

(2) तालग्राम-तेराजाकेट।

(3) विशुनगढ़-घटियाघाट।

(4) फर्रुखाबाद-कंपिल।

(5) ठठिया-राजघाट वाया तिर्वा।

जिस क्लास का रूट है उसी क्लास का मार्ग-कर लिया जाता है।

आर0 टी0 ओ0 आफिस, कानपुर द्वारा विभिन्न करों हेतु पेनाल्टी

68--श्री ब्रह्म दत्त द्विवेदी--

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आर0 टी0 ओ0 आफिस, कानपुर में मार्ग कर, यात्री-कर विलम्ब से जमा किये जाने पर पेनाल्टी ली जाती है ? यदि हां तो यह किस नियम के अन्तर्गत तथा किस दर से ली जाती है ?

डा0 संजय सिंह--

यू0 पी0 मोटर वेहिकिल्स टैक्सेशन ऐक्ट, 1935 की धारा 5 (2) के अन्तर्गत मार्ग-कर विलम्ब से जमा करने पर तथा उ0 प्र0 मोटर गाड़ी (यात्री-कर) अधिनियम, 1962 की धारा 10 में यात्री-कर विलम्ब से जमा करने पर पेनाल्टी का प्राविधान है।

2--मार्ग-कर पेनाल्टी की निम्न दरें हैं :

(1) मोटर साइकिल, स्कूटर--

एक रुपया प्रति सप्ताह या उसके भाग की देरी के लिए।

(2) मोटर कार—

दो रुपया प्रति सप्ताह या उसके भाग की देरी के लिए।

(3) ट्रान्सपोर्ट गाड़ियां—

दस रुपया प्रति सप्ताह या उसके भाग की देरी के लिए।

3—यात्री-कर की पेनाल्टी कुल यात्री-कर का 25 प्रतिशत तक है।

प्रदेश में यातायात दुर्घटनाओं में मृतकों की संख्या तथा रोकथाम के उपाय

69—श्री ब्रह्म दत्त द्विवेदी—

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विगत अगस्त, सितम्बर व अक्तूबर, सन् 1986 में प्रदेश में यातायात से मार्ग दुर्घटनाओं के फलस्वरूप कुल कितने लोगों की मृत्यु हुई और कितने लोग घायल हुए? इन बढ़ती हुई मार्ग दुर्घटनाओं को रोकने के लिये सरकार क्या कदम उठायेगी?

श्री गोपी नाथ दीक्षित—

प्राप्त सूचना के अनुसार, अगस्त, सितम्बर व अक्तूबर, 1986 में प्रदेश में हुई यातायात दुर्घटनाओं से कुल 1404 लोगों की मृत्यु हुई तथा 2715 घायल हुए।

इन दुर्घटनाओं को रोकने की दिशा में स्कूलों/कालेजों में यातायात के नियमों के विषय में प्रशिक्षण दिया जा रहा है। निर्धारित गति से अधिक गति पर चलने वाले वाहनों की गति को प्रतिबन्धित करने हेतु राडार दिये गये हैं। दृष्टि में कमी होने के कारण होने वाली दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए वाहन चालकों के नेत्र परीक्षण का प्रबन्ध किया गया है। सड़कों पर से अतिक्रमण हटाये जाने की कार्यवाही की जा रही है। यातायात कर्मचारियों के प्रशिक्षण हेतु पुलिस अधीक्षकों/ज्येष्ठ पुलिस अधीक्षकों को निर्देश भेजे गये हैं। यातायात व्यवस्था को सुधारने के लिए समाज सेवी संगठनों का सहयोग भी प्राप्त किया जा रहा है।

परिवहन विभाग में नवसृजित मैनेजमेन्ट ट्रेनिंग के पदों पर गैर विभागीय व्यक्तियों की नियुक्ति

70—श्री ब्रह्म दत्त द्विवेदी—

क्या परिवहन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि मैनेजमेन्ट ट्रेनिंग के पद सृजित कर अनेकों लोगों को सहायक क्षेत्रीय प्रबन्धक के रूप में विभाग में नियुक्त किया गया है? क्या यह सत्य है कि इन पदों पर नियुक्त अधिकारी विभाग के बाहर से लिये गये हैं, जिस कारण विभागीय कर्मचारियों/अधिकारियों में भयंकर असंतोष है? क्या मन्त्री जी यह भी बतायेंगे कि इससे विभाग पर कितना वित्तीय भार बढ़ा है?

डाक्टर संजय सिंह—

जी हां।

यह सही है कि इन पदों पर सीधी भर्ती द्वारा चयन समिति के माध्यम से बाहर के अभ्यर्थी नियुक्त किये गये हैं। परन्तु उन्हें सीधी भर्ती के लिये निर्धारित कोटे के पदों के विपरीत नियुक्त किया गया है। विभागीय प्रोन्नति कोटा के पदों पर विभागीय अभ्यर्थियों को यथापूर्व प्रोन्नत किया जा रहा है, जिससे उनमें असंतोष होने का प्रश्न पैदा नहीं होता है।

उक्त नियुक्तियों के फलस्वरूप परिवहन निगम के ऊपर लगभग 20 लाख रुपये प्रति वर्ष वित्तीय भार अनुमानित है। पिछले वर्ष निगम का अधिष्ठान पर कुल व्यय लगभग 54 करोड़ रुपये है। मैनेजमेन्ट ट्रेनीज की नियुक्ति के फलस्वरूप निगम की कार्य प्रणाली में सुधार हुआ है।

राजर्षि टण्डन महिला महाविद्यालय इलाहाबाद की प्राचार्या की अनियमित नियुक्ति की जांच

71—डा० शिवानन्द नौटियाल—

क्या शिक्षा मन्त्री कृपया बतायेंगे कि राजर्षि टण्डन महिला महाविद्यालय, इलाहाबाद की प्राचार्या की अनियमित नियुक्ति की जांच कराई गयी है ? यदि हां, तो क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सिब्ते रजी—

जी हां।

जांच आयोग शासन के विचाराधीन है।

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र लम्भुआ, जनपद सुल्तानपुर के चिकित्सक, श्री लाल बहादुर सिंह के विरुद्ध दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट पर कार्यवाही

72—श्री शिव नारायण मिश्र—

क्या गृह मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सुल्तानपुर के अन्तर्गत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र लम्भुआ के चिकित्सक, श्री लाल बहादुर सिंह के विरुद्ध 25-11-1986 को शराब पी कर जनता एवं पार्टी के कार्य-कर्ताओं के विरुद्ध गाली देने, बन्दूक से मारने, अभद्र व्यवहार करने के सम्बन्ध में अपराध संख्या 382 धारा 352, 504, 506 भारतीय दण्ड विधान के अन्तर्गत थाना लम्भुआ में प्रथम सूचना रिपोर्ट अंकित करायी गयी है, जिसकी सूचना आरक्षी अधीक्षक को भी दी गयी है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की जा रही है ? क्या ऐसे अशिष्ट चिकित्सक का बन्दूक लाइसेन्स निरस्त कराने की सरकार कृपा करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गोपी नाथ दीक्षित—

सूचना एकत्र की जा रही है।

जिला आगरा के सिकन्दरा स्थित परिवहन चेक पोस्ट से प्राप्त आय

73—श्री विजय सिंह राना—

क्या परिवहन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि आगरा जनपद में सिकन्दरा स्थित परिवहन चेक पोस्ट हटा ली गयी है ? क्या यह सही है कि वह चेक पोस्ट अनधिकृत रूप से कार्यरत था ? यदि हां, तो वहां से प्राप्त होने वाली आय किस खाते में जमा हुई और कितनी ? इस अनधिकृत रूप से एकत्रित की गयी धनराशि का निस्तारण किस प्रकार होगा ?

डाक्टर संजय सिंह—

जी हां।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

श्री डी० एस० बग्गा, आयुक्त वाराणसी मण्डल का प्रतिनियुक्ति सम्बन्धी क्षेत्राधिकार

74--श्री राम आसरे वर्मा--

क्या ग्राम्य विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री डी०एस० बग्गा, आयुक्त वाराणसी मण्डल को एक विभाग के स्थायी कर्मचारी को दूसरे विभाग में बिना उसकी सहमति लिए भेजने का अधिकार है ? यदि नहीं, तो श्री विष्णुदत्त चौबे, स्थायी आशुलिपिक, जिला विकास कार्यालय, गाजीपुर को उन्होंने अपने आदेश, दिनांक 4-12-85 द्वारा बिना सहमति प्राप्त किए कलक्ट्रेट गाजीपुर में खपाने की अपेक्षा उनके स्थान से क्यों अपदस्थ कर दिया और उसका भी पालन नहीं हुआ ? यदि हां, तो शासन को इसकी जानकारी होने पर मण्डलायुक्त के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

दीनबन्धु इंटर कालेज, नदांव, जनपद बस्ती के अध्यापकों/कर्मचारियों को बोनस की मांग

75--श्री हरिश्चन्द, हरीश जी--

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि बस्ती जिले के दीनबन्धु इंटर कालेज नदांव के अध्यापकों तथा कर्मचारियों को बोनस न देने का क्या कारण है जबकि जनवरी, 1983 से उपरोक्त विद्यालय अनुदान सूची में आ गया है ?

श्री सिब्ते रजी--

प्राप्त सूचना के अनुसार विद्यालय के अनुदान सूची पर आने के बाद नियमानुसार वर्ष 1983-84 से बोनस का भुगतान किया जा रहा है ।

गणेश प्रसाद इंटर कालेज, बरवा, जिला वाराणसी के अध्यापकों को बोनस

76--श्री हरिश्चन्द्र, हरीश जी--

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि गणेश प्रसाद इंटर कालेज, बरवा, जिला वाराणसी के अध्यापकों को 1984-85 का 23 दिन का बोनस मिला है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सिब्ते रजी--

प्राप्त सूचनानुसार प्रश्नगत विद्यालय को बोनस की धनराशि का चेक अप्रैल, 1987 में निर्गत किया जा चुका है ।

77--श्री राज किशोर सिंह--

[5वें बुधवार में अता० प्र० सं० 1 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

78—श्री राज किशोर सिंह—

[सदन की सेवा से निलम्बित होने के कारण हटाया गया]

79—श्री मित्रसेन—

[6वें गुरुवार में अता0 प्र0 सं0 92 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

80—श्री मित्रसेन—

[सदन की सेवा से निलम्बित होने के कारण हटाया गया]

भूगर्भ जल सर्वेक्षण संगठन में व्याप्त प्रशासनिक व न्यायिक अनियमितताओं की जांच हेतु गठित कमेटी की रिपोर्ट

81—कुंवर मानवेन्द्र सिंह—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि भूगर्भ जल सर्वेक्षण संगठन में व्याप्त अनियमितताओं एवं प्रशासनिक विफलताओं तथा बढ़ते हुए न्यायिक हस्तक्षेप को रोकने हेतु प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा कोई कमेटी का गठन किया गया है ? यदि हां, तो उक्त कमेटी कब तक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी एवं क्या सरकार कमेटी की रिपोर्ट सदन के पटल पर प्रस्तुत कर पूर्णतया लागू करेगी ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

जी नहीं ।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

भूगर्भ जल सर्वेक्षण संगठन में प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत अधिकारियों पर संविलियन प्रणाली लागू करने की मांग

82—कुंवर मानवेन्द्र सिंह—

क्या ग्राम विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि ग्राम विकास अनुभाग-7 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 124 आर0 ई0/38-7-1508(4)-82, दिनांक 22 जून, 1985 में निहित संविलियन प्रणाली को भूगर्भ जल सर्वेक्षण संगठन में प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत अधिकारियों पर भी समान रूप से लागू करने की स्पष्ट नीति घोषित की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

जी नहीं । आवश्यकता नहीं है ।

83-85—श्री भगौती सिंह—

[सदन की सेवा से निलम्बित होने के कारण हटाये गये]

86-87—श्री मित्रसेन—

[सदन की सेवा से निलम्बित होने के कारण हटाये गये]

श्री नैपाल सिंह हेड कान्सटेबिल शंडो के अवशेष देयों का भुगतान

88--श्री यदुनाथ सिंह--

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि तत्कालीन ने0 वि0 दल विधान सभा को प्रेषित माननीय मुख्य मंत्री के अ0 शा0 पत्र संख्या ओ0 एम0/24 सी0 एम0-2/86, दिनांक 9 जनवरी, 1986 जिसमें हेड कान्सटेबिल शंडो (श्री नेपाल सिंह) पर लम्बित विभागीय कार्यवाही पूर्ण होने पर उनके कई वर्षों से रुके अवशेष देयों/वेतन आदि के भुगतान करने का उल्लेख किया गया था, क्या यह सत्य है कि अभी तक न तो उनके अवशेष देयों का भुगतान हुआ और न ही वर्तमान में वेतन दिया जा रहा है जबकि उनकी सेवा निवृति भी दिनांक 31-5-87 को होनी है ? यदि हां, तो इसके लिए कौन उत्तरदायी है ? यह भुगतान उन्हें कब तक तथा किस कार्यालय से किया जायगा एव सेवानिवृत्ति सम्बन्धी कार्यवाही किस कार्यालय द्वारा पूर्ण की जायेगी ?

श्री गोपी नाथ दीक्षित--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में बी0 टी0 सी0 प्रशिक्षित सहायक अध्यापिकाओं व राजकीय शिक्षिकाओं की वेतन विषमता

89--श्री राम नरेश यादव--

क्या शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि शासन ने वर्ष 1973 में अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में बी0 टी0 सी0 प्रशिक्षित सहायक अध्यापिकाओं को राजकीय अध्यापिकाओं के समकक्ष वेतन दिया गया था ? यदि हां, तो अब राजकीय शिक्षिकाओं को सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के समकक्ष वेतन क्यों नहीं दिया जा रहा है ? क्या सरकार इस विसंगति को दूर करेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री सिब्ते रजी--

जी हां ।

शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त वेतनमान स्वीकृत किये गये हैं ।

प्रश्नगत प्रकरण पर अब शासन द्वारा गठित वेतन समिति द्वारा विचार किया जायेगा । समिति की संस्तुति प्राप्त होने पर विचारोपरान्त कार्यवाही की जायेगी ।

राजकीय विद्यालयों में कार्यरत बी0 टी0 सी0 ट्रेन्ड अध्यापक/अध्यापिकाओं को चयन वेतनमान की अनुमन्यता

90--श्री राम नरेश यादव--

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राजकीय कन्या सीनियर बेसिक स्कूलों में बी0 टी0 सी0 प्रशिक्षित सहायक अध्यापिकाओं तथा राजकीय आदर्श विद्यालयों के बेसिक शिक्षा परिषद् की सीनियर बेसिक स्कूलों में तथा सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में इसी योग्यता के अध्यापक/अध्यापिकाओं का वेतनमान समान है ? यदि नहीं, तो क्यों और इनका चयन वेतनमान क्या है ?

श्री सिब्ते रजी--

जी नहीं ।

वेतनमान शासन द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त स्वीकृत किये गये हैं।

राजकीय विद्यालयों में बी0 टी0 सी0 अध्यापक/अध्यापिकाओं को चयन वेतनमान अनुमन्य नहीं है।

जनपद मैनपुरी के बेसिक शिक्षा परिषद् के अधिकारियों द्वारा की गयी अनियमितता की जांच

91—श्री श्याम बिहारी सिंह—

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद मैनपुरी के बेसिक शिक्षा परिषद् के अधिकारियों द्वारा अनियमितता करने के सम्बन्ध में श्री लटूरी सिंह, भूतपूर्व विधायक की सूचना दिनांक 23-2-83 एवं 23-2-84 उन्हें प्राप्त हुयी ? यदि हां, तो उस सूचना पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी और उसका क्या परिणाम हुआ ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सिब्ते रजी—

दिनांक 23-2-84 को सूचना प्राप्त हुई।

जांच मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक) आगरा से करायी गयी, जिसमें आरोपित बिन्दु प्रथम दृष्टया प्रमाणित नहीं पाये गये।

प्रश्न नहीं उठता।]

खाद्यान्न योजनान्तर्गत निर्मित कच्चे मार्गों को पक्का कराया जाना

92—श्री इम्तियाज मोहम्मद खां—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी की खाद्यान्न योजना द्वारा जिन मार्गों पर कच्ची मिट्टी का कार्य हुआ है क्या वे मार्ग किसी योजना द्वारा पक्के होंगे ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

खाद्यान्न योजना द्वारा जिन मार्गों पर कच्ची मिट्टी का कार्य हुआ है, उसे एन0 आर0 ई0 पी0/आर0 एल0 ई0 जी0 पी0 के अन्तर्गत पक्का किया जाना संभव नहीं है।

प्रदेश के चयनित उर्दू अध्यापकों की रिक्त पदों पर नियुक्ति

93—श्री इम्तियाज मोहम्मद खां—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि 5,000 उर्दू अध्यापक के पदों में से प्रत्येक जनपद में कितनों पर नियुक्ति हो चुकी है तथा कितने स्थान रिक्त हैं और उनका क्या कारण है ?

श्री सिब्ते रजी—

सूची संकलन है।

उर्दू विषय में शिक्षा प्राप्त करने वाले छात्रों का उपलब्ध न होना।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ 157 पर।)

जनपद बदायूं में पुलिस मुठभेड़ में एन्काउन्टर हुए व्यक्तियों की जांच

94—इंजीनियर मोहम्मद अबरार अहमद—

क्या गृह मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बदायूं में पुलिस द्वारा मुठभेड़ में वर्ष 1984 से 1986 तक कितने लोगों का एनकाउन्टर किया गया है ? क्या सरकार यह बतायेगी कि कितने ऐसे मामले हैं जिनकी जांच विभिन्न स्तर से की जा रही है एवं कितने मामलों में जांच हो चुकी है ? क्या जांच के आधार पर दोषी अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गोपी नाथ दीक्षित—

प्राप्त सूचना के अनुसार जनपद बदायूं में वर्ष 1984 से 1986 तक पुलिस व डकैतों के मध्य मुठभेड़ की कुल 9 घटनायें घटीं जिनमें कुल 10 बदमाश मौके पर मारे गये । एक मामले की जांच अपराध अनुसन्धान विभाग द्वारा की जा रही है । 6 मामलों में मजिस्टीरियल जांच की गई । जांच से 5 मामलों में मुठभेड़ की घटनायें सही होना पायी गई और कोई पुलिसकर्मी दोषी नहीं पाया गया । एक मुठभेड़ की घटना मजिस्टीरियल जांच से सही नहीं पाई गई जिसमें सम्बन्धित पुलिस कर्मचारियों के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही की जा रही है । शेष दो मामलों में पंजीकृत अभियोगों की विवेचना के उपरान्त एक मामले में अन्तिम रिपोर्ट तथा एक मामले में अभियुक्तों के विरुद्ध आरोप-पत्र प्रेषित किया गया ।

श्री एम0 पी0 गुप्ता, भूमि संरक्षण अधिकारी रामगंगा कमाण्ड प्रथम, मथुरा के विरुद्ध भ्रष्टाचार की जांच

95—श्री कुशलपाल सिंह—

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता ने दिनांक 18 जून, 1986 को एक शिकायती-पत्र रामगंगा कमाण्ड प्रथम, मथुरा के भूमि संरक्षण अधिकारी, श्री एम0 पी0 गुप्ता के द्वारा किये गये भ्रष्टाचार के बारे में दिया था ? यदि हां, तो इसकी जांच किस अधिकारी ने कब की ? क्या यह सही है कि लगाये गये आरोप सही पाये गये ? यदि हां, तो सम्बन्धित अधिकारी के खिलाफ क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

जी हां ।

सम्बन्धित भूमि संरक्षण अधिकारी, श्री एम0 पी0 गुप्ता, रामगंगा कमाण्ड मथुरा प्रथम के विरुद्ध शिकायतों की जांच हेतु श्री सुरेन्द्र सिंह, अपर निबन्धक (सहकारिता), रामगंगा कमाण्ड परियोजना कानपुर को नियुक्त किया गया । उन्होंने प्रथम जांच, 25 अक्तूबर, 1986 को प्रारम्भ किया, किन्तु सम्बन्धित अधिकारी द्वारा पर्याप्त सहयोग न देने के कारण जांच स्थगित कर दी गई । बाद में जांच दिनांक 22 जनवरी, 1987 को किया । श्री एम0 पी0 गुप्ता के क्षेत्र में कराये गये निर्माण कार्यों का स्तर, निम्न स्तर का होने की शिकायतों पर प्रशासक, रामगंगा कमाण्ड ने प्राविधिक जांच कराने का निर्णय ले लिया था । पहली जांच के समय श्री गुप्ता द्वारा पर्याप्त सहयोग न देने व अनुशासनहीनता के प्रदर्शन के फलस्वरूप प्रशासक ने उन्हें एक विशेष प्रतिकूल प्रविष्टि दी तथा श्री गुप्ता को उनके पैतृक विभाग में वापस कर दिया ।

अवर निबन्धक (सहकारिता) ने शिकायती पत्र दिनांक 18 जून, 1986 की जांच पर उक्त आरोपों को आंशिक रूप से सही पाया, परन्तु बहुत से आरोप प्राविधिक प्रकृति के होने के नाते, उन्होंने संस्तुत किया था कि श्री गुप्ता के विरुद्ध जो प्राविधिक सम्प्रेक्षण का कार्य चल रहा है, उसी के साथ इन आरोपों की भी जांच करा ली जाय। प्राविधिक जांच अभी पूरी नहीं हुई है। जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

96—श्री हृदय नरायन दीक्षित—

[सदन की सेवा से निलम्बित होने के कारण हटाया गया]

श्री ए0 एन0 राय, खंड विकास अधिकारी, सरदार नगर, गोरखपुर विरुद्ध भ्रष्टाचारों की जांच

97—श्रीमती शारदा देवी—

क्या ग्राम्य विकास मंत्री को जानकारी है कि जनपद गोरखपुर विकास क्षेत्र सरदार नगर में कार्यरत, श्री अमरेश नन्दन राय, खंड विकास अधिकारी द्वारा लाखों रुपये के गबन व भ्रष्टाचार के विरुद्ध प्रश्नकर्ता द्वारा दिनांक 24 सितम्बर, 1986 से 10 अप्रैल, 1987 तक कितनी शिकायतें जिला प्रशासन को प्राप्त हुई हैं? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त अधिकारी को स्थानान्तरित करके जांच कराने की कृपा करेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

प्रश्नकर्ता की श्री अमरेश नन्दन राय, खंड विकास अधिकारी, सरदार नगर के विरुद्ध गबन एवं भ्रष्टाचार सम्बन्धी 8 शिकायतें शासन म प्राप्त हुई हैं।

श्री ए0 एन0 राय, खंड विकास अधिकारी, सरदार नगर, गोरखपुर के स्थानान्तरण के निर्देश दे दिये गये हैं। शिकायतों की जांच करायी जा रही है।

98—श्रीमती शारदा देवी—

[6वें शुक्रवार अता0 प्र0 सं0 40 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

ग्राम ज0 पकड़ी, जनपद गोरखपुर के अपूर्ण स्कूल भवन का निर्माण

99—श्री सैयद जावेद अली सज्जपोश—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोरखपुर, विकास खंड चरगांवों के ग्राम ज0 पकड़ी में प्रा0 पाठशाला का भवन अर्द्धनिर्मित हालत में 1961 से पड़ा हुआ है? यदि हां, तो क्या सरकार इस प्रा0 पाठशाला भवन का निर्माण शीघ्र कराने का आदेश देगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री सिब्ते रजी—

जनपद गोरखपुर के विकास खंड चरगांवा में ज0 पकड़ी नाम की कोई परिषदीय प्राइमरी पाठशाला नहीं है। अतः भवन बनाए जाने का प्रश्न नहीं उठता है।

100—श्री मित्रसेन—

[सदन की सेवा से निलम्बित होने के कारण हटाया गया]

101—श्री ब्रजकिशोर सिंह—

[सदन की सेवा से निलम्बित होने के कारण हटाया गया]

102—श्री सुरेश पाल वर्मा—

[सदन की सेवा से निलम्बित होने के कारण हटाया गया]

103-104—श्री राम सजीवन—

[सदन की सेवा से निलम्बित होने के कारण हटाया गया]

105-106—श्री राम चन्द्र बख्श सिंह—

[6वें सोमवार के लिए स्थगित]

कालिवन ताल्लुकेदार कालेज, लखनऊ की प्रबन्ध समिति के विरुद्ध कार्यवाही की मांग

107—श्री सूर्य प्रताप शाही—

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि कालिवन ताल्लुकेदार कालेज, लखनऊ को कौंसिल आफ इण्डियन स्कूल सर्टीफिकेट एक्जामिनेशन, नई दिल्ली से सम्बद्ध करने के आवेदन पर उ0 प्र0 शासन ने दिनांक 26 अप्रैल, 1980 को अनापत्ति प्रमाण-पत्र (नो आब्जेक्शन सर्टिफिकेट) देते समय यह प्रतिबन्ध लगाया था कि उक्त विद्यालय की प्रबन्ध समिति में राज्य सरकार द्वारा नामित एक शिक्षा विभाग का अधिकारी राज्य सरकार के प्रतिनिधि के रूप में सम्मिलित होगा तथा विद्यालय की विभिन्न कक्षाओं में 10 प्रतिशत सीटें राज्य के अधिकारियों के आश्रितों के लिये आरक्षित होंगी ? यदि हां, तो उक्त सम्बद्धता के पश्चात् राज्य सरकार के निर्देशों का पालन सम्बन्धित विद्यालय द्वारा किया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ? सरकार अपने निर्देशों के उल्लंघन किये जाने के कारण प्रबन्ध समिति के विरुद्ध क्या कार्यवाही कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सिद्दते रजी—

हां। परन्तु बाद में सन्दर्भगत आदेश संशोधित कर दिये गये थे। संशोधित आदेशों, जिनमें संदर्भगत प्रतिबन्धों का उल्लेख नहीं है, के आलोक में संस्था द्वारा सरकार के निर्देशों का उल्लंघन किए जाने का प्रश्न नहीं उठता।

108—श्री हरिश चन्द्र, हरीश जी—

[6वें मंगलवार मे अता0 प्र0 संख्या 105 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद फर्रुखाबाद के ब्लाक कन्नौज के मातीमऊ आदि ग्रामों में निजी नलकूप निर्माण पर रोक

109—श्री ब्रह्म दत्त द्विवेदी—

क्या ग्राम्य विकास मन्त्री को जानकारी है कि जनपद फर्रुखाबाद के विकास खण्ड कन्नौज के ग्राम मातीमऊ एवं अन्य समीपवर्ती ग्रामों में अत्यधिक निःशुल्क बोरिंग एवं निजी नलकूपों के निर्माण से जल निकासी निरन्तर कम हो रही है ? यदि हां, तो क्या भूगर्भ जल सर्वेक्षण विभाग से सर्वेक्षण करा कर निजी नलकूपों के निर्माण पर रोक लगाई जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय--

जी नहीं । प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद फर्रुखाबाद के ग्राम नगलाबीना में खारे पानी की समस्या

110--श्री ब्रह्म दत्त द्विवेदी--

क्या ग्राम्य विकास मंत्री को जानकारी है कि जनपद फर्रुखाबाद में ग्राम नगलाबीना में निजी नलकूपों से खारा पानी मिलने के कारण ग्रामीण जनता उपयोग नहीं कर रही है ? यदि हां, तो क्या भू-गर्भ जल सर्वेक्षण विभाग से भूमिगत जल प्रदूषण का अध्ययन कराया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ? यदि हां, तो कब ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय--

विभाग में इस बाबत कोई सूचना किसी भी निजी नलकूप के मालिक से उक्त गांव से प्राप्त नहीं हुई है । ऐसी किसी शिकायत के प्राप्त होने पर भूगर्भ जल सर्वेक्षण विभाग से अवश्य अध्ययन करवाया जायेगा ।

जनपद जौनपुर, थाना महराजगंज में दर्ज मुकदमें के अभियुक्त श्री विनोद कुमार सिंह के विरुद्ध कृत कार्यवाही

111--श्री राम आसरे वर्मा--

क्या गृह मन्त्री कृपया बतायेंगे कि जनपद जौनपुर के थाना महराजगंज में मुकदमा अपराध संख्या 30/85, धारा 307/323/324 भा0द0सं0 के अन्तर्गत दिनांक 25 मई, 1985 को कायम किया गया ? यदि हां, तो क्या यह सही है कि उक्त मुकदमें के अभियुक्त श्री विनोद कुमार सिंह उर्फ नाटे पुत्र वंश नारायण सिंह, निवासी ग्राम चित्तौड़ी, थाना बक्सा द्वारा अस्पताल में भर्ती होकर जमानत पर छोड़े जाने हेतु सेशन कोर्ट में दरखास्त लगाई गई, जो न्यायालय द्वारा खारिज कर दी गई ? यदि हां, तो इसके बाद भी उसे जेल में अथवा पुलिस हिरासत में न रखे जाने के क्या कारण रहे और उसके लिये कौन अधिकारी जिम्मेदार रहा ?

श्री गोपी नाथ दीक्षित--

प्रश्न में उल्लिखित मामले की जांच अपराध शाखा, अपराध अनुसंधान विभाग को सौंप दी गयी है ।

डाक्टर विरेन्द्र बहादुर सिंह, ग्राम भू-पति पट्टी, थाना लाइन बाजार, जिला जौनपुर का सुरक्षा सम्बन्धी पत्र

112--श्री राम आसरे वर्मा--

क्या गृह मंत्री कृपया बतायेंगे कि जान-माल की सुरक्षा विषयक डाक्टर विरेन्द्र बहादुर सिंह, ग्राम भू-पति पट्टी, थाना लाइन बाजार, जनपद जौनपुर का प्रार्थना-पत्र दिनांक 12 जनवरी, 1987 गृह सचिव को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो शासन द्वारा उक्त इस मामले में क्या कार्यवाही की जा रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गोपी नाथ दीक्षित--

जी हां ।

जांच एवं सुरक्षा हेतु आवश्यक आदेश दिए गये ।

113—श्री विष्णु देव—

[सदन की सेवा से निलम्बित होने के कारण हटाया]

थाना फरीदपुर, जनपद बरेली के चार सगे भाइयों का अकारण पुलिस उत्पीड़न

114—डाक्टर दिनेश जौहरी—

क्या सरकार को जानकारी है कि दिनांक 16 फरवरी, 1986 को जनपद बरेली के थाना फरीदपुर में एक सम्भ्रान्त परिवार के चार सगे भाइयों को कार नं0 पी0 ए0 एम0 9778 की चोरी में पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया था ? यदि हां, तो जांच की रिपोर्ट क्या है ? क्या यह भी सही है कि इस मामले में फरीदपुर के ही दो और व्यक्ति जितेन्द्र सिंह और देवेन्द्र सिंह को पुलिस ने गिरफ्तार किया है और जिनका इस कार चोरी से कोई सम्बन्ध नहीं है ? यदि हां, तो क्या सरकार दोनों निर्दोष व्यक्तियों को छोड़ने के आदेश देगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गोपी नाथ दीक्षित—

प्राप्त सूचना के अनुसार अभियुक्त शैलेन्द्र पाल सिंह को दिनांक 16 फरवरी, 1986 को थाना फरीदपुर को पुलिस द्वारा मय चोरी की कार नं0 पी0 ए0 एम0 9778 गिरफ्तार किया गया था, जिसका थाना फरीदपुर पर अ0 सं0 68/86, धारा 379/411 भा0 द0 वि0 पंजीकृत हुआ।

अभियुक्त शैलेन्द्र पाल सिंह के तीन भाइयों एवं फरीदपुर के जितेन्द्र सिंह तथा देवेन्द्र सिंह को कार की चोरी के सम्बन्ध में नहीं बल्कि अभियुक्त शैलेन्द्र पाल सिंह को पुलिस हिरासत में से छुड़ाने की नीयत से थाना पर आक्रमण करने एवं आतंक फैला करने के अपराध में बन्दी बनाया गया था और उनके विरुद्ध मु0 अ0 सं0 69/86, धारा 147/352/353/224, भा0 दं0 वि0 तथा धारा 2/3, उत्तर प्रदेश गिरोहबन्द और समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अध्यादेश, 1986 के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया था।

पंजीकृत दोनों अभियोगों में विवेचनोपरान्त प्रथम दृष्टया दोषी पाये जाने पर अभियुक्तों के विरुद्ध आरोप-पत्र प्रेषित किये जा चुके हैं और दोनों मामले न्यायालय में विचाराधीन हैं।

शेष का प्रश्न नहीं उठता है।

जनपद बुलन्दशहर के थाना बुलवारी में फर्जी मुठभेड़ एवं दोषी पुलिस कर्मियों के विरुद्ध कार्यवाही

115—डाक्टर दिनेश जौहरी—

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नवम्बर, 1985 में बुलन्दशहर जनपद के बुलवारी थाने के पास जो मुठभेड़ वहां के पुलिस अधीक्षक एवं थानाध्यक्ष द्वारा दिखायी गयी थी वह मेडिको-लीगल सेल के अभिमत में फर्जी पायी गयी एवं दोनों निर्दोष व्यक्तियों को पकड़कर मुर्गा बनाकर जान से मारा गया एवं पुलिस अधिकारियों ने मामले को न्यायोचित ठहराने के लिये छर्रे अपने हाथों में रख लिये थे ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में दोषी पुलिस कर्मियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री गोपी नाथ दीक्षित—

प्राप्त सूचना के अनुसार, प्रश्न में उल्लिखित घटना जनपद बुलन्दशहर के थाना गुलावठी के अन्तर्गत घटित हुई थी। मामले में मेडिको-लीगल विशेषज्ञ का पूर्ण अभिमत प्राप्त होना शेष है। जांच अभी प्रचलित है। जांच आख्या प्राप्त होने पर आवश्यक विचारोपरान्त विषयगत कार्यवाही की जायेगी।

जनपद एटा के थाना अवागढ़ में पंजीकृत प्रथम सूचना रिपोर्ट पर कृत कार्यवाही

116—श्री श्याम बिहारी सिंह—

क्या गृह मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद एटा के थाना अवागढ़ में अपराध संख्या 30/87 अन्तर्गत धारा 307 भा0 दं0 वि0 वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के आदेशानुसार पंजीकृत किया गया था ? क्या यह सच है, कि प्रथम सूचना रिपोर्ट में प्रमाण-पत्र संलग्न थे ? यदि हां, तो वह प्रमाण-पत्र क्या थे और उन प्रमाण पत्रों के आधार पर एफ0 आई0 आर0 में कौन सी धारा लगाई गई है ? क्या प्रश्नगत विषय में श्री सुनहरी लाल का शिकायती-पत्र दिनांक 22 अप्रैल, 1987 उन्हें एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, एटा को प्राप्त हुये ? यदि हां, तो उन पत्रों की शिकायत का विवरण क्या था और उन पर अब तक किस अधिकारी ने क्या कार्यवाही की और उसका परिणाम क्या आ ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गोपी नाथ दीक्षित—

जी हां।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

शासन को प्राप्त हुआ।

शिकायती-पत्र की प्रतिलिपि संलग्न है। इसमें उल्लिखित आरोपों की जांच पुलिस उपमहानिरीक्षक, आगरा परिक्षेत्र, आगरा के माध्यम से कराई गई। जांच से पाया गया कि शिकायतकर्ता, जिसकी सूचना के आधार पर प्रश्नगत अभियोग पंजीकृत किया गया था, ने विवेचक को अभी तक घटनास्थल का निरीक्षण नहीं कराया और न गवाहान ही प्रस्तुत किये। पंजीकृत अभियोग की विवेचना एस0आई0 एस0, एटा द्वारा की जा रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

(देखिये नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ 159 पर।)

उप विद्यालय निरीक्षक, मैनपुरी द्वारा किये गये अनियमित कार्यों की जांच

117—श्री श्याम बिहारी सिंह—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मैनपुरी की बेसिक शिक्षा परिषद् के उप विद्यालय निरीक्षक एवं अनौपचारिक पर्यवेक्षिका आदि के सम्बन्ध में उनके अवैध कार्य करने के विषय में श्री राम आसरे वर्मा, विधायक का पत्र दिनांक

4 जून, 1985 एवं सूचना दिनांक 19 मार्च, 1986 उन्हें प्राप्त हुई ? यदि हां, तो उस पत्र एवं सूचना का विवरण क्या था और उन पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी थी और उसका क्या परिणाम हुआ ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सिब्ते रजी—

जी हां ।

शिकायती-पत्र एवं नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना उप विद्यालय निरीक्षक तथा पर्यवेक्षिका के कथित अवैधानिक कार्यों के सम्बन्ध में ही जांच करायी गयी किन्तु जांच आख्या अपूर्ण एवं अस्पष्ट होने के कारण मामले में पुनः जांच कराई जा रही है ।

पर्यवेक्षिका का प्रशासकीय आधार पर स्थानान्तरण किया जा चुका है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

118-119—श्री अचल सिंह—

[सदन की सेवा से निलम्बित होने के कारण हटाये गये]

ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा, आगरा द्वारा एत्मादपुर क्षेत्र में कराये गये कार्यों में धन का दुरुपयोग

120—श्री चन्द्रभान मौर्य—

क्या ग्राम्य विकास मंत्री को जानकारी है कि क्या यह सच है कि प्रश्नकर्ता के विधान सभा क्षेत्र एतमादपुर, आगरा में ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा आगरा द्वारा वर्ष 1985-86 व 1986-87 में निर्मित मार्गों पर मौके पर नाम मात्र का काम करके ठेकेदारों से मिलकर लाखों रुपयों के सरकारी धन का दुरुपयोग किया गया है? यदि हां, तो क्या मंत्री जी प्रश्नकर्ता के क्षेत्र में उपरोक्त विभाग द्वारा निर्मित सभी मार्गों की मौके की जांच प्रश्नकर्ता की मौजूदगी में किसी प्रदेशीय उच्च अधिकारी से कराने की कृपा करेंगे और दोषी कर्मचारियों व अधिकारियों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही करने का साहस करने की कृपा करेंगे ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

प्रश्नकर्ता के विधान सभा क्षेत्र में वर्ष 1985-86 व 1986-87 में समस्त मार्गों पर नियमानुसार विशिष्टियों के अनुरूप सही काम हुआ है । किसी भी प्रकार का धन का दुरुपयोग नहीं हुआ है ।

उपरोक्तानुसार जांच करने का कोई औचित्य नहीं है तथा अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही किए जाने का प्रश्न ही नहीं उठता ।

उप शिक्षा निदेशक, आगरा मण्डल, आगरा के कार्यालय में पेंशन सम्बन्धी शासनादेश का पालन न किये जाने पर कार्यवाही

121—श्री चन्द्रभान मौर्य—

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि शासनादेश संख्या 3/1431/वस-903-84, दिनांक 29 सितम्बर, 1984 के उत्तर प्रदेश सिविल सर्विसेज ग्यारहवां संशोधन नियमावली में यह प्राविधान है कि पेंशन की धनराशि जो स्वीकृति की आज्ञा यह देना

की अवधि के आधार पर की जायगी, अर्हकारी सेवा की अवधि की गणना करने में किसी अर्द्ध वर्ष के शेष भाग को जो तीन माह या इसमें अधिक के बराबर हो पूरा अर्द्ध वर्ष समझा जायेगा ? क्या शिक्षा मन्त्री को यह भी जानकारी है कि माध्यमिक शिक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ कर्मचारियों की पेंशन धनराशि नियत करने में उत्तर प्रदेश में विशेषकर उप शिक्षा निदेशक, आगरा मण्डल, आगरा के कार्यालय में उपरोक्त शासनादेश का पालन न हो पाने के कारण तमाम लोगों को आर्थिक हानि तथा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है ? यदि हां, तो क्या मन्त्री जी उपरोक्त शासनादेश का कड़ाई से अनुपालन कराने व अब तक अनुपालन न होने के लिए जिम्मेदार अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री सिब्ते रजी—

जी हां ।

माध्यमिक शिक्षा परिषद् का कोई अधीनस्थ कर्मचारी आगरा में कार्यरत नहीं है और न ही मण्डलीय उप शिक्षा निदेशक, आगरा को माध्यमिक शिक्षा परिषद् के अधीनस्थ किसी कर्मचारी को पेंशन स्वीकृति करने का अधिकार है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

बी० डी० ओ० सरदार नगर, गोरखपुर के विरुद्ध भ्रष्टाचार तथा जिलाधिकारी के आदेशों के उल्लंघन की शिकायत

122—श्रीमती शारदा देवी—

क्या ग्राम्य विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोरखपुर के विकास खण्ड अधिकारी सरदार नगर के विरुद्ध दिनांक 5 फरवरी, 1987 को ईंट खरीददारी, व सोयम ईंटे की सोलिंग ग्राम मौनहा, विशुनपुरा, बसईया आदि गांवों में एवं इन्द्रा भवन भगवानपुर तोहा व कुसुली तथा सामुदायिक विकास भवन चौरी सतहवां व डुमरी खास में तृतीय श्रेणी के ईंटों द्वारा कराये जाने की शिकायत जिला प्रशासन को प्रश्नकर्ता व क्षेत्रीय जनता द्वारा की गयी थी ? यदि हां, तो उस पर सरकार में अब तक क्या कार्यवाही की ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

123—श्रीमती शारदा देवी—

क्या ग्राम्य विकास मन्त्री को जानकारी है कि जिलाधिकारी गोरखपुर द्वारा वर्ष 1986-87 में राष्ट्रीय ग्रामीण योजना के अन्तर्गत ईंट खरीददारी हेतु 450 रु० प्रति हजार निर्धारित किया था ? यदि हां, तो विकास खण्ड अधिकारी, सरदार नगर श्री अमरेश नन्दन राय ने 480 प्रति हजार ईंट सोयम माह जून, जुलाई, अगस्त, 1986 में विजय ईंट कम्पनी फुटहवां से खड़न्जा हेतु खरीदे जाने का क्या कारण है जबकि उसी अवधि में विकास खण्ड सरदार नगर के अन्य कर्मचारीगण द्वारा 450 रुपए प्रति हजार की ईंट सोलिंग हेतु खरीदी गयी है ? यदि हां, तो एक ही विकास खण्ड में दो रेट की ईंट खरीदने का क्या औचित्य है ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

आयुक्त गोरखपुर, मण्डल गोरखपुर द्वारा ब्लाक खोराबार के कार्यों की जांच

124—श्रीमती शारदा देवी—

क्या ग्राम्य विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि विकास खण्ड खोराबार, जनपद गोरखपुर में 5 दिसम्बर, 1986 को करीब 400 कुन्तल गेहूं एन0 आर0 ई0 पी0 का 210 रु0 प्रति कुन्तल की दर से विकास खण्ड के अधिकारियों द्वारा बेच दिया गया है ? क्या यह भी सत्य है कि 5 फरवरी, 1987 को मुख्य विकास अधिकारी, गोरखपुर श्री रोहित नन्दन जी के द्वारा विकास खण्ड खोराबार के मुख्यालय के स्टोर को सील कराया गया था तथा दिनांक 9 फरवरी, 1987 को आयुक्त, गोरखपुर मण्डल द्वारा विकास खण्ड खोराबार की कार्यों की जांच की थी ? यदि हां, तो आयुक्त, गोरखपुर मण्डल, गोरखपुर द्वारा जांच करने पर दोषी अधिकारी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

जी नहीं ।

जी नहीं ।

आयुक्त, गोरखपुर मण्डल, गोरखपुर द्वारा दिनांक 9 फरवरी, 1987 को विकास खण्ड खोराबार के कार्यों का निरीक्षण किया गया था । निरीक्षण के दौरान ऐसी कोई बात प्रकाश में नहीं आयी है जिसके लिए दोषी अधिकारी के विरुद्ध कोई कार्यवाही की जाय ।

प्रश्न नहीं उठता ।

125–127—श्री हृदय नरायन दीक्षित—

[सदन की सेवा से निलम्बित होने के कारण हटाये गये]

पं0 जवाहर लाल नेहरू जिला परिषदीय हायर सेकेन्डरी स्कूल, कुंवर गांव, जनपद बदायूं का प्रान्तीयकरण

128—इन्जीनियर मोहम्मद अबरार अहमद—

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि पं0 जवाहर लाल नेहरू जिला परिषदीय हायर सेकेन्डरी स्कूल, कुंवर गांव, जनपद बदायूं का प्रान्तीयकरण हेतु प्रश्नकर्ता द्वारा अनुरोध किया गया था ? यदि हां, तो क्या इस स्कूल के प्रान्तीयकरण पर विचार सरकार द्वारा किया जा रहा है जबकि जिला परिषद् बदायूं ने पूर्ण विवरण सहित अपनी स्वीकृति प्रान्तीयकरण हेतु सरकार को भेज दी है ? यदि हां, तो क्या सरकार जनहित को देखते हुये और इस क्षेत्र को पिछड़ा मानते हुये उक्त स्कूल का प्रान्तीयकरण तुरन्त कराने का कष्ट करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री सिब्ते रजी—

जी हां,

प्राप्त सूचनानुसार विद्यालय के प्रान्तीयकरण के कागजात में कमियां होने के कारण शिक्षा निदेशालय द्वारा उनके निवारण हेतु वापस कर दिया गया । कमियों के निवारण के उपरान्त कागजात निदेशालय में प्राप्त नहीं हुये ।

शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

फैजाबाद स्थित थमसप फैक्ट्री द्वारा निर्मित थमसप पेय में छिपकली निकलने से मालिक के विरुद्ध कार्यवाही की मांग

129--श्रीमती सरोज वर्मा--

क्या गृह मन्त्री को जानकारी है कि जनपद फैजाबाद के अन्तर्गत थमसप फैक्ट्री के मालिक के विरुद्ध थमसप में छिपकली होने की रिपोर्ट किसान कामगार सम्मेलन, फैजाबाद के कोषाध्यक्ष, श्री महेन्द्र प्रताप सिंह ने कोतवाली, फैजाबाद में अपराध संख्या 677/86, धारा 269/272/273 के तहत दिनांक 31 मई, 1986 को दर्ज करायी थी ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही हुई ?

श्री गोपी नाथ दीक्षित--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

130--कुंवर मानवेन्द्र सिंह--

[विस्तीर्ण एवं राज्य सरकार से असम्बद्ध होने के कारण निरस्त]

131--कुंवर मानवेन्द्र सिंह--

[राज्य सरकार से असम्बद्ध होने के कारण निरस्त]

निशातगंज, लखनऊ, निवासिनी श्रीमती जैबुन्निशां का उत्पीड़न

132--श्री अर्जुन सिंह यादव--

क्या गृह मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि कुंवर मानवेन्द्र सिंह, सदस्य विधान सभा का कवरिंग पत्र जो श्रीमती जैबुन्निशां, मकान नम्बर 512/436, निशातगंज, लखनऊ के उत्पीड़न के सम्बन्ध में है, दिनांक 13 मार्च, 1987 या उसके आस-पास मुख्य मन्त्री को प्राप्त हुआ था ? यदि हां, तो उस पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री गोपी नाथ दीक्षित--

जी हां ।

प्राप्त सूचना के अनुसार संदर्भित प्रार्थना-पत्र पर करायी गयी जांच से मामला मकान में कब्जे के विवाद का होना पाया गया । इस प्रकरण में 145 सी० आर० पी० सी० के अन्तर्गत एक वाद न्यायालय में विचाराधीन है ।

श्रीमती प्रतिभा श्रीवास्तव, सेवा-निवृत्त, राजकीय बालिका इन्टर कालेज, राजापुर, बांदा की पेंशन संशोधन का प्रस्ताव

133--श्री राजित प्रसाद यादव--

विधान सभा के प्रथम सत्र 1986 के 5वें सोमवार के अतारांकित प्रश्न संख्या 5 के उत्तर के संदर्भ में क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रार्थिनी श्रीमती प्रतिभा श्रीवास्तव के संशोधित पेंशन पेपर्स महालेखाकार कार्यालय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद को भेज दिये गये हैं ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या शिक्षा मन्त्री जी पेंशन पेपर्स समय से न भेजने वाले अधिकारी/कर्मचारी के विरुद्ध कार्यवाही करेंगे ?

श्री सिब्ते रजी--

जी नहीं ।

प्रधानाचार्य, राजकीय बालिका इन्टर कालेज, राजापुर (बांदा) द्वारा संशोधित पेंशन पत्रजात मंडलीय बालिका विद्यालय निरीक्षिका, झांसी को अभी तक उपलब्ध नहीं करायें गये हैं, जिसके कारण मन्डलीय बालिका विद्यालय निरीक्षिका, झांसी द्वारा महालेखाकार को संशोधित पेंशन प्रपत्र अभी तक नहीं भेजे जा सके हैं । श्रीमती प्रतिमा श्रीवास्तव को पूर्व निर्धारित पेंशन तो मिल ही रही है । अब मात्र पेंशन का संशोधन शेष है ।

जानकारी प्राप्त की जा रही है ।

134--श्री राम सागर--

[सदन की सेवा से निलम्बित होने के कारण हटाया गया]

जनपद अलीगढ़ में जिला परिषद् द्वारा निर्मित मार्गों के दोनों ओर नालियों का निर्माण

135--श्री सुरेश प्रताप सिंह गांधी--

क्या ग्राम्य विकास मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि जनपद अलीगढ़ के अन्तर्गत अगसौली, वाजिदपुर, गंगीरी मार्ग भटीकरा ग्राम तथा वाजिदपुर ग्राम में आबादी के अन्दर के मार्गों का निर्माण जिला परिषद् द्वारा कराया गया था तथा रख-रखाव भी जिला परिषद् द्वारा किया जाता है ? क्या यह सत्य है कि इस दोनों ग्रामों में आबादी क्षेत्र में जिला परिषद् द्वारा सड़क के दोनों ओर नालियों का निर्माण न किये जाने से पानी मुख्य सड़क पर जमा रहने से सड़क क्षतिग्रस्त हो गयी है ? यदि हां, तो क्या दोनों ग्रामों में आबादी क्षेत्र में नालियों का निर्माण तथा क्षतिग्रस्त सड़क की शीघ्र मरम्मत कराने का कष्ट करेंगे ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय--

वर्ष 1973-74 में क्रैश योजना के अन्तर्गत जिला परिषदों द्वारा सड़कों का निर्माण किया गया था जिसमें प्रसंगगत सड़क भी सम्मिलित थी । प्रसंगगत मार्ग सार्वजनिक निर्माण विभाग के नियन्त्रणाधीन है ।

136-137--श्री कनक सिंह--

[दिनांक 6 जुलाई, 1987 को अतारांकित प्रश्न संख्या 79-80 द्वारा उत्तरित]

138--श्रीमती शारदा देवी--

[माननीय सदस्या द्वारा प्रश्न वापस लिया गया ।]

सेवा-निवृत्त जूनियर फोरमैन, श्री नासिर अली की पेंशन प्रकरण का निस्तारण

139--श्री फजलुल बारी--

विधान सभा के प्रथम सत्र 1987 के प्रथम सोमवार के लिए निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या 88 के उत्तर के सन्दर्भ में परिवहन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या

डाक्टर संजय सिंह--

घटिया घाट से छिबरामऊ मार्ग अलग से वर्गीकृत मार्ग नहीं है बल्कि यह (1) विशुनगढ़-घटिया घाट व (2) फफूंद-घटिया घाट मार्गों में पड़ने वाला एक भाग है। इन दोनों मार्गों पर चलने वाली बसें रोटेशन से घटिया घाट का फेरा पूर्ण करके, कावरी गेट, पुलिस चौकी के पास स्थित बस स्टैण्ड में, आकर खड़ी होती हैं।

किसी के विपरीत कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता है।

परिवहन निगम में डेलीगेशन आफ पावर्स पद्धति लागू करने की मांग

143--श्री ब्रह्म दत्त द्विवेदी--

क्या परिवहन मंत्री को जानकारी है कि परिवहन निगम की स्थापना सन् 1972 में हुई थी ? यदि हां, तो निगम बन जाने के बाद और निगमों के गठन हो जाने के उपरान्त भी डेलीगेशन आफ पावर्स (अधिकारों के प्रतिनिहित) न करने के कारण निगम को क्या-क्या हानि उठानी पड़ी और नियम बनाने वाले अधिकारियों पर इस लापरवाही के लिए क्या कार्यवाही की गयी ?

डाक्टर संजय सिंह--

उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम का गठन 1 जून, 1972 को हुआ था। निगम की दूसरी बैठक दिनांक 25-7-72 में निगम द्वारा अध्यक्ष एवं प्रधान प्रबन्धक को प्रशासनिक एवं वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिधायन किया गया। अतः अधिकारों का प्रतिनिधायन न करने से निगम को हानि होने का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है और अधिकारियों को लापरवाही का प्रश्न भी उत्पन्न नहीं होता है।

जनपद फर्रुखाबाद में स्थाई ए0 आर0 टी0 ओ0 कार्यालय खोलने का प्रस्ताव

144--श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी--

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फर्रुखाबाद में स्थाई रूप से ए0 आर0 टी0 ओ0 कार्यालय स्थापित होने में विलम्ब का क्या कारण है जबकि सरकार ने उक्त कार्यालय जनवरी सन् 1986 से ही स्थाई रूप से चालू करने का निर्णय लिया था ? यदि हां, तो स्थायी ए0 आर0 टी0 ओ0 कार्यालय कब तक प्रारम्भ हो जाएगा ?

डाक्टर संजय सिंह--

फर्रुखाबाद जनपद में जनवरी, 1986 से स्थाई रूप से ए0 आर0 टी0 ओ0 कार्यालय स्थापित करने का निर्णय नहीं लिया गया था।

फर्रुखाबाद जनपद में ए0 आर0 टी0 ओ0 कार्यालय खोलने का प्रस्ताव अभी शासन के विचाराधीन है।

बेसिक शिक्षा अधिकारी पुरुष/महिला की वेतन विषमता का औचित्य

145--श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी--

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि शिक्षा विभाग के द्वितीय श्रेणी राजपत्रित अधिकारियों के पदों यथा बेसिक शिक्षा अधिकारी एवं अतिरिक्त बेसिक शिक्षा अधिकारी के पदों पर कार्यरत महिला व पुरुष अधिकारियों के वित्तीय एवं अन्य अधिकारों में

असमानता है ? यदि हां, तो पुरुष एवं महिला अधिकारियों में इस असमानता का औचित्य क्या है ? क्या इस असमानता को दूर करने का आदेश निर्गत करेंगे ?

श्री सिब्ते रजी—

शिक्षा विभाग में द्वितीय श्रेणी के राजपत्रित अधिकारियों के अनेक पद विभिन्न पदनामों से हैं और प्रत्येक पदधारी के प्रशासनिक एवं वित्तीय अधिकार भिन्न-भिन्न हैं। जनपद स्तर पर बेसिक शिक्षा के क्षेत्र में बालकों की शिक्षा से सम्बन्धित कार्य जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा तथा बालिकाओं की शिक्षा से सम्बन्धित कार्य जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी (महिला) द्वारा देखा जाता है। दोनों ही पद श्रेणी-ii के राजपत्रित पद हैं और इनका वेतनमान (रु0 850-1720) भी एक समान है। इस दृष्टि से कि जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी (महिला) अपना पूरा समय बालिका शिक्षा के उन्नयन में लगा सकें, जिला स्तर पर बेसिक शिक्षा कार्यालय में आहरण एवं वितरण का अधिकार जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी में निहित किया गया है। बालिका विद्यालयों एवं अध्यापिकाओं के सम्बन्ध में प्रशासनिक अधिकार जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी (महिला) को ही प्रदत्त हैं। बालक विद्यालयों के सम्बन्ध में प्रशासनिक अधिकार जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी में निहित हैं। शासकीय विज्ञप्ति 6800/15-1-24(57)-86, दिनांक 11 नवम्बर, 1986 के अन्तर्गत अतिरिक्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी (महिला) का पदनाम बदल कर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी (महिला) कर दिया गया था।

प्रश्न नहीं उठता। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी (महिला) को आहरण एवं वितरण के अधिकार इसलिये नहीं दिये गये हैं ताकि वे अपना पूरा समय बालिका शिक्षा के उन्नयन में लगा सकें।

कोई असमानता विद्यमान नहीं है, इसलिये ऐसी किसी कथित असमानता को दूर करने का प्रश्न नहीं उठता।

बेसिक शिक्षा परिषद्, बस्ती के अधीन कार्यरत न्यूनतम वेतन प्राप्त करने वाले कर्मचारी

146—श्री हरिश्चन्द्र (हरीश जी)—

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद् के अन्तर्गत बस्ती जिले में ऐसे कितने चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी किन पदों पर सेवारत हैं, जिन्हें प्रतिमाह मात्र 36.80 पैसे वेतन के रूप में मिलता है तथा क्यों ?

श्री सिब्ते रजी—

दो चतुर्थ श्रेणी एक दाई के पद पर तथा एक सहचर के पद पर सेवारत हैं जिन्हें वेतन एवं महंगाई भत्ता रु0 36.80 दिया जाता है अंशकालिक कर्मचारी होने के कारण।

सेवानिवृत्त श्री राजकुमार प्रधान, जिला विद्यालय निरीक्षक रायबरेली को पेंशन ग्रेच्युटी का भुगतान

147—डा0 दिनेश जौहरी—

क्या शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि श्री राजकुमार प्रधान जिला विद्यालय निरीक्षक रायबरेली से दिनांक 30 सितम्बर, 1986 को रिटायर हुये थे किन्तु अभी तक उनकी पेन्शन, ग्रेच्युटी व अन्य लाभों का भुगतान नहीं हुआ है ? यदि हां, तो क्या मंत्री जी तुरन्त भुगतान कराने की कृपा करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सिब्ते रजी--

जी हां।

उनको अनन्तिम पेंशन का भुगतान प्रतिमाह किया जा रहा है। अनन्तिम ग्रेच्युटी, नब्बे प्रतिशत जी0 पी0 एफ0 व देय अवकाश के नगदीकरण का भुगतान भी किया जा चुका है। पेंशन तथा जी0 पी0 एफ0 के अन्तिम भुगतान के पत्रजात महालेखाकार, उ0 प्र0, इलाहाबाद को दिनांक 7-7-1987 को भेजे जा चुके हैं।

148--श्री विष्णुदेव--

[6वें सोमवार के लिए स्थगित]

149--151--कुंवर रेवती रमण सिंह--

[सदन की सेवा से निलम्बित होने के कारण हटाये गये]

152--श्री हरीश चन्द्र, हरीश जी--

[दिनांक 9-7-87 को अता0 प्र0 संख्या 84 द्वारा उत्तरित]

थानाध्यक्ष लार, जनपद देवरिया पर मानहानि का मुकदमा एवं उसकी तफतीश

153--श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी--

क्या न्याय मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि देवरिया जनपद के अन्तर्गत थानाध्यक्ष लार पर मानहानि का मुकदमा चल रहा है जिसकी पेशी 6 सितम्बर, 1986 को जिला जज, देवरिया के न्यायालय में थी ? यदि हां, तो तथ्य क्या है ?

श्री गोपी नाथ दीक्षित--

जी नहीं।

शेष का प्रश्न नहीं उठता।

154--श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी--

क्या न्याय मंत्री यह भी बताने की कृपा करेंगे कि लार थाने के थानाध्यक्ष पर न्यायिक अधिकारी, देवरिया द्वारा दिनांक 8 अप्रैल, 1986 को धारा 382, 323, 342, 504, 506 आई0 पी0 सी0 के अन्तर्गत मुकदमा दर्ज कर तफतीश का निर्देश जारी किया गया है ? यदि हां, तो लार थाने में उक्त आदेश के तहत मुकदमा लिखा गया ? यदि नहीं, तो क्यों और यदि हां, तो जांच की प्रगति रिपोर्ट क्या है ?

श्री गोपी नाथ दीक्षित--

जी नहीं।

शेष का प्रश्न नहीं उठता।

श्रीमती मीना देवी (विधवा), निवासिनी ग्राम बहेड़ुआ, तहसील मड़ियाहूं, जनपद जौनपुर की भूमि का फर्जी बैनामा

155--श्री कल्यान सिंह--

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उन्हें श्रीमती मीना देवी विधवा स्व0 सूर्यभान उपाध्याय, ग्राम बहेड़ुआ, तहसील मड़ियाहू, जिला जौनपुर का कोई पत्र दिनांक 19 जनवरी, 1985 जिसमें खेत नं0 355, ग्राम जौतापुर का बैनामा जिल्द नं0 1571/पृ0 नं0 280 पर फर्जी बैनामा कराने बाबत है और जिसके पाने की स्वीकृति आपके कार्यालय के पत्र सं0 एम0-3/20-66 सी0 एस0-2/85, दिनांक 27 अप्रैल, 1985 द्वारा दी गई है, मिला है ? यदि हां, तो शासन द्वारा उस पर क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गोपी नाथ दीक्षित--

जी हां ।

जांच से यह मामला दीवानी न्यायालय में लम्बित होना पाया गया । अतः कोई कार्यवाही नहीं की गयी ।

156--श्री सैय्यद जावेद अली सज्जपोश--

[दिनांक 25 जून, 1987 को अता0 प्र0 सं0 165 द्वारा उत्तरित]

157--श्री विजय सिंह राणा--

[7वें गुरुवार में अता0 प्र0 सं0 88 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

158--श्री दिवाकर विक्रम सिंह--

[दिनांक 29 जुलाई, 1987 को अता0 प्र0 सं0 135 द्वारा उत्तरित]

मुख्य मंत्री के इटावा दौरे हेतु राजकीय इन्टर कालेज, फील्ड, इटावा में निर्मित मंच पर व्यय

159--श्री औसान सिंह--

क्या सामान्य प्रशासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि माननीय मुख्य मंत्री के इटावा दौरे दिनांक 29 अक्तूबर, 1986 को राजकीय इन्टर कालेज फील्ड पर बनाया गया मंच का व्यय किस मद में से किया गया और इसका क्या विवरण है ?

श्री गोपी नाथ दीक्षित--

माननीय मुख्य मंत्री जी के इटावा दौरे दिनांक 29 अक्तूबर, 1986 को राजकीय इन्टर कालेज, फील्ड पर सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा मंच का निर्माण कराया गया था, जिसमें हुये व्यय का भुगतान उक्त विभाग ने सस्पेन्स एकाउण्ट से कर दिया है । अन्ततः इसकी स्वीकृति पुलिस आय-व्ययक से दी जानी है । प्राप्त सूचनानुसार मंच के निर्माण में रु0 17,167.00 व्यय हुये हैं ।

160-161--श्री विष्णु देव--

[सदन की सेवा से निलम्बित होने के कारण हटाये गये]

एन0 आर0 ई0 पी0/आर0 एल0 जी0 ई0 पी0 योजनान्तर्गत केन्द्र से प्राप्त धनराशि का आवंटन

162—श्री माता प्रसाद पाण्डेय—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि केन्द्र सरकार से कुल कितनी धनराशि एन0 आर0 ई0 पी0/आई0 एल0 जी0 ई0 पी0 योजना के अन्तर्गत वर्ष 1986-87 में प्राप्त हुई तथा उसके विभिन्न जिलों के आवंटन का आधार क्या था ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

वर्ष 1986-87 में भारत सरकार ने राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम में 4423.216 लाख रुपये तथा ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारन्टी कार्यक्रम में 8848.87 लाख रुपये दिये थे।

भारत सरकार ने अपनी गाइड लाइन्स में धन आवंटन के लिये निम्न मानदण्ड रखा है :

(क) जिले में ग्रामीण कृषि मजदूरों, सीमान्त मजदूरों और सीमान्त किसानों की संख्या पर बल दिया जायेगा।

(ख) जिले में ग्रामीण गरीबी के प्रभाव पर 50 प्रतिशत बल दिया जायेगा।

(ग) जहां ग्रामीण गरीबी के प्रभाव के बारे में जिलेवार आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं वहां जिलों में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों की संख्या पर 50 प्रतिशत बल दिया जायेगा। (उक्त प्रस्तर-ग) केवल एन0 आर0 ई0 पी0 में ही लागू होगा।

सिंचाई विभाग के अन्तर्गत राम गंगा कमाण्ड एरिया, जलेसर एटा द्वारा किये गये निर्माण कार्य में घटिया सामग्री का प्रयोग

162-अ—श्री प्रेम पाल सिंह—

क्या सिंचाई मंत्री को जानकारी है कि राम गंगा कमाण्ड एरिया जलेसर, जनपद एटा में जो निर्माण कार्य नाली, कच्ची नाली, पक्की चकरोड नाले आदि के हुये हैं, उनमें निम्न स्तर की निर्माण सामग्री प्रयोग की गयी है तथा फर्जी बिल पेमेन्ट हुये हैं और अभी तक सकरोली न्याय पंचायत, देव करनपुर, खेरगढ़ाह, मिर्जापुर आदि में अधूरा कार्य पड़ा हुआ है ? यदि हां, तो क्या इसकी जांच सरकार करायेगी तथा दोषी कर्मचारियों के खिलाफ कार्यवाही करेगी ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

जी नहीं। निम्न स्तर की निर्माण सामग्री प्रयोग करने तथा फर्जी बिल पेमेन्ट होने की कोई विशिष्ट शिकायत नहीं प्राप्त हुई है।

न्याय पंचायत सकरौली, देवकरनपुर, मिर्जापुर आदि में वर्ष 1984-85, 1985-86 व 1986-87 में क्रमशः 9, 9 व 1 कुलाबे कुल मिलाकर 19 कुलाबों पर प्रक्षेत्र विकास कार्य किये गये हैं जो प्रगति के विभिन्न चरणों में हैं। कुलाबों पर विभिन्न कारणों से प्रक्षेत्र विकास कार्य को पूर्ण कराने में काफी समय लग जाता है। प्रश्नगत न्याय पंचायतों में जिन कुलाबों पर प्रक्षेत्र विकास कार्य प्रारम्भ किया गया है उन्हें यथा सम्भव वर्ष 1987-88 में पूर्ण करा दिया जायेगा। कार्यों के पूर्ण न होने में कोई अधिकारी/कर्मचारी दोषी नहीं है। अतः किसी के खिलाफ कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता है।

163—श्री पारस नाथ यादव—

[सदन की सेवा से निलम्बित होने के कारण हटाया गया]

164—श्री औसान सिंह—

[5वें मंगलवार में अता0 प्र0 संख्या 142 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

वाराणसी नगर/देहाती क्षेत्र के दस्यु प्रभावित थानों की संख्या

165—श्री अफजाल अंसारी—

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद वाराणसी के नगर क्षेत्र में कुल कितने थाने हैं और उन थानों पर सरकारी वाहन जीप कितनी-कितनी, किन-किन पर हैं ? क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि वाराणसी जनपद के देहाती क्षेत्र में कुल कितने थाने हैं और इसमें किन-किन थानों पर कितनी-कितनी सरकारी जीपें हैं ? वाराणसी शहर मुख्यालय से पचास किलोमीटर से अधिक दूरी वाले कौन-कौन से थाने हैं और मुख्यालय से कितनी-कितनी दूरी पर हैं ? इन थानों में विशेष रूप से दस्यु प्रभावित कौन-कौन से थाने हैं ?

श्री गोपी नाथ दीक्षित—

जनपद वाराणसी के नगर क्षेत्र में कुल 15 थाने हैं और प्रत्येक थाने पर एक-एक सरकारी जीप है। जनपद वाराणसी के देहाती क्षेत्र में कुल 26 थाने हैं और प्रत्येक थाने पर एक-एक सरकारी जीप हैं। वाराणसी शहर मुख्यालय से 50 किलो मीटर से अधिक दूरी वाले निम्नलिखित थाने हैं और मुख्यालय से उनकी दूरी उनके सामने अंकित है :—

थानों का नाम	मुख्यालय से दूरी कि0 मी0 में
1—नौगढ़	105
2—सुरियावां	65
3—धीना	60
4—गोपीगंज	68
5—ज्ञानपुर	68
6—कोइरौना	78
7—शाहाबगंज	55
8—धानापुर	60
9—बंलुआ	63

उपर्युक्त थानों में से निम्नलिखित थाने विशेषरूप से दस्यु प्रभावित हैं :

1—नौगढ़

2—सुरियावां

3—धीना

4—गोपीगंज

5—कोइरौना

6—शाहाबगंज

महात्मा गांधी इन्टर कालेज, सफीपुर उन्नाव के पूर्व प्रवक्ता श्री गोपाल नारायण मिश्रा की पेंशन ग्रेच्युटी का भुगतान

166—श्री भगवती सिंह विशारद—

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि शिक्षा निदेशक, उ0 प्र0 लखनऊ को श्री गोपाल नारायण मिश्रा सी-7/रीवर बैंक कालोनी, लखनऊ (अवकाश प्राप्त प्रवक्ता महात्मा गांधी इण्टर कालेज, सफीपुर जनपद उन्नाव) का दिनांक 15 फरवरी, 1986 का भेजा हुआ कोई पत्र प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो इस पत्र में प्रेषक की क्या-क्या मांगे थीं और उनमें से कौन-कौन सी मांग पूरी हो गयी है और कौन-कौन शेष है तथा अब उन्हें कब तक पूरा कर दिया जायेगा ?

श्री सिब्ते रजी—

जी हां । श्री गोपाल नारायण मिश्रा का पत्र दिनांक 15 फरवरी, 1986 शिक्षा निदेशालय में प्राप्त हुआ था किन्तु बहुत प्रयास करने पर भी सम्प्रति उपलब्ध नहीं हो रहा है । श्री मिश्रा से सम्पर्क करके उनके पत्र की दूसरी प्रति प्राप्त करने का प्रयास किया जा रहा है ।

वैसे श्री मिश्रा के विवादित मामलों को हल करने के लिए जिला विद्यालय निरीक्षक, उन्नाव के कार्यालय में दिनांक 15 जनवरी, 1986 को एक बैठक हुई थी जिसमें श्री मिश्रा एवं प्रबंधक की ओर से संस्था के प्रधानाचार्य उपस्थित हुए थे । बैठक में श्री मिश्रा के अवशेष वेतन भुगतान, भविष्य निर्वाह निधि के अंतिम भुगतान एवं पेंशन के सम्बन्ध में निर्णय लिए गये थे ।

श्री मिश्रा के अवशेष वेतन एवं भविष्य निर्वाह निधि का अंतिम भुगतान किया जा चुका है ।

श्री मिश्रा द्वारा विद्यालय से संपर्क स्थापित करके पेंशन के कागजात पूरे करा लेने के पश्चात ही अग्रेतर कार्यवाही की जा सकेगी ।

ग्राम राजपुर वृन्दावन जनपद मथुरा के निवासियों द्वारा असामाजिक तत्वों के विरुद्ध जांच से सम्बन्धित पत्र पर कृत कार्यवाही

167—श्री राम नरेश यादव—

क्या गृह मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता द्वारा दिनांक 18 अक्तूबर, 1985 तथा फरवरी, 1986 में ग्राम राजपुर वृन्दावन जिला मथुरा के निवासियों द्वारा हस्ताक्षरित प्रार्थना पत्र कुछ असामाजिक तत्वों के विरुद्ध जांच करके आवश्यक कार्यवाही करने के सम्बन्ध में माननीय मुख्य मंत्री जी को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही हुई ?

श्री गोपी नाथ दीक्षित—

प्रश्न में वर्णित प्रश्नकर्ता का केवल दिनांक 18 अक्तूबर, 1985 का ही प्रार्थना-पत्र शासन को प्राप्त हुआ है । इसकी जांच से पाया गया कि इसमें वर्णित असामाजिक तत्वों के विरुद्ध विभिन्न प्रकार की घटनाओं के कई अभियोग पंजीकृत हुये थे और इनमें से अधिकांश अभियोग विचाराधीन न्यायालय हैं ।

जिला मजिस्ट्रेट मथुरा ने अभियुक्त राजे उर्फ राजकुमार के विरुद्ध दिनांक 16 जुलाई, 1985 को राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत निरोधादेश पारित

किया, किन्तु विधिक पहलुओं पर विचारोपरान्त शासन द्वारा उसका अनुमोदन नहीं किया गया। इस अपराधी पर कठोर निगाह रखने और तथ्यों एवं आवश्यकताओं के अनुसार कठोर कार्यवाही सुनिश्चित करने का निर्देश जिला प्रशासन को दिया गया। उसके उपरान्त स्थानीय पुलिस द्वारा राजे व उसके साथियों पर कड़ी निगाह रखे जाने के फलस्वरूप उनकी कोई अपराधिक गतिविधि प्रकाश में नहीं आई है।

श्री दयाल दास श्रीवास्तव आशुलिपिक जिला विकास अधिकारी, बलिया के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही

168—श्री राम आसरे वर्मा—

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राज्य कर्मचारी का स्थानान्तरण आदेश अनुशासनात्मक कार्यवाही से अलग है और अनुशासनात्मक कार्यवाही आरोप पत्र जारी होने की तिथि से मानी जाती है? यदि हां, तो क्या यह भी सही है कि श्री दयाल दास श्रीवास्तव आशुलिपिक जिला विकास अधिकारी, बलिया के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही दिनांक 3 मई, 1975 से प्रारम्भ हुई थी और मा0 लोक सेवा न्यायाधिकरण ने उन्हें उसी तिथि से बहाल किया है?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

जी हां। राज्य कर्मचारियों का स्थानान्तरण आदेश अनुशासनात्मक कार्यवाही से अलग है। अनुशासनिक कार्यवाही प्रारम्भ होने की तिथि के सम्बन्ध में विधिक स्थिति यह है कि सक्षम प्राधिकारी द्वारा जिस तिथि को औपचारिक विभागीय कार्यवाही प्रारम्भ करने अथवा मामला प्रशासनाधिकरण को सौंपने का निर्णय लिया जाय, उसी तिथि को अनुशासनिक कार्यवाही प्रारम्भ हुई समझी जायगी।

श्री दयाल दास श्रीवास्तव आशुलिपिक, जिला विकास अधिकारी बलिया के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही की तिथि के सम्बन्ध में तथा दिनांक 23 सितम्बर, 1973 से 2 मई, 1975 तक के वेतन के भुगतान के मामले पर आयुक्त ग्राम्य विकास के माध्यम से विस्तृत जांच कराई जा रही है।

169—श्री राम चन्द्र बख्श सिंह—

[सदन की सेवा से निलम्बित होने के कारण हटाया गया]।

जनपद मुरादाबाद के ब्लाक भरतपुर टाण्डा में रिक्त बी0 डी0 ओ0 के पद पर नियुक्ति व विकास कार्यों की समीक्षा

170—श्री मोहम्मद रिजवानुल हक—

क्या यह सत्य है कि जनपद मुरादाबाद के विकास खंड भरतपुर टाण्डा में हर वर्ष हरिजन आवास का पैसा वापस कर दिया जाता है, स्वीकृत कच्चे व पक्के मार्गों का निर्माण नहीं किया गया है, खण्ड विकास अधिकारी की नियुक्ति छः माह से नहीं की गयी है, प्रमुख क्षेत्र समिति द्वारा विकास कार्यों में अनावश्यक बाधा डालने से बार-बार खण्ड विकास अधिकारियों के तबादले किये जाते रहे हैं? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त विकास खंड के विकास की समीक्षा करायेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

जी नहीं, शासन द्वारा चलाई जा रही इन्दिरा आवास योजना के अन्तर्गत हरिजनों के 32 आवासों का निर्माण किया जा चुका है। इसके अतिरिक्त निर्बल

वर्ग आवास योजना के अन्तर्गत भी वर्ष 1679–80 से 1986–87 तक 127 हरिजन आवासों का निर्माण किया गया है ।

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत कच्चे व पक्के मार्गों का निर्माण विकास खंड भगतपुर टांडा में किया गया है ।

श्री एच0 डी0 गंगवार, खंड विकास अधिकारी, भगतपुर टांडा दिनांक 22 सितम्बर, 1986 से अवकाश पर हैं । उनके द्वारा टुकड़ों में अवकाश बढ़ाया जा रहा है और अभी भी अवकाश पर चल रहे हैं । जिसके कारण उनके स्थान पर कोई नियमित नियुक्ति अवकाश काल में नहीं की जा सकी । विकास खंड का कार्य देखने के लिए श्री शान्ति स्वरूप शर्मा, खंड विकास अधिकारी, मुरादाबाद को निर्देशित किया गया तथा वे दिनांक 8 जनवरी, 1987 तक कार्यरत रहे । आई0 ए0 एस0 परीवीक्षा अधीन अधिकारी की ट्रेनिंग से सम्बन्धित शासनादेश के क्रम में जिलाधिकारी के आदेशानुसार श्री अनूप बधावन, आई0 ए0 एस0 प्रोबेशनर की नियुक्ति दिनांक 9 जनवरी, 1987 को खण्ड विकास अधिकारी, भगतपुर टांडा के पद पर की गई तथा वे दिनांक 26 मार्च, 1987 तक कार्यरत रहे । इसके उपरान्त पुनः खण्ड विकास अधिकारी, मुरादाबाद को अपने विकास खण्ड के साथ–साथ विकास खण्ड भगतपुर टांडा के कार्य करने के लिए निर्देशित कर दिया गया ।

प्रमुख क्षेत्र समिति द्वारा विकास कार्यों में अनावश्यक बाधा डालने से बार–बार खण्ड विकास अधिकारी के तबादले नहीं किए गये हैं और न ही किए जा रहे हैं ।

विकास खण्ड में चलाये जा रहे विभिन्न विकास कार्यक्रमों की प्रगति की समीक्षा मण्डल स्तर पर तथा जनपद स्तर के अधिकारियों द्वारा नियमित रूप से की जाती है तथा निर्मित कार्यों का स्थलीय निरीक्षण भी किया जाता है ।

171––कुंवर मानवेन्द्र सिंह––

[5वें मंगलवार में अता0 प्र0 सं0 129 के अन्तर्गत स्थानान्तरित ।]

जनपद गाजीपुर के थाना मुहम्मदाबाद क्षेत्र में बढ़ते अपराधों की रोकथाम

172––श्री अफजाल अंसारी––

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गाजीपुर के मुहम्मदा थाना क्षेत्र में मार्च, 1985 से नवम्बर, 1986 तक हत्या, डकैती, जबरिया लूट, चोरी आदि गम्भीर अपराधों के कुल कितने केस दर्ज किये गये हैं ? इनमें से कितने केसों में पुलिस अभी तक अपराधियों को पकड़ने में असफल रही है ? क्या जिन गम्भीर केसों में पुलिस अपराधियों को पकड़ने में असफल सिद्ध हुई है उन केसों को सी0 बी0 आई0 के सुपुर्द करने की मंत्री महोदय घोषणा करेंगे ? क्या मुहम्मदाबाद में मादक द्रव्यों की तस्करी व कच्ची शराब बनाने के अवैध अड्डों की रोकथाम के लिये मंत्री जी विशेष निर्देश स्थानीय पुलिस को देंगे ?

श्री गोपी नाथ दीक्षित––

प्राप्त सूचनानुसार जनपद गाजीपुर के थाना मुहम्मदाबाद में कथित अवधि में प्रश्न में उल्लिखित श्रेणी के कुल 13 अपराध पंजीकृत किये गये । पंजीकृत अपराधों में से 7 मामलों में अंतिम रिपोर्ट प्रेषित की गई । लूट के दो मामले विवेचना से सही नहीं पाये गये दो मामलों में अभियुक्तों के विरुद्ध आरोप पत्र प्रेषित

किया जा चुका है । हत्या का एक मामला अपराध अनुसंधान विभाग को जांच हेतु संदर्भित किया गया है तथा एक मामला अभी विवेचनाधीन है ।

आवश्यकतानुसार गंभीर मामलों की जांच अपराध अनुसंधान विभाग द्वारा करा ली जाती है ।

मादक द्रव्यों की तस्करी व अवैध रूप से कच्ची शराब बनाने के अड्डों पर नियंत्रण रखने हेतु शासन के अत्यन्त स्पष्ट निर्देश हैं ।

ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग में जूनियर इंजीनियर के पदों हेतु हुए चयन साक्षात्कार में अनु0 जाति/जनजाति का कोटा

173--श्री शेर बहादुर सिंह--

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जून, सन् 1985 ई0 में ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग में जूनियर इंजीनियर के पदों के चयन हेतु कोई साक्षात्कार हुआ था ? यदि हां, तो उसमें कितने लोगों को साक्षात्कार के लिए बुलाया गया था तथा कितनों का चयन किया गया था ? उक्त चयन में कितने अनुसूचित जाति व जनजाति के अभ्यर्थी थे और कितनों को चयनित किया गया ? क्या यह सही है कि वर्ष 1985 के बाद अब तक उक्त विभाग में कुछ जूनियर इंजीनियर, लिपिक तथा अन्य पदों के लिए तदर्थ नियुक्तियां की गई हैं ? यदि हां, तो कब-कब किन-किन पदों पर तथा उनमें कितने अनुसूचित जाति व जनजाति के हैं ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय--

जी हां, वर्ष 1985 में जूनियर इंजीनियर के पद पर साक्षात्कार हेतु 2,197 अभ्यर्थियों को बुलाया गया जिसके विरुद्ध 520 अवर अभियन्ताओं का चयन किया गया । उक्त चयन में 413 अनुसूचित जाति के एवं 5 अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों को साक्षात्कार हेतु बुलाया गया और निर्धारित कोटा पूर्ण करने हेतु 100 अनुसूचित जाति एवं 4 अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों का चयन किया गया । वर्ष 1985 के पश्चात् अवर अभियन्ताओं के पद पर कोई भी तदर्थ नियुक्ति नहीं की गई है । लिपिक तथा अन्य पदों के बारे में प्रखण्डों से सूचना एकत्र की जा रही है ।

खाद्य एवं रसद विभाग के अन्तर्गत फूडसेल के सर्वोच्च अधिकारी द्वारा की गयी अनियमितताएं

174--श्री मैनेजर सिंह--

क्या खाद्य मंत्री कृपया यह बतायेंगे कि क्या यह सत्य है कि उनके विभाग से सम्बन्धित फूडसेल के सर्वोच्च अधिकारी विगत 5-6 वर्षों से सेल में ही पड़े हैं ? क्या उपरोक्त अधिकारी फूडसेल से स्वतः हटना नहीं चाहते या सिविल पुलिस उनके द्वारा की गयी अनियमितताओं तथा भ्रष्टाचार के कारण उन्हें वापस लेने को तैयार नहीं हैं ?

श्री गोपीनाथ दीक्षित--

खाद्य एवं रसद विभाग के अधीन खाद्य कोष्ठक में सम्प्रति आई0 पी0 एस0 के सर्वोच्च अधिकारी, श्री चमन लाल प्रद्योत, अतिरिक्त खाद्य आयुक्त एवं पुलिस उप-महानिरीक्षक के पद पर 29-11-1983 से काम कर रहे हैं । इस पद पर प्रोन्नति के पूर्व वे इसी कोष्ठक में पुलिस अधीक्षक के पद पर 28-2-82 से तैनात थे ।

इस पद पर उनकी नियुक्ति जनहित में की गई थी। किसी पद पर किसी अधिकारी की नियुक्ति उनके चाहने पर निर्भर नहीं होती।

यह सही नहीं है कि सिविल पुलिस उन्हें प्रश्न में उल्लिखित कारणों से वापस लेना नहीं चाहती।

प्रश्नों के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न

श्री उपाध्यक्ष--

अब मैं 301 की सूचनायें ले रहा हूं।

श्री राम नरेश यादव--

मान्यवर, प्रश्नों के सम्बन्ध में मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। बहुत महत्वपूर्ण है।

श्री उपाध्यक्ष--

यह अध्यक्ष जी का निर्णय है कि इसमें व्यवस्था का प्रश्न न उठायें।

(व्यवधान)

प्रश्नों के उत्तर के सम्बन्ध में आप कक्ष में आ जायें वहां बात कर लेंगे। प्रश्नों पर व्यवस्था सदन में उठाने की अनुमति नहीं दी जायेगी।

श्री राम नरेश यादव--

माननीय मंत्री जी सदन को गुमराह कर रहे हैं जो सवाल है उसका जवाब नहीं दे रहे हैं :

श्री उपाध्यक्ष--

आप लिख कर अध्यक्ष जी को भेज दीजिये, उनसे बात कर लेंगे।

श्री राम नरेश यादव--

यह अधिकारियों और कर्मचारियों को बचाना चाहते हैं जिनका यह मामला है वह उन्नाव में 30 साल से प्रैक्टिस कर रहे हैं वह उन्नाव में रहते हैं उनके लड़के को तीन दिन तक बंद कर रखा था। इनसे पूछा कि किससे जांच कराई तो यह सी0 ओ0 से कहते हैं कि जांच कराया, सी0 ओ0 ने कहा कि मैंने प्रयास किया सत्य नारायण एडवोकेट नहीं मिले।

श्री उपाध्यक्ष--

आप कक्ष में बात कर लें।

श्री मनोहर लाल--

मान्यवर, मत्स्य पालन विभाग के बारे में मैंने एक सवाल उठाया था मुझे नोटिस मिली थी कि 13 तारीख को मंत्री जी वक्तव्य देंगे लेकिन कार्यसूची में कहीं उसका जिक्र नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष--

इसको दिखवा लेते हैं।

ग्राम रटौल, मेरठ में लाखों रुपये के मूल्य की प्राचीन मूर्तियों के पाये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

नियम 301 में 18 सूचनायें प्राप्त हुई थीं जिनमें से 7 सूचनायें श्री रिछपाल सिंह बंसल, श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त, श्री हाजी मोहम्मद हयात, डा0 दिनेश जौहरी, श्री मोहम्मद रिजवानुल हक, श्री सत्य प्रकाश 'विकल', श्री रघुवर दयाल वर्मा की स्वीकार की हैं, शेष अस्वीकार हैं । क्या पढ़ा हुआ मान लिया जाय ?

(सदन की सहमति से सभी सूचनायें पढ़ी हुई मानी गयी)

रिछपाल सिंह बंसल—

[मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सदन एवं शासन का ध्यान इस अविलम्बनीय लोक-महत्व के प्रश्न की ओर आकर्षित करना चाहता हूं । मान्यवर, कि जनपद मेरठ के विकास खंड खेकड़ा के ग्राम रटौल में अप्रैल व मई, 1987 को नौ प्राचीन मूर्तियां एक बाल्मीकि के मकान में हैण्ड पम्प लगाने के लिये गड्ढा खोदते समय जमीन से लगभग 10 फुट नीचे प्राप्त हुई हैं समस्त रटौल निवासी व आसपास की जनता ने ग्राम रटौल में ही प्राचीन मूर्ति विष्णु भगवान मन्दिर के नाम से एक मन्दिर की स्थापना कर दी है लोगों का कहना है कि ये मूर्तियां बहुमूल्य हैं मैंने स्वयं माननीय मुख्य मंत्री, श्री वीर बहादुर सिंह को पत्र लिखकर माह मई, 1987 में ही सूचना इसकी दे दी थी । परन्तु अभी तक इस पर कोई कार्यवाही नहीं हुई है जबकि उपरोक्त स्थान पर और भी बहुमूल्य सामान निकलने की आशंका है ।

अतः मैं आपके माध्यम से शासन से मांग करता हूं कि पुरातत्व विभाग से यह जांच कराने का कष्ट करें कि ये मूर्तियां कितनी पुरानी हैं व किन देवी-देवताओं की हैं ।]

विकास खण्ड खैराबाद, सीतापुर के किसानों की भूमि के मुआवजे तथा प्रतिकर के भुगतान के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

[मान्यवर, बिना प्रतिकर दिए किसानों की मूल्यवान कृषि भूमि पर सरकार द्वारा कब्जा करके निर्माण करा दिया जाता है और खाता खारिज न होने के कारण उल्टे लगान भी पड़ा रहता है । मुख्य दोष भूमि अध्यापित कार्यालयों का है । उदाहरण के लिए विकास खण्ड खैराबाद (सीतापुर) ग्राम रहीमाबाद के किसानों की भूमि वर्षों पूर्व सेतु के लिए पहुंच मार्ग बनाने हेतु ली गई परन्तु अभी तक प्रतिकर नहीं मिला । यही दशा इसी विकास खण्ड के भवानीपुरा विरंचा, चिलवारा, दमलिया, सघवापुर, खैरवा-निजामाबाद, उनरिया, पकरिया द्वितीय, गंगापुर, विनौरा, जाजपुर, वरसेहिया, परसेंडी ब्लाक ग्राम पकरिया बापूपुर, एलिया ब्लाक ग्राम अलीपुर अतीरजा की है जहां वर्षों पूर्व राजकीय नलकूप बनाने हेतु भूमि ले ली गई, सिंचाई विभाग ने कुछ जगह का प्रतिकर का रुपया भी भूमि अध्याप्ति विभाग लखीमपुर को दे दिया परन्तु प्रतिकर नहीं मिला । प्रतिकर न मिलने से जोतदार बहुत परेशान हैं । विभाग तथा भूमि अध्याप्ति अधिकारी, लखीमपुर के दरवाजे अनेक बार खटखटाये गये परन्तु परिणाम शून्य ।

नोट :[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

अतएव, लोक महत्व की समस्या शासन के संज्ञान में लाकर मांग करता हूं कि उपरोक्त ग्रामों के जिन किसानों की भूमि ली गई है उन्हें अविलम्ब प्रतिकर दिलाया जाय तथा विलम्ब के लिए दोषी जिम्मेदार अधिकारी दण्डित हों ।]

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, अमरोहा, मुरादाबाद में दवाओं का अभाव तथा कर्मचारियों की निष्क्रियता के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

हाजी मोहम्मद हयात--

[मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सदन और शासन का ध्यान इस अविलम्बनीय महत्व के प्रश्न पर केन्द्रित करना चाहता हूं कि जनपद मुरादाबाद के अमरोहा नगर में अपग्रेड पी0एच0सी0 ग्रेड कार्यरत हैं डाक्टरों तथा अन्य कर्मचारियों की नियुक्तियां भी हो चुकी हैं परन्तु शासन की लापरवाही के कारण अभी तक न तो निर्माण कार्य ही पूरा हुआ है और न उपचार से सम्बन्धित उपकरण व अन्य साज-सामान व दवाओं की उचित व्यवस्था हो सकी है । एक्सरे मशीन का भी कार्य नहीं चल रहा है अमरोहा नगर तथा नगर से सम्बन्धित ग्रामीण अंचलों की आबादी लगभग 5 लाख है । नगर तथा जनता को अपग्रेड पी0 एच0 सी0 से जो सुविधायें सामान्य उपलब्ध होती हैं वह नहीं मिल पा रही हैं जिसके कारण जनता को उपचार हेतु मुरादाबाद या अन्य स्थानों पर अपग्रेड पी0 एच0 सी0 के डाक्टरों द्वारा भेज दिया जाता है सम्पूर्ण अस्पताल में गन्दगी का साम्राज्य है नगर तथा ग्रामीण जनता में उपरोक्त दुर्व्यवस्था के कारण असन्तोष व्याप्त है ।

अतः आपके माध्यम से शासन से मांग करता हूं अस्पताल का अधूरा निर्माण कार्य शीघ्र पूरा कराया जायें, एक्सरे मशीन को चालू करने तथा अन्य उपचार उपकरण आदि दवाओं क व्यवस्था अविलम्ब करा कर जनता की कठिनाइयों को दूर किया जाय जिससे कि जनता को राहत मिल सके ।]

काशीपुर, नैनीताल में पुलिस द्वारा पत्रकारों का उत्पीड़न होने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

डा0 दिनेश जौहरी--

[मान्यवर, आपके माध्यम से सरकार का ध्यान एक अविलम्बनीय लोकमहत्व प्रश्न की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं जनपद नैनीताल के काशीपुर क्षेत्र के दैनिक अमर उजाला के संवाददाता श्री कमल शर्मा, पंजाब केसरी के संवाददाता श्री सुरेन्द्र सूरी को वहां की पुलिस द्वारा क्षेत्र के सांसद के इशारे पर प्रताड़ित किया जा रहा है । दोनों के खिलाफ 3 जुलाई को धारा 504/427/506/332/452/504/323 की झूठी रिपोर्ट दर्ज कराई गई और 4 जुलाई को सुबह दोनों के घरों की कुर्की कर दी गई तथा घर की एक-एक कील तक पुलिस उठाकर ले गई, दोनों के ही पुलिस हाथ धोकर पीछे पड़ी हुई है और वे जान बचा कर इधर-उधर भाग रहे हैं , इनके परिवार भी पुलिस से बहुत ज्यादा आतंकित है व नगर छोड़कर भागे हुये हैं । कुछ परिवारजन अभी भी लापता हैं ।

इस काण्ड से पूरे रुहेलखण्ड एवं कुमाऊं क्षेत्र के पत्रकारों में भारी रोष, आक्रोश व्याप्त हो गया है और वे अपने को भी असुरक्षित महसूस कर रहे हैं ।

नोट :--[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

इस घटना को लेकर काशीपुर की जनता भी क्षुब्ध है और उसमें सरकार के प्रति अविश्वास बढ़ा है ।

अतः आपसे मांग है कि इन निर्दोष पत्रकारों के विरुद्ध पुलिस द्वारा लगाये गये झूठे मुकदमें वापिस कराये व घटना के लिये दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही हेतु सरकार को निर्देशित करें ।]

श्री हरीश चन्द्र राणा, थानाध्यक्ष भोजपुर, मुरादाबाद द्वारा किये गये अत्याचार के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री मोहम्मद रिजवानुल हक--

[महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन एवं शासन का ध्यान अति अविलम्बनीय एवं गम्भीर विषय की ओर आकर्षित करते हुये बताना चाहूंगा कि थाना भोजपुर जनपद मुरादाबाद के थानाध्यक्ष हरीश चन्द्र राणा ने दिनांक 24 जून, 1987 को हरिजन बालमीकियों, बाबू पुत्र प्यारे, छुन्नु पुत्र पूरन-मुन्ने पुत्र सपरी, निवासी गण भोजपुर को इस बेदर्दी व बेरहमी से मारा-पीटा कि वह चलने से भी मजबूर हो गये इन लोगों की खता यह थी कि इन्होंने राणा के खिलाफ दिनांक 30 जून, 1987 को एक दर्खास्त जिलाधिकारी व एस0एस0पी0, मुरादाबाद को दी थी कि एस0ओ0 राणा ने उनकी दिनांक 1 जून, 1987 को छुआछूत की रपट चाय वाला भगवान दास पुत्र राम स्वरूप, निवासी भोजपुर के खिलाफ दर्ज नहीं की । शिकायत हो जाने पर राणा ने बदले की भावना से उक्त हरिजनों को पकड़वा लिया व थाने में लाकर कांस्टेबिल 1553 योगेश कुमार त्यागी से लाठी बरसवाई स्वयं भी मारा तथा धारा 151 में चालान कर दिया एस0एस0पी0 से इन लोगों ने शिकायत की कि सी0ओ0 ठाकुर द्वारा जांच अधिकारी नियुक्त किया गया उसने इनका डाक्टरी मुआयना सरकारी तौर पर कराया, एस0ओ0 राणा ने इसी थाना परिक्षेत्र की गनीमत नगर निवासी विधवा दुलारी जाति भुर्जी के मुंह पर घूसा मार कर दिनांक 28 जून, 1987 को दांत तोड़ दिया उसने अपना डाक्टरी मुआयना करा लिया है । तथा बिना आदेश के उसका पेड़ कटवा दिया ।

अतः मैं उक्त पुलिस कर्मी को निलम्बित कर उनके खिलाफ मुकदमा कायम करने की मांग करता हूं ।]

रामेश्वर फ्लोर मिल, फ्रीगंज रोड, आगरा में भीषण अग्निकाण्ड की घटना के प्रसंग में नगर महापालिका कर्मचारियों की निष्क्रियता के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री सत्य प्रकाश विकल--

[महोदय, दिनांक 28 जून, 1987 को रात्रि 8·30 बजे आगरा के प्रमुख टिम्बर मार्केट फ्रीगंज स्थित रामेश्वर फ्लोर मिल की पांच मंजिला इमारत से मशीन चलाते ही विस्फोट के साथ भीषण अग्नि कांड हो गया । अग्नि कांड इतना भीषण था कि रात्रि 8·30 पर लगी आग प्रातः 5·30 तक बुझाई जा सकी और इस कार्य के लिए आगरा में उपलब्ध फायर बिग्रेड की दमकलों के अलावा अलीगढ़, मथुरा आदि निकटवर्ती जिलों से भी दमकलें बुलाई गई । इस अग्निकांड से फ्लोर मिल व उसमें रखा हजारों मन आटा, सूजी, मैदा आदि पूरी तरह भस्म हो गया । 50 लाख रुपये से भी ज्यादा का नुकसान हुआ ।

नोट--[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

अग्नि कांड का दुखद पहलू यह है कि फायर ब्रिगेड को आग बुझाने के लिये समय पर और पूरी मात्रा में पानी नहीं मिल सका। फ्रीगंज में जो हाईड्रेंट पाइंट था वह बहुत खोज-बीन के बाद भी टूटी-फूटी हालत में मिला यह पहला मौका नहीं है जब आगरा में ऐसा हुआ है। इससे पहले सन् 1985 व 1986 में अस्पताल रोड व अन्य स्थानों पर जो भीषण अग्निकांड हुए वहां भी हाईड्रेन्ट पाइंट ढूंढे से भी नहीं मिला और मिले भी तो कार्य करने की स्थिति में नहीं थे। परन्तु नगर महापालिका या स्थानीय प्रशासन ने इस ओर कभी ध्यान नहीं दिया।

अतएव अविलम्बनीय लोक महत्व के इस विषय को माननीय सदन के संज्ञान में लाते हुए मैं शासन से मांग करता हूं कि वह इस अग्निकांड के कारणों की जांच कराएं तथा अग्निकांडों पर तुरन्त काबू पाने की दृष्टि से हाईड्रेन्ट पाइंट सहित अग्निशमन की सभी व्यवस्थाओं को चुस्त बनाने के लिए आवश्यक कार्यवाही करें।]

फिरोजाबाद, आगरा में विद्युत् आपूर्ति की अव्यवस्था के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री रघुवर दयाल वर्मा--

[मान्यवर, आपके माध्यम से माननीय सदन को अविलम्बनीय सूचना देते हुए निवेदन करता हूं कि गत दो सप्ताह से फिरोजाबाद की विद्युत् आपूर्ति में ग्रामीण फीडर से विद्युत् आपूर्ति करने पर विद्युत् आपूर्ति न होने से पेयजल का घोर संकट एवं चूड़ी व कांच के प्रतिष्ठानों में बिजली के अभाव में काम बन्द होने से लाखों मजदूर अपने-अपने काम से बाहर खड़े बिजली की चमक के लिए परेशान खड़े हैं और बेरोजगारी का शिकार बन गए हैं। नगर को पेयजल आपूर्ति को बने नलकूप बिजली के लो वोल्टेज के कारण बन्द पड़े हैं और फिरोजाबाद में पानी के लिए हा-हा कार मचा हुआ है इतना ही नहीं देहाती क्षेत्र में बिजली के अभाव के कारण निजी नलकूप व सरकारी नलकूप बन्द पड़े हैं जिससे वहां पशुओं के पानी और खेती को हरा-भरा करने के लिए घोर संकट पैदा हो गया है।

अस्तु आप अवगत हैं कि पुरानी बिजली के तार और खम्भों पर चिड़िया आदि पुरानी होने के कारण आये दिन बिजली के स्पार्किंग से तार टूटने की घटनायें होती हैं जिससे दुर्घटनायें होती हैं और बिजली आपूर्ति भी ठप हो जाती है।

अतः लोक महत्व के इस अविलम्बनीय प्रश्न को सदन के संज्ञान में लाकर सरकार से इस बारे में अविलम्ब आवश्यक कार्यवाही की मांग करता हूं।]

औचित्य के प्रश्नों की सूचनायें

श्री उपाध्यक्ष--

नियम 300 के अन्तर्गत माननीय राजेन्द्र कुमार गुप्त, श्री कुंवर मानवेन्द्र सिंह, डा0 दिनेश जौहरी और श्री सत्य प्रकाश विकल जी का भी उसमें नाम है। इसमें आपने जो कहा है....

(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मैं बहुत संक्षेप में कहूंगा।

नोट--[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

श्री उपाध्यक्ष--

मेरा निवेदन सुन लीजिये । आपने कहा कि सदन में उन्होंने घोषणा की

(व्यवधान)

इससे अवमानना हुई तो यह नियम 300 के अन्तर्गत नहीं आता है उसमें जो तथ्य दिये हैं उनमें साफ लिखा हुआ है अवमानना का कोई प्रश्न नियम 300 के अन्तर्गत नहीं उठाया जा सकता है ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मैंने अवमानना नहीं कहा है वह भी समझा जा सकता है ।

श्री उपाध्यक्ष--

नियम 300 के अन्तर्गत नहीं आता है इसलिए मैं नहीं सुन रहा हूं और इसे अस्वीकार करता हूं ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

जब पत्रकारों का उत्पीड़न हो रहा है उसकी चर्चा में शासन की तरफ से उत्तर दिया गया कि एस0पी0 जालौन का ट्रांसफर कर दिया गया है और कर भी दिया गया लेकिन मुझे जानकारी मिली है एवं टेलेक्स भेज कर उसे रोक दिया गया है ।

श्री उपाध्यक्ष--

इसके लिए दूसरे नियम हैं 300 नहीं ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

यह एक महत्वपूर्ण विषय है, एस0पी0 का ट्रांसफर रोक दिया गया । यह पत्रकारों से सम्बन्धित मामला है ?

श्री उपाध्यक्ष--

पत्रकारों का मामला आ रहा है ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, उसकी कुर्की कर दी गई ?

श्री उपाध्यक्ष--

पत्रकारों का मामला अलग से आयेगा । आप बैठें ।

श्री शफीकुर्रहमान बर्क--

मान्यवर, मैं नियम 301 में बराबर 18 तारीख से एक मामला दे रहा हूं वह नहीं आ रहा है क्या क्राइटीरिया है ? महत्वपूर्ण सूचना है, नगरपालिका संभल के अन्दर नालियों में कीड़े भर रहे हैं....। लोग बीमार पड़ रहे हैं ।

श्री उपाध्यक्ष--

शलाका से इसमें निर्णय हुआ है, इसलिए आप कक्ष में आकर बात करें, यहां इसको न उठायें ।

(व्यवधान)

संसदीय कार्य मन्त्री (श्री अम्मार रिजवी)--

मान्यवर, एस0पी0 जालौन के बारे में माननीय श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त जी ने कहा कि इसमें गृह मन्त्री ने घोषणा किया था कि उनका स्थानान्तरण हो गया है और अभी तक एस0पी0 वहां नहीं गये हैं । मान्यवर, गृहमन्त्री ने घोषणा की थी कि स्थानान्तरण हो गया है और श्री गुप्त जी जानते हैं कि उन्हीं के जिले सीतापुर में हुआ है, ज्वाइन करने में थोड़ा विलम्ब हुआ है, तो इसमें कोई किसी प्रकार की सदन की अवमानना नहीं है या घोषणा किया था तो उसके विपरीत कोई बात नहीं है ।

द्वितीय सत्र 1985 के पहले मंगलवार हेतु निर्धारित श्री सुखपाल पाण्डेय तथा श्री प्रमोद तिवारी के अतारांकित प्रश्न संख्या 37 के गलत उत्तर दिये जाने के सम्बन्ध में दोषी पाये गये कर्मचारियों के विरुद्ध की गई कार्यवाही की सूचना

गृह राज्य मन्त्री (श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान)--

मान्यवर, विधान सभा के द्वितीय सत्र 1985 के पहले मंगलवार के लिए निर्धारित श्री सुखपाल पांडे तथा श्री प्रमोद तिवारी के अतारांकित प्रश्न संख्या 37 में पूछा गया था कि क्या "गृह मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि 9 दिसम्बर, 1975 ग्राम हरपुर कांडहा, थाना बेवाना, तहसील अकबरपुर, जिला फैजाबाद में असलम अब्बास पुत्र नान्हू के आकस्मिक निधन पर क्या कोई पंचनामा पुलिस द्वारा किया गया था । यदि हां, तो उक्त पंचनामा क्या है ? क्या उस पंचनामे पर श्री असलम अब्बास के पिता का नाम व जाति लिखी गई है तथा उस पंचनामे पर किन-किन लोगों के पंच व साक्ष्य के रूप में हस्ताक्षर हैं ।"

इस प्रश्न का निम्नांकित उत्तर दिया गया था :--

प्रश्नगत पंचायतनामा की पुष्टि नहीं की जा सकती, क्योंकि जिला पंचायत-नामा वर्ष 1975 का दिनांक 10 जुलाई, 1978 को अभिलेखागार से नष्ट किया जा चुका है । इसके रखने की मियाद एक वर्ष की ही होती है । शेष का प्रश्न ही नहीं उठता ।

2--उक्त उत्तर में पंचायतनामा के नष्ट किये जाने की तिथि त्रुटिवश 10 जुलाई, 1978 बतायी गयी थी जबकि वास्तविक तिथि 22 मई, 1979 होनी चाहिए थी । इस त्रुटि के लिए उत्तरदायी कर्मचारी के विरुद्ध पुलिस रेगुलेशन की धारा 478-ए के अन्तर्गत कार्यवाही की जा रही है ।

कार्य-स्थगन प्रस्तावों की सूचनाएं

श्री उपाध्यक्ष--

कार्य-स्थगन प्रस्ताव जो पिछले दिन आये थे वह, जिनके नाम उसी दिन पढ़ दिये गये थे, और आज के, दोनों ह । आज की सूचना के नाम और मैं पढ़े देता हूं...।

(1) श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त (10 जुलाई, 1987) की पांच लाख राजकीय कर्मचारियों को जून, 1987 का वेतन न मिलना ।

(2) हाजी मोहम्मद हयात (13 जुलाई, 1987) की उत्तर प्रदेश शासन द्वारा बीड़ी मजदूरों की मजदूरी बढ़ाने के बाद भी मजदूरों की मजदूरी न मिलना ।

(3) श्री सूर्य प्रताप शाही को 13 जुलाई, 1987 की सूचना अमेठी सुल्तानपुर में चेचक का प्रकोप ।

(4) डा0 दिनेश जौहरी की सूचना है पीलीभीत में पुलिस द्वारा भारतीय जनता पार्टी के जुलूस पर लाठी चार्ज । श्री किशन लाल व श्री श्याम बिहारी सिंह की 10 जुलाई, 1987 की यही सूचना थी ।

(5) श्री शारदा प्रताप की सूचना आगरा दस्यु प्रभावित क्षेत्र की चम्बल डाल योजना, श्री विजय सिंह राणा, श्री कनक सिंह व डा0 बंगाली सिंह की भी यही सूचना है ।

(6) श्री मोहम्मद रिज़वानुल हक की सूचना जनपद मुरादाबाद, थाना भोजपुर की पुलिस द्वारा हरिजन उत्पीड़न ।

(7) श्री किशनलाल, लूट के मुल्जिमों की पुलिस द्वारा न पकड़ने पर वकीलों की हड़ताल ।

(8) श्री ब्रह्म दत्त द्विवेदी की सूचना, प्रदेश में दालों एवं अन्य खाद्य पदार्थों की कीमतों में बेतहाशा वृद्धि ।

(9) श्री बदन सिंह, आगरा के सदर क्षेत्र के अन्तर्गत सेना के प्रशिक्षण केन्द्र की चांदमारी । श्री सखावत हुसैन, श्री अब्दुल वहीद कुरैशी व सुन्दर लाल की भी यही सूचना है ।

(10) श्री औसान सिंह, इटवा जनपद में असामाजिक तत्वों का जोर ।

(11) प्रधान प्रभुदयाल की सूचना जनपद गाजियाबाद, विकास खण्ड लोनी में अधिकारियों द्वारा करोड़ों रुपये की शहरी व ग्राम सभा की जमीनों पर अनधिकृत कब्जा कराया जाना ।

(12) सर्वश्री सरदार सिंह, मोहम्मद मसूद खां व शफीकुर्रहमान बर्क की लखनऊ में साम्प्रदायिक तनाव ।

(13) रवीन्द्र नाथ तिवारी की सूचना फैजाबाद की अकबरपुर तहसील में फर्जी बैनामें ।

(14) श्री अनुग्रह नारायण सिंह व गोपाल दास यादव जी की शहरों में सीलिंग से बची भूमि पर वरिष्ठ अधिकारियों एवं सरकश लोगों द्वारा नाजायज कब्जा ।

(15) श्री हरिश्चन्द्र 'हरीश जी' व श्री कुंवर मानवेन्द्र सिंह कृषि विभाग में स्थानान्तरणों में अनियमितता एवं धांधली ।

(16) श्री यदुनाथ सिंह द्वारा मिर्जापुर की सीमेंट फैक्टरियों द्वारा प्रदूषण ।

(17) डा0 दिनेश जौहरी, श्री किशन लाल व श्री श्याम बिहारी की सूचना, पीलीभीत में पुलिस द्वारा भारतीय जनता पार्टी के जुलूस पर लाठी चार्ज ।

(18) श्री मयंकर सिंह जी की प्रदेश के कर्मचारियों के तबादलों में भारी धांधली ।

(19) श्री रघुवर दयाल वर्मा जी की सूचना कांच एवं चूड़ी उद्योग में बाल श्रमिकों का शोषण ।

(20) श्री सूर्य प्रताप शाही, पैराफीन वैक्स बनाने वाली इकाइयों के बन्द होने से हजारों मजदूर बेकार ।

(21) श्री मनोहर लाल की सूचना आतंकवादी संगठन खालिस्तान कमान्डो फोर्स द्वारा पंजाब नेशनल बैंक को उड़ाने की धमकी ।

(22) श्री किरनपाल सिंह, श्री शतरुद्र प्रकाश व माता प्रसाद पाण्डेय, तथा

(23) श्री राम नरेश यादव की भी यही सूचना है ।

अब गुप्ता जी थोड़े समय में ग्राह्यता पर बोल लें ।

*श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

पिछले कई वर्षों से राज्य सरकार के कार्यालयों में अस्थायी रूप से और तदर्थ रूप से कार्य करने वाले कर्मचारियों को पिछले जून माह का वेतन नहीं मिला है । इसमें 40 हजार कर्मचारी तो चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के और करीब 80 हजार कर्मचारी सिंचाई विभाग के हैं । इसी तरह और विभागों की सूची है, तो इन कर्मचारियों के वेतन न मिलने के क्या कारण हैं ? जो अस्थायी कर्मचारी हैं इन लोगों के लिए सरकार की कोई स्पष्ट नीति नहीं है हर वर्ष एक साल की अनुमति दे दी जाती है लेकिन इसमें शासन अनिश्चय की स्थिति में है जिसकी वजह से पांच लाख लोगों का वेतन नहीं मिल पा रहा है इसमें वह कर्मचारी भी हैं जो डेलीवेजेज पर कार्य करते हैं, अगर डेलीवेजेज के कर्मचारी का मान्यवर, एक दिन का भी वेतन पिछड़ जाता है तो उसके घर में भुखमरी पैदा हो जाती है, तो मान्यवर, मैं चाहूंगा कि इस अविलम्बनीय लोकमहत्व के प्रश्न पर सदन की शेष कार्यवाही रोककर चर्चा कराने की कृपा करायें ।

श्री सत्य प्रकाश विकल—

मान्यवर, श्री राजेन्द्र कुमार गुप्ता जी ने जो बातें कही उससे मैं अपने को सम्बद्ध करता हूं ।

*संसदीय कार्य मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)—

मान्यवर, पांच लाख सरकारी कर्मचारियों के बारे में बात कही गई जैसा कि इन्होंने स्वयं कहा कि इसमें डेलीवेजेज के कर्मचारी भी हैं और वह लोग भी हैं जिनको थोड़े दिनों के लिए रख लिया जाता है प्रक्रिया इसमें यह है कि अगर और जरूरत होती है तो सरकार के पास सैंक्शन होने के लिए जाता है सरकार को आदेश जारी करने में कभी-कभी किसी कारणवश देर भी हो जाती है । मान्यवर, गुप्ता जी का प्रश्न देखें तो काफी विस्तृत प्रश्न हैं हर विभाग से सम्बन्धित यह है, तो मान्यवर हमने हर विभाग से सूचना मंगाई है । सिंचाई विभाग से जो सूचना मिली है उसके अनुसार 28 हजार 543 अस्थायी पद को कन्टीन्यूटी एप्रूवल के लिए आई थी जिसमें 26 हजार के आदेश जारी कर दिये गये हैं इसमें 2 हजार 543 शेष बचते हैं बाकी विभागों से पूछा गया है । मान्यवर, अगर दस दिन के लिए कर्मचारी की जरूरत होती है तो उसे 20 दिन नहीं रखा जा सकता है क्योंकि फिर जनता पर भार बढ़ेगा । कहीं-कहीं मान्यवर स्वीकृति पत्र जारी नहीं हुए हैं उसको देखा जा रहा है ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

हाजी मोहम्मद हयात--

मान्यवर, उत्तर प्रदेश में पांच लाख बीड़ी मजदूर काम करते हैं। मान्यवर, शासन की तरफ से त्रिपक्षीय वार्ता में बीड़ी मजदूरी बढ़ाने की बात कही गई उसके बाद भी बढ़ी हुई मजदूरी बीड़ी मजदूर को नहीं मिल पाती है जिसकी वजह से बीड़ी मजदूर भुखमरी के कगार पर पहुंच गया। मान्यवर, अविलम्बनीय महत्व के प्रश्न पर मैं मांग करता हूं कि सदन की कार्यवाही रोककर चर्चा कराई जाए।

श्री अम्मार रिजवी--

कोई भी श्रमिक हो चाहे वह बीड़ी मजदूर हो चाहे कोई और हो, उसका हमेशा ध्यान रखा जाता है। मान्यवर, दिनांक 22 जून को त्रिदलीय सम्मेलन हुआ था उसमें बीड़ी मजदूरी को नौ हजार रुपये से बढ़ाकर साढ़े ग्यारह हजार रुपये करने के आदेश दिये गये थे उसमें अभी आदेश जारी नहीं हुए हैं जब यह आदेश जारी हो जायेंगे तो हयात जी भी संतुष्ट हो जायेंगे।

श्री सूर्य प्रताप शाही--

मान्यवर, मैंने जो कार्य-स्थगन प्रस्ताव दिया है वह सुल्तानपुर (अमेठी) के आलमपुर, हेड़ा में 12 व्यक्तियों की मृत्यु चेचक से और 4 व्यक्तियों की मृत्यु हैजे से होने के संबंध में है। इन गांवों में भयंकर रूप से महामारी (चेचक) का प्रकोप फैला हुआ है। प्रधान मंत्री का निर्वाचन क्षेत्र होने के बावजूद भी एक सप्ताह हो गया है लोगों की मृत्यु हुये लेकिन अभी तक चिकित्सा विभाग का कोई कर्मचारी आलमपुर और हेड़ा नहीं गया है। वहां पर न तो टीके लगे हैं और न दवा का छिड़काव हुआ है। यही नहीं राजस्व विभाग का भी कोई कर्मचारी नहीं गया है और इस महामारी से बचाने के लिये कोई सहायता प्रदान नहीं की गयी है। मान्यवर, अगर प्रधान मंत्री के निर्वाचन क्षेत्र की यह हालत है तो आप पूरे प्रदेश का अंदाजा लगा लें कि क्या हालत होगी? इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं कि इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न पर सदन की कार्यवाही रोककर चर्चा करायें।

श्री अम्मार रिजवी--

मान्यवर, इसकी सूचना मंगायी गयी है लेकिन अभी सूचना आयी नहीं है। अगर वहां इस प्रकार की बीमारी फैली है चेचक वगैरह की तो जो भी उपचार की कार्यवाही हो सकेगी वह की जायेगी। जब सूचना आ जायेगी तो कल मैं बता दूंगा।

श्री सूर्य प्रताप शाही--

मान्यवर, इस पर वक्तव्य होना चाहिये।

श्री अम्मार रिजवी--

मान्यवर, प्राइमाफेसी में पता चल जाय कि ऐसा कुछ हुआ है या नहीं? सूचना मंगायी गई है।

*डा0 दिनेश जौहरी--

मान्यवर, प्रजातंत्र में लोगों को और राजनैतिक दलों को अपनी बात कहने का अधिकार है और अगर उनकी बात नहीं सुनी जाती है तो धरना देने और प्रदर्शन करने का भी अधिकार है। मान्यवर, बीसलपुर पीलीभीत में वहां पर भारतीय जनता पार्टी के 300 कार्यकर्ताओं जिनमें वहां के मंत्री श्री राम सरन वर्मा कोतवाली जा रहे थे तो पुलिस ने लाठी चार्ज किया जिससे अनेक कार्यकर्ता घायल हो गये और उन लोगों को

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

हवालात में बंद कर दिया गया और रात को सी० ओ०, एस० पी० और क्षेत्राधिकारी ने जूतों, लाठी डंडों से उनको पिटाया को। उन लोगों को रात को हवालात से निकाल कर पीटा गया और उनसे कहा गया कि पार्टी छोड़ दो वरना तुम्हें गंभीर मुकदमों में बंद कर दिया जायेगा। जब उन लोगों ने इससे मना किया तो उनको पिटाई की गयी और उन लोगों को हथकड़ी लगाकर जुलूस-स्थल से ले जाया गया। श्री राम सरन वर्मा एडवोकेट हैं। उनको आम अपराधियों की तरह हथकड़ी लगाकर हवालात ले जाया गया और उनका दफा 147, 149, 53-ए, 332, 353, 504, 506, 7 क्रिमिनल अमेंडमेंट ऐक्ट में बंद कर दिया गया और आज भी जमानत नहीं हुयी है। इस घटना के संबंध में बीसलपुर बंद रहा पीलीभीत भी बन्द रहा और एक दिन बार का बहिष्कार किया गया। यह महत्वपूर्ण घटना है। अगर राजनैतिक दल के नेताओं के साथ ऐसा व्यवहार होगा तो राजनीति में आना मुश्किल हो जायगा। यह अविलम्बनीय लोक महत्व की घटना है इस पर सदन की कार्यवाही को रोक कर चर्चा करायें।

श्री किशन लाल--

मान्यवर, हम लोगों का रिकार्ड देख लें, हमारी पार्टी ने पीलीभीत में कभी भी पुलिस पर पथराव नहीं किया है। वहां पर राजनीतिक कार्यकर्ताओं के ऊपर दमन चक्र चलाया जा रहा है और जानबूझकर उनको बंद किया जा रहा है। थाने में रात को लाकअप से निकाल कर बुरी तरह से पिटाई की गई है। ऐसी पिटाई किसी मुलजिम की भी नहीं की जाती है। मैं मांग करता हूं कि आप सदन की कार्यवाही रोक कर इस पर चर्चा करवायें और इसकी जांच करवायें। पीलीभीत में जो दमन चक्र चलाया गया है इसकी जांच करवायें। मेरा आपसे यह भी अनुरोध है कि जिन लोगों के खिलाफ फर्जी मुकदमें हैं उनको वापस कराने का कष्ट करें लोग आज तक जेल में बंद हैं।

श्री कल्याण सिंह--

मान्यवर, यह मामला अकेले पीलीभीत का नहीं है। मेरा सरकार पर आरोप है कि वह लाठी गोली के सहारे से विरोध पक्ष के लोगों की आवाज को दबाना चाहती है और पत्रकारों की आवाज को दबाना चाहती है। जो घटना बीसलपुर, जिला पीलीभीत में हुई है उससे सरकार का सिर शर्म से झुक जाना चाहिये। 17-20 मई को वहां के एस० डी० एम० को ज्ञापन दिया गया पुलिस के भ्रष्टाचार के खिलाफ कि हम आपसे मिलना चाहते हैं। उसके पश्चात् 8 जुलाई को शान्तिपूर्ण ढंग से 300 लोग अपना प्रदर्शन करने जा रहे थे कि अचानक उनके ऊपर बिना किसी कारण लाठी चार्ज कर दिया गया जिससे अनेक लोगों को गंभीर चोटें आयीं। भारतीय जनता पार्टी के राम सरन वर्मा जो जिला मंत्री हैं और नानक चंद्र जो मंडल अध्यक्ष हैं उनको काफी चोटें आयी हैं। उनको हवालात में बंद किया गया वहां पर सी० ओ० बाजपेयी ने मारा ए० एस० पी० सक्सेना ने मारा और एस० डी० मिश्रा ने रात को हवालात से निकाल कर मारा और जेल भेज दिया।

राम सरन वर्मा एडवोकेट को हथकड़ियां लगायी गयीं और जेल भेजा गया। वहां पर अदालतों का बहिष्कार किया गया, बीसलपुर बंद रहा, पीलीभीत बंद रहा। यह मसला अकेले पीलीभीत का नहीं है। मुरादाबाद में घटना हो गयी है। वहां के जो एस० पी० सिटी हैं कश्मीरा सिंह, जो बरेली से गये हैं, बरेली में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ उन्होंने दुर्व्यहार किया जिसकी शिकायत हुई थी और उनको बदल दिया गया, इसलिये मुरादाबाद में बदले की भावना से हमारे कार्यकर्ता जिला महामंत्री प्रेमशंकर को उन्होंने मारा-पीटा और जेल भेज दिया। तो यह मसला किसी एक जिले का नहीं है। आज लोकतंत्र की हत्या हो रही है। हमारी आवाज दबायी जा रही है विपक्ष को

दबाया जा रहा है । यह काफी गंभीर मसला है । इस पर सदन की कार्यवाही को रोक कर चर्चा करायें इससे गंभीर मसला कोई और नहीं होगा । क्योंकि यह मुख्य मुद्दा बन गया है कि आखिर प्रदेश में लोकतंत्र जिन्दा रहेगा या नहीं, लोग शान्तिपूर्ण प्रदर्शन कर सकेंगे या नहीं, लोग अपनी बात कह सकेंगे या नहीं या उनकी आवाज को इसी प्रकार से लाठी और गोली से दबा दिया जायेगा । यह लोकतंत्र से संबंधित मुद्दा है इस पर सदन की कार्यवाही रोक कर चर्चा करायें ।

श्री उपाध्यक्ष--

डाक्टर दिनेश जौहरी, श्री किशन लाल और श्री श्याम बिहारी सिंह की जो सूचना है उसको मैं वक्तव्य के लिये स्वीकार करता हूं । बाकी सूचनाओं को अस्वीकार करता हूं ।

(शोर)

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, बहुत महत्वपूर्ण मामला है ।

(व्यवधान के मध्य)

श्री रिछपाल सिंह बंसल--

मान्यवर, मैं आपका ध्यान अति गम्भीर घटना की तरफ दिलाना चाहता हूं । जनपद गाजियाबाद के परगनाधिकारी बी० पी० नीलरतन व तहसीलदार मिदाजुल मलिक तथा उनके अधीनस्थ कर्मचारियों ने गरीब लोगों को पट्टे का लालच देकर स्थानीय एवं बाहर के बेसहारा लोगों की नसबन्दियां कराकर गांव को करोड़ों रुपयों की जमीनों पर मुख्यतया लोनी कस्बा व फलांग, चोपटा बहर घनौरी खुर्द नाकला आदि पर अनधिकृत कब्जा करा दिया है ।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष--

आप आसन ग्रहण करें ।

डाक्टर दिनेश जौहरी--

मान्यवर, इस पर चर्चा होनी चाहिए इस पर वक्तव्य से काम नहीं चलेगा ।

(व्यवधान)

श्री रिछपाल सिंह बंसल--

मान्यवर, मैं परिवार कल्याण के विरोध में नहीं हूं, मैं आपके माध्यम से मांग करता हूं कि ग्रामों के प्रधानों से प्रस्ताव कराकर तथा कस्बा लोनी के प्रशासक से प्रस्ताव करा कर उपरोक्त गरीबों को नियमित पट्टे देने की कृपा करें और दोषी अधिकारियों को दण्डित करें तथा इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न पर चर्चा करायी जाय ।

(व्यवधान)

श्री कल्यान सिंह--

मान्यवर, मेरा आपसे अनुरोध है बड़े विनम्र शब्दों में मैंने जैसा निवेदन किया इसे केवल एक "आइसोलेटेड इवजाम्पिल" बीसलपुर का न माना जाय । यह तो पूरे प्रदेश के

अन्दर विपक्ष की आवाज को दबाने के लिये यह सरकार लाठी-गोली का सहारा ले रही है । हम भ्रष्टाचार के खिलाफ अपनी आवाज नहीं उठा सकते । भ्रष्टाचार के खिलाफ कोई पत्रकार अपने समाचार पत्र में नहीं लिख सकता, समाचार-पत्र में लिखेगा तो जेल भेज दिया जायेगा और रासुका लगा दिया जायेगा ।

(किसी माननीय सदस्य द्वारा टोकने पर)

श्री कल्यान सिंह--

मित्र अगर कुछ कहने की हिम्मत हो तो कुर्सी पर बैठकर कहना ठीक नहीं है, अगर साहस हो तो खड़े होकर बोलें, मैं जवाब दूंगा ।

(घोर व्यवधान)

यह ढोल सदन में नहीं बजना चाहिए, ढोल-मंजीरा सड़क पर बजायें, यह सदन का काम नहीं है ।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष--

मैंने उस पर वक्तव्य स्वीकार कर लिया है ।

श्री कल्यान सिंह--

मान्यवर, हमारी स्वतंत्रता के साथ, हमारे मौलिक अधिकारों के साथ खिलवाड़ हो रहा है । प्रदर्शन करने का हमारा मौलिक अधिकार है, शांतिपूर्ण तरीके से हम अपनी बात कह सकते हैं ।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष--

मैंने वक्तव्य स्वीकार कर लिया है ।

(घोर व्यवधान)

*नेता विरोधी दल (श्री सत्य पाल सिंह)--

मान्यवर, जो डाक्टर जौहरी ने बीसलपुर की घटना के विषय में बताया है और अभी हमारे सत्ता पक्ष के लोग इस पर बहुत जोर फुदक रहे थे और ऐसा व्यवहार कर रहे थे जैसे यह सारी बातें गलत बतायी गयी हों अभी जब इधर से कल्यान सिंह जी बोल रहे थे ।

(व्यवधान)

मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि सत्तापक्ष के डाक्टर विनोद तिवारी, जो पूरनपुर पीलीभीत के एम0 एल0 ए0 हैं, आप उनसे जानकारी अगर हो सके तो कर लें । पीलीभीत के अन्दर इतना बड़ा पुलिस आतंक व्याप्त है, एक नहीं दर्जनों घटनाएं हैं, वहां का जो एस0 पी0 है जो लखनऊ से गया है वह अपनी ईमानदारी के तुफैल में जनता के साथ क्रूरता का व्यवहार कर रहा है, बेइज्जत कर रहा है और खासकर विरोधियों को कुचल रहा है । इसमें अगर आप वक्तव्य दिलवायेंगे तो अंजाम उसका होगा कि एक

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

घटना के विषय में आ जायेगा। मैं चाहूंगा कि इसमें आप चर्चा करायें ताकि केवल यही घटना नहीं वहां पर जो सभी माननीय विपक्ष के नेताओं, कार्यकर्ताओं को प्रताड़ित किया जा रहा है, बेइज्जत किया जा रहा है, मैं चाहूंगा कि वह सारी घटनायें सदन में आयें ताकि इनके कान खुलें कि इनकी पुलिस कितनी सख्त व्यवहार कर रही है। इसलिए मैं विनम्रतापूर्वक अनुरोध करता हूं कि इसमें एक घंटे की चर्चा अवश्य करायें।

(व्यवधान के मध्य)

श्री अनुग्रह नारायण सिंह—

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है। मान्यवर, परसों सदन उठने के पहले हम लोगों का कार्यस्थगन प्रस्ताव था, अध्यक्ष पीठ पर बैठे माननीय जाहिदी साहब ने यह निर्णय दिया था कि आज सोमवार को कार्य-स्थगन प्रस्ताव को पहले लिया जायेगा। आज हम लोगों का प्रस्ताव है उसको आपने अस्वीकार कर दिया मैं चाहूंगा कि....

(कई माननीय सदस्यों द्वारा बोलने का प्रयास करते रहने पर घोर व्यवधान बना रहा)

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री उपाध्यक्ष—

उन्होंने पढ़ दिया था पहले लिया जायेगा या बाद में लिया जायेगा यह कोई बात नहीं है। उस दिन था कि अब सूचना की आवश्यकता नहीं है वही सूचना मान ली जायेगी। (व्यवधान)

श्री अनुग्रह नारायण सिंह—

मान्यवर, आप कार्यवाही पढ़े।

श्री उपाध्यक्ष—

मैंने कार्यवाही पढ़ ली है।

श्री अनुग्रह जी, आप बैठें, गोपाल दास जी, आप बैठें, मैंने रघुवर दयाल वर्मा जी को बुलाया है।

*श्री रघुवर दयाल वर्मा—

मान्यवर, डाक्टर दिनेश जोहरी, माननीय कल्याण सिंह जी और माननीय नेता विरोधी दल ने जिस गम्भीर घटना की तरफ आपका ध्यान आकर्षित किया है यह बहुत ही गम्भीर घटना है। मान्यवर, एक निवेदन करना चाहता हूं कि बाहर हमारे कार्यकर्ता, विपक्षी राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता आज के माहौल में अपने राजनीतिक गतिविधियों को तेज नहीं कर सकते। इसलिए श्रीमन मैं कहना चाहता हूं कि शासन हर मुद्दे पर विफल है और अपने विफलता को छिपाने के लिए, जन-आकांक्षाओं, जन-भावनाओं को रखने का जो हम काम करते हैं उसको प्रतिबंधित करना चाहता है। इसके लिये पुलिस का सहारा लेकर जिस नृशंस तरीके से विभिन्न कार्यकर्ताओं के साथ उत्पीड़न का काम हो रहा है वह निश्चय ही लज्जाजनक है। इस पर चर्चा होनी चाहिए, वक्तव्य से काम नहीं चलेगा। ऐसे गम्भीर मसले पर आपको सदन में चर्चा का अवसर देना चाहिए।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्लिखण नहीं किया।

गृह राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान)--

मान्यवर, यह सत्य से परे है कि शासन किस निर्दयता से काम कर रहा है।....

(व्यवधान)

(विरोध पक्ष के सदस्य नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। लाठी गोली के बल पर यह सरकार नहीं चलेगी, के नारे लगातार लगाने लगे।)

श्री उपाध्यक्ष--

सुनाई नहीं पड़ रहा है आप लोग नारे बाजी न करें।

(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

आप किसका नाम पुकार रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष--

सबको बैठायें पहले।

श्री सत्यपाल सिंह--

राज्य मंत्री गृह ने शुरूआत की है अपने वक्तव्य की, "कि यह सत्य से परे है"। हमारे घावों पर मलहम लगाने की बात कहते तो विरोध पक्ष भली भांति सुनता। पीलीभीत के विषय में कांग्रेस के लोग भी हमारे पास आये। कहने के लिए कि पीली-भीत में हड़कम्प मचा है, तानाशाही का माहौल है। मेरा आपसे निवेदन है कि एक घंटे की चर्चा सुन लें। राज्य मंत्री को सुनना आवश्यक नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष--

सदन की भावनाओं को देखते हुए एक घण्टे की चर्चा स्वीकार करता हूं (तालियां)।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

यह चर्चा कब होगी? आज ही होनी चाहिए। एस0 पी0 को निलम्बित करने की मांग करते हैं। हम चाहते हैं कि ऐसे महत्पूर्ण विषय पर अभी चर्चा

श्री उपाध्यक्ष--

भान सिंह जी, कैसे खड़े हैं? अब क्या कहना है?

भान सिंह--

हम आपके अनुग्रहीत हैं। आपने विषय की गंभीरता को समझा। लोकतन्त्र पर प्रहार हो रहा है। लाठी, गोली का इस्तेमाल हो रहा है। पुलिस का सहारा ले रही यह सरकार व आपने चर्चा स्वीकार कर लिया। धन्यवाद। किन्तु निवेदन है कि यह चर्चा आज ही करा दें। शासन के पास जो तथ्य होगा वह दे लेंगे।

श्री उपाध्यक्ष--

कार्य मन्त्रणा समिति में जायगा । जल्दी लगा देंगे ।

श्री कल्यान सिंह--

आप तय कर सकते हैं ।

श्री उपाध्यक्ष--

कार्य मन्त्रणा समिति में तब हो जायेगा ।

*श्री खान गुफरान जाहिदी--

माननीय कल्यान सिंह जी ने, श्री सत्यपाल सिंह जी ने वक्तव्य दिया आपने उस वक्तव्य पर बात कही । सदन कैसे एक मत हो गया । आप चर्चा स्वीकार करें । आपको चर्चा स्वीकार करने या न करने का अधिकार है । लेकिन यह कौन सी बात है कि जो सदन में उधर के लोग बोलें उसके बाद अगर सत्ता पक्ष से कोई जवाब आ रहा है तो वह न आ पावे । बात मानने की है या नहीं लेकिन वह तो आनी ही चाहिए । इसलिए परम्परा यह है कि जब कभी कार्य स्थगन के ऊपर कोई सवाल आता है तो मान्यवर सत्ता पक्ष का भी मत आ जाता है उसके बाद कोई भी निर्णय देते, वह शिरोधार्य था और दूसरी बात जब माननीय कल्यान सिंह जी बोल रहे थे, व और दूसरे माननीय सदस्य बोल रहे थे, तो हम लोगों ने उनकी बातों को खामोशी के साथ सुना, लेकिन इधर से जब माननीय मंत्री जी ने अपनी बात प्रारम्भ की तो उधर के लोगों ने उसे सुना नहीं, कम से कम पूरी बात तो सुनना चाहिए और जैसा कि मान्यवर आपने निर्णय के वक्त यह कहा कि यह सदन की भावना है, यह मान्यवर, सदन की भावना नहीं यह तो सिर्फ विपक्ष की भावना थी, जिस पर आपका निर्णय हुआ है, इस निर्णय को हम मानने से इंकार नहीं करते जो आपने दे दिया वह अंतिम निर्णय है, लेकिन दोनों पक्ष की बातें सुनने के बाद ।

श्री गोपाल दास यादव--

मान्यवर, यह कार्य-स्थगन प्रस्ताव है, और इस पर आपने जो निर्णय ले लिया, मैं तो समझता था कि जो निर्णय लिया जायेगा, वह विवेकपूर्ण होगा, लेकिन जो महत्वपूर्ण मुद्दा, यहां लाया गया ।

श्री उपाध्यक्ष--

सभी मुद्दे यहां पर जो भी माननीय सदस्य उठाते हैं, महत्वपूर्ण ही होते हैं आसन ग्रहण करिए, मैं इजाजत नहीं दे रहा ।

श्री खान गुफरान जाहिदी--

मान्यवर, मैंने जो व्यवस्था का प्रश्न उठाया था कि सत्ता पक्ष की बात सुनने के अगर आपका निर्णय होता, तो वह सदन की भावना मानी जाती, इस पर आपने कोई व्यवस्था अपनी नहीं दी ।

श्री उपाध्यक्ष--

मैंने ऐसा समय बचाने के लिए कहा है ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री खान गुफरान जाहिदी--

एक परम्परा यहां बनी हुयी है, जिसे हमें और आपको ही निभाकर चलना है ।

(व्यवधान)

श्री गोपाल दास यादव--

मान्यवर, यहां पर हम लोग केवल भाषण सुनने नहीं आए हैं । अपने-अपने क्षेत्र की समस्यायें उठाने के लिए आए हैं ।

श्री उपाध्यक्ष--

मैं किसी को इजाजत नहीं दे रहा हूं, कृपया शांति बनाए रखें । मैंने तिवारी जी को बुला लिया है मद संख्या 8 में, पहला नाम अशोक बाजपेई जी का है, लेकिन वह हैं नहीं, इसलिए मैंने तिवारी जी को बुलाया है, आप शुरू करें अपनी बात ।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी--

मान्यवर, एक अनुरोध है आपसे कल की आधी से ज्यादा सूचनाएं आपने सुन ली हैं, अच्छा हो यदि कुछ माननीय सदस्यों को जो अपनी बात सुनाना चाहते हैं, चाहे एक ही एक मिनट के लिए सुनें, सुन अवश्य लीजिए मान्यवर, यही मेरा आपसे अनुरोध है ।

श्री उपाध्यक्ष--

जो हो गया, अब और कुछ नहीं हो सकता ।

(व्यवधान)

अब निर्णय होने के बाद कार्य स्थगन क्या दोबारा लिया जायगा ?

श्री गोपाल दास यादव--

मान्यवर, इतना महत्वपूर्ण विषय है । आप चाहे हमें निकाल दीजिये...

श्री उपाध्यक्ष--

मुझे निर्णय देना है कि किसको सुनना है और किसको नहीं ।

श्री गोपाल दास यादव--

आपने निर्णय दिया था कि सबको सुना जायगा ।

श्री उपाध्यक्ष--

सबको सुनने का निर्णय कभी नहीं लिया गया ।

(व्यवधान)

गोपाल दास जी आप स्थान ग्रहण करें । यह मेरी व्यवस्था है, जिसको सुनना था, सुन लिया ।

श्री विजय सिंह राणा--

आपने अपने निर्णय में स्वयं कहा है कि सबको सुनेंगे ।

श्री उपाध्यक्ष--

मैंने माननीय तिवारी जी को बुला दिया है, आप अपना ही समय जाया कर रहे हैं । मैं इजाजत नहीं दे रहा हूं ।

श्री विजय सिंह राणा--

आज असरकारी दिवस है, आप सुन सकते हैं ।

श्री राम नरेश यादव--

मान्यवर, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है कि परसों मान्यवर, जिस पीठ पर आप बैठे हैं, माननीय सदस्य गुफरान जाहिदी साहब उस पीठ पर बैठे हुए थे और जो नियम 56 के अन्तर्गत सूचनाएं आई थीं, उन सूचनाओं को पढ़कर उन्होंने सुनाया था । प्राथमिकता के आधार पर और यह भी कहा था, उस पीठ से कि आज के दिन सारी सूचनाओं पर हम सुनेंगे । मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं । मान्यवर, पंजाब नेशनल बैंक, फतेहपुर में जिस तरह से आतंकवादियों द्वारा धमकी दी गयी, यह एक ऐसा विषय है जिन पर पूरे प्रदेश, देश और इधर और उधर दोनों तरफ के लोगों को चिन्ता है...

श्री उपाध्यक्ष--

नियम 56 में कोई निश्चित घटना होनी चाहिये । आतंकवादियों की धमकी कोई निश्चित घटना नहीं है । जाहिदी साहब ने जो कहा था, वह सब मैंने देख लिया है । उन्होंने केवल यही कहा था ये सूचनाएं ले ली जाएंगी और नयी सूचना देने की जरूरत नहीं है ।

श्री राम नरेश यादव--

मान्यवर, आप प्रोसीडिंग देखकर निर्णय ले लें ।

श्री उपाध्यक्ष--

मैंने प्रोसीडिंग देख ली है । उसमें लिखा है कि इन चर्चाओं को अगले दिन लिया जायगा, इन पर सुनने की बात कहीं नहीं लिखी है ।

(व्यवधान)

श्री विजय सिंह राणा--

मान्यवर, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री उपाध्यक्ष--

यह व्यवस्था कब खतम होगी ?

श्री विजय सिंह राणा--

जब आप चाहेंगे, खतम हो जायगी । मान्यवर, कार्य स्थगन का प्रस्ताव आज इस एजेंडे का...

श्री उपाध्यक्ष--

कार्य स्थगन पर बात करने का सवाल ही नहीं है । कार्य स्थगन समाप्त हो गया, मैं उस पर व्यवस्था की इजाजत नहीं दे रहा हूं । मैं उस पर व्यवस्था के लिए नहीं बुला रहा हूं । कार्य स्थगन मैंने अस्वीकार कर दिया है ।

श्री विजय सिंह राणा--

मान्यवर, मैंने कार्य स्थगन का जो प्रस्ताव दिया है, उस पर एक शब्द नहीं बोलूंगा। मैं केवल व्यवस्था का प्रश्न उठा रहा हूं। व्यवस्था का प्रश्न यह है कि कार्य स्थगन का विषय इस एजेन्डा का रोज का विषय है। आप मान्यवर, शनिवार और पिछले दिन के विषयों को उठा रहे हैं। आज के जो विषय थे उसमें से किसी पर आपने सुना नहीं। एजेन्डा में कार्यस्थगन का भी जब नाम हो, आज की कार्य सूची में आज के जो विषय थे, उन विषयों को किस अधिकार के तहत आपने रद्द कर दिया ?

श्री उपाध्यक्ष--

दोनों को मिलाकर सुन लिया है। आप लोग बैठें। मैं किसी को इजाजत नहीं दे रहा हूं। संसदीय कार्य मंत्री कुछ कहना चाहते हैं, आप लोग बैठें।

*श्री अम्मार रिजवी--

मान्यवर, आपने एक विषय पर अपनी व्यवस्था दी, हमारी तरफ के कुछ सदस्य उससे संतुष्ट नहीं हैं, आपने उस विषय को चर्चा के लिये स्वीकार किया, आपके जो आदेश हैं, आपने जो चर्चा के आदेश दिये, उससे हमारी तरफ के कुछ सदस्यों के संतुष्ट न होने के बावजूद, वह हम लोगों को शिरोधार्य हैं। आपके आदेश का पालन होगा। कार्य स्थगन के विषय की जो बात है, एजेंडा में है, मान्यवर आप तो सूचनाओं को प्राइमाफेसी में, कक्ष में ही अस्वीकार कर सकते हैं, यह अधिकार आपको है। एक सम्मानित सदस्य हमारी तरफ से खड़े होकर बोलना चाहते थे, आपने मौका नहीं दिया, हम लोग आपको फोर्स नहीं कर सकते कि आप हमें बुलायें। सदन की जो परम्परायें हैं, नियमावली है, माननीय तिवारी जी यहां बैठे हुए हैं वे उसके अच्छे ज्ञाता हैं, वे उस सम्बन्ध में और बतायेंगे, किसी तरह से पीठासीन अधिकारी-अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को हम फोर्स नहीं कर सकते कि हमें बुलवायें जरूर। आपने एक फैसला दे दिया, एक व्यवस्था दे दी कि उस विषय पर चर्चा हो जाय, हमने उसे स्वीकार कर लिया, आपने कार्य स्थगन रद्द कर दिया। अब उस पर फिर क्यों इतनी बात उठ रही है। आज मान्यवर असरकारी दिवस है, हम चाहते हैं कि माननीय सदस्यों को ज्यादा से ज्यादा समय असरकारी कार्य के लिये मिले। मेरा आपके माध्यम से माननीय सदस्यों से नम्रतापूर्वक निवेदन है कि जो परम्परायें हैं, उनके हिसाब से सदन को चलने दें। असरकारी दिवस है आज माननीय तिवारी जी को अपनी बात शुरू कर दें, उस कार्यक्रम को शुरू होने दें।

(श्री मनोहर लाल, श्री अनुग्रह नारायण सिंह के खड़े होने पर)

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष--

मैं किसी को इजाजत नहीं दे रहा हूं। माननीय तिवारी जी अपनी बात शुरू करें।

श्री अनुग्रह नारायण सिंह--

मान्यवर, माननीय संसदीय कार्य मंत्री ने अच्छी बात कही। मान्यवर, पिछले दिन की जो यहां बात उठी...

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री उपाध्यक्ष--

अनुग्रह नारायण सिंह जी इस तरह से काम नहीं चलेगा । एक दफे निर्णय होने के बाद आप फोर्स करेंगे तो यह काम कैसे चलेगा मनोहर लाल जी, आप भी बैठें ।

श्री मनोहर लाल--

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है आप सुन तो लें । आपको क्या पता कि हम कौन सा विषय उठाना चाह रहे हैं । आप सुन लें ।

श्री अनुग्रह नारायण सिंह--

जब पिछले दिनों शुक्रवार को इसी अध्यक्ष पीठ से निर्देश हुए, अगर वह निर्देश न हुए होते तो, कोई बात नहीं थी । जब निर्देश कुछ होते हैं और कार्य कुछ अन्य तरीके से होता है, तो दुख होता है । मान्यवर, जो पिछले दिन आपके निर्देश हुए थे, उसके हिसाब से हमारी कार्य स्थगन की सूचना पांचवे नम्बर पर थी, हमें आप सुन सकते थे ।

श्री उपाध्यक्ष--

किसी दिन की सभी सूचनायें नहीं सुनी जाती हैं । मैं इजाजत नहीं दे रहा हूं । माननीय अनुग्रह नारायण जी बैठें, माननीय मनोहर लाल जी आप भी बैठें ।

श्री मनोहर लाल--

मान्यवर, मैं बहुत ही अनुशासित सदस्य की तरह से रहने का प्रयास करता हूं । माननीय सदन में आपके पीठ से जो भी निर्णय होते हैं, उनको चलेंज नहीं करता हूं । मैं बराबर आज जब से इस विषय को यहां पर लिया गया, अपनी बात कहने के लिये खड़ा हो रहा हूं, लेकिन आप ध्यान ही नहीं दे रहे थे । मैंने अपने कार्य स्थगन की सूचना नियम 56 के अन्तर्गत दी, मैं उस पर कुछ नहीं कहना चाहता हूं । मान्यवर, आज कानपुर के अन्दर, फतेहपुर के अन्दर, आतंकवाद फैला हुआ है, पूरा अघोषित कर्फ्यू है ।

श्री उपाध्यक्ष--

माननीय तिवारी जी आप शुरू करें । मैं किसी को इजाजत नहीं देता ।

श्री मनोहर लाल--

क्या हम यह समझें कि उत्तर प्रदेश में आतंकवाद का डर नहीं है । उत्तर प्रदेश की सरकार ने सारा इंतजाम कर लिया है सुरक्षा का आज कानपुर में अघोषित कर्फ्यू जैसी स्थिति है । फतेहपुर के बैंको को लूटने की आतंकवादियों की ओर से धमकी मिल रही है ।

श्री उपाध्यक्ष--

आप लोग बैठें । मैं किसी को इजाजत नहीं दे रहा हूं ।

श्री विजय सिंह राणा--

मान्यवर, आप कुछ ही इने-गिने लोगों की नियम 51 की, नियम 56 की, नियम 52 की, नियम 300 की, नियम 301 की सूचनायें सुनते हैं । यह कैसे चलेगा ।

श्री उपाध्यक्ष--

आप सलाह दीजिये कि सब पर शलाका हो जाय ।

(श्री अनुग्रह नारायण सिंह, श्री मनोहर लाल और श्री विजय सिंह राणा के खड़े रहने पर)

श्री उपाध्यक्ष—

मैंने श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी जी को बुला लिया है, इसलिए कृपा करके आप लोग बैठ जायं। मैंने जो निर्णय दे दिया है, उस पर मैं अब किसी भी माननीय सदस्य की नहीं सुनूंगा।

श्री विजय सिंह राणा—

मान्यवर, यदि आप नहीं सुनेंगे तो फिर हमें मजबूर होना पड़ेगा।

श्री उपाध्यक्ष—

आप मजबूर हो ही जायं, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है।

श्री अनुग्रह नारायण सिंह—

इसी पीठ से निर्देश कुछ दिये जाते हैं और काम कुछ और किया जाता है। हमारी समझ नहीं आता है। आप हमें बोलने की आज्ञा नहीं दे रहे हैं, इसलिए मैं सदन का त्याग करता हूं।

(श्री अनुग्रह नारायण सिंह सदन का त्याग कर चले गये।)

(बोलने की अनुमति न दिये जाने के विरोध में श्री शफीकुर्रहमान बर्क भी सदन त्याग कर चले गये)

श्री गोपाल दास यादव—

मैं भी श्री अनुग्रह नारायण सिंह जी से अपने को सम्बद्ध करता हूं और सदन का त्याग करता हूं।

(श्री गोपाल दास यादव भी सदन त्याग कर चले गये।)

सार्वजनिक उपक्रमों में निरन्तर बढ़ते हुए घाटे और भ्रष्टाचार पर प्रभावी अंकुश लगाये जाने के सम्बन्ध में संकल्प†

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी—

मान्यवर, आज जो संकल्प इस माननीय सदन के सामने विचारार्थ प्रस्तुत है, मैं समझता था कि यह इतना सीधा और स्पष्ट प्रस्ताव है कि इसको तो सत्तारूढ़ दल और संसदीय कार्य मन्त्री को उठकर कह देना चाहिए था कि सरकार को यह संकल्प स्वीकार है। खुशी की बात यह होती कि अगर यह संकल्प सर्वसम्मति से स्वीकार होता। सही मायने में प्रधान मन्त्री से लेकर मुख्य मन्त्री तक और कांग्रेस के एक-एक लोग, जो बराबर अखबारों, रेडियो, टेलीविजन पर घोषणा करते हैं कि वह भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए पूरी तरह से कटिबद्ध हैं लेकिन हमें दुख है कि आज इतने स्पष्ट मुद्दे पर सरकार की तरफ से यह बात नहीं आई कि हम इस संकल्प को स्वीकार करेंगे। सारे लोग मानते हैं कि निगमों में भ्रष्टाचार है और निगम घाटे में चल रहे हैं। उन्हीं निगमों पर अंकुश लगाने के लिए ताकि भ्रष्टाचार कम हो और घाटा कम हो, यह संकल्प लाया गया था। मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से कुछ तथ्य सदन के संज्ञान में लाना चाहता हूं। इस प्रदेश

---

†5 सितम्बर, 1986 की कार्यवाही से।

में कुल 59 उपक्रम हैं और एक नया कारपोरेशन भी स्थापित हो गया है उत्तर प्रदेश वक्फ बोर्ड निगम। जिसमें अभी कार्य तो शुरू नहीं हुआ है, अभी रजिस्ट्रार आफ कम्पनीज से सर्टिफिकेट आफ इन्कारपोरेशन जारी नहीं हुआ है, इसको भी अगर मान लिया जाय तो कुल उपक्रमों की संख्या 60 हो जाती है। उनकी सहायक कम्पनियां 39 हैं जैसे उत्तर प्रदेश लघु उद्योग निगम की 9 अपट्रान की 5 आदि। संयुक्त क्षेत्र की 16 इकाइयां हैं जैसे (इस समय 1 बजकर 20 मिनट पर अधिष्ठाता, श्री खान गुफरान जाहिदी पीठासीन हुए) आई0 डी0 पी0 एल0 इत्यादि। 59 मुख्य उपक्रमों में 30 सितम्बर, 1986 तक का कुल शासकीय विनियोग 6089.99 करोड़ रु0 का है जिसमें से 579.10 करोड़ रु0 पूंजी का है और 5510.89 करोड़ रु0 शासकीय ऋण का है। इस प्रकार सितम्बर, 1986 तक का सारे निगमों का संचित घाटा 1964.17 करोड़ रु0 का है, जिसमें अगर वह 535.70 करोड़ रु0 की पूंजी जो 39 सहायक कम्पनियों में लगी है सहायक कम्पनियों में उसको भी जोड़ दिया जाय तो सितम्बर, 1986 तक का कुल संचित घाटा 2499.87 करोड़ रुपये है, यानी सितम्बर, 1986 तक कुल विनियोग का 42 प्रतिशत घाटे में बदल चुका है। केवल वर्ष 1986 की जो हानि है 377.99 करोड़ रु0 की है, जिसका मतलब हुआ कि सितम्बर, 1986 तक उन निगमों का संचित घाटा 2499.87 करोड़ रु0 का है। सितम्बर, 1986 तक के 6087.99 करोड़ रु0 का शासकीय विनियोग, उसमें से 3,500 करोड़ रु0 का शासकीय विनियोग बचा है, बाकी सब घाटे में समाप्त हो गया है। राज्य विद्युत् परिषद् सबसे बड़ा उपक्रम है सार्वजनिक क्षेत्र का, 80 प्रतिशत से अधिक विनियोग उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत् परिषद् में है। इसमें 1985-86 में समस्त हानि जो हुई उसमें से विद्युत् परिषद की ह 336.57 करोड़ रु0 की थी, सितम्बर, 1986 तक 6 महीने का घाटा 88.76 करोड़ रु0 का है। इस तरह से आप देखेंगे कि विद्युत् परिषद् अकेले जितना घाटा दे रहा है, उसी को अगर देख लें तो 377 करोड़ रु0 का घाटा पूरे निगमों का है, जिसमें से 88.76 करोड़ रु0 अकेले विद्युत् परिषद् का है। इनकी कोई भी यूनिट ऐसी नहीं है कि घाटे में न चल रही हो। इनकी हर यूनिट में घाटे का यह आलम है कि तापीय विद्युत् की हर इकाई में एक यूनिट बिजली के बनने में कोयले का कुछ खर्च आता है तो दूसरी यूनिट में उसका 10 गुना आता है। फरनेस आयल और एनुअल रिपेयर की भी यही पोजीशन है। लोड फैक्टर को इम्प्रूव करने की कोशिश भी नहीं कर रहे हैं।

इसी तरह से दूसरा निगम है राज्य सड़क परिवहन निगम। इसकी हालत यह है कि 76-77 से इस परिवहन निगम का खाता ही नहीं बना है और न आडिट हुआ है। माननीय मन्त्री जी सारी सूचनायें जो सदन में देते हैं कि कितना घाटा हुआ या नुकसान हुआ, वह अनुमान के आधार पर देते हैं। इनके विभाग के लोग इनके किसी भी निर्देश या नियम का अनुपालन नहीं करते हैं। 1976 में शासकीय आदेश गया सारे निगमों को को त्रैमासिक रिपोर्ट भेजा करें। मेरी चुनौती है कि माननीय मन्त्री जी कहें कि रिपोर्ट आयी है। माननीय मन्त्री जी अगर पिछली त्रैमासिक रिपोर्ट सदन में पढ़ दें, तो जो सजा आप देंगे, वह मैं स्वीकार करूंगा। इनको पता नहीं कि लेखा-जोखा क्या है। शासकीय आदेश के पालन इनके विभाग के लोग करते नहीं हैं, कारपोरेशन्स पर किसी प्रकार का अंकुश लगा नहीं रहे हैं। वर्ष 1984-85 में एक साल का घाटा 16 करोड़ रु0 का बताया गया जो कि अनुमानित आधार पर है, जबकि जैसा कि मैंने कहा कि 1976-77 से परिवहन के खाते ही नहीं बने और जब खाता ही नहीं बना तो कहां से आप यह घोषणा कर रहे हैं? वर्ष 1985-86 के लिये कह दिया कि इस वर्ष 10 करोड़ रु0 का घाटा है और कह दिया कि हमारा विभाग पिछले वर्ष के मुकाबले इस साल 5 करोड़ रु0 के लाभ में है। जबकि असलियत यह है कि 1975-76 के बाद से कोई

परिवहन निगम का खाता ही नहीं बना है । परिवहन निगम के 300 खाते ऐसे हैं जो कि नहीं बने हैं ।

अब देखिये कि मार्च, 1981 में इन निगमों में 24 अरब 4 करोड़ रु0 लगे थे जो 86 में बढ़कर 53 अरब 95 करोड़ 34 लाख रु0 हो गये । इसके कुछ आंकड़े मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं कि वर्ष 1980-81 में 1 अरब 29 करोड़ रु0, 1981-82 में 2 अरब 12 करोड़ रु0, 1982-83 में 2 अरब 44 करोड़ रु0, 1983-84 में 8 अरब 6 करोड़ रु0, 1984-85 में 3 अरब 52 करोड़ रु0 तथा 1985-86 में 3 अरब 69 करोड़ रु0 का घाटा हुआ । इस तरह से कारपोरेशन प्रति दिन घाटे में जा रहा है और प्रति दिन का घाटा जो है वह है 1 करोड़ 23 लाख रु0 से अधिक का ।

डाक्टर टी0 एस0 पकोला कमेटी ने दस मण्डलीय विकास निगमों को बन्द करने की सिफारिश की थी क्योंकि इनके कार्यों मे ओवर लैपिंग हैं जैसे कि चीनी का वितरण का काम पी0 सी0 एफ0 तथा खाद्य निगम दोनों ही करते हैं उसके लिये भी आपने निगम बना दिया । इस तरह से आप से आप नये-नये कारपोरेशन्स खोल रहे हैं केवल कुछ अफसरों और अपने लोगों को सन्तुष्ट करने के लिये । पब्लिक एक्सचेकर का पैसा इसमें बर्बाद हो रहा है इसलिये आज यह संकल्प लाने की आवश्यकता पड़ी है ।

मान्यवर, जिस समय उत्तर प्रदेश में माननीय नारायण दत्त तिवारी जी मुख्य मन्त्री थे उस समय उपाय निगम की स्थापना हुई इटली सरकार के सहयोग से यह इकाई स्थापित करने जा रहे थे, लेकिन यह नहीं हुई अभी तक । मैं चाहता हूं कि जब मन्त्री जी अपना जवाब देने के लिये खड़े हों तो वह यह बतायें कि इस इकाई की स्थापना के सम्बन्ध में कितने आफिसर इटली की यात्रा कर चुके हैं और उन पर कितना व्यय किया गया है और इकाई की स्थापना अभी तक क्यों नहीं हो सकी है ?

श्री हरदेव--

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है । मैं तिवारी जी से यह जानना चाहता हूं कि यह घाटा कैसे कम हो और निगम ठीक तरह से चलें, ऐसा सुझाव आप जरूर दें ।

श्री दिवाकर विक्रम सिंह--

मान्यवर, इनका व्यवस्था का प्रश्न तिवारी जी से है या अध्यक्ष पीठ से ?

श्री अधिष्ठाता--

अध्यक्ष पीठ से मुखातिब हो कर तिवारी जी की बात पर व्यवस्था उठानी चाहिये थी ।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी--

इसी प्रकार से चित्रकूट गोधन विकास निगम है यह एक्जिसटेन्स में आया नहीं लेकिन मन्त्री जी अपने जवाब में जरूर यह बतायें कि इसमें क्या उपलब्धि हुई और कितना खर्चा आया ताकि स्पष्ट हो सके कि यह किस तरह से पैसा बरबाद कर रहे हैं । इसी तरह से आवास विकास परिषद् है जिसके खाते 1980-81 से नहीं बने हैं । शहरी विकास अधिकरणों की आर्थिक स्थिति और भौतिक उपलब्धियों के बारे में कोई लेखा जोखा या जानकारी शासन स्तर पर या सार्वजनिक उद्यम विभाग के पास नहीं है । इसी तरीके से मान्यवर, संयुक्त क्षेत्र की कम्पनियों और सहायक कम्पनियों की निगरानी के लिये मानिटरिंग की कोई व्यवस्था नहीं है, तो जैसा

माननीय सदस्य बलिया ने कहा, मेरा सुझाव है कि 59 जो मुख्य निगम हैं और बाकी दूसरे निगम हैं, उनकी सहायक कम्पनियां हैं, तो उसके बारे में सार्वजनिक उद्योग ब्यूरो को देखना चाहिये कि उनमें कितनी पूंजी लगी है, उनकी लाभ-हानि की स्थिति क्या है। मान्यवर, इसकी जानकारी सरकार को नहीं है।

मान्यवर, सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो द्वारा जो निगम चलाये जा रहे हैं, उनका विरोधी मैं नहीं हूं। मैं चाहता हूं कि इस तरह के निगम चलें, जनता के फायदे के लिये और प्रदेश की प्रगति को आगे बढ़ाने के लिये, भ्रष्टाचार करके प्रदेश को खोखला करने के लिये नहीं। आज इनमें इतना भ्रष्टाचार है, सरकार निरीह हो गयी है, उसका अंकुश इन निगमो पर नहीं रह गया है। सरकार के निर्देशों का पालन आपके अधीनस्थ कर्मचारी नहीं करते हैं। या तो आप खुद भ्रष्टाचार में डूबे हुये हैं, या आपकी हिम्मत उन निर्देशों को पालन कराने की नहीं है, जिससे सख्ती बरतेंगे, वह भ्रष्टाचार की पोल खोल देगा। इसलिये आप अंकुश नहीं लगा पा रहे हैं और दूसरा तरीका है नहीं। आप इतने अक्षम हैं कि आपकी कोई सुनने वाला नहीं है। जब एम0 पी0 आर0, त्रैमासिक रिपोर्ट बनाने के लिये 1976 में आपका शासनादेश हुआ, तो आप बतायें कि इन 60 कारपोरेशन्स में किन-किन कारपोरेशन्स ने आपके इस निर्देश का अनुपालन किया है और जिन्होंने नहीं किया है, आपने कोई कार्यवाही क्यों नहीं की और उसी के साथ-साथ मान्यवर, व्यावहारिक दृष्टि होनी चाहिये। निगम मुनाफा कमाने के लिये नहीं हैं खैरात लुटाने के लिये भी नहीं हैं। आज यह निगम प्रदेश के लिये एक लाइबिलिटी बनते जा रहे हैं। आपकी दृष्टि उधर क्यों नहीं जाती है। आप कोई काम जनता के हित के लिये या किसानों के हित के लिये नहीं कर रहे हैं। मैं उदाहरण देना चाहता हूं कि प्रतापगढ़ का अटो ट्रैक्टर का कारखाना है, आपने उसकी एजेन्सी अपनी ही पार्टी के एक प्रभावशाली व्यक्ति को दे दिया है। एक आध व्यक्ति को लाभ पहुंचाने के लिये पूरे प्रदेश को गर्त में डाल दें, यह कहां का न्याय है। इसलिये मेरी शुरू से राय है कि इन नियमों पर अंकुश लगाने के लिये यह आवश्यक है कि इनका बजट अलग से लाया जाये। अगर ईमानदारी से इन निगमों से कुछ कार्य कराना चाहते हैं। तो भ्रष्टाचार को मिटाना होगा। रेलवे की तरह से जैसे केन्द्रीय सरकार रेलवे का बजट अलग से लाती है, आप इनके लिये अलग से मन्त्रालय कायम करके बजट को अलग से लायें प्रदेश की जनता ताकि जान सके कि इसकी स्थिति क्या है और इनके भ्रष्टाचार को दूर करने के लिये कोई उपाय करे। मैं शुरू में केवल इन्हीं बातों को कहकर अपनी बात समाप्त करता हूं। जो सुझाव मैंने दिये हैं, उनका उत्तर माननीय मन्त्री जी दें और हमारा जो संकल्प है वह सरकार के विरुद्ध नहीं है। आप सभी मानते हैं कि निगमों में भ्रष्टाचार है, इसलिये एक लाइन का संकल्प है कि इस सदन का निश्चित मत है कि प्रदेश के सार्वजनिक उपक्रमों में निरन्तर बढ़ते हुये घाटे और भ्रष्टाचार पर प्रभावी अंकुश लगाया जाये। मैं माननीय मन्त्री जी से एक बात जानना चाहूंगा कि इस संकल्प में कौन सी ऐसी चीज है कि उसको आप प्रतिष्ठा का प्रश्न बना रहे हो। क्या आप नहीं मानते हैं कि इन निगमों में निरन्तर घाटा हो रहा है, भ्रष्टाचार व्याप्त है? अगर आप दोनों बातों को मानते हैं और यह भी मानते हैं कि आप भ्रष्टाचार को मिटाने के लिये कटिबद्ध हैं, दृढ़ संकल्प हैं तो कौन आपके रास्ते में रोड़े डाल रहा है कि आप इस संकल्प को नहीं मानते हैं। यदि आपकी प्रदेश के विकास की मंशा है, यदि आप प्रदेश के प्रगति के रथ को आगे बढ़ाना चाहते हैं, गांधी जी के राम राज के सपने को साकार करना चाहते हैं, प्रदेश में व्याप्त भ्रष्टाचार को मिटाना चाहते हैं तो आइये, हम और आप मिलकर इस संकल्प को पारित करके इस देश को नई दिशा दें कि उत्तर प्रदेश के जन प्रतिनिधियों ने, उत्तर प्रदेश की

विधान सभा ने भ्रष्टाचार को मिटाने के लिये इस संकल्प के नारे को अमली-जामा देने का फैसला किया है और वह सारे देश को अगुवाई करने जा रहा है ।

*श्री जंग बहादुर--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने माननीय तिवारी जी के संकल्प पर मुझे बोलने का अवसर दिया । हमारे प्रदेश में इस समय सौ से डेढ़ सौ निगम होंगे जिनमें से 50 या 58 निगम प्रमुख हैं । इन निगमों पर करोड़ों रुपया व्यय किया गया है । लेकिन आज स्थिति यह है कि हमारे ये जितने निगम हैं उनमें से निर्यात निगम और वृज कारपोरेशन को छोड़ दें तो बाकी सब के सब घाटे में चल रहे हैं । यह एक चिन्ता का विषय है । यह सही है कि हमारे जो ये निगम बनाये गये हैं इनका व्यापारिक दृष्टिकोण नहीं है । उदाहरण के तौर पर हमारा जो परिवहन निगम है, इसमें जो लाभ होना चाहिये, नहीं होता बल्कि घाटा होता है । शहरों में कवाल टाउन्स में प्राइवेट गाड़ियां नहीं चलती हैं । इसमें निरन्तर 5 करोड़ रुपये प्रति वर्ष का घाटा इस निगम को हो रहा है । प्राइवेट गाड़ियां इन स्थानों पर नहीं जाती हैं । कुछ ऐसे रास्ते हैं जहां प्राइवेट गाड़ियां चलाना पसन्द नहीं करते और जनता की सुविधा और हित के लिये हमें चलानी पड़ती हैं । आज यह सारा घाटा इन निगमों में हो रहा है । यह चिन्ता का विषय है । कभी-कभी हमें भी इस तरह के अवसर मिले हैं जैसे हमारी पब्लिक अन्डरटेकिंग्स कमेटी है उसके अन्दर निगमों के अधिकारी आते हैं, काफी बातें होती हैं लेकिन ऐसी व्यवस्था की गयी है कि वहां पर जो प्रोसीडिंग्स होती हैं वह जनता तक नहीं पहुंचायी जा सकती हैं । उनका पब्लिकेशन समाचार-पत्रों में नहीं होता है । इसलिये मैं यह चाहता हूं कि नियमों में संशोधन किया जाय ताकि उनके कार्यकलापों का पता जनता को हो सके ।

दूसरी बात मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इन निगमों में आई० ए० एस० अधिकारियों को बैठा दिया गया है । ये आई० ए० एस० लोग विभिन्न प्रदेशों से आते हैं । उत्तर प्रदेश से उनकी ममता और दिलचस्पी नहीं होती है और न ही उन्हें यहां का कोई अनुभव होता है । ऐसे अधिकारियों को निगमों में मैनेजिंग डाइरेक्टर बना दिया जाता है । एक-दो वर्ष के उपरान्त उनको हटा दिया जाता है । हमारे जो पी० सी० एस० अधिकारी हैं उनको अवसर नहीं दिया जाता है । मुझे याद है 3/4 साल पहले हमारे पशुधन निगम में 7 करोड़ का घाटा हुआ था तो हमारे मुख्य मन्त्री जी ने वहां पर एक पी० सी० एस० अधिकारी नियुक्त किया था तब यह घाटा 7 करोड़ के स्थान पर 3 करोड़ रुपया हो गया था । जब आई० ए० एस० अधिकारियों ने यह सोचा कि पी० सी० एस० अच्छा काम करेंगे तो उन्होंने कुछ विधायकों से मिलकर यहां पर प्रश्न कराया और यह कहा कि सरकारी सीक्रेसी ये लोग लीक-आउट कर रहे हैं और बाद में मुख्य मन्त्री जी को उस अधिकारी को हटाना पड़ा । आज आई० ए० एस० अधिकारियों के ऊपर कोई ऐसा प्रभाव नहीं है, आप उनको सस्पेंड भी नहीं कर सकते हैं जब तक केन्द्र की अनुमति न हो । उनको आप टरमिनेट भी नहीं कर सकते । चाहे उनकी चरित्र पंजिका में इन्ट्री कर दें लेकिन इनके ऊपर कोई असर नहीं होता टाइम बाऊंड समय में उनका प्रमोशन हो जाता है । मेरा निवेदन है कि हमारे जो पी० सी० एस० अधिकारी हैं जो पुराने हैं उनको इन स्थानों पर रखा जाय तो इन निगमों की स्थिति बेहतर हो जायेगी । आई० ए० एस० इन निगमों के अन्दर मनमाने ढंग से काम करते हैं । फाइनेंस डिपार्टमेंट ने, मैं मत्स्य निगम की बात कह रहा हूं । गाड़ी खरीदने पर प्रतिबन्ध लगाया था कि

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

फियेट या ऐम्बेसडर गाड़ी एम0 डी0 नहीं खरीद सकते हैं लेकिन उन्होंने खरीद लिया वह मामला समिति के सामने आया तो उन्होंने कहा कि हमारे यहां वर्ल्ड बैंक की टीम आती है तो उनको हम जीप से या ट्रक से ले जायें इसलिये यह गाड़ी खरीदना जरूरी समझा गया और गाड़ी खरीद ली गयी। दो वर्षों तक वित्त विभाग की स्वीकृति के बिना गाड़ी चलाते रहे लेकिन बाद में फिर वित्त विभाग को लिखा चूंकि वित्त विभाग में भी आई0 ए0 एस0 बैठे हुये हैं और दो साल बाद उसे वैध कर दिया गया।

हमारे मुख्य मन्त्री जी का आवास एयरकंडीशंड नहीं है केवल आफिस एयर-कंडीशंड है लेकिन इन निगमों के जो एम0 डी0 हैं उनमें से कई के आफिस भी एयर-कंडीशंड हैं और घर भी एयरकंडीशंड हैं। वह कहते हैं बोर्ड आफ डायरेक्टर्स ने पावर दी है। तो वह जैसा चाहें वैसा करते हैं मनमाने ढंग से वह काम करते हैं क्योंकि उनको कोई प्रदेश से ममता नहीं होती है। हमारे प्रधान मन्त्री जी ने भी निगमों के घाटे पर चिंता व्यक्त की है। मैं यह नहीं कहता कि व्यावारिक दृष्टि से इनको बनाया गया है लेकिन निरंतर घाटा भी नहीं होना चाहिये। विद्युत् परिषद् हमारी निरंतर घाटे में है और शुगर कारपोरेशन भी घाटे में है इनको सुधारने की आवश्यकता है। मैं समझता हूं कि जो सुझाव तिवारी जी ने दिया है और भी सदस्य देंगे तो उन सुझावों के अनुरूप यह निगम कार्य करें।

*श्री रघुवर दयाल वर्मा--

मान्यवर, माननीय तिवारी जी ने यह संकल्प प्रस्तुत किया है कि सार्वजनिक उपक्रमों और निगमों के कार्यों में सुधार के सम्बन्ध में तो मैं इसमें निवेदन करना चाहता हूं कि सार्वजनिक उद्योग ब्यूरो के वार्षिक विवरण सन् 1975 से ले कर 1982 तक के लेखों के विवरण अब आये हैं और उसके बाद के कब आयेंगे वह भगवान ही जानता है। हर निगम का वार्षिक लेखों का विवरण साल के साल परीक्षण करके विवेचना करके सामने आता और उस पर कार्यवाही होती तो यह घाटे के बजाय मुनाफे की तरफ अग्रसर होते लेकिन आडिट होना उसके बाद उस रिपोर्ट का प्रकाशित होना जो है उस पर शुरू से प्रतिबन्ध लगा हुआ है। जितने आई0 ए0 एस0 अधिकारी जो चैयरमैन बनाये गये हैं उनसे आशा की जाती थी कि यह अच्छा काम करेंगे और इन निगमों की स्थापना के समय इनसे यह अपेक्षा और आशा की जाती थी कि इनसे आम जनता को यह महसूस हो जनता का पैसा एक आदमी के हाथ में न जाकर सार्वजनिक हित में आयेगा और यह मुनाफा कमा कर जनता की सेवा करेंगे लेकिन काम इसके उल्टा हुआ और निगमों का पैसा कुछ अधिकारियों की जेबों में चला गया और निगम उनके ऐशो-आराम के आरामगाह बन गये। उदाहरण के लिये परिवहन निगम की बात आई वह कितने करोड़ रुपयों के घाटे में है। जब मुख्य मन्त्री जी बजट पेश कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि निगम घाटे में है। लेकिन परिवहन मन्त्री जी कहते हैं कि निगम घाटे में नहीं है मुनाफे में चल रहा है तो मंत्रियों में ही आपस में मतभेद है कि परिवहन निगम घाटे में है या मुनाफे में है।

श्रीमन्, प्रदेश की जनता असमंजस में फंस गयी है कि एक तरफ मुख्य मन्त्री जी कहते हैं और उच्च विभाग के जो मन्त्री जी हैं वह कुछ कहते हैं। इससे इनकी जो स्थिति निगमों की सामने आयी है उससे हमारे प्रदेश में एक असमंजस की स्थिति पैदा हो गयी है। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि यह परिवहन निगम की जो अनुबन्धित बसें हैं वह मुनाफा देती हैं और निगम की बसें घाटा देती हैं। निगमों की बसें प्रति किलोमीटर चलने पर कितना रुपया देना है और अनुबन्धित बसों पर, इन दोनों की

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

शर्तों का मिलान कर लिया जाये तो बलिया के माननीय सदस्य ने जो सवाल पूछा था....।

श्री अधिष्ठाता--

वर्मा जी, आपका भाषण जारी रहेगा ।

आज असरकारी दिवस है, इसलिये मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि भोजनावकाश के बाद कोशिश करें कि कोरम बना रहे ।

अब हम उठते हैं और 2.45 बजे (अपराह्न) पुनः बैठेंगे ।

(इस समय 1 बजकर 45 मिनट पर सदन की कार्यवाही भोजनावकाश हेतु स्थगित हुई ।

भोजनावकाश के उपरान्त 2 बजकर 48 मिनट पर सदन की कार्यवाही अधिष्ठाता, डा0 कृष्णवीर सिंह कौशल के सभापतित्व में आरम्भ हुयी ।)

(गणपूर्ति के अभाव में सदन का कार्य 3 मिनट विलम्ब से आरम्भ हुआ ।)

श्री रघुवर दयाल वर्मा--

मान्यवर, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि राजकीय सड़क परिवहन निगम बराबर घाटे में चला जा रहा है । इन्होंने 25 प्रतिशत यात्री-कर बढ़ा दिया, उसके बाद भी यह निगम घाटे में है । श्रीमन्, आप देखें, लघु उद्योग निगम कोयले का काम करता है। जो आदमी प्राइवेट सेक्टर में कोयले का काम करते हैं वह फायदे में रहते हैं, किन्तु यह सदा घाटे में रहते हैं । यह केवल इतना काम करते हैं, जो आदमी ए0 जी0 टी0, फिरोजाबाद के यहां से परमिट लेकर आएगा, उसे वह उठा देंगे और उसपर उन्हें मुनाफा मिलेगा, लेकिन उसके बाद भी यह घाटे में चले जाते हैं । यह इनका कोयला मंगाने के लिए भी अपना सप्लायर नियुक्त कर देते हैं, जो इनके डिपो में इनका कोयला लेकर रख देता है । सारा खर्चा उसको बरदाश्त करना पड़ता है, इनका केवल इतना काम है कि जो परमिट ए0 जी0 टी0 आफिस से आवे उन पर कोयला उठा दें और अपना मुनाफा ले लें । उसके बाद भी यह निगम घाटे में है । कोयला जो ले जायेगा इनके अपने भाड़े से ले जायेगा तो इसका कोई हल है कि जो कोयला की सप्लाई करे वह मुनाफा उठाये जो कोयला ले जाये वह मुनाफा उठाये, लेकिन जो लोग कोयले का काम कर रहे हैं उनको घाटा हो रहा है । मान्यवर, इसी तरह से मैं राज्य विद्युत् परिषद् के बारे में कहना चाहूंगा । राज्य विद्युत् परिषद् के जो निगम हैं इसमें यह हालत हो रही है कि बिजली की दरें बार-बार बढ़ाई जा रही हैं, लेकिन फिर भी बिजली विभाग का घाटा पूरा करने में यह सरकार अक्षम होती जा रही है । मान्यवर, सन् 1980 से लेकर कितनी ही बार बिजली की दरें बढ़ीं हर मामले में बिजली के रेट बढ़े । मान्यवर, 1981 में निजी नलकूपों की बिजली की दरें इन्होंने बढ़ाई और अब फिर इन्होंने बढ़ा दीं। इसी तरह उद्योग पर बिजली इन्होंने दी उस पर भी टैक्स लगा दिया गया तो कोई ऐसी चीज नहीं रही जिस पर बिजली का टैक्स न लगाया हो । तो निगम इसीलिए घाटे में चल रहे हैं निगम और सरकार की यह नियति बन गई है जनता पर जितना टैक्स लगायेंगे उससे घाटा कम होगा, मेरा कहना यह है कि सरकार और निगम के अधिकारियों को प्रबन्धकों को इस बात पर पुनः विचार करना पड़ेगा कि घाटे को कम करने के लिए जो टैक्स लगाने की प्रवृत्ति बढ़ रही है उसको कम करें । निगम में जिस तरह से घपले और घोटाले चल रहे हैं उसको जब तक नहीं रोका जायेगा तब तक निगम की स्थिति में सुधार नहीं आ सकता है ।

मान्यवर, अनुबन्धित बसों के बारे में कहना चाहूंगा। जो अनुबन्धित बसें हैं इनका जितना देना नियत होता है वह देकर भी यह फायदे में भी चलती है और जो हमारे निगम की बसें हैं वह घाटे में चल रही हैं इसी के साथ में यह भी कहना चाहूंगा कि परिवहन निगम में जो फर्जी टिकटें आदि चल रही हैं उनको रोका जाए। बहुत भ्रष्टाचार है इसी तरह से मैं मान्यवर, सड़क परिवहन निगम के बारे में कहना चाहूंगा। सड़क परिवहन निगम में गड़बड़ी चल रही है इसमें सरकार को प्रभावी कदम उठाने की आवश्यकता है। हम चाहते हैं कि निगमों की वार्षिक रिपोर्ट सदन में आवे और हम लोग उसमें सुझाव दें कि आपके यहां यह कमियां हैं आपको यह दूर करनी चाहिए, लेकिन यह तो परम्परा रही नहीं है। आप निगम का वार्षिक लेखा जोखा देखें 44.99 करोड़ का घाटा हुआ है। यह निगम सफेद हाथी बने इस प्रदेश की सम्पदा को चर रहे हैं जैसे हाथी जहां-जहां से गुजरता है उतनी फसल जमीन के नीचे चली जाती है उसी तरह से यह सफेद हाथी बने हुए हैं जनता पर कर बढ़ाते चले जा रहे हैं। जनता की कमर टूटती जा रही है और टेक्सेशन लगाकर उस पर कर का भार बढ़ाकर यह निगम ऐसी स्थिति पैदा कर रहे हैं जिससे जनता के ऊपर दिन प्रति दिन कर का भार बढ़ रहा है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि सार्वजनिक जीवन में रहने वाले नेताओं के ऊपर आये दिन भ्रष्टाचार के आरोप और तरहत-रह की शंकायें की जाती हैं। लेकिन श्रीमन् माननीय सदस्यों से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि यह जो आई0ए0एस0 की लाबी है और जो निगमों पर हावी है, चाहे कपड़ा निगम हो, चाहे लघु उद्योग निगम हो या राज्य सड़क परिवहन निगम हो या कृषि से सम्बन्धित हार्टिकी हो, किसी भी निगम को आप देख लें, बड़े अफसरों, आई0 ए0 एस0 अफसरों के आरामगाह और ऐश्याशी के साधन बन गये हैं। मंत्री इनके हाथ की कठपुतली बनकर रह गये हैं। मंत्रिगण बुद्धि और विवेक से काबू करने की कोशिश करें तो यह आई0ए0 एस0 अफसर एक ऐसे जाल में फंसा देते हैं कि वह उस जाल से निकल नहीं पाते हैं और उनके हाथ की कठपुतली बनकर मंत्रिपरिषद् के लोग इन निगमों के हाथ में खेलने का काम करते हैं। आज के परिप्रेक्ष्य में इन निगमों को जनता के प्रति ज्यादा उत्तरदायी होना चाहिए। जनता की जो समस्यायें हैं वह दूर हों, उनका निराकरण हो ऐसी परिस्थितियां पैदा की जानी चाहिए। आज आवश्यकता इस बात की है कि सार्वजनिक क्षेत्र के निगम जनता को सुविधा पहुंचायें लेकिन उनका घाटा भ्रष्टाचार के कारण निरंतर बढ़ता चला जा रहा है। आज लोग कहने लगे हैं कि यदि राज्य सड़क परिवहन निगम सार्वजनिक क्षेत्र में न होकर व्यक्तिगत हाथों में होता तो इसको फायदा होता और यह घाटे की स्थिति न आती।

इसी प्रकार से बिजली का मामला है। मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि आगरा और फिरोजाबाद में जब बिजली की व्यवस्था कम्पनी के हाथों में थी तो बिजली व्यवस्था अब से ठीक थी तथा उनका अपने कर्मचारियों पर इफेक्टिव कंट्रोल था। लेकिन आज भारी अव्यवस्था है, कहीं तार टूटे हैं कहीं बिजली नहीं है। इनके जो कर्मचारियों के संगठन हैं वह इतने बलशाली हो गये हैं कि किसी मंत्री की हिम्मत नहीं है कि उन पर अंकुश लगा सके। इन सबके पीछे बड़े-बड़े आई0 ए0 एस0 अधिकारियों, ब्यूरोक्रेट्स की लाबी है। यह सारे अधिकारी जिस तरह से सांप माया पर कुंडली मार के बैठ जाता है उसी प्रकार से यह शासन और जनता पर हावी हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि शासन के लोगों को भगवान सद्बुद्धि दे कि वह इन निगमों को घाटे से निकाल सकें। मेरा निवेदन है कि अधिकारियों की सम्पत्ति की जांच करा ली जाय कि जो निगम के अधिकारी हैं उनके पास इतनी सम्पत्ति कहां से आयी। आप आगरा में देखें। वहां पर जनता के पीने के लिए रेफ्रीजिरेटर की व्यवस्था हुयी। लेकिन आगरा के जो दोनों बस स्टैण्ड हैं वहां पर आपको ठंडे पानी के दर्शन नहीं होंगे। जितने कूलर थे वह सब अधिकारियों के घर में चले गये और वह ठंडा पानी पी रहे

हैं। जनता की तरफ किसी का ध्यान नहीं जा रहा है । इसी तरह से मंडी परिषद् का हाल है । आप आगरा में आवास एवं विकास परिषद् को देखें, वहां करोड़ों रुपयों का का घपला है । आवास विकास परिषद् ने गरीबों को जमीन यह कह कर क्रय किया कि जिन लोगों के पास भवन नहीं है उन्हें सस्ती दर पर जमीन और भवन बनाकर एलाट किये जायेंगे ।

श्रीमन्, आप देख लें किसानों से 4 आना, 8 आना, एक रुपया गज जमीन खरीदी गयी और वही जमीन आज आगरा और फिरोजाबाद में 300 रु0, 400 रुपये, 1 हजार रुपये, 2-3 हजार रुपये गज और मीटर के भाव पर बेची जा रही है । बड़े-बड़े कालोनाइजर्स को सस्ती दर पर जमीन बेची जा रही है और उनसे उस जमीन को ऊंचे दामों पर बिकवाने का काम आवास विकास परिषद् कर रही है । आगरा विकास प्राधिकरण की हालत और खराब है, रोजाना करोड़ों रुपयों का नुकसान होता चला जा रहा है । इसमें जो मेम्बर्स बनाये गये हैं तो सारे नियमों और कायदों को तोड़कर, वह लोग मेम्बर बनाये गये हैं, जो या तो मुख्य मंत्री के हमदर्द हैं, या उनकी गुडबुक्स में हैं या उनका कोई और रिश्ता होगा । नियमत: वही जो विधान सभा के मेम्बर चुनकर आये हैं वही मेम्बर होंगे । लेकिन अब उनको नजरअंदाज करके केवल इसलिये कि विकल जी भारतीय जनता पार्टी के हैं, श्रीमन् आपसे भी नाराजगी है, आपको भी नजरअंदाज कर दिया गया है । दूसरे लोगों को मेम्बर बनाया गया है । आवास एवं विकास परिषद् बड़े लोगों को रिश्वत लेकर छोड़ देता है । एक सिनेमा घर खोला गया था जिस पर 6 लाख रु0 जुर्माना हुआ लेकिन उसको कम करके 6 हजार रुपया कर दिया गया । श्रीमन्, इस प्रदेश में यह निगम घाटे में जा रहे हैं । यह स्थिति बन गयी है कि यह सारे के सारे लोग जो वहाँ पर चेयरमैन बनकर बैठे हैं यह सब के सब अपना घर बनाने की नीयत रखते हैं । इसलिए मैं कहना चाहता हूं आगरा के बारे में आवास विकास परिषद् के मामले में कि अगर इनकी छानबीन हो और उनके खिलाफ अगर उसकी जांच हो और एक कमीशन उनके लिए नियुक्त हो ।

मान्यवर, एक बात और कहना चाहता हूं हमारे बहुत से उधर के माननीय सदस्य बैठे हैं हल्ला मचाते हैं कि शहर के लोगों को सस्ते दर पर मकान मुहैया कराया जाय । मान्यवर, जो गरीबी रेखा से नीचे हैं उनका 3500 रु0 पिछली पंचवर्षीय योजना में रखा गया था । इस साल आपके राजीव गांधी जी ने जो 3500 रुपये में जीवन यापन करने वाले लोग हैं उनका सीमा तो बढ़ाया नहीं लेकिन यह जरूर कर दिया कि जिनकी 6400 रुपये वार्षिक आय है उनको भी गरीब मान लेंगे । यह गरीबी की परिभाषा नहीं और यह कोई मानक नहीं । जिन लोगों की आय 3500 रुपया है जिनके ई0डब्लू0एस0 के क्वार्टर हैं उनको 240 रुपये प्रति महीने की किस्त है और यह 40 किस्तों में रुपया लिया जायेगा । तो एक मकान जिसको इस सरकार ने वायदा किया था आवास विकास परिषद् ने वायदा किया था कि 10 हजार से 12 हजार में एक मूखंड देंगे ई0 डब्लू0 एस0 के लोगों को यह हम देंगे, आवास विकास परिषद् में हम देंगे और बनाकर देंगे और हम आपसे लेंगे 17-18 हजार में । यह छठी पंचवर्षीय योजना का प्लान है । लेकिन आज इन्होंने उसकी कीमत बढ़ाकर, वायदा करने के बाद, इकरार करने के बाद, बिना किसी कानून के बदले कीमत कर दिया नकद भुगतान में 32 हजार और किस्तों में 40 वर्ष की किस्त आप जमा करेंगे और एक महीने की किस्त होगी 240 रुपये । जो आदमी महीने भर में 350 रुपये कमाता है वह 240 रुपये मकान की किस्त देकर क्या बच्चों को खिलायेगा, क्या दवाई के लिए रखेगा, क्या शिक्षा के लिए रखेगा और क्या कपड़े के लिए रखेगा । श्रीमन्, आप देखेंगे 350 रुपये कमाने वाला 240 रुपये की किस्त इनको अदा कर दे तो उसके पास एक दिन में वह भोजन कराये एक परिवार के 5 व्यक्तियों का तो एक महीने

उसकी बचत है दवाई का पैसा काटने के बाद शिक्षा का पैसा काटने के बाद 35 पैसा प्रतिदिन । तो यह कहते हैं कि आदमी रोटी खाय और राजीव गांधी का कहना है कि 350 रुपये प्रतिमाह कमाने वाले को 240 रुपये प्रतिमाह के किराये के मकान पर रहना पड़ेगा यही है इनकी नीति । श्रीमन्, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आवास विकास परिषद् जिस जमीन को लेता है एक रुपये, आठ आने, बारह आने गज के हिसाब से उसको बेचता है 400-500 में उसके बाद भी आवास विकास परिषद् घाटे में जा रहा है और उसके बाद जो कालोनाइजर्स इनसे जमीन लेते हैं वह मुनाफा कमा रहे हैं ।

माननीय मंत्री जी ने एक अनुपूरक प्रश्न के उत्तर में कहा था कि हम जो जमीन किसान से लेते हैं, उस जमीन को अगर हम विकसित करके किसान को दे देंगे, जिसके पास भवन नहीं है, तो कास्टली पड़ेगा । यदि प्राइवेट कालोनाइजर्स को देते हैं, तो सस्ता पड़ेगा । इससे साफ होता जा रहा है कि जो चीजें सार्वजनिक हाथों में आ रही हैं वह घाटे की ओर अग्रसर हैं, जो व्यक्तिगत हाथों में आ रही है वह मुनाफे की तरफ जा रही है । सरकार की मंशा है कि सार्वजनिक क्षेत्र को घाटे में डालकर व्यक्तिगत हाथों को बढ़ावा दें । टाटा उद्योग समूह है, रिलायन्स उद्योग समूह है, या वह उद्योग समूह है [× × ×] बिरला उद्योग समूह है, थापर उद्योग समूह है । यह सरकार सार्वजनिक कामों में घाटा दिखा कर जनता में सार्वजनिक कामों की बुराई करके इन उद्योग समूहों को बढ़ावा दे रही है [× × ×]

श्री मुईद अहमद--

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है । (× × ×) । यह जो बातें रखी गयीं हैं इनको कार्यवाही से निकाला जाये ।

श्री अधिष्ठाता--

जो व्यक्ति इस सदन का सदस्य नहीं है, उसके बारे में नहीं कह सकते ।

श्री मुईद अहमद--

मान्यवर, इसे कार्यवाही से निकाला जाये ।

श्री अधिष्ठाता--

कार्यवाही देख लेंगे ।

श्री रघुबर दयाल वर्मा--

मैंने मान्यवर, नीतियों के बारे में कहा । सार्वजनिक उपक्रमों में घाटे की तथा व्यक्तिगत में मुनाफे की नीति चलाई जा रही है । थापर उद्योग समूह, टाटा उद्योग समूह, रिलायन्स उद्योग समूह है, [× × ×] । नीतियों की चर्चा में इन सवालों को, सार्वजनिक उपक्रमों की स्थिति को आपके सामने रखा है ।

श्री अधिष्ठाता--

अभी कितना समय और लेंगे ?

नोट--[× × ×] यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

श्री रघुबर दायल वर्मा--

मेरा निवेदन है कि सार्वजनिक उपक्रमों पर चेक-अप रखने के लिये प्रति वर्ष रिपोर्ट आये आडिट के लिए । वह आडिट पुस्तिका विधान सभा में आये, विधान मंडल के पटल पर रखी जाये जिससे कि लोगों के सामने आ सके । इन शब्दों के साथ तिवारी जी के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं । सार्वजनिक क्षेत्र को उन्नतिशील बनाने के लिये यह आवश्यक है कि आप इन पर एफेक्टिव कंट्रोल करें । तिवारी जी का प्रस्ताव जिस भावना के साथ पेश किया गया है उसी भाव से पास करने के लिये मैं प्रस्ताव करूंगा ।

*श्री मुईद अहमद--

मैं सर्वश्री अशोक बाजपेयी, रवीन्द्र नाथ तिवारी और श्री अकबर हुसैन बाबर के सार्वजनिक उपक्रमों से सम्बन्धित संकल्प में निम्नलिखित संशोधन प्रस्तुत करता हूं--

"संकल्प में शब्द "प्रदेश के सार्वजनिक उपक्रमों में निरन्तर बढ़ते हुये घाटे और भ्रष्टाचार पर" के स्थान पर शब्द "प्रदेश के जिन सार्वजनिक उपक्रमों में घाटा बढ़ रहा है उनके कारणों पर जांचोपरान्त" रख दिये जायें ।

मान्यवर यह जो तिवारी जी ने प्रदेश के उपक्रमों में घाटे के बारे में संकल्प रखा है, उसको मैं कुछ संशोधन के साथ स्वीकार करता हूं । इन्होंने हर उपक्रम को, हर कारपोरेशन को एक ही डन्डे से हांक दिया है । मान्यवर, एक यह निवेदन है कि जो उपक्रम फायदे दे रहे हैं, जो घाटा नहीं दे रहे हैं या जहां पर भ्रष्टाचार व्याप्त नहीं है, उन उपक्रमों को भी यहां पर शामिल कर लिया गया है । मान्यवर, कुछ पब्लिक अण्डरटेकिंग्स ऐसे भी हैं, जो पूरी तरह से व्यावसायिक नहीं हैं और न ही उपक्रमों को इस निगाह से देखा जाता है कुछ उपक्रम कल्याणकारी रूप में होते हैं जो सिर्फ जनता के फायदे के लिए ही होते हैं और वहां के स्थानीय लोगों के फायदे के लिए होते हैं, इसलिए जो मंशा माननीय सदस्य की है, वही मंशा मान्यवर, हमारी भी है कि जो उपक्रम भ्रष्टाचार के ऊपर निर्भर नहीं हैं और जहां पर फायदा हो रहा है, उनको छोड़कर और जिन उपक्रमों में नुकसान हो रहा है और उससे जनता को कोई लाभ नहीं पहुंच रहा है तो ऐसे उपक्रमों की जांच कराई जाए । बस इस संकल्प में मेरा यही निवेदन है, इसे सदन कृपया स्वीकार करे ।

पर्यटन राज्य मंत्री (श्री प्रमोद कुमार)--

मुझे कोई आपत्ति नहीं है इस संशोधन के बारे में ।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी--

मान्यवर, माननीय सदस्य ने जो संशोधन रखा है यदि वह यह संशोधन रखते कि जिन उपक्रमों में घाटा नहीं हो रहा है, उन्हें इस प्रस्ताव में छोड़ दिया जाए तो मुझे कोई आपत्ति न होती मगर जो उपक्रम घाटे में चल रहे हैं और जहां पर खुले आम भ्रष्टाचार हो रहा है तो इस भ्रष्टाचार के शब्द को माननीय सदस्य क्यों हटवाना चाहते हैं इस शब्द से इनको क्यों हिचक हो रही है और माननीय मंत्री जी ने इस संशोधन को सहर्ष स्वीकार भी कर लिया ।

मान्यवर, हमारे संकल्प को देखें कि "प्रदेश के उपक्रमों में निरन्तर बढ़ते हुए घाटे और भ्रष्टाचार पर प्रभावी अंकुश लगाया जाए" अब इस पर यदि माननीय सदस्य अपना संशोधन यह लाते कि जिन सार्वजनिक उपक्रमों में घाटा हो रहा है और भ्रष्टाचार हो रहा है, उस पर अंकुश लगाया जाए, तो एक सा[illegible] [illegible]ना होती, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि भ्रष्टाचार शब्द को इस संकल्प से निकलवाना चाहते हैं । मगर मान्यवर,

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

आज स्थिति क्या है, परसों में महामहिम राज्यपाल महोदय से मिला और मैंने उनसे निवेदन किया कि लखवाड़ बांध की निविदा सन् 1985 में इनवाईट की गयी थी, लेकिन यह निविदा सन् 1987 में संक्शन हुयी, नतीजा यह हुआ कि ऐग्रीमेंट के अनुसार 10 परसेन्ट ज्यादा देना पड़ा। इस प्रकार 40 करोड़ रुपया आपको अधिक देना पड़ा उस कम्पनी को इसलिए मैंने इस सम्बध में स्पष्ट आरोप लगाए कि 3 करोड़ रु0 कमीशन के रूप में इस प्रदेश के मुख्य मंत्री और अधिकारियों द्वारा लिया गया है ? इस आरोप को भी मैंने मान्यवर, लिखकर दिया कि 20 करोड़ रु0 का इम्बेजिलमेंट वीवर्स सोसाइटीज में किया गया है और इस बात को मैं नहीं कह रहा हूं इस सम्बन्ध में मैट्रोपोलिटन मैजिस्ट्रेट, अनवरगंज, कानपुर के न्यायालय ने श्री जगदीश अवस्थी सांसद समेत 48 लोगों के विरुद्ध वारेन्ट जारी किए हैं, लेकिन माननीय मुख्य मंत्री जी के आदेश जाते हैं कि इसको रुकवा दिया जाये, इसका इन्जीक्यूशन रोक दिया जाय। इसलिए इसमें यदि माननीय सदस्य ईमानदारी से शब्द भ्रष्टाचार को हटवाना चाहते हैं तो मैं एक ही निवेदन करूंगा कि अगर आप इस तरह से संशोधन लाएं कि जिन उपक्रमों में घाटा और भ्रष्टाचार हो रहा है केवल उनकी जांच के लिए प्रभावी कदम उठाए जाएं तो भी मुझे कोई आपत्ति न होती बल्कि मैं उसे सहर्ष स्वीकार कर लूंगा लेकिन अगर आप यह कहें कि भ्रष्टाचार पर अंकुश न लगाया जाए, रोक न लगाई जाए तो इस रूप में यह संशोधन स्वीकार करना हमारे लिए दिक्कत की बात होगी। मान्यवर, एक निवेदन मैं और कर दूं, आज की स्थिति में हमारी नियमावली के हिसाब से आज यह संशोधन नहीं लाया जा सकता, लेकिन अगर सही मायने में इधर और उधर दोनों पक्ष के लोगों की भावना ईमानदारी से भ्रष्टाचार और नियमों के घाटे को रोकने की है तो हम समझते हैं कि प्रदेश के निगमों का जो समाजवादी ढांचा है, उसको प्रगति के रास्ते पर लाया जाना चाहिये। उस पर ईमानदारी से अमल करना चाहिये, तो मैं मात्र तकनीकी बातों को आड़े नहीं आने देना चाहूंगा, इसके पहले कि और दूसरे माननीय सदस्य, बोलेंगे, मैं इस संशोधन के बारे में कहना चाहूंगा कि संशोधन यदि इस रूप में लाया जाय कि जितने निगमों में घाटा और भ्रष्टाचार है, उस पर प्रभावी अंकुश लगाया जाय, तो मैं उनको स्वीकार कर लूंगा, लेकिन अगर भ्रष्टाचार शब्द से परहेज करते हैं, केवल घाटे पर कार्यवाही करना चाहते हैं, भ्रष्टाचार को रोकने के लिये कोई कदम उठाना नहीं चाहते तो मुझ जैसे व्यक्ति को यह संशोधन स्वीकार करना कठिन होगा।

श्री अधिष्ठाता—

माननीय तिवारी जी, माननीय मुईद अहमद साहब ने जो संशोधन रखा, उसमें नियम 95 में अनुमति दे दी गयी थी, तभी उन्होंने संशोधन रखा।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी—

मान्यवर, मुझे आपकी आज्ञा शिरोधार्य है, लेकिन मेरा एक निवेदन है कि माननीय सदस्य ने जो संशोधन रखा, माननीय मंत्री जी ने भी उसको मान लिया है। मेरा माननीय मंत्री जी से और माननीय सदस्य से भी अनुरोध है, आपके माध्यम से आग्रह है कि अगर वह इसकी भावना से सहमत हैं तो मैं दोनों से करबद्ध प्रार्थना करूंगा कि वे संशोधन को इस रूप में लाएं कि जितने निगमों में घाटे और भ्रष्टाचार की शिकायत है, उन पर प्रभावी अंकुश लगाया जाय, तो मैं मान लूंगा। वैसे अभी इस संशोधन पर फिर बहस चलेगी।

श्री अधिष्ठाता—

अगर माननीय सदस्य ने जो संशोधन रखा है, उसकी भावना के अनुसार आप कोई संशोधन करना चाहें तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है।

श्री प्रमोद कुमार—

मान्यवर, माननीय सदस्य ने जो विषय उठाया है, उस पर शासन पूरी गम्भीरता से पक्ष और विपक्ष के विचार जानना चाहता है और जो सुझाव दिये जाएंगे, उनको शासन कार्यरूप में परिणित करने का पूरा प्रयास करेगा। माननीय सदस्य ने जो संशोधन दिया है, मेरा आग्रह है कि उसको स्वीकार कर लें तो उस पर पक्ष और विपक्ष की जो राय आयेगी, शासन उस पर अमल करेगा।

*श्री प्रदीप माथुर—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, श्री अशोक बाजपेयी, श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी तथा श्री अकबर हुसैन बावर का यह जो संकल्प है, उस पर रखे गये संशोधन का मैं समर्थन करता हूं। आज विपक्ष की भूमिका सिर्फ क्रिटीसाइज करने की रह गयी है। हर बात में उन्हें भ्रष्टाचार की बू आती है। वे जो भी बात देखते हैं, उसमें भ्रष्टाचार चिल्लाते हैं और उसी का नतीजा आप देख रहे हैं कि हाउस में रोज क्या होता है।

मान्यवर, यह आप्टीमैस्टिक विचारधारा के लोग नहीं हैं, आशावादी विचारधारा के लोग नहीं हैं। न वे उन उपक्रमों की ओर देखते हैं जो करोड़ों के लाभ में चल रहे हैं और दुनिया में नाम कर रहे हैं। यू0 पी0 ब्रिज कार्पोरेशन, सेतु निगम करोड़ों रुपयों का लाभ अर्जित कर रहा है। उनको इसके लिये एवार्ड—प्राइज मिला। इनको अपनी संकुचित विचारधारा को बदलना होगा और सोचने-समझने की शक्ति में व्यापक परिवर्तन लाना होगा। आप देखें यू0 पी0 एस0 आई0 डी0 सी0 लाखों के लाभ में चल रहा है। यू0 पी0 एस0 आई0 सी0 भी लाभ में चल रहा है। इसमें अधिकारियों को जो परक्यूटिक्स दिया जाता है उसको यह भ्रष्टाचार कहते हैं। वर्मा जी ने कहा कि आवास विकास में भ्रष्टाचार व्याप्त है, मुझे लगता है कि उनका कोई काम नहीं हुआ होगा। इसलिए उन्होंने यह आरोप आज हाउस में लगा दिये।

श्री रघुबर दयाल वर्मा—

मान्यवर, व्यवस्था का सवाल है।

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय माथुर जी से कहना चाहता हूं कि आवास विकास परिषद् में न तो कोई मेरी दरख्वास्त है और न मैं किसी काम के लिये आवास विकास दफ्तर में गया हूं। माननीय माथुर साहब ऐसे कामों में माहिर हैं, उनका जरूरी मथुरा के आवास विकास परिषद् से कोई काम होगा। मैं उनका आदर करते हुए यह कहना चाहता हूं कि आरोप लगाने से पहले अपने आपको नियंत्रित कर लें। मान्यवर, अभी यह बाहर जाकर यही कहेंगे कि भ्रष्टाचार से देश डूब रहा है, प्रदेश डूब रहा है। इसलिए आरोप लगाने से पहले अच्छी तरह से सोच-समझ लें। शिष्ट भाषा का प्रयोग करें।

श्री प्रदीप माथुर—

मान्यवर, आप देखें, इन्होंने अब मेरे ऊपर आरोप लगा दिये। मान्यवर, तराई बीज निगम करोड़ों रु0 के प्राफिट में चल रहा है। उसको एवार्ड भी मिला है। इनको अपने सोचने का नजरिया भी देखना पड़ेगा? मान्यवर, जब हम बात करते हैं प्रगतिशील विचारों की, तो इन लोगों को दुख होता है। मान्यवर, आज यह अपने समय को भूल गये हैं। 1977-1980 के बीच में, जब इनका शासनकाल था, उपक्रमों से जरा दूर की बात है, सड़कें कागज में बन गयीं। कागजों में सड़कें बह गयीं। मान्यवर, कम से

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

कम यह अपने दामन में झांक कर देखें कि क्या हैं ? मान्यवर, जो संकल्प पर संशोधन माननीय मुईद साहब ने रखा है, वह सर्वमान्य है । जो उपक्रम घाटे में चल रहे हैं, उनकी जांच के लिये हमारी सरकार बचनबद्ध है । अब यह जांच सभी निगमों में करायी जाय, यह कोई तुक नहीं बनता । मान्यवर, सरकारी उपक्रमों की कार्यशैली की बाबत यहां पर यह सवाल उठाकर, जो यह सपना देख रहे हैं कि किसी तरह से माननीय मुख्य मन्त्री जी उनको किसी कारपोरेशन का चेयरमैन नामिनेट कर दें, तो मैं कहना चाहता हूं कि हम उनका यह सपना साकार नहीं होने देंगे । आई0 ए0 एस0. पी0 सी0 एस0, के यह पीछे पड़े रहते हैं, उन्हीं से काम चलता है । इनको अपने सोचने समझने का नजरिया बदलना पड़ेगा । यह जो कहते हैं कि उनके सरवाईवल रहें, ठीक-ठीक रहें । यह किसी चीज पर ठीक से विचार करना नहीं चाहते हैं । मैं कहना चाहूंगा कि अगर यह रूलिंग पार्टी के साथ मिलकर चलेंगे, तो लाभ में रहेंगे । इस तरह से कोई फायदा नहीं है । मैं इसी के साथ अपनी बात समाप्त करता हूं ।

*श्री गोपाल दास यादव--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, माननीय रवीन्द्र नाथ तिवारी जी ने प्रदेश के सार्वजनिक उपक्रमों में निरन्तर बढ़ते हुए घाटे और भ्रष्टाचार पर प्रभावी अंकुश लगाये जाने के सम्बन्ध में जो संकल्प प्रस्तुत किया है, उसका समर्थन करते हुए यह कहना चाहता हूं कि यह यूनिवर्सल फैक्ट है कि जो सार्वजनिक उपक्रम चल रहे हैं, घाटे पर चल रहे हैं और उन पर अंकुश लगाना हमारा आपका नैतिक कर्तव्य है । यह सभी लोगों का मामला है ।

माननीय सदस्य, चाहे उस तरफ के हों, या इस तरफ के हों, यह हमारी आपकी जिम्मेदारी है कि किसानों, मजदूरों, गरीबों की जो मेहनत की कमाई है, जो धन है, उसका दुरुपयोग नहीं होना चाहिये । मान्यवर, आज यह जो आई0 ए0 एस0 कैडर है, यह अपने को विदेशी समझते हैं । वे अपने को भारतीय नागरिक न समझते हुए, जिस तरह से अंग्रेज भारतीयों की कमाई को लेकर, मजदूरों बुनकरों और जितने भी हमारे साधन थे उसका धन अर्जित करके, विदेशों में भेजा करते थे, यही आई0 ए0 एस0 कैडर के लोग भारतीय भावनाओं से अलग रह कर, जन समस्याओं से अलग रह करके, आज सरकार चला रहे हैं और भ्रष्टाचार को बढ़ाते हुए, अंकुश नहीं लगा पा रहे हैं । माननीय तिवारी जी ने जो यह प्रयास किया है संकल्प के माध्यम से उसमें यह विचारधारा आयी कि सार्वजनिक उपक्रमों में जो भ्रष्टाचार व्याप्त है, इसको किस तरह से रोका जाय । अभी हमारे एक माननीय सदस्य माथुर साहब उधर से बोल रहे थे, देखने में गम्भीर और जिम्मेदार दिखते हैं, लेकिन जब बोल रहे थे तो माथुर साहब में गम्भीरता नाम की कोई चीज दिखाई नहीं पड़ी ।

मान्यवर, गढ़वाल विकास निगम की बात कहना चाहता हूं । इस निगम की स्थापना इस उद्देश्य से की गई थी कि पहाड़ों का जो पिछड़ापन है, वहां पर जो लोग अशिक्षित हैं और खेल-कूद में पिछड़े हैं, उनका विकास किया जाय लेकिन यह गढ़वाल विकास निगम एक सफेद हाथी है । भवन निर्माण हेतु जो प्लाई वुड की पल्ली बनती है, पहाड़ों पर अच्छे क्वालिटी की लकड़ी मिलती है, इसी चीज को मद्दे नजर रखते हुए वहां पर एक प्लाई वुड का कारखाना खोलने हेतु इस निगम की स्थापना की गई थी लेकिन ये आई0 ए0 एस0 के अधिकारी केवल आवास विकास तक ही सीमित रह गये हैं चाहे वह इलाहाबाद का आवास विकास हो या फिर किसी अन्य जगह का अपने आई0 ए0 एस0 दोस्तों के माध्यम से आवास विकास का आर्डर ले लेते हैं, अगर कोई निजी व्यापारी वहां पर जाता है तो इनका आई0 ए0 एस0 कैडर का जो एम0 डी0 वहां पर बैठा होता है, वह अपने नैतिक कर्तव्य को भूल जाता है कि एक व्यापारी के साथ किस प्रकार का व्यवहार किया जाना चाहिए । उनकी तरफ से भवन/माल बिके

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

या न बिकें, निगम घाटे में जाय या लाभ, उन्हें इससे कोई लेना देना नहीं होता है। यदि कोई व्यापारी 5 लाख रुपये का प्लाई वुड खरीदने का ड्राफ्ट लेकर जाता है तो उससे कह दिया जाता है कि हम तुम्हें सीधे आर्डर नहीं दे सकते हैं, आप डीलर के पास जायें। इसलिए मेरा कहना यह है कि वहां पर एक कामर्शियल आदमी होना चाहिए, जो व्यापार को समझे और एक व्यापारी से कैसे बात की जाती है, उसे समझे, आई0 ए0 एस0 को वहां पर नहीं होना चाहिए।

उद्योग को ही आप लें। जो आपका यह वित्त निगम है, इसका उत्तरदायित्व उद्योगों की स्थापना करना है लेकिन यह उद्योग विभाग देखता है कि कितना चढ़ावा वह चढ़ा सकता है। यदि कोई व्यक्ति कहता है कि मुझे यह उद्योग करना है और इस चीज का मेरे पास इतना अनुभव है और इस उद्योग हेतु मेरे पास इतनी जमीन है, लेकिन इस शासन को इससे कोई सरोकार नहीं होता है। इनका तो यह कहना होता है कि कितना तुम घाटे में पहुंचा सकते हो। सबको अपने कमीशन की पड़ी रहती है, रोजगार मुहैया कराने से उनको कोई मतलब नहीं रहता है। वह अपनी कोई जिम्मेदारी नहीं समझते हैं केवल अपने निजी स्वार्थों को देखते हैं आज यह आई0 ए0 एस0 बे-घोड़े की लगाम हो गया है।

श्री अधिष्ठाता--

बे-घोड़े की लगाम नहीं बे-लगाम का घोड़ा।

श्री गोपाल दास यादव--

हां, बे-लगाम का घोड़ा। सत्तापक्ष के लोग भी बराबर आई0ए0एस0 को सहयोग देते रहते हैं। हमारे मन्त्रीगण भी अपने विषय की जानकारी न होने के कारण, ब्यूरोक्रेट्स सोचते हैं कि मंत्री जी को बना देंगे। उनकी सांठ-गांठ से वित्त निगम में भी भ्रष्टाचार व्याप्त है।

गवर्नमेण्ट अंडरटेकिंग के बारे में, आज जितनी भी दवा की फैक्टरियां उत्तर प्रदेश में स्थापित हैं, गवर्नमेण्ट अण्डरटेकिंग हैं, आई डी0 पी0 एल0 है, यू0 पी0 डी0 एल0 है इनको देख लें। ये इस उद्देश्य से बनायी गई थीं कि ग्रामीण क्षेत्रों में सस्ती और स्टैण्डर्ड दवा मुहैया करेंगी, लेकिन आप जाकर देख लें, आई0 डी0 पी0 एल0, जिससे उम्मीद करते थे कि सब तरह की दवा जनता को मिलेगी, सारे का सारा रां मैटेरियल आता है दवा बनाने के लिये, लेकिन कहां चला जाता है? किसकी जिम्मेदारी है? वहां के एम0 डी0 भी नान-टैक्नीकल आदमी हैं, जिनको दवा के बारे में नहीं मालूम कि दवा कैसे बनायी जाती है? क्वालिटी कण्ट्रोल क्या होता है, रां मैटेरियल क्या होता है? आई0 ए0 एस0 वह आलू है जिसे चाहे जिस सब्जी में डाल दीजिये, चल जायेगा, एम0 डी0 बना दीजिये चाहे ज्ञान हो या न हो। वह भी लिप्त हैं भ्रष्टाचार में। ग्लिसरीन 5 रु0 में आती है, सचिव महोदय के आदेश हैं कि सरकारी अस्पतालों में डिसपेन्सरियों में खरीदो, किस डायरेक्टर की हिम्मत है कि सचिव महोदय के आदेश का पालन न हो और 5 रु0 की चीज 25 रु0 में खरीदी जायगी तो क्या वह उपक्रम फायदे में चलेगा? इस बात का प्रयास होना चाहिये कि वहां पर टैक्नीकल आदमी की ही नियुक्ति हो भारत सरकार ने कहा था कि टैक्नीकल इन्सटीट्यूशन्स में टैक्नीकल आदमी होना चाहिये तभी जनता का भला होगा। नान-टैक्नीकल आदमी केवल अपनी साजसज्जा, गाड़ी और बंगले के लिये बजट बनायेगा। माननीय तिवारी जी ने, जो कि अनुभवी हैं, उनको पीड़ा है, इसीलिये उन्होंने सोचा कि पैसे का दुरुपयोग कैसे रोकें और वे यह संकल्प लाये।

अभी लोक लेखा समिति की टीम साउथ में गई थी, वहां पर साबुन की फैक्ट्री और ग्लास फैक्ट्री जो देखा तबियत खुश हो गई कि हमारे भारत में यह भी है। वहां के अधिकारियों से बात की और पूछा गया कि क्या उनकी फैक्ट्री भी घाटे में चल रही है, उन्होंने कहा कि नहीं हमारे यहां कोई फैक्ट्री घाटे पर नहीं चलती है। हमारे यहां के लोग समझते हैं कि हमारी नैतिक जिम्मेदारी क्या है। हमें इतनी तनख्वाह मिलती है कि हम अपने बाल बच्चों का पेट पाल सकें। दक्षिण के लोग, अधिकारी कर्मचारी सब ईमानदार हैं। हमको शर्म आनी चाहिये कि हमारा उत्तर प्रदेश, जहां सारी सम्पदायें मौजूद हैं, उसके बाद भी जो भ्रष्टाचार पनप रहा है, अगर अंकुश नहीं लगायेंगे तो आने वाला समाज हमें माफ नहीं करेगा। इसीलिये मान्यवर, मैं यह कहना चाहता हूं कि तिवारी जी ने जो संकल्प प्रस्तुत किया है कि सार्वजनिक उपक्रमों में जो भ्रष्टाचार व्याप्त है उसे दूर करने के लिये विचार किया जाना चाहिये। इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस संकल्प पर बल देता हूं।

चौधरी श्याम लाल--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं संशोधन पर बल देता हूं। हम सेकुलर सोशलिज्म की बात करते हैं, समाजवादी विचारधारा की बात करते हैं, धर्म निरपेक्ष दृष्टिकोण की बात कहते हैं, इस सम्बन्ध में संविधान के अनुच्छेद 38 में साफ लिखा है कि प्रजातंत्र कल्याणकारी राज्य है। जनहित की बात, जनहित की भावना वास्तव में इसका मूल मंशा है।

जो आप घाटे कह रहे हैं एक तो उसके उद्देश्य में फर्क है। अभी जैसे कि यहां औद्योगिक घरानों की बात कही गई, मरकन्टाईल की बात कही गयी कि उनमें फायदा होता है लेकिन सार्वजनिक उपक्रम घाटे में चल रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं कि औद्योगिक घराने का मात्र उद्देश्य पैसा पैदा करना है, मुनाफा कमाना है, लेकिन हमारा उद्देश्य और दृष्टिकोण जनहित का है और इस विचारधारा के अन्तर्गत, इस दृष्टिकोण के अन्तर्गत हमें देखना पड़ेगा, हम दोनों की आपस में तुलना नहीं कर सकते हैं क्योंकि सार्वजनिक उपक्रमों की मंशा जन कल्याण की भी है। इसलिये औद्योगिक घरानों की और सार्वजनिक उपक्रमों की तुलना नहीं की जा सकती है।

मैं उदाहरण के तौर पर बतलाना चाहता हूं कि रेलवे मिनिस्ट्री में एक प्रस्ताव आया कि जो मेन जंक्शन्स हैं वहां से जो शटल ट्रेनें चलती हैं उनसे फायदा नहीं है इसलिये उनको समाप्त कर दिया जाय। ऐसी करीब 32 लाइनें विरोधी सदस्यों ने इस पर आपत्ति की और कहा कि शासन की मंशा मात्र यह नहीं है कि फायदा हो, जन हित के दृष्टिकोण को मद्देनजर रख कर यह निर्णय लेना चाहिये इसी तरह से मैं कहना चाहता हूं कि हमारे जो सार्वजनिक उपक्रम हैं और घाटे में चल रहे हैं, और बहुत से फायदे में जनहित प्रथम वरीयता में आता है। निर्माण के अन्तर्गत सामूहिक रूप से फायदा उठाने की मंशा नहीं थी बल्कि जब कल्याण होना चाहिये, यह मंशा थी।

अभी यहां आवास विकास परिषद् की बात आई। मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूं और खास करके माननीय मूल चन्द्र जी से कि अभी आवास विकास परिषद् ने कम दामों पर हरिजन और निर्बल वर्ग के लिये एक योजना चलायी है जिसमें सामूहिक रूप से उनको आवास दिलाने की व्यवस्था की गयी है और यह मकान केवल 25 हजार रु0 में बनाये जायेंगे। जितने भी एच0 आई0 जी0 के क्वार्टर्स हैं उनके मूल खर्चे में कुछ बढ़ोत्तरी करके और हरिजनों की लागत को कम करके इन मकानों के निर्माण कराये जाने की योजना है। घाटे को इस तरह से

पूरा करके निर्बल वर्ग को मकान मुहैय्या करायेंगे। इस तरह से इन लोगों को शासन की इस नीति का समर्थन करना चाहिये कम से कम उन व्यक्तियों को जो कि यहां निर्बल वर्ग की और हरिजनों की वकालत करते हैं और जोर-जोर से चिल्लाते हैं।

मैं कहता हूं कि शासन की नीति निर्धारण की मंशा यदि ये लोग देख लें तो वास्तव में इन लोगों को शासन की प्रशंसा करनी चाहिये। खास करके विरोधी पक्ष के सदस्यों से मैं कह रहा हूं कि केवल आरोप लगाने से काम नहीं चलता है। शासन ने जन कल्याणकारी नीतियों के अन्तर्गत ही सार्वजनिक उपक्रमों की स्थापना की है। आवास विकास परिषद् ने एक और निर्णय लिया है कि जो भी अनुसूचित जाति के लोग हैं उनको बिना लाटरी के यानी कि अपंजीकरण के ही मकान की सुविधा दी जायेगी। हमारा दृष्टिकोण मरकन्टाईन नहीं है, धर्म निरपेक्ष है, जन कल्याणकारी है और इसी दृष्टिकोण से निगमों की स्थापना की गयी है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं संशोधन पर बल देता हूं और इसका समर्थन करता हूं।

*श्री माता प्रसाद पाण्डेय--

मान्यवर, जिस ढंग से सदस्य सत्ताधारी अभी अपने विचार व्यक्त कर रहे थे, मुझे आश्चर्य हो रहा था कि या तो इन्होंने निगमों को समझा नहीं है या उनके उद्देश्य को पढ़ा नहीं है। मान्यवर, उनकी स्थापना इसलिये नहीं की गई थी कि घाटा देंगे, उनकी स्थापना इसलिये की गयी थी कि हमारा जो प्रदेश है, उसके वित्तीय संसाधन जो इसको विकास के लिये प्राप्त नहीं हो पा रहे थे सरकार ने इनके माध्यम से कुछ अतिरिक्त संसाधन जुटाकर विकास के कामों में खर्च करेगी। जो इनसे लाभ मिलेगा, उससे वित्तीय संसाधन बढ़ने चाहिये, लेकिन हमारे वित्तीय संसाधन सिकुड़ते चले जा रहे हैं। शासन स्तर से जितनी सुविधायें इन निगमों को मिल रही हैं, उसका कोई परिणाम नहीं निकला है, उसका कारण यह है कि इन निगमों में भ्रष्टाचार फैला हुआ है। मान्यवर, यहां कुछ निगम हैं, जो जन कल्याण-कारी कार्यों से जुड़े हुये हैं, उनमें घाटा बरदाश्त किया जा सकता है, लेकिन ऐसे भी निगम हैं जो रोजगार सृजित करने के लिये बनाये गये हैं और वह घाटा दे रहे हैं, तो उनकी क्या आवश्यकता है।

मान्यवर, परिवहन निगम है, इसमें थोड़े स्तर पर घाटा हो सकता है, यह जनता को सुविधायें प्रदान करता है, तो अच्छी बात है, लेकिन सुविधा भी नहीं मिलती है और हमारी पूंजी भी चली जाय, तो ठीक बात नहीं है। मान्यवर, जब निगम स्थापित किये जाते हैं, तो सरकार निगमों को निजी पूंजी के लिये पैसा देती है और जो पूंजी सरकार देती है, उस पर 9.85 प्रतिशत ब्याज देती है। सरकार अधिक ब्याज पर पैसा लेकर कम ब्याज पर पैसा इन निगमों को देती है। ऐसा इसलिये सरकार करती है कि यह निगम मुनाफा कमावें और सरकार के संसाधन बढ़ें। मान्यवर, मैं 1984-85 की स्थिति बताना चाहता हूं कि निगमों पर जो ब्याज बकाया था वह 12 अरब 5 करोड़ रुपया था और सरकार ने जो रुपया इन निगमों में लगाया उसका 11 अरब 38 करोड़ रुपया ब्याज देना है। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि जो सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो है, उसकी रिपोर्ट यहां पर नहीं आने पाती है, इसलिये इन निगमों के बारे में जो आंकड़े हैं, वह हम लोगों को नहीं मिल पाते हैं।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

1984-85 की स्थिति यह है कि इन निगमों पर जो ब्याज देना है 23 अरब 45 करोड़ रुपया है, तो मान्यवर इनमें अरबों रुपया लगा हुआ है। चाहे परिवहन निगम हो या और कोई निगम हो, किसी से आपको कुछ मिलना नहीं है। माननीय ग्राम विकास मंत्री जो उस दिन अपना भाषण कर रहे थे तो बताया कि उनके विभाग के अन्तर्गत जो निगम हैं उनमें 2-3 लाख रुपये नफा आया है। मान्यवर, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि जितनी पूंजी लगी हुई है, उसको देखते हुये कितना नफा आया है, इसको उन्होंने नहीं बताया। मान्यवर, विद्युत् परिषद् के बारे में कहा गया, आप सोच लें कि उसमें कितना रुपया लगा हुआ है। 4550 मेगावाट की क्षमता के लिये इसमें पूंजी लगायी गयी थी, लेकिन 33-40 प्रतिशत ही यह बिजली पैदा कर रहा है। यह जो मंत्री हैं, अगर किसी फैक्टरी में मैनेजर होते तो इनको कान पकड़ कर निकाल दिया जाता। इतनी पूंजी देने के बाद हमारा निर्धारित लक्ष्य इतना है। इस तरह से हमारी पूंजी, प्रदेश की गाढ़ी कमाई व्यर्थ चली जाती है। ये निगम हमें ब्याज भी नहीं दे पाते हैं जब कि हमें इनको अनुदान देना पड़ता है। इसी तरह से विद्युत् परिषद् को कर्जे के रूप में, अनुदान के रूप में हम पैसा देते हैं, प्रदेश की गाढ़ी कमाई का पैसा जिसे प्रदेश के विकास के अन्य कार्यों में लगाया जा सकता था, वहां न लगाकर इन निगमों को खड़ा करने में लगा रहे हैं। कितना भ्रष्टाचार इन निगमों में व्याप्त है, भाई-भतीजावाद व्याप्त है। मंडलीय विकास निगम इसीलिये बनाये गये थे, इसीलिये हमने उनको जमीन दी थी ताकि वे हमें रोजगार दे सकें लेकिन इन मंडलीय विकास निगमों पर करोड़ों रुपया लगा दिया गया किन्तु कोई रोजगार के साधन सृजित नहीं हुये। हमारी जमीन फ्री चली गई, हमें पूंजी पर ब्याज देना पड़ता है लेकिन उससे कोई रोजगार हमें नहीं मिला। मैनेजर से लेकर मैनेजिंग डाइरेक्टर तक सब गाड़ी पर चलते हैं, पैसे का नाजायज दुरुपयोग करते हैं। आप कहते हैं कि भ्रष्टाचार नहीं है। इसी सदन में कई बार विद्युत् परिषद् के बारे में ट्रांसफारमर की खरीद में, तारों और खम्भों की खरीद में प्रश्न आया था। मुईद साहब, मुझे आश्चर्य हुआ यह जानकर कि आप इसकी ताईद कर रहे हैं कि कोई भ्रष्टाचार नहीं है। इसी प्रश्न पर यहां पर काफी हंगामा हुआ था खम्भों की खरीद के बारे में और हम लोग सदन से बहिर्गमन किये थे। हम लोगों ने सी0 आई0 डी0 द्वारा जांच कराने की मांग की थी। उसकी जांच की गई थी। यह भ्रष्टाचार नहीं है तो और क्या है? तब आप कहते हैं भ्रष्टाचार नहीं है। भ्रष्टाचार इनको अपनी आंखों से नहीं दिखाई देता है। मुईद साहब को निगमों में भ्रष्टाचार नहीं दिखाई देता, इनके लिये कोई सुरमा बनवा दीजिये, जो उन्होंने ऐसा संकल्प रख दिया।

मान्यवर, परिवहन निगम के लिये एक केन्द्रीय मानक है कि एक-एक बस को ढाई सौ किलोमीटर प्रतिदिन चलना चाहिए। यह ऐवरेज है। लेकिन इनकी जो बसें हैं वह 180 किलोमीटर चलती हैं, कभी 190 किलोमीटर प्रतिदिन चलती हैं और कभी खींच-खींच कर ली तो 220 किलोमीटर तक चल पाती हैं। इस प्रकार इसको ही औसत मान लिया जाय तो 30 किलोमीटर प्रतिशत का घाटा हुआ। इस तरह से यदि दो रुपये प्रति किलोमीटर भी हम जोड़ लें तो 60 रुपये प्रति बस के हिसाब से 6 हजार बसों का आप हिसाब लगा लें कि कितने रुपये का नुकसान यह परिवहन निगम आपको दे रहा है। इसके साथ ही साथ उसका इंजन एक लाख किलोमीटर चलने पर रिपेयर हो जाना चाहिए। सैकड़ों बसें पड़ी हुई हैं जो 250 हजार यानी ढाई लाख किलोमीटर चलने पर भी उनकी रिपेयरिंग नहीं हुई है। क्या यह भ्रष्टाचार नहीं है। इस निगम में ओवरस्टाफ और भाई-भतीजावाद फैला हुआ है। शुगर कारपोरेशन के बारे में तो भगवान ही जाने। यह निगम किसानों के हित के लिये बनाया गया था। इतनी पूंजी इसमें लगा दी लेकिन इसमें निरन्तर घाटा होता चला जा रहा है। दूसरे इसी के समानान्तर यही उद्योग यदि प्राइवेट में चलाते हैं तो वे

नफा देते हैं, पूंजी क्रियेट करते हैं जिससे वे दूसरे उद्योग भी लगा लेते हैं। आपका क्या हाल है। किसी से जो टैक्स लेते हैं, इक्साइज ड्यूटी के माध्यम से जो टैक्सेज लिये जाते हैं उसको गरीब आदमियों के हित में न लगाकर वह पैसा बेइमान, भ्रष्ट अफसरों की जेबों में चला जाता है। इसलिये मैं तिवारी जी द्वारा प्रस्तुत संकल्प का समर्थन करता हूं।

मैं भाई मुईद साहब से कहना चाहता हूं कि जब वे यहां पर "बैठे रहते हैं" तो भ्रष्टाचार नहीं दिखाई देता और जब बाहर निकलते हैं तो भ्रष्टाचार दिखाई देता है। जब वे इधर बैठते हैं तो भ्रष्टाचार नजर आता है, जब उधर बैठते हैं तो वह नजर नहीं आता। माननीय सदस्य जब जनता पार्टी में थे तो उस समय भ्रष्टाचार नजर आ रहा था जब वहां पर बैठ गये तब दिखाई नहीं दे रहा है। इसलिये मैं इस संकल्प का समर्थन करता हूं और मैं चाहूंगा कि मुईद भाई भी इसको स्वीकार करेंगे। मैं यह भी चाहूंगा कि जो आपका विद्युत् परिषद्, परिवहन निगम, मंडलीय विकास निगम, सुगर कारपोरेशन, जितने भी निगम हैं, उनमें जो भ्रष्टाचार व्याप्त है उसे दूर करने का प्रयास किया जाय। इन शब्दों के साथ मैं इस संकल्प का समर्थन करता हूं।

*श्री हरदेव—

माननीय अधिष्ठाता जी, मैं इस संकल्प पर बल देते हुये बताना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में सार्वजनिक उपक्रम एवं निगमों की 1975 में संख्या 28 थी और 1982-83 में इनकी संख्या 57 हो गयी है। जैसे उद्योग विभाग में 14 उपक्रम हैं, क्षेत्रीय विकास में 10 उपक्रम हैं, कृषि पर्वतीय विकास, पशुधन विकास, हरिजन कल्याण, सार्वजनिक निर्माण विभागों में 3-3 निगम हैं और खाद्य विभाग में 2, आवास एवं नगर विकास में 2, ऊर्जा विभाग में दो एवं धन, परिवहन, सिंचाई, नियोजन आदि में एक-एक उपक्रम काम कर रहे हैं। मैं अपने साथियों को बताना चाहता हूं कि 1982-83 में हमारे पास आंकड़े हैं विद्युत् परिषद् ने 630·65 लाख रुपये का लाभ कमाया और 1981-82 में 507·25 लाख का लाभ कमाया। इसी तरह से चीनी निगम, वस्त्र निगम, परिवहन निगम, वन निगम, सेतु निगम, एग्रीकल्चरल एण्ड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कारपोरेशन, राज्य निर्माण निगम, यू0 पी0 इलैक्ट्रानिक कारपोरेशन, हार्टिको आदि भी लाभ पर रहे हैं।

मान्यवर, आज जरूरत क्या है मैंने तिवारी जी से सवाल किया था उस पर उन्होंने विशेष ध्यान नहीं दिया। मैं कहना चाहता हूं कि एक व्यक्ति को एक ही काम दिया जाय तो उससे हमें निगमों को अच्छी तरह चलाने में सफलता मिलेगी। इन निगमों में जो अधिकारी प्रबन्ध निदेशक हैं वहीं सचिव हैं और वही चैयरमैन हैं इस तरह से मैंने देखा है कि उत्तर प्रदेश के व्यक्ति कार्यक्रम में वह व्यस्त रहते हैं....।

श्री भगवान दीन कुशवाहा—

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। मान्यवर, मैं माननीय हरदेव जी से जानना चाहता हूं कि इनके रिश्तेदार या सम्बन्धी निगमों में किसमें ठेकेदारी कर रहे हैं यह जरा बता दें।

श्री अधिष्ठाता—

यह कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री हरदेव—

मान्यवर, मैं अपने रिश्तेदारों में स्वयं जनप्रतिनिधि के रूप में यहां आया हूं जिसका मुझे सौभाग्य मिला है बाकी मेरे बच्चे पढ़ रहे हैं भाई खेती करता है। हो सकता है हमारे कुशवाहा भाई जो क्षयरोग निगम के सदस्य हैं उनके परिवार के ठेकेदारी कर रहे हैं और हमारे लड़कों के मामा हैं इसलिये मैं ज्यादा कुछ नहीं कह सकता हूं। तो मैं कह रहा था माननीय मंत्री जो बैठे हैं एक काम के लिये एक ही व्यक्ति को लगाया जाय तभी सफलता मिल सकती है।

दूसरी बात यह है कि इन निगमों में मीटिंगें बहुत होती हैं जिससे टी0 ए0 डी0 ए0 आदि में काफी खर्च हो जाता है जिससे भी इन निगमों को घाटा हो रहा है।

इन निगमों को जो सम्बन्धित माननीय मंत्री हैं दो चार महीने में स्वयं देखें तथा जो इनके एम0 डी0 या चेयरमैन हैं उनको इनकी रिपोर्ट हर महीने में करनी चाहिये। चूंकि ठीक ढंग से इनको नहीं देखा जाता है इसलिये इनमें घाटा हो रहा है। जहां तक इस पर मुझे सोचने विचारने से स्पष्ट हुआ है कि कम बैठकें की जायं, सुचारु रूप से इसको चलाया जाय और वार्षिक, तिमाही, छमाही रिपोर्ट ली जायं तो यह उपक्रम/निगम लाभकर सरकार के लिये हो सकते हैं। मान्यवर, 59-60 निगम प्रदेश में काम कर रहे हैं। इसमें मैं मंत्री जी से चाहूंगा कि, 34 निगम ऐसे हैं जिसमें अनुसूचित जाति का एक भी व्यक्ति काम नहीं कर रहा है जो संशोधन रखा गया है उसमें यह देखा जाये कि इन निगमों में अनुसूचित जाति के लिये नौकरी और आरक्षण की सुविधा प्रदान की गयी है कि नहीं। मान्यवर, विदित हुआ है कि निगमों में ज्यादातर सरकार और मंत्रियों का नियंत्रण न रहने से विशेष लोग इनमें आ जाते हैं और कमजोर, गरीब, अनुसूचित जाति के लोग छूट जाते हैं।

इसलिये बल देता हूं कि जो संशोधन रखा गया है इसको भ्रष्टाचार न कहकर इसमें सुधार की आवश्यकता है। कुछ निगम ऐसे हैं जिनमें और पूंजी लगायी जाये तो लाभ पर जा सकते हैं। यह भी देखा जाये कि निगमों के घाटे के क्या कारण हैं और किस तरह लाभ दे सकते हैं। उसमें और पूंजी की जरूरत है या और अधिकारी/कर्मचारी रखने की जरूरत है।

मान्यवर, मैं अपनी बात को समाप्त करते हुए अपने संशोधन पर बल देते हुए मैं तिवारी जी से निवेदन करूंगा कि भ्रष्टाचार शब्द उठाकर दूसरा अच्छा शब्द रख दिया जाये जिससे अधिकारियों में सद्बुद्धि आये और सुधार हो जाये तो मैं उनको धन्यवाद दूंगा।

*श्री भगवान दीन कुशवाहा—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, अभी श्री वी0 पी0 सिंह को भ्रष्टाचार की बू आयी थी, तो वह 16 तारीख को दल से निकाले जा रहे हैं। इनको भ्रष्टाचार की बू निगमों में इसलिये नहीं आ रही है क्योंकि यह जानते हैं कि भ्रष्टाचार की बू उधर आ गयी तो सदन से निकाल दिये जायेंगे, इसलिये न उनको, न नेता सदन को और न मंत्रियों को ही भ्रष्टाचार की बू आयी है चूंकि वह जानते हैं कि निकाल दिये जायेंगे।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मान्यवर, मैं एक और निवेदन करना चाहता हूं कि अभी श्री राम कृष्ण जी श्री सीताराम जी के सचिव हैं और सेतु निगम के चेयरमैन भी हैं, अभी वह सरकारी काम से विदेश भेजे गये थे, वह कई करोड़ रुपये का सामान ला रहे थे, जब लौट रहे थे, तो उनको कस्टम अधिकारियों ने पकड़ लिया। श्री बृजेन्द्र सिंह जो एम0 डी0 हैं, उन्होंने सरकारी विभाग से चेक द्वारा भुगतान किया है। यह कंफर्म सूचना मैं मान्यवर, आपको दे रहा हूं। मान्यवर, सबसे अफसोस की बात है कि श्री राम कृष्ण जी की पत्नी की डेथ तो पहले हो गयी थी और उनकी जगह दूसरी पत्नी अपनी बनाकर ले आये सरकारी खर्चे पर, इसकी जांच करा लें और 70 हजार रुपये श्री बृजेन्द्र सिंह, एम0 डी0 ने चेक द्वारा भुगतान किया, इसकी जांच करा लें। तो यह इनका भ्रष्टाचार है और इनके नेता राजीव गांधी का कहना है कि भ्रष्टाचार नीचे से आता है लेकिन श्रीमती इंदिरा गांधी का कहना था कि भ्रष्टाचार ऊपर से आता है, तो मां की बात सही मानें कि बेटे की बात को सही मानें या नेता सदन की बात को सही मानें, तो जो यह आई0 पी0 एस0, पी0 सी0 एस0 और आई0 ए0 एस0 अफसर और कर्मचारी हैं, इनका क्या दोष है, सारा भ्रष्टाचार सत्ता में बैठे हुए [×××] करते हैं। यह जब वसूली उनसे करते हैं तो यह अधिकारीगण नीचे डंडा डालकर रुपया मंगवाते हैं और यह वही पैसा इकट्ठा करके [×××] को भेजते हैं। तो भाई भ्रष्टाचार होगा ही, इसको हम नहीं रोक सकते हैं, न हमारे पिता जी रोक सकते हैं। जब हमारे [×××] वसूली करेंगे तो यह आई0 पी0 एस0, आई0 ए0 एस0 और दूसरे अधिकारी वसूलेंगे जनता से और यह वसूली इकट्ठा कर बाहर भेजते हैं। अब एक और गम्भीर मामला मैं आपकी जानकारी में लाना चाहता हूं, हमारे यहां राज्य परिवहन निगम है और इनके मंत्री हैं वह, जो चीफ मिनिस्टर होना चाहते हैं, जिनके एक लाख वोट पड़े और दूसरे का वोट ही नहीं पड़ने दिया। इनका भी जरा हाल सुन लीजिए और निगम में क्या है देख लीजिए। 8 लाख का उड़ीसा से ठेका किया।

डा0 रजनी कान्त दत्त--

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है...

श्री भगवान दीन कुशवाहा--

[× × ×]

डा0 रजनी कान्त दत्त--

माननीय विधायक कुशवाहा जी ने [××] के खिलाफ कुछ आरोप लगाए, सदन की एक परम्परा यह है कि जिसके खिलाफ आरोप लगाया जाता है, उसके सम्बन्ध में एक प्रति आपको दी जाती है और एक प्रति सम्बन्धित सदस्य को दी जाती है। शिकायत के सम्बन्ध में चर्चा तभी होनी चाहिए जब वह व्यक्ति सदन में मौजूद हों। आप इस पर अपनी व्यवस्था दें और उन्होंने [×××] पर जो कुछ कहा है, उसे कार्यवाही से निकाल दिया जाए।

श्री अधिष्ठाता--

मैं कुशवाहा जी आपसे निवेदन करूंगा, आप बड़े वरिष्ठ सदस्य हैं...

श्री भगवान दीन कुशवाहा--

आपसे वरिष्ठ नहीं हूं।

नोट--[×××] यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

श्री अधिष्ठाता—

यहां पर कोई व्यक्तिगत आरोप न लगाए तो अच्छा हो ।

श्री भगवान दीन कुशवाहा—

मान्यवर, यह तो सब रिकार्ड की बातें हैं, आप रिकार्ड से पता लगा लें, गलत हो तो आप हमें कहें, सजा दें। तो वह (×××) बूथ कैपचरिंग में जीते थे । आपको भी उतने वोट नहीं पड़े होंगे जितने इनको पड़े, सब वोट इनको पड़े । तो अब हम और आप क्या करेंगे । तो इन्होंने 8 लाख का कान्ट्रक्ट उड़ीसा से किया । कंडक्टर के इस्तेमाल काला बैग मान्यवर, 20 रुपये में आता है, वह वहां से 200 रुपये में खरीदा गया और सारा पैसा मंत्री जी कमीशन में खा गये । इतना अधिक बैग का पेमेन्ट करके सारा रुपया कमीशन में (×××) खा गये, यह हमारा खुला आरोप है । 10 लाख के कर्नाटक से टिकट छपवाने को दिये गये थे और उसका भी सारा कमीशन में पैसा खा गये । इसके अलावा जो गाड़ियों की बाडी बनती है यानी चेसिस की जो बाडी बनती है, वह 80 हजार में इनका विभाग बनाता है । किन्तु (×××) कमीशन खाने के लिए उसे अपने विभाग से न बनवाकर 2 लाख में दूसरे विभाग से बनवाते हैं । तो यह पैसा इस तरह से सारा (×××) खा रहे हैं । अपनी न बनवाकर दूसरों से बनवा लिया, यह कहां तक ठीक है ?

श्री अधिष्ठाता—

फिर आपने नाम ले लिया, बार-बार कह रहे हैं । यह स्वस्थ परम्परा नहीं है ।

श्री भगवान दीन कुशवाहा—

जब 80 हजार में बाडी इनका विभाग बनाता है, तो उससे यह क्यों नहीं बनवाते हैं, दो लाख में क्यों बनवाते हैं । तो यह सारा कमीशन सिंह साहब खा रहे हैं । यदि यह लूट नहीं करते हैं और लूट का पैसा नहीं खाते हैं तो यह सारे निगम खत्म कर दीजिए और एक आयोग नियुक्त कर दीजिए, जो यह रिपोर्ट दे कि इनके स्थान पर दूसरी क्या व्यवस्था की जाए, दूसरी क्या चीज खोलने की जरूरत है, जिससे प्रदेश की प्रगति हो सके । यह निगम नहीं खत्म कर सकते हैं, क्योंकि यह इनकी लूट का साधन बने हुए हैं । तो इन सारे निगमों को खत्म करके इनकी कोई दूसरी व्यवस्था की जाए (व्यवधान) एक इनका विद्युत् परिषद् है, इसमें तो खुदा ही मालिक है, इतनी लूट होती है । 5 रुपया किसान के लिए कनेक्शन स्वीकृत करते ही नहीं हैं और (×××) वह इतना सीधा, इतना सीधा है कि उस बेचारे को तो यह सारा भ्रष्टाचार का पता ही नहीं । वह कमीशन नहीं लेता है, लेकिन वह सीधा बहुत है । उसको सब बेवकूफ बनाए रहते हैं । उसके सामने उसके अधिकारी सब लूट कर रहे हैं, इतने सीधे की भी मान्यवर, जरूरत नहीं है ।

चौधरी ताराचन्द्र सोनकर—

मैं कुशवाहा जी से पूछना चाहता हूं कि यह सीताराम निषाद जी के बारे में क्या-क्या जानते हैं कि यह कहां गये थे ....

(व्यवधान)

नोट—(×××) यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही में निकाल दिया गया ।

श्री भगवान दीन कुशवाहा--

चन्दन लगाकर आ गये तमीज नहीं है। तो मान्यवर, जब [×××] थे तो इतने भ्रष्टाचार के आरोप लगते थे तमाम फोटो छपते थे तमाम तस्वीरें निकलती थीं, मान्यवर तब यह 50 हजार रुपये अधिशासी अभियन्ता के ट्रांसफर के लेते थे।

श्री अधिष्ठाता--

आप विषय के अन्दर ही बोलें।

श्री भगवान दीन कुशवाहा--

यह निगम के माध्यम से इतनी लूट करते हैं।

(व्यवधान)

चौधरी ताराचन्द्र सोनकर--

मान्यवर, आप क्या-क्या बुलवायेंगे अब किसी की इज्जत बाकी नहीं रही है।

श्री अधिष्ठाता--

आपका समय हो गया है अब आप भाषण समाप्त करें। मैं सभी माननीय सदस्यों से अनुरोध करूंगा कि सदन में जब अपनी बात कहें तो संयत भाषा का प्रयोग होना चाहिए और किसी भी मंत्री या माननीय सदस्य का नाम लिया जाए, तो सम्मान सूचक शब्द पहले लगाना चाहिए और व्यक्तिगत आरोपों से दूर रहना चाहिए।

डा0 रजनी कान्त दत्त--

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री भगवान दीन कुशवाहा--

यह बार-बार व्यवस्था, व्यवस्था क्या कर रहे हैं।

[× × ×]

(व्यवधान)

डा0 रजनी कान्त दत्त--

अगर यह सत्य कह रहे हैं तो यह चार्ज लगायें, और आपसदन एक समिति बनाकर उसकी जांच करा ले और अगर यह नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं तो उस पर मान्यवर, व्यवस्था दें।

(व्यवधान)

श्री भगवान दीन कुशवाहा--

अरे मान्यवर, यह क्या बोल रहे हैं

[× × ×]

(व्यवधान)

नोट--[×××] यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

श्री अधिष्ठाता--

अब संकल्प प्रस्तुत होना है आप समाप्त करें ।

चौधरी ताराचन्द सोनकर--

[× × ×]

(व्यवधान)

श्री भगवान दीन कुशवाहा--

मान्यवर, यह तो [×××] है इसको क्या बात कहें । अभी गौरी शंकर जी हमारे यहां रसूलाबाद गये थे । रसूलाबाद में उन्होंने घोषणा की थी कि रसूलाबाद को तहसील घोषित कर दिया जायगा ।

श्री अधिष्ठाता--

चर्चा सार्वजनिक उपक्रमों पर हो रही है, तहसील से इसका क्या सम्बन्ध है । अब आप विराजें ।

श्री गौरी शंकर--

मान्यवर, मैंने ऐसी कोई घोषणा नहीं की ।

श्री अधिष्ठाता--

मंत्री जी आपको उत्तर देने की आवश्यकता नहीं है । कुशवाहा जी, आप विराजें ।

*श्री लाल प्रताप सिंह--

माननीय अधिष्ठाता जी, माननीय तिवारी जी को जैसा कि मैं उनको हमेशा सुनता हूं गौर से, आज भी इस संकल्प पर मैंने उनको बहुत ही गौर से सुना । माननीय तिवारी जी ने ध्यान आकर्षित किया कि जो सार्वजनिक उपक्रम हैं, उनमें निरन्तर बढ़ते घाटे को व्यवस्थित किया जाय और भ्रष्टाचार को दूर किया जाय । इस सम्बन्ध में मैं निवेदन करना चाहता हूं कि सारी दुनिया में 2 तरह की अर्थ व्यवस्था चलती है या चल रही है । एक तो वह जिसमें बिल्कुल सब कुछ सारी तिजारत, सारा व्यवसाय व्यक्तिगत हाथों में दे दिया गया है, निजी हाथों में दे दिया गया है, प्राइवेट इंटरप्राइजेज के माध्यम से है और एक वह जहां प्राइवेट माध्यम में कुछ नहीं दिया है, सब कुछ सरकार ने अपने मातहत कर लिया है । सारा इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट नेशनलाइज है । सारे बैंक्स नेशनलाइज्ड हैं । खेती का काम कलेक्टिव वाइजेशन के माध्यम से होता है । सारी व्यवस्था सरकार के माध्यम से होती है । दोनों चीजों को देखने से पता चलता है कि जो व्यक्तिगत इंटरप्राइजेज वाले देश हैं, वह कहीं ज्यादा आगे तरक्की पर हैं । वहां व्यक्तिगत स्वतन्त्रता भी हासिल है और आर्थिक दृष्टि से वह आगे हैं । जहां सरकारीकरण किया गया है वह देश उस स्तर तक नहीं पहुंचे हैं जहां तक वह देश पहुंचे हैं जहां प्राइवेट इंटरप्राइजेज के माध्यम से व्यवसाय चलाये जाते हैं ।

[×××] यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

हमारे देश में दो तरह की विचारधारा हैं । एक तो यह कि सारी दौलत कुछ व्यक्तियों के हाथों में न आये बल्कि उसका डिस्ट्रीब्यूशन, उसको तकसीम व्यवस्थित ढंग से किया जाय ताकि लाभ साधारण जनता को भी मिल सके । साथ ही साथ यह भी । हमको कुछ प्राइवेट इंटरप्राइजेज को भी रखना चाहिये उनको प्रोत्साहन देना चाहिये जिससे हमारी आर्थिक व्यवस्था सुदृढ़ हो सके । यह काम एक एक्सपीरियेंस पर है । कारपोरेशन जो बनाये गये ह उनका मकसद है कि दौलत का बंटवारा गरीब तक पहुंचे और कुछ हाथों में न सिमट जाय । इसी को मिक्स्ड इकोनामी कहते हैं, इसी की दो तरह की अर्थ-व्यवस्था या मिलीजुली अर्थ-व्यवस्था कहते हैं ।

कारपोरेशन अमेरिका में हैं और बहुत से प्रोफिट में हैं और बहुत से घाटे में हैं । प्रोफेसर गालब्रेथ ने रिसर्च के बाद अपनी किताब में लिखा है कि अमेरिका के कारपोरेशन इस तरह का काम करते हैं, उन्होंने यह नतीजा निकाला है कि इन कारपोरेशन के माध्यम से जो व्यक्ति के हाथों में हैं, अमेरिका की आर्थिक व्यवस्था सुदृढ़ हुयी है । घाटा भी है, मुनाफा भी है । एक चीज के बारे में मैं आपके माध्यम से तिवारी जी से कहना चाहता हूं कि कभी ऐसा न सोचें कि कोई इंडस्ट्री एकाएक लाभ में आ जायगी । आपने आटो ट्रैक्टर्स, प्रतापगढ़ का नाम लिया और आलोचना की, उचित आलोचना की, मुझे उसमें कोई एतराज नहीं है ।

(इस समय 4 बजकर 18 मिनट पर अधिष्ठाता, श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त पीठासीन हुए)

लेकिन आप ऐसा न समझें कि एक इंडस्ट्री आप लगा लिये तो उसका फौरन लाभ ही होगा, उसको मजबूत करने में कभी-कभी समय लगता है और बड़ी टेक्निकल बात होती है, एक समय आप घाटा भी खा जाते हैं और कर्जा लेकर लगाते हैं और जब स्टेबिल पोजीशन पर आती है तो बराबर लाभ के रास्ते पर रहता है तो हमारे निगम में जो यह बात कही गयी कि सब का सब घाटा ही है ऐसी बात नहीं है । कुछ दो एक निगम ही ऐसे हैं जैसे बिजली से सम्बन्धित, परिवहन से सम्बन्धित इनके बारे में कह सकते हैं कि वह कुछ घाटे में चल रहे हैं । लेकिन वह भी अपनी अर्थ-व्यवस्था को सुधारने में कर्जा लेकर या और तरीके से उसको रास्ते पर लाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं और यह सम्भावना है कि आगे आने वाले दिनों में वह प्राफिट टेरीटरी में पहुंच जायेंगे । यह निगम की इकोनामी जो कि एक्सपीरिएन्स पर और दुनिया के तजुर्बे पर बेस है, हम अपनी इकोनामी का सुधार करना चाहेंगे यह एक अच्छा रास्ता है और इसको हमें मजबूत करना चाहिए ।

मान्यवर, तिवारी जी ने भ्रष्टाचार की बात कही, मैं माननीय अधिष्ठाता महोदय, एक बात कहना चाहता हूं हर रोज भ्रष्टाचार की बात होती है, यह पुराना तरीका विरोध पक्ष का है और उस बात को मैं नहीं कहना चाहता था लेकिन कह दे रहा हूं । इंदिरा जी के जमाने में भी भ्रष्टाचार के आरोप लगाये गये तो यह विरोध पक्ष का तरीका है कि जो व्यक्ति ऊंचा, उठ जाता है, उसकी छवि को धूमिल करने के लिए आरोप लगायें । यह विरोध पक्ष के ऊंचे से ऊंचे नेता ने भी किया । जवाहर लाल जी के जमाने में भी कहा गया । डा0 लोहिया आदि थे उन्होंने भी यह कहा, भ्रष्टाचार के आरोप लगाये । इंदिरा जी पर आरोप लगाये गये और अब राजीव जी पर वही बात है । भ्रष्टाचार वह तकनीक है जब कोई तकनीक नहीं होती है तो भ्रम पैदा किया जाय इससे जनता को भ्रमित किया जाय । मान्यवर, इतिहास बनाने वाला मासेस होता है, उसमें भ्रम पैदा होगा, उसमें यह बात पैदा होगी कि वह किसी चीज को रीजनेबुल ढंग से न सोचकर दूसरे तरीके से भ्रम के ढंग से सोचने लगते हैं । जहां कहीं भी भ्रष्टाचार की

बात है आप उसको स्पेसिफिक कीजिये आपने उसमें मुख्य मंत्री जी का नाम ले लिया तो कोई प्रमाण के बिना कोई बात न कही जाय । आपने कहा कि कोई बात आपने गवर्नर साहब से कह दिया था, कहीं भी कह दें लेकिन उसके लिए पूरे प्रमाण के सहित जिम्मेदारी से बात कहनी चाहिये, जब तक प्रमाण किसी चीज का न हो तब तक इस तरह की बात किसी को नहीं कहनी चाहिये । मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि अब यह प्रक्रिया आम हो गई है, भ्रष्टाचार को लाने की प्रक्रिया आम हो गयी है । कहीं भी आप चले जायें, किसी भी मीटिंग में जायें तो कोई नीति रीति की बात नहीं करता है, कोई परम्परा और पालिसी की बात नहीं करता है । बस भ्रष्टाचार की बात करके जनता को कुछ भरमायेंगे । गलत बात प्रस्तुत करना, यह हमारी एक प्रक्रिया हो गयी है तो जो संशोधन माननीय सदस्य ने रखा है, बहुत ही उचित और वाइज संशोधन रखा है । बात भ्रष्टाचार की नहीं है, आप कोई स्पेसिफिक बात लाइये तब तो कोई बात है । कुछ हमारे माननीय सदस्यों ने आई0 ए0 एस0 इत्यादि की आलोचना की है, । मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हर जगह अच्छे लोग भी हैं और बुरे लोग भी हैं कुछ न कुछ उसमें एक रीजनेबुल रास्ता अख्तियार करना चाहिये । सब के सब लोग गड़बड़ हैं यह कहना उचित नहीं है । इतनी सड़कें, इतनी नहरें, पब्लिक अन्डरटेकिंग, इतनी इंडस्ट्रीज यह जो सारी की सारी तरक्की हुई है इसमें सन् 1947 से अब तक बहुत कुछ अधिकारियों का योगदान है, इन्हीं आई0 ए0 एस0 का योगदान है, ऐसा नहीं है कि कुछ योगदान नहीं है । ऐसे बड़े बड़े लोग आई0 ए0 एस0 रहे हैं, डा0 वी0 वी0 मलिक और बाजपेई जी थे और दूसरे लोग आई0 ए0 एस0, आई0 सी0 एस0 रहे हैं जिन्होंने बहुत बड़ा योगदान हमारे उत्थान में किया है । तो इस तरह के स्वीपिंग रिमार्क्स कि सब के सब सक्रिय नहीं हैं, कुछ करते नहीं हैं । उनका लगाव है, उनका कमिटमेन्ट है । उसमें बहुत सी बातें हम तजुर्बे के साथ कह सकते हैं । जो लोग ईमानदार हैं और देश के प्रति कमिटेड हैं इस तरह से स्वीपिंग रिमार्क नहीं होना चाहिए । मैं तिवारी जी से निवेदन करूंगा कि जो बातें संशोधन की रखी गयी हैं उनको वे स्वीकार करेंगे । हमारा प्रयास रहेगा कि निगम घाटे में न काम करके प्राफिट में काम करें । निगमों की आर्थिक दशा सुधरे, यह प्रयास होना चाहिये । इन शब्दों के साथ संशोधन पर बल देना चाहता हूं और जो प्रस्ताव तिवारी जी ने रखा है उसका विरोध करता हूं ।

*डाक्टर बंगाली सिंह—

मान्यवर, तिवारी जी के संकल्प पर बल देते हुए कुछ सुझाव रखना चाहता हूं । मान्यवर, सभी निगम घाटे में चल रहे हैं । जल निगम, राज्य सड़क परिवहन निगम, विद्युत् परिषद् हैं, इनमें बैठे हुए चेयरमैन तथा एम0 डी0 पैसे को पानी की तरह बहा रहे हैं । जल निगम के अधिकारियों ने देहातों में जितनी पानी की टंकी बनाई हैं, निगम के अधिकारियों ने उसमें लाखों, करोड़ों रुपया पैदा किया है । टंकी बनी नहीं कि टूट गयीं, पाइप लगे नहीं कि फट गये । इसी तरह परिवहन निगम में आप देखें । रोज ही सड़क दुर्घटनायें हो रही हैं । 20–25 आदमी रोज मर रहे हैं । आये दिन प्रदेश में घटनायें होती हैं । मान्यवर, हमारी सरकार के लोग न तो इन निगमों की देख-भाल करते हैं और न ही उनका इन पर कोई अंकुश है । अंकुश न होने के कारण वर्कशाप के लिए जितना पैसा आता है उसे चेयरमैन और एम0 डी0 मिलकर खा जाते हैं और खराब माल सप्लाई कराते हैं । सड़क दुर्घटनायें होना स्वाभाविक है । विद्युत् परिषद् में खम्भे लगाये जाते हैं, एप्रूव होकर, लेकिन इतने खराब खम्भे लगाये जाते हैं कि आये दिन टूटते रहते हैं । यह टेन्डर के माध्यम से पैसा पैदा करते हैं । कारपोरेशन में सारा सामान कमीशन लेकर लिया जाता है, इसलिए घाटा है । विद्युत् परिषद् में करोड़ों रुपये का घाटा हो रहा है । विद्युत् परिषद् का कर्मचारी बिजली विभाग को बेच डालेगा ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

में आपके माध्यम से मांग करता हूं और तिवारी जी के संकल्प पर बल देकर कहता हूं कि इन्हें सरकार अपने हाथों में ले। जब तक निगम रहेगा, अधिकारी इसे इसी प्रकार बेचते रहेंगे। इस तरह और निगम भी हैं जिनमें भ्रष्टाचार का बोलबाला है। निगम करोड़ों, अरबों रुपये के घाटे में हर साल रहते हैं और प्रदेश की जनता पर करोड़ों का कर भार बढ़ता चला जा रहा है। जब तक इन निगमों पर रोक नहीं लगेगी, कुछ नहीं हो सकता। मैं मांग करता हूं कि एक कमेटी नियुक्त की जाये जो अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करे। 1982-83 की रिपोर्ट इन्होंने अब भेजी है। इसमें सुधार हो, यह अपनी रिपोर्ट सालाना भेजें और सरकार इन पर अंकुश रखे तब भला हो सकता है अन्यथा यह निगम इस प्रदेश को, इसकी अर्थ व्यवस्था को ध्वस्त कर डालेंगे। इन शब्दों के साथ मैं माननीय तिवारी जी के संकल्प पर बल देता हूं।

श्री समर पाल सिंह--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं बड़ी तल्लीनता से माननीय सदस्यों के विचार सुन रहा था और विशेषरूप से जब माननीय तिवारी जी बोलते हैं, तब तो मैं बहुत ही गम्भीरता से उनके विचार सुनता हूं, वह कभी अनर्गल बात नहीं करते, सही बात कहते हैं, उनके एक एक शब्द को नोट करता हूं। यह सही है मान्यवर, कि हमारे जितने उपक्रम हैं, जो निगम हैं, या कोई भी नाम दे दें, बोर्ड कह दें, कुछ नफे पर चल रहे हैं और कुछ घाटे पर चल रहे हैं। घाटे का कारण भ्रष्टाचार ही मान लिया जाय, इस पर मुझे आपत्ति है। अभी माननीय सदस्य कुशवाहा जी बोल रहे थे कि वह तो निगमों के बनाने के पक्ष में नहीं हैं, जबकि हमारे संविधान की यह आवश्यकता है। हमारा संविधान जो हमारे बुजुर्गों ने हमें दिया है, यह चाहता है कि देश का कल्याण लोकतान्त्रिक आधार पर हो, समाजवाद के आधार पर हो और धर्मनिरपेक्षता के आधार पर हो। यह जो निगम बनाए जाते हैं तो संविधान की उस आवश्यकता की पूर्ति के लिये बनाए जाते हैं, तथा कि वह हमारी समाजवादी व्यवस्था के अन्तर्गत चल सकें। तो यह कह देना तो बिल्कुल निर्मूल है कि यह निगम होने ही नहीं चाहिये। फिर तो हमारे कुशवाहा जी को अमेरिका में होना चाहिये, जहां पर सभी उपक्रम निजी क्षेत्र में हैं। रेलवे, हवाई जहाज की कम्पनियां, धातु बनाने वाली कम्पनियां, हथियार बनाने वाली आदि सभी कम्पनियां निजी क्षेत्र में होती हैं और सम्भवतः पता भी नहीं चलता कि वे घाटे पर होती हैं या मुनाफे पर होती हैं। लेकिन, हमारा एक नया लोकतन्त्र है। हमारी नेशनल स्किल बहुत कम है। फिर इन उपक्रमों को चलाने वाले प्रबन्ध निदेशक नये हैं। जब भी कोई नया उद्योग या उपक्रम स्थापित किया जाता है तो उनमें घाटा होना आवश्यक होता है, इसके बाद घाटा नफे में बदल सकता है। यहां पर दो निगमों, बिजली और परिवहन निगम की बात कही गयी। हम रोज सुनते हैं माननीय विद्युत् मंत्री जी के द्वारा जो आंकड़े प्रस्तुत किये जाते हैं कि विद्युत् के उत्पादन पर खर्च प्रति यूनिट ज्यादा होता है, लेकिन जनहित में उन्होंने कहा कि सस्ते रेट से बिजली देनी पड़ती है। तो मुख्य कारण तो घाटे का यह पालिसी है कि देश और प्रदेश के उपभोक्ताओं को सस्ती दर पर बिजली दी जाय। लेकिन अनेकों कारण और भी हो सकते हैं। एक कारण हमारी लेबर नीति है, जहां हमने छोटी-छोटी बातों पर भी उनको हड़ताल करने का अधिकार दे रखा है, जो कि कम्युनिस्ट मुल्कों में भी नहीं है। आप मान्यवर, बड़े विद्वान हैं, मुझसे ज्यादा पढ़ते होंगे, लेकिन मुझे भी साम्यवादी देशों में जाने का और उनकी व्यवस्था का अध्ययन करने का मौका मिला है। हमारे जैसे पिछड़े और विकासशील देश में यह व्यवस्था है, लेकिन किसी साम्यवादी देश में, जो ढिंढोरा पीटते हैं कि मजदूरों के अलम्बरदार हैं, किसी भी उपक्रम में या किसी भी क्षेत्र में हड़ताल किया जाना नामुमकिन है। हमारे यहां जरा सी बात हो गयी, हड़ताल हो गयी। क्या आप नहीं जानते हैं कि जहां हड़ताल हो जाती है, उस उपक्रम में उत्पादन गिर जाता है। वह सिवाय घाटे के और क्या देंगे। देश में चूंकि मिक्स्ड इकानामी है, हमारे यहां लोग

व्यक्तिवाद म विश्वास रखते हैं। लोग चाहते हैं कि पड़ोसी से, गांव वालों से, शहर वालों से वे आर्थिक स्थिति में मजबूत हो जायं और आगे बढ़ जायं। इसलिए आज हम अपने हर काम में अपना निजी हित भी देखते हैं। जिस दिन हम अपने राष्ट्रीय हित और जनता के हितों को सर्वोपरि रखेंगे और अपने हितों को बाद में रखेंगे, उस दिन मान्यवर, यह स्थिति बदल जायेगी। हमारी आर्थिक व्यवस्था नीति ऐसी है, जिनके अन्तर्गत इन निगमों का निर्माण हुआ है। और न ही हमारे प्रबन्ध में कोई दोष ह, दोष है अगर, तो यही है कि हम नये हैं, हमारे अधिकारी नये हैं और जो कोई नयी तकनीक हमारे सामने आती ह तो हमें पहले दूसरे देशों के तकनीकियों की सहायता लेनी पड़ती है, और जब उन इन्जीनियरों से और टेक्निशियन्स से हमारे देश के लोग यह काम सीख लेते हैं, तब उससे हमको कुछ फायदा हो पाता है। इसका उदाहरण हमारे सामने है कि राष्ट्रीय स्तर पर जो हमारा उर्वरक निगम है, इसके देश भर में कारखाने थे पुरानी पद्धति से वह कार्य करते थे, तो उनका घाटा बहुत होता था, लेकिन जब उसके 4 हिस्से कर दिए गये और उसमें नयी-नयी तकनीक अपनायी गयी तो आज यही संस्था सैकड़ों-सैकड़ों करोड़ रुपये का मुनाफा कमा रही है। इसी तरह से इफको के देश भर में कारखाने हैं, जो आज 40-40 और 50-50 करोड़ रुपये हर साल मुनाफा कमाते हैं, तो इस बात को ही सिर्फ नहीं देखना चाहिए कि यह घाटे केवल भ्रष्टाचार की वजह से है, ऐसा नहीं है। हम अभी बहुत से क्षेत्र में नये हैं और हमारा जो मैनेजमेन्ट है, वह अभी इस स्तर का नहीं है कि सारी संस्थायें हमारी सुचारु रूप से चल सकें। हमारी नीति में जरूर एक दोष है। प्रबन्ध की कान्टीन्यूटी में भी बहुत कमी है, एक अधिकारी एक जगह पर 3-4 साल से काम कर रहा है और जब वह उस काम को सीख लेता है, तो उसको दूसरे स्थान पर भेज दिया जाता है और वहां पर नया आदमी आ जाता है, इससे भी काम काम में बड़ा फर्क पड़ता है। उद्योग तथा राजकीय उपक्रमों के प्रबन्धकों का कैडर अलग ही बना दिया जाय ऐसा न हो कि आज वह एम0 डी0 एम0 है और कल को वह खाद्य का या चीनी निगम का मैनेजिंग डायरेक्टर बना दिया जाय। हमारे प्रदेश में इस कैडर को अलग रखा जाय, जो इसी में स्पेशलाइजेशन करें, और उन्हीं उपक्रमों में वह ट्रेनिंग वगैरह लेते रहें। वह उसी वातावरण में रहें तो कोई कारण नहीं कि फिर सारा काम अपना सुचारु रूप से न चला सकें। ऐसे निगम जो होंगे वह लाभ वाले होंगे। हां इतना अवश्य है कि हमें इस ओर रात-दिन प्रयास करने होंगे क्योंकि सरकार का 4-5 हजार करोड़ रु0 इन निगमों में लगा हुआ है। साथ ही यह बात भी अपनी जगह सही है कि यह जितनी भी राजकीय आर्थिक संस्थायें हैं, इनका पहला उद्देश्य जनता की सेवा करना है। केवल मुनाफा कमाना इनका नहीं है। हां, अगर इस सेवा के साथ-साथ लाभ भी कमा लेते हैं, तो यह अच्छी बात है, लेकिन यह आवश्यक नहीं है। लाभ के कारण दूसरी संस्थाओं की स्थापना इनके संसाधनों से अवश्य हो सकती है, इन्हीं शब्दों के साथ में निवेदन करता हूं मैं अपने वरिष्ठ सम्मानित सदस्य से और इनकी इस बात से तो सहमत हो सकता हूं कि इनके घाटे को दूर करने के लिए प्रयास किया जाय, लेकिन केवल भ्रष्टाचार घाटे के लिए उत्तरदायी है, ऐसा नहीं है। इसलिए इस शब्द को दूर करते हुए, जो प्रस्ताव प्रस्तुत है, उस पर बल देता हूं, धन्यवाद।

श्री अनुग्रह नारायण सिंह--

मान्यवर, किसी देश के संविधान में उस देश की व्यवस्था और ढांचा निर्धारित होता है, हमारे देश के संविधान, अर्थ व्यवस्था व ढांचे पर और संविधान में संविधान निर्माताओं ने जो प्राविधान बनाया है वह सामंतशाही तथा बादशाहत को खत्म करने के लिए बनाया है। लेकिन मान्यवर, यदि आप देखें विश्व पैमाने पर किसी भी देश की संवैधानिक व्यवस्था उसके देश का ढांचा और अर्थ-व्यवस्था एक मेल में एक समान रहता है जैसे अमेरिका, इंगलैंड या रूस, चीन और वियतनाम में है। लेकिन हमारे देश में

जो स्थिति है, वह दुर्भाग्यपूर्ण है। यहां का संविधान समाजवादी तथा अर्थ-व्यवस्था पूंजीवादी-समाजवादी अर्थात् मिश्रित अर्थ व्यवस्था है।

माननीय रवीन्द्र नाथ तिवारी जी को जो यह संकल्प प्रस्तुत करना पड़ा, यह जो सार्वजनिक उपक्रमों की बात है, उसमें मान्यवर, कहना यह है कि हमारे संविधान का ढांचा समाजवादी है, हमने जो अर्थव्यवस्था चुनी है, जिसकी भूरि-भूरि प्रशंसा हमारे तमाम नेता लोग, सत्ता दल के लोग भी करते हैं। पंडित नेहरु ने मिश्रित अर्थव्यवस्था भारत को दी और उस मिश्रित अर्थव्यवस्था से जो यह कल्पना थी कि भारत की उन्नति होगी, वही मुख्य कारण बनी भ्रष्टाचार का। मान्यवर, आप देखें एक तरफ सरकारी उपक्रम हैं, सरकार द्वारा संचालित संस्थायें हैं, दूसरी तरफ उसके समानान्तर व्यक्तिगत पूंजी के कारखाने एवं संस्थान हैं। सरकार द्वारा संचालित जितनी संस्थायें हैं, उन सब जगह पर हमको यह बात देखने को मिलेगी कि वहां व्यक्तिगत संस्थानों की तुलना में प्रभावी ढंग से अंकुश नहीं लगाया जाता। हम समाजवाद में विश्वास करते हैं, हमारा संविधान भी समाजवादी है। हम इस बात को कहते हैं कि इस प्रदेश में, इस देश में, जो वितरण व्यवस्था है, उत्पादन व्यवस्था है, समाजवाद के ढांचे से सरकार उसे संचालित कराके ही ठीक कर सकती है। सार्वजनिक उद्यमों में घाटा क्यों बढ़ रहा है? भारत सरकार ने इसी को ध्यान में रखते हुये एक नीति लागू की कि तकनीकी संस्था में, तकनीकी जानकारी के ही लोग, उसकी प्रशासनिक व्यवस्था में लिये जायेंगे। लेकिन, हमारे जितने भी निगम हैं, आप उसमें देखें कि उच्च पदों पर वहां कौन लोग बैठे हुए हैं? जो इस देश में एक सुपरियार्टी काम्प्लेक्स हैं, हालांकि मनोविज्ञान में इन्फीरियारिटी काम्प्लेक्स होता है, हम लोग तकनीकी लोगों को इनकी प्रशासनिक व्यवस्था में ज्यादा कुशल न मानकर, जो एक परीक्षा पास करके कुछ लोग आते हैं, उनको हर जगह फिट करते हैं। मान्यवर जो गड़बड़ी व्याप्त है, वह गड़बड़ी हमारी पूंजीवादी जनतांत्रिक व्यवस्था की है, शासक वर्ग की है। जनतन्त्र में जो हमारे अधिकार होने चाहिये थे, वह हमारे पास न हो करके, नौकरशाही और अफसरशाही के हाथ में चले गये। अफसरशाही और नौकरशाही को ही हम अपने से ज्यादा कुशल मानने लगे, उसी के चलते ही व्यवस्था धीरे-धीरे बिगड़ती चली गयी। जो सार्वजनिक उपक्रम हैं और निजी व्यापार वर्ग की समानान्तर चलने वाली अत्यधिक मुनाफा कमाने वाली अर्थव्यवस्था है, उसमें हम कमजोर होते जा रहे हैं। घाटा इसका प्रमुख कारण है।

मान्यवर, ऊर्जा जीवन की एक प्रमुख आवश्यकता बन गयी है। यहां राज्य विद्युत् परिषद् की स्थापना के बाद से यह आशा बंधी थी कि व्यवस्था ठीक होगी। ऊर्जा, आज कारखानों में, लोगों के जीवन में एक महत्वपूर्ण आवश्यकता बनती जा रही है। लेकिन, राज्य विद्युत् परिषद् अपनी तमाम व्यवस्था के रहते प्रतिवर्ष घाटे में जा रहा है। पिछले दिनों ऊर्जा मन्त्री ने यहां बजट पेश किया और उस समय जो घाटे के लिये जिम्मेदार अधिकारी हैं, उन्होंने उन अधिकारियों को बचाने की कोशिश की थी। यह कहा कि 20 प्रतिशत केवल लाइन लास होता है।

मान्यवर, मैं अपने इलाहाबाद जनपद में लाइन लास की स्थिति का उदाहरण देते हुए बताना चाहता हूं कि इलाहाबाद जनपद में तीन करोड़ प्रतिमाह यूनिट ट्रांसमिट होती है। इन तीन करोड़ यूनिट में से 1 करोड़ 60 लाख यूनिट का ही बिल बनता है और बाकी 1 करोड़ 40 लाख यूनिट लाइन लॉस में जाता है जो कि लगभग 45 से 50 प्रतिशत के बीच होता है। अब सवाल है कि यह लाइन लास कहां गया? यह लाइन लास हमारे यहां चलने वाली जीप फ्लैश लाइट आदि निजी कारखानों में जा रहा है, निजी क्षेत्र में उद्योग में बिजली चोरी के माध्यम से भ्रष्टाचार जा रहा है। फायदा व्यक्तिगत उद्योग को हो रहा है और नुकसान विद्युत परिषद् को हो रहा है और उस नुकसान का भार जनता उठा रही है।

मान्यवर, उ0 प्र0 चलचित्र निगम है, वह लगातार घाटे में जा रहा है। मान्यवर, चलचित्र निगम के गठन का उद्देश्य बड़ा ही अच्छा था कि समाज और जीवन पर आधारित फिल्मों का निर्माण और सामाजिक चेतना से युक्त फिल्मों का प्रसार-प्रचार करना और लोगों में जागृति पैदा करना। मान्यवर, इस निगम के अध्यक्ष पद पर झा साहब को 2500 रु0 प्रतिमाह वेतन मान पर नियुक्त कर दिया गया। वह उस वेतन पर चलते रहे। आगे जब वेतन आयोग की रिपोर्ट आयी तो उसमें कहा गया कि इस वेतनमान को कम किया जाय। उस वेतनमान को कम कर दिया गया। उसमें यह भी हुआ कि जितना ज्यादा वेतन ले चुके हैं उसकी, उनसे वसूली की जाय हैं वेतन में कटौती करके वसूली की जाय। लेकिन, मान्यवर यह उदार सरकार है, जो कटौती वसूली के निमित्त वेतन से होनी थी, उसको इन्होंने राइट आफ कर दिया और कह दिया कि वसूली की आवश्यकता नहीं है। एक तरफ यह दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति चल रही है और दूसरी तरफ कह रहे हैं कि घाटा हो रहा है। माननीय सदस्य, रामसिंह जी ने कहा कि कर्मचारी और यूनियन वाले हड़ताल करते रहते हैं जिस कारण यह घाटा हो रहा है। मान्यवर, साम्यवादी देशों की भी तुलना की गयी। मान्यवर, जैसा कि हम सब जानते हैं कि साम्यवादी देशों में लोगों में रोटी, कपड़ा और मकान के प्रति पूर्ण निश्चितता रहती है और जीवन की सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित रहती है, इसलिए वहां इन सब चीजों के लिए हड़ताल आदि की आवश्यकता नहीं पड़ती है। हमारे यहां स्थिति भिन्न है। छोटे स्तर के कर्मचारी, तृतीय श्रेणी कर्मचारी जो हैं उनके सामने दिन प्रतिदिन भोजन, कपड़ा, मकान और जीवन की सुरक्षा का विकट समस्या सामने रहती है और उन्हें इन स्थितियों में मजबूर हो कर वेतन की बराबरी या बढ़ोत्तरी की मांग करनी पड़ती है।

भाई गोपाल दास जो कह रहे हैं, मैं कहना नहीं चाह रहा था, उ0 प्र0 चलचित्र निगम में, हमारे यहां के जो एक सांसद हैं फिल्म अभिनेता हैं, जिनकी स्टेट फिल्मों में कोई सानी नहीं है, एक उपाध्यक्ष का पद सृजित कराकर उस पर अपने आदमी को बिठा दिया, उनके वेतन और अलग से गाड़ी की व्यवस्था करा दी गयी। जहां पर निरन्तर घाटा चल रहा है, वहां पर उसे कम करने या उस पर अंकुश लगाने के बजाय और बढ़ाते जा रहे हैं।

मान्यवर, इसी तरह से यहां उ0 प्र0 में उत्खनन निगम है। मैं बताना चाहता हूं कि हमारे यहां सिलकसंड है, मानिकपुर में बाक्साइट की खदानें हैं। आपका पहाड़ है, ऐसे लोगों को ठेका दिया जाय, जो उसके बारे में अनुभव रखते हों या फिर आप (निगम) खुद काम करें लेकिन होता यह है कि राज पुत्रों को ठेका दे दिया जाता है जैसे 20 एकड़ की लीज है तो उसे 2 हजार या 5 हजार में दे दिया जाता है उससे वह करोड़ों रुपये कमा रहे हैं। जब तक सार्वजनिक व व्यक्तिगत पूंजीवादी प्रणाली एक साथ चलती रहेगी तब तक नुकसान होता रहेगा। सेतु निगम के बारे में यहां पर काफी बड़ी घोषणायें की गई और कहा गया कि उसे यूरोप में कोई एवार्ड मिला। हमें यूरोप से क्या करना हमें तो अपने प्रदेश को देखना है।

हमारे यहां इस सेतु निगम द्वारा फाफामऊ पर एक ब्रिज बन रहा है। पिछले मई के महीने में वहां पर 3 पिलर इनस्टाल किये गये थे, एक जरा सी बाढ़ आई, वे तीनों पिलर बह गये। उस पर लगभग 2 करोड़ 23 लाख रुपये खर्च कर दिये गये थे, क्रेन भी उसमें बह गई थी। 50 लाख रुपये खर्च करके इन्होंने क्रेन निकलवाई है। यदि इन तमाम भ्रष्टाचारों को हम स्वयं जनप्रतिनिधि छिपाने का प्रयास करेंगे तो इन निगमों का घाटा बढ़ता जायेगा। इसलिए इन अधिकारियों पर अंकुश लगाना जरूरी है। हमारे जो मंत्रीगण हैं, वह उनके खिलाफ कार्यवाही नहीं करते हैं। आपके जो

ज्यादातर सचिव हैं वह निगम के एम0 डी0 भी हैं, किसी रिश्तेदार की नियुक्ति करना और या फिर उनसे लाभ चाहने के कारण उनको पूरी छूट दे रखी है और उनके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं हो पाती है, इसलिए माननीय तिवारी जी ने जो संकल्प प्रस्तुत किया है, उस पर मैं बल देता हूं और जोर देता हूं कि जो यह पैरेलल पूंजीवाद चला है, इसमें शासन ने व्यक्तिगत पूंजीवादी व्यवस्था का जो -कम्पटीशन चल रहा है, उससे आप इन निगमों को बचायें और जो भी गलत कार्य करते पकड़ा जाता है, उसके खिलाफ आप सख्त से सख्त कार्यवाही करें तभी सार्वजनिक उपक्रमों के माध्यम से समाजवादी अर्थ व्यवस्था में सुधार व विकास हो सकता है ।

श्री अध्यक्ष ता—

माननीय तिवारी जी ने इसे मूव किया है और माननीय सदस्यों ने अपने-अपने सुझाव इसमें दे दिये हैं, अगर सदन सहमत हो तो वह इसका उत्तर दे दें ।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी—

मान्यवर, जिन माननीय सदस्यों ने इसमें भाग लिया है, मैं उन सबके प्रति आभार प्रकट करता हूं । उधर से कई माननीय सदस्यों ने, जिन्होंने चर्चा में भाग लिया, कहा कि कई निगम ऐसे हैं जो मुनाफे में चल रहे हैं । मैं कहना चाहता हूं कि 69 निगमों में से एक निगम तो काम अभी नहीं कर रहा है, 59 निगम ऐसे हैं जिसमें से 36 निगम ऐसे हैं जो लाभ में चल रहे हैं । लेकिन इनका लाभ इतना है कि अगर इसे कुल मिला भी लिया जाय तो जितना घाटा एक निगम को हुआ है, उसके बराबर भी नहीं आ पाता है । 4 निगम ऐसे हैं जो न घाटे में चल रहे हैं और न लाभ में लेकिन 19 निगम इतने घाटे में चल रहे हैं कि उनके लिए हमारे पास कोई जवाब नहीं है । उनका घाटे में चलना भ्रष्टाचार के अलावा और कोई बात नहीं हो सकती है । मेरा निवेदन है कि जब तक आप यह फैसला नहीं करेंगे कि इन निगमों में नान आफिशियल चेयरमैन बैठाया जाय, तब तक इनका घाटा कम नहीं हो सकता है । जब तक ये आई0 ए0 एस0 व पी0 सी0 एस0 बैठते रहेंगे, तब तक इन निगमों से कोई लाभ होने वाला नहीं है और न ही इनका जो लक्ष्य रखा गया था, वह पूरा हो पायेगा । उनके सामने तो केवल फंड यूटीलाइजेशन की समस्या रहती है कि 31 मार्च के पहले जो फंड गया है, उसको यूटीलाइज कर लें । इन उपक्रमों का स्वरूप व्यावसायिक है विकासात्मक नहीं है, इसलिए आपको भी व्यवहारिक होना पड़ेगा । आंटो ट्रैक्टर में जो आपने कहा कि समय लगेगा, तो अगर आप इम्प्रूवमेंट की तरफ बढ़ते तो हम समझते कि समय चाहिये लेकिन घाटा निरंतर बढ़ता जा रहा है । बदकिस्मती यह है कि स्वयं मन्त्री जी भी नहीं जानते कि किस विभाग की क्या स्थिति है । 1984-85 के जो आंकड़े हैं सबसे ज्यादा लाभ देने वाली कम्पनियां हैं राजकीय निर्माण निगम 4.50 करोड़ रु0 सेतु निगम 2.10 करोड़ रु0, वन निगम 2.03 करोड़ रु0 भण्डारागार निगम 1.06 करोड़ रु0 । इसी प्रकार वर्ष 1984-85 में नुकसान देने वाली कम्पनियां हैं- विद्युत् परिषद् 2 अरब 78 करोड़ 49 लाख रु0 चीनी निगम 35 करोड़ 20 लाख रु0, सड़क परिवहन निगम 15 करोड़ रु0, टेक्सटाइल कारपोरेशन 10 करोड़ 83 लाख रु0, प्रतापगढ़ का आटो ट्रैक्टर 5 करोड़ 44 लाख रु0 । कहीं पर अगर आप सुधार की तरफ जा रहे हों तो मैं स्वयं, मैंने शुरू में कहा कि मैं समाजवादी विचारधारा और मूल्यों में विश्वास करने वाला व्यक्ति हूं, मैं चाहता हूं कि इस तरह के उपक्रम और निगम चलें लेकिन भ्रष्टाचार के अड्डे न बनें, प्रदेश के प्रगति के माध्यम बनें । इसके लिए आपको कोशिश करनी चाहिये ।

जब तक आपका ब्यूरो विभाग ठीक नहीं होगा तब तक घाटा दूर नहीं हो सकता । 35 हजार रु0 का वहां एक गबन का केस आया, आपने बलि का बकरा बना

दिया कंडियर को, जबकि आहरण एवं वितरण अधिकारी भी दोषी हो सकते थे उनके विरुद्ध कुछ नहीं किया ।

इस समय श्रेणी 1 के कुल 10 तकनीकी पद हैं महानिदेशक का पद 10 वर्षों से खाली पड़ा है । इसके अतिरिक्त निदेशक वित्त निदेशक, प्रबन्धक, अपर महानिदेशक के पद आई0 ए0 एस0, पी0 सी0 एस0 से भर रहे हैं, जो कि गैर तकनीकी हैं, केवल एक उप निदेशक ही तकनीकी हैं। श्रेणी 2 के 5 अधिकारी ब्यूरो छोड़कर चले गये। आपको देखना होगा कि ये क्यों जा रहे हैं ।

इसके साथ ही सरकार से और उस तरफ के लोगों से अनुरोध करता हूं कि शब्दों के हेर-फेर में ज्यादा दिलचस्पी मुझे नहीं है । भ्रष्टाचार से अगर आपको परहेज हो और दैनिक जीवन में कबूल करने के बाद भी सदन में कबूल न करना चाहते हों, उससे कोई एतराज नहीं है, लेकिन नौकरशाही के भ्रष्टाचार का परिणाम जब जनता को और हमें भुगतना पड़ता है, तब परेशानी होती है । अगर आज मंत्री जी उठें और घोषणा कर दें कि बिजली के बढ़े हुए रेट वापस ले लेंगे, बस के किराये को कम करने की घोषणा कर दें और घोषणा कर दें कि इनकी दर तब तक नहीं बढ़ायेंगे जब तक इन दोनों निगमों में व्याप्त भ्रष्टाचार को दूर नहीं कर लेंगे, तो हम अपना संकल्प वापस ले लेंगे । अगर घोषणा कर दें कि फलां तारीख तक इन निगमों का संचालन जन प्रतिनिधियों के हाथ में दे देंगे और जो भ्रष्टाचार हुआ है उसकी जांच के लिए समितियां एप्वाइंट कर देंगे, जो निर्धारित अवधि में घाटे को दूर करने की और भ्रष्टाचारी लोगों को दण्डित करने की सिफारिश दे देंगी, ये 3 घोषणायें कर दें तो हम अपना संकल्प वापस ले लेंगे नहीं तो उस संशोधन को स्वीकार करने का कोई अर्थ नहीं है, जो सत्तारूढ़ दल की ओर से आया है । नहीं तो यह संकल्प की आत्मा को दफन करने वाला संशोधन है, प्रस्ताव है यह जनता को गुमराह करने वाला संशोधन है ।

*श्री प्रमोद कुमार--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मा0 अशोक बाजपेयी द्वारा रखे गये संकल्प पर आज बल देते हुए श्री रवीन्द्रनाथ तिवारी ने जो कुछ कहा, निःसन्देह यह महत्वपूर्ण विषय है जो यहां आज उठाया गया है, लेकिन मैं समझता हूं कि चूंकि यह संशोधन नियमों के जानकार नियमों के ज्ञाता जो तिवारी जी हैं उन्होंने उठाया है, तो मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि जानबूझ कर इसके एक पक्ष को यहां प्रस्तुत किया गया है । वरना यदि इसके दोनों पक्ष यहां प्रस्तुत किये जाते तो देखते कि आज जो भाषा तिवारी जी यहां बोल रहे थे, वह न बोल रहे होते, आज उनकी बोली कुछ और होती ।

मान्यवर, हमारे जो 60 निगम हैं उनके जन्म का उद्देश्य क्या है ? इसको स्पष्ट करने का प्रयास नहीं किया गया है । इनको स्थापित करने का उद्देश्य कतई यह नहीं था कि साल के आखिर में केवल इनका लेखा-जोखा ही देखा जाय कि कितने पैसे का लाभ हुआ है और कितने पैसे की हानि हुई है । इनके स्थापना के अन्तर्गत मूल उद्देश्य यह था कि एक तरफ जो निजी कम्पनियां हैं उनके मुकाबले में आज हमारे यह 60 निगम कार्य कर रहे हैं । इनमें से मात्र 15 निगम ऐसे हैं जो कि निर्माण का कार्य कर रहे हैं, शेष निगम कहीं न कहीं से सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था को मजबूत करने के लिए, स्थापित किये गये, किसी व्यक्ति विशेष को बनाने के लिए नहीं बल्कि किसी काम को करने के लिए किसी कमी को दूर करने के लिए या किसी चुनौती का सामना करने के लिए इन निगमों की स्थापना की गयी है और इसीलिए इनकी उपादेयता बनी हुई है ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

यह भी कहना बहुत उचित नहीं है कि जितने निगम हैं सब घाटे में चल रहे हैं। हमारे 60 निगम हैं इनमें से 26 निगम ऐसे हैं जिन्होंने पिछले तीन सालों में यदि इनको मानक के अनुसार देखें तो इन्होंने अपनी कार्यक्षमता को बढ़ाया है और इससे इनको लाभ भी हुआ है। 10 निगम ऐसे होंगे जो कि लाभ और हानि में बराबर रहे हैं। हां, माननीय सदस्य की बात से मैं हृदय से सहमत हूं और सरकार की ओर से उन्हें विश्वास दिलाना चाहता हूं कि सरकार भी इस विचारधारा की है, हानि-लाभ के लेखा-जोखा में भ्रष्टाचार की बात आप क्यों करते हैं, अरे हम तो इससे भी एक कदम आगे बढ़कर आपको विश्वास दिलाते हैं कि सरकार इनकी कार्य क्षमता को बढ़ाना चाहती है। किसी भी तरह से, तकनीकी दृष्टिकोण से कि कैसे इनका पिछड़ापन दूर हो, हम इनकी कार्यक्षमता को आगे बढ़ाना चाहते हैं, उसमें हम किसी प्रकार की कोई कोर-कसर उठा नहीं रखेंगे।

माननीय सदस्यों ने तीन निगमों का बार-बार हवाला दिया विद्युत् परिषद्, परिवहन निगम तथा चलचित्र निगम। मैं माननीय सदस्यों से पूछना चाहता हूं कि आज जब आप अपने क्षेत्र में जाते हैं तो वहां विद्युत् परिषद् का काम देखते हैं कि उनके गांव में विद्युतीकरण हुआ है कि नहीं ? यदि हम हानि-लाभ के दायरे में ही फंसे रह जाते तो वहां गांव में यह विद्युतीकरण क्या हो पाता ? यदि सरकार केवल लाभ और हानि की ही बात सोचती तो आज आपके क्षेत्र के गांवों का विद्युतीकरण न हो पाता। ग्रामीण विद्युतीकरण के माध्यम से एक लाख रुपया खर्च होता है, 70 हजार खर्च होता है या 80 हजार रुपया खर्च होता है, तो यह जो हानि है, वह कहां से पूरी की जाये। मान्यवर, मैं बताना चाहता हूं कि विद्युत् परिषद् का जो घाटा है, उसका 85 प्रतिशत ग्रामीण विद्युतीकरण के कारण है और जो यह कर्जा है, वह ब्याज के कारण है। मैं माननीय सदस्यों से कहना चाहता हूं कि वह दूसरे पहलू को भी देखें। मान्यवर, आप परिवहन निगम को ले लीजिये, जो प्राइवेट मोटर आपरेटर्स हैं वह लाभप्रद रूटों पर ही बस चलाना पसन्द करते हैं। दूरस्थ पहाड़ी अंचलों पर जहां पर प्राइवेट आपरेटर जाना पसन्द नहीं करते हैं, जहां पर जाने के लिये वह तैयार नहीं हैं, वहां पर परिवहन निगम की बस जाती है। देहात से लाखों आदमियों को लाने का काम परिवहन निगम करता है। मान्यवर, मैं शहरों की बात करना चाहता हूं, अगर यहां पर सिटी बस सर्विस न हो तो टेम्पो और टैक्सियों के रेट मनमाने बढ़ जायेंगे। मान्यवर, उन पर प्रभावी नियंत्रण रखने के लिये परिवहन निगम काम करता है।

मान्यवर, चल-चित्र निगम की बात कही गयी है, उसकी आलोचना की गया है। शहरों में जहां पर मुनाफा होता है, वहां पर कोई छविगृह नहीं बनाया गया है, छविगृह वहीं पर बनाये गये हैं, जो देहाती क्षेत्र हैं। मैं कहना चाहता हूं कि आज लगभग 40-42 छविगृह हैं, वह सभी दूरस्थ देहात में बनाये गये हैं। उनका उद्देश्य लाभ कमाना नहीं है, बल्कि दूरस्थ देहात की जनता को मनोरंजन की सुविधा प्रदान करना है। माननीय सदस्य केवल मुनाफे की बात करते हैं, लेकिन जो मनोरंजन कर के रूप में जो आय होती है, उसको नजरंदाज कर दिया है, चीनी निगम के माध्यम से जो बिक्री-कर की आय होती है, क्या उसको देखा है, परिवहन निगम से जो यात्री कर आता है, क्या उसको देखा है, क्या उसको जोड़ा है। अगर आप इन चीजों को भी जोड़ें तो आप की बैलेन्सशीट हानि के बजाय लाभ में चली जायेगी। इनडाइरेक्ट टैक्सेशन से जो सरकार को लाभ हो रहा है, उसको इन्होंने नहीं देखा है। यह जनकल्याणकारी सरकार है, इसका मुनाफा कमाना ही काम नहीं है। अगर इसको मुनाफे का साधन मान लें, तो हजारों गांवों में रोशनी नहीं पहुंच पायेगी और हजारों गांव पानी की सुविधा से वंचित रह जायेंगे जल निगम जितनी भी लाइन बिछाता है, अगर उसकी लागत को देखा जाये तो यह कार्य नहीं किया जा सकता है।

श्री किरन पाल सिंह--

इसमें भ्रष्टाचार है या नहीं है ?

श्री प्रमोद कुमार--

मान्यवर, जब मैं आया था तो काफी भ्रष्टाचार था, 80 से आया हूं, तो काफी दूर हुआ है और आगे भी दूर करने का प्रयास करूंगा । मैं मान्यवर, आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि जो भी भ्रष्टाचार के मामले प्रकाश में आये हैं, शासन उन पर कड़ी कार्यवाही करेगा । निगमों में जब भी भ्रष्टाचार के मामले प्रकाश में आये हैं, तो उनके विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्यवाही की गयी है । लेकिन भ्रष्टाचार इन निगमों को बन्द करने से दूर नहीं होगा । भ्रष्टाचार समाप्त करने के लिये एक राजनीतिक दृढ़ता की जरूरत है, कृत संकल्प होने की जरूरत है । मान्यवर, सन् 1977 से सन् 1980 तक जो यह भ्रष्टाचार बढ़ता रहा वह सन् 1980 से निरन्तर कम होता चला जा रहा है ।

एक बात और कहना चाहूंगा कि इन निगमों का उद्देश्य हानि-लाभ से नहीं है । इन निगमों को इसलिये स्थापित किया गया था कि निजी क्षेत्र के उद्यमियों का मनोबल इसमें न बन पाये, प्राइवेट कांट्रेक्टर्स के सामने सरकार को न झुकना पड़े । इसी तरह से सामाजिक सेवा का भाव भी सरकार के सामने है । किसानों से जुड़ी हुई बीमार चीनी मिलों की समस्या हल करना भी सरकार का नैतिक दायित्व है । इसको बन्द करके हमारे जो 10 लाख 59 हजार कर्मचारी इसमें लगे हुये हैं उनके तथा उनके परिवार की रोजी-रोटी का भी प्रश्न सरकार के सामने है । मैं माननीय सदस्य, श्री तिवारी जी की इस भावना से सहमत हूं कि इन निगमों में जो कमियां हैं, जो भ्रष्टाचार है, जो इनमें कार्यक्षमता की कमी है उनको दूर किया जाय । किसी भी स्तर पर कहीं भी इन निगमों को आगे बढ़ाने का प्रयास किया जा सकता है तो वह किया जाय । सार्वजनिक उद्योग ब्यूरो के बारे में उन्होंने बात कही । मैं उनसे सहमत हूं कि उसकी कार्यक्षमता को बढ़ाने के लिये, कार्यक्षमता को बढ़ाने के लिए आवश्यकता पड़ने पर हम धीरे-धीरे प्रशासनिक रूप में जन प्रतिनिधियों को बैठाने का प्रयास करेंगे । इन शब्दों के साथ मैं तिवारी जी से निवेदन करूंगा कि वे अपने संकल्प को वापस ले लें और उसमें जो संशोधन का प्रस्ताव रखा गया है, उसे वे स्वीकार करें ।

श्री अधिष्ठाता--

तिवारी जी, आप माननीय मुईद अहमद के संशोधित प्रस्ताव को स्वीकार करते हैं ?

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी--

मान्यवर, अगर माननीय मन्त्री जी जिद कर रहे हैं और वे हमारी बात नहीं मानते हैं कि उनमें भ्रष्टाचार है, उनको यह बात स्वीकार नहीं है तो जिस रूप में वे चाहें, उनके पास बहुमत है तो हम उनकी ही राय मान लेंगे ।

श्री अधिष्ठाता--

प्रश्न यह है कि संकल्प में शब्द "प्रदेश के सार्वजनिक उपक्रमों में निरन्तर बढ़ते हुये घाटे और भ्रष्टाचार पर" के स्थान पर शब्द "प्रदेश के जिन सार्वजनिक उपक्रमों में घाटा बढ़ रहा है, उनके कारणों पर आंचोपरान्त" रख दिये जायं ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री अधिष्ठाता--

अब मैं मूल प्रस्ताव में संशोधित संकल्प रख रहा हूं ।

प्रश्न यह है कि इस सदन का निश्चित मत है कि प्रदेश के जिन सार्वजनिक उपक्रमों में घाटा बढ़ रहा है उनके कारणों पर जांचोपरान्त प्रभावी अंकुश लगाया जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

(मद संख्या 9, श्री हरिश्चन्द्र, हरीश जी का नाम पुकारे जाने पर ।)

श्री रघुवर दयाल वर्मा--

मान्यवर, शेष सारे संकल्पों को भी आप रखवा दें ।

श्री अधिष्ठाता--

पहला संकल्प हरिश्चन्द्र, हरीश जी का है ।

उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम, 1950 की धारा 171 की उपधारा (क) में संशोधन का संकल्प

श्री हरिश्चन्द्र, हरीश जी--

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करता हूं --

"इस सदन का निश्चित मत है कि उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम, 1950 की धारा 171 की उपधारा (क) में संशोधन कर मृतक के पुरुष वंश में जीवित व्यक्ति के साथ विधवा एवं विधवा माता को भी उत्तराधिकारी माना जाय ।"

नियमों को निलम्बित करके आज की कार्य सूची के शेष संकल्पों को प्रस्तुत किये जाने की अनुमति की मांग

श्री रघुवर दयाल वर्मा--

सारे कर लीजिये ।

संसदीय कार्य राज्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)--

ठीक है सारे कर लीजिये ।

श्री अधिष्ठाता--

माननीय हरीश जी बैठ जायें । माननीय संसदीय कार्य राज्य मन्त्री कुछ कह रहे हैं ।

श्री हुकुम सिंह--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, जैसा कुछ माननीय सदस्यों की इच्छा थी समय को देखते हुये कि यदि इसी संकल्प पर विचार हुआ और बाकी प्रस्तुत न हुये तो वह अनावश्यक हो जायेंगे, इसलिए सब को पेश करा दें ।

श्री अधिष्ठाता--

जो नियमों की जानकारी मुझे है उसके हिसाब से जब तक जो संकल्प माननीय हरीश जी ने रखा है उस पर वोट नहीं हो जाता दूसरा नहीं रख सकते हैं। अगर नियमों को निलम्बित करके सब संकल्पों को प्रस्तुत करते हैं तो फिर उस हिसाब से कार्यमंत्रणा समिति समय निर्धारित करेगी और उसका क्या परिणाम होगा कि एक-एक करके यही संकल्प आते रहेंगे और गैर सरकारी दिवसों में यही खतम नहीं हो पायेंगे। जब इस पर वोट हो जायेगा तब दूसरा प्रस्तुत हो पायेगा।

श्री हुकुम सिंह--

जैसा आप कहें।

श्री अधिष्ठाता--

इस हिसाब से 5 बजकर 18 मिनट तक आज सदन में यह चलेगा ....

श्री रघुबर दयाल वर्मा--

मेरा प्रस्तुत कर दीजिये।

श्री अधिष्ठाता--

मैंने इशारा कर दिया कि जब तक नियमों को निलम्बित नहीं करते हैं सब संकल्प प्रस्तुत करने की अनुमति नियम नहीं दे रहे हैं जैसा मैं समझता हूं।

श्री रघुबर दयाल वर्मा--

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि नियमों को निलम्बित करके सभी संकल्प प्रस्तुत करने की कृपा की जाय।

श्री हुकुम सिंह--

मान्यवर, जैसी आपकी इच्छा हो मैं कोई आपत्ति नहीं कर रहा हूं।

श्री अधिष्ठाता--

प्रस्ताव यह है कि सभी नियमों को निलम्बित करके सभी संकल्प एक साथ प्रस्तुत कराये जायें।

श्री हुकुम सिंह--

मुझे कोई आपत्ति नहीं है।

श्री अधिष्ठाता--

मैं समझता हूं कि सर्वसम्मत की यह राय है इसलिए मैं विशेष परिस्थिति में सभी संकल्प प्रस्तुत करा रहा हूं। माननीय हरीश जी का हो गया, आगे बदन सिंह जी का है....

प्रदेश में खारे पानी के बढ़ते हुये क्षेत्र को रोकने के लिये सरकार द्वारा प्राथमिकता के आधार पर प्रभावी कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में संकल्प

श्री बदन सिंह--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से यह संकल्प प्रस्तुत करता हूं कि "इस सदन का निश्चित मत है कि प्रदेश में खारे पानी के बढ़ते हुये क्षेत्र को रोकने के लिये सरकार प्राथमिकता के आधार पर प्रभावी कार्यवाही करे"।

प्रदेश के नागरिकों को अच्छी स्तर की सस्ती दवायें तथा सभी चिकित्सीय सुविधा एवं व्यवस्था सुदूर ग्रामीण अंचल तक उपलब्ध कराने हेतु सदन की एक समिति का गठन किये जाने के सम्बन्ध में संकल्प

श्री गोपाल दास यादव--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से यह संकल्प प्रस्तुत करता हूं :--

"इस सदन का निश्चित मत है कि प्रदेश के नागरिकों को अच्छी स्तर की सस्ती दवायें तथा सभी चिकित्सीय सुविधा एवं व्यवस्था सुदूर ग्रामीण अंचल तक उपलब्ध कराने के लिए एक विस्तृत योजना बनाने हेतु सदन की एक समिति का गठन किया जाय ।"

श्री अधिष्ठाता--

श्री काशी सिंह ऐरी हैं नहीं ।

प्रदेश की नदियों के किनारे जंगलों में बसी मल्लाह जाति के आवास, खेती और रोजगार के अभाव तथा पुनर्वास की आवश्यकता हेतु नदी के बालू के ठेके और मछली पालन विभाग की सेवाओं में 50 प्रतिशत आरक्षण की संस्तुति का संकल्प

श्री रघुवर दयाल वर्मा--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से यह संकल्प प्रस्तुत करता हूं :--

"यह सदन प्रदेश की नदियों के किनारे जंगलों में बसी मल्लाह जाति के आवास, खेती और रोजगार के अभाव तथा पुनर्वास की आवश्यकता को महसूस करते हुए नदी के बालू के ठेके और मछली पालन विभाग की सेवाओं में 50 प्रतिशत आरक्षण की संस्तुति करता है ।"

उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950 की धारा 171 की उपधारा (क) में संशोधन का संकल्प (क्रमागत)

श्री हरिश्चन्द्र, हरीश जी--

मान्यवर, मैंने अपने संकल्प में उ0 प्र0 जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम, 1950 की धारा 171 (क) में संशोधन की बात कही है । मान्यवर, इस अधिनियम की धारा 171 (क) में कहा गया है कि "किसी भूमिधर अथवा असामी के मरने पर उसकी जोत जिसे उत्तराधिकार के क्रम में लगेगी, उसमें मृतक की विधवा एवं विधवा मां को उस स्थिति में उत्तराधिकारी माना जायगा जब कि उसके पुरुष वंश में कोई जीवित न हो" अर्थात् इस कानून के रहते वह नारी जो परिवार की मुखिया बन कर रही है उसके पति के मरने के बाद अगर उसके परिवार में पुरुष वंश का कोई जीवित है तो वह उस खेती और सारी संपत्ति से वंचित रह जाती है । मान्यवर, यह जो जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम, 1950 है, उत्तर प्रदेश की संपूर्ण कृषि भूमि इस अधिनियम के द्वारा नियंत्रित है और उसकी धारा 171 की उपधारा (क) में जहां लिखा है कि मृतक की पत्नी जीवित होगी, तो वह विधवा पत्नी उस

खेती से वंचित रहेगी। यह कानून का क्रूर अन्याय है कि जिसने मृतक का परिवार चलाने के लिए अपने माता-पिता का प्यार, घरबार छोड़कर एक दूरदराज व्यक्ति के पास आकर परिवार बसाया। जब घर वालों ने भोजन कर लिया तो जो बचा उसे खाकर कोने में पड़ी चारपाई पर रात काट लिया, पति के जीवित रहते उसके साथ सुख-दुख का भोग करती रही लेकिन पति के मरते ही उसका पुत्र, नाती जो जीवित हैं जोत, खेती का उत्तराधिकारी बन जाता है और वह मां उन सारे अधिकारों से वंचित हो जाती है। मैं गांव से चुनकर आया हूं और जो गांव से चुनकर आते हैं मैं उनसे अपील करूंगा कि जरा वह गांव की ओर चले जायें। जहां पढ़े-लिखे लोग भी हैं और जो कहते हैं कि मां का अधिकार न हो तो भी मैं जीवनपर्यन्त मां को खिलाऊंगा। लेकिन बहुत सी मां और विधवायें ऐसी हैं जिनके 4 लड़के हैं, पति मर गया है तो उसकी जोत में पत्नी का कोई हक नहीं बनता है, इसलिये वह विधवा मारी-मारी फिरती है बारी-बारी से लड़के कहते हैं कि हम तुम्हें होली में खिलायेंगे तो कोई लड़का कहता है कि दीपावली में खिलायेंगे लेकिन नित्य की दुर्दशा से ऊब कर वह विधवा कहती है कि विधवा पेंशन दिलवा दें। हमारे पास ऐसी विधवायें आती हैं। लेकिन जब फार्म भरते हैं तो जिसके 4 बेटे हैं तो लेखपाल कहता है कि पेंशन इसको नहीं मिलेगी। इस प्रकार मान्यवर, कानून की क्रूर व्यवस्था में वह विधवा नारी सारी जोत से वंचित हो जाती है और सरकार द्वारा पेंशन की व्यवस्था में भी वह समाविष्ट नहीं हो पाती है क्योंकि पुत्र जीवित है। इस कानून के रहते उस विधवा का जीवन नारकीय है। साथ ही साथ धारा 171 का गला घोटता है।

मान्यवर, संविधान के अनुच्छेद 15 (1) में कहा गया है कि राज्य किसी नागरिक के विरुद्ध केवल धर्म, मूल, वंश जाति, लिंग, जन्मस्थान या इनमें से किसी के आधार पर भेद नहीं करेगा। मान्यवर, यह जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950 में संविधान के अनुच्छेद 15 (1) का उल्लंघन किया है। इसलिये मैंने यह संकल्प प्रस्तुत किया है, इसमें संशोधन करके पुत्र के ही समान उस विधवा मां और विधवा पत्नी को समान उत्तराधिकारी माना जाय।

परन्तु इसी धारा में कुछ विसंगति भी है कि किसी भूमिधर अथवा असामी के मरने पर यदि पुरुष वंश में कोई जीवित है तो उसकी पत्नी का जोत में हक नहीं होगा लेकिन लड़का मर गया है तो उसकी पुत्रवधू को पति के जोत के पूरा अंश और सारे हक ट्रांस्फर हो जायेंगे, यह कैसा विरोधाभास है। जो घर की मुखिया है, पति के मरने पर जोत से वंचित हो जाती है किन्तु उसी परिवार में एक पुत्र है जो मर गया है उसकी विधवा को अपने पति के समान ही उस जोत की हकदार है इसका मैं समर्थन करता हूं कि एक पति मर गया उसकी नारी को बराबर का हिस्सा मिला। लेकिन यह विरोधाभास है समाप्त होना चाहिये और मृतक भूमिधर अथवा असामी की पत्नी भी पुरुषवंश के समान उत्तराधिकारी मानी जानी चाहिये। मान्यवर, हमारा संकल्प आज स्वीकार कर लिया जाए तो कानून के अन्दर का यह विरोधाभास समाप्त हो जाएगा। लेकिन कांग्रेस पक्ष के लोग तैयारी कर रहे होंगे इस पर कुछ बोलने के लिए। एक विधायक ने कहा ऐसे-ऐसे कानून निकाल कर दूंगा जिससे नारी का बड़ा सम्मान है, नारी का बहुत महत्व का स्थान है। मैं आपकी अनुमति से पहले ही उनका उल्लेख करना चाहता हूं। हिन्दू स्त्री का सम्पति पर अधिकार अधिनियम' 1937 को आप देखने का कष्ट करें। उसमें लिखा है कि पुत्र के साथ ही साथ मृतक की विधवा, विधवा पुत्र वधू और विधवा पौत्र वधू तक को सम्पत्ति में उत्तराधिकारी माना है। इस प्रकार इस अधिनियम ने हमारे इस संकल्प का समर्थन किया है और कहा है कि स्वामी के मरने के बाद पुत्र के साथ ही मृतक की विधवा, विधवा पुत्र वधू और विधवा पौत्र वधू तक को सम्पत्ति में उत्तराधिकार है। इसी तरह हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 ने इससे चार कदम और आगे बढ़कर

इसका समर्थन किया है । इस अधिनियम ने तो पुत्र के साथ मृतक की विधवा, विधवा पुत्र वधू और विधवा पौत्र वधू के अतिरिक्त इस समूह में मृतक की पुत्री, पुत्र की पुत्री, पौत्र की पुत्री, पुत्री का पुत्र, पुत्री की पुत्री और माता तक को उत्तराधिकारी माना है । अगर हिन्दू स्त्री का सम्पति । अधिकार 1936 अधिनियम विधवा पत्नी के समान अधिकार देने का पक्षधर है और हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 ने भी इस बात का समर्थन किया है कि किसी गृह स्वामी के मरने के बाद पुत्र के समान ही विधवा को अधिकार होगा उत्तराधिकार में सामान्य कानून भी इसका समर्थन करता है कि स्वामी के मरने के बाद उनकी विधवा को पुत्रों के समान ही सम्पत्ति में अधिकार मिलेगा । इस प्रकार आप देखें सम्पति सम्बन्धी अधिकारों को लेकर पुरुष और स्त्री जाति के बीच जो एक असमानता थी, खाई थी, उसको इस अधिनियम के द्वारा समाप्त कर दिया गया है । लेकिन इस सदन में ही, ऐसे काम हुए हैं, यह सरकार बैठी है....

श्री अधिष्ठाता—

आप आज यही समाप्त कर दें, आपका भाषण आगे के दिन जारी रहेगा । अब जब यह आगे आवेगा, तो उसका कार्यक्रम आपके भाषण के साथ ही प्रारम्भ होगा ।

श्री हरिश्चन्द्र, हरीश जी—

मैं अपनी बात थोड़ी और कहकर फिर रोक दूंगा । हिन्दू कानून ही नहीं आप मुस्लिम कानून को भी देखें, तो मुस्लिम कानून में भी पुत्रों के साथ विधवा एवं विधवा मां को सम्पत्ति में हकदार बनाया गया है । वह सम्पति में भागीदार होंगी । साथ ही इसी सदन में 4 सितम्बर, 1980 को उत्तर प्रदेश राज्य संहिता विधेयक, 1980 पेश हुआ था जो इस उद्देश्य से किया गया था कि जमींदारी विनाश कानून एवं भूमि-व्यवस्था में व्याप्त विसंगतियों को इसके द्वारा दूर कर दिया जायेगा । तत्कालीन राजस्व राज्य मंत्री जी ने प्रस्ताव रखा था कि इसे प्रवर समिति को दे दिया जाये और वह प्रवर समिति में भेज दिया गया और उक्त प्रवर समिति ने भी उसमें अपना प्रतिवेदन 1 फरवरी, 1983 को इसी सदन में पेश कर दिया है । इस विधेयक की धारा 103 में कहा गया है कि "किसी पुरुष भूमिधर या आसामी की मृत्यु हो जाने पर उसके हित का न्यागमन जिस उत्तराधिकार के क्रम के अनुसार होगा, उसमें इस धारा की उपधारा (क) में कहा गया है कि उसकी विधवा और पुत्र पौत्रादि क्रम में पंजातीय वंशज व प्रतिशाखा के अनुसार समान अंशों में प्राप्त करेंगे । उत्तर प्रदेश राज्य संहिता विधेयक, 1980 जो इस सदन में कांग्रेस सरकार के द्वारा ही प्रस्तुत किया गया था । जमीन्दारी विनाश एवं भूमि-व्यवस्था अधिनियम में संशोधन का प्रस्ताव इसी सरकार ने रखा । मैंने इसका उल्लेख कर दिया, अब मैं अपना भाषण आगे जारी रखूंगा ।

श्री अधिष्ठाता—

अब इस पर चर्चा स्थगित होती है, आगे जारी रहेगी ।

उत्तर प्रदेश सार्वजनिक सेवाओं में आरक्षण का विनियमन विधेयक, 1985

*संसदीय कार्य राज्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)—

माननीय अधिष्ठाता जी, विद्वान सदस्य तिवारी जी ने एक बहुत ही भ्रामक प्रकार का विधेयक प्रस्तुत कर उत्तर प्रदेश में पूरी अनुसूचित जाति में, पिछड़े वर्ग में भ्रम फैलाने का प्रयास किया और कहीं कहीं पर यह भी कहा गया कि सत्ता पक्ष की ओर से विधेयक आया है या कहां से यह विधेयक आया है लेकिन माननीय, अपनी बात कहने के बाद में इनको एक अच्छी बात सूझी और इन्होंने वापस लेने का निर्णय लिया लेकिन

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

उसके पहले जो प्रस्ताव किया उसमें जाने कितनी बातें सत्ता पक्ष के बारे में कह दीं। यह बात किसी से छिपी नहीं है कि यह सरकार हरिजन वर्ग को निर्बल वर्ग को, पिछड़े वर्ग को उठाने में लगी है। मान्यवर, पूज्य बापू जी ने आमरण अनशन किया था, अंग्रेजों ने कहा था कि इस वर्ग को यहां से अलग कर दिया जाये इनका चुनाव अलग कर दिया जाए, इसके खिलाफत में बापू जी ने आमरण अनशन किया था और उनके इस अनशन के बाद उनके संकल्प के बाद में इनको पुनः भारत की गति में जोड़ना सम्भव हो सका। मान्यवर, आज भी समाज में कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जो जन्म को भेदभाव का आधार मानते हैं, जब तक यह वर्ग उस वर्ग के समकक्ष नहीं उठाया जायेगा जब तक ऐसे समाज की रचना नहीं हो जाती जो जन्म के आधार पर भेद-भाव न करे तब तक यह सरकार पर उनके आरक्षण की जिम्मेदारी बनी रहेगी। इन्हीं शब्दों के साथ में इस दक्षिण नूसी विधेयक का विरोध करता हूं और कांग्रेस दल भारत का विकास करना चाहता है मैं चाहूंगा कि यह सदन इसका विरोध करे और सर्वसम्मति से ऐसे घोर भ्रामक विधेयक की आलोचना ही न करे बल्कि निन्दा भी करे। इन्हीं शब्दों के साथ में अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री अधिष्ठाता--

उत्तर प्रदेश सार्वजनिक सेवाओं में आरक्षण का [विनियमन] विधेयक, 1985, जो तिवारी जी ने रखा, उसको वापस लेने का प्रस्ताव किया इसमें संसदीय कार्य मंत्री ने अपना उत्तर दे दिया है।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी--

मान्यवर, माननीय मंत्री जी के उत्तर से सम्बन्धित एक स्पष्टीकरण में माननीय मंत्री जी से पूछ लूं। मैंने अपने भाषण में यह आरोप सरकार पर लगाया था कि हमारे जनपद फैजाबाद में बहुत से गैर हरिजनों को हरिजन होने का प्रमाण-पत्र मिला हुआ है और उसके आधार पर उन्हें कई नौकरियों में जैसे पी0 एम0 टी0 इंजीनियरिंग कालेज में या और सर्विसेज में आरक्षण का कोटा उस फर्जी प्रमाण-पत्र के आधार पर प्राप्त कर लिए हैं और हरिजनों के अधिकारों का इस तरह से कब्जा किए हैं। मैं 1977 से लेकर अब तक उस मामले को लड़ता आया हूं लेकिन आज तक उन मामलों में मंत्री जी की सरकार कुछ नहीं कर सकी यह बड़ी हरिजनों की समर्थक और हरिजनों को संरक्षण देने वाली सरकार है, तो क्या आप इस बात की जांच करायेंगे कि जिन अधिकारियों ने ऐसे फर्जी प्रमाण-पत्र दिए और जिन लोगों ने इस तरह के प्रमाण-पत्र लिये उनकी सर्विसेज को टर्मिनेट कर उनके खिलाफ कार्यवाही करेंगे और जिन एम0एल0ए0, जिन एम0 पी0 ने फर्जी हरिजन होने के प्रमाण-पत्र दिए हैं उनके बारे में सारे तथ्य आपके सामने हैं। ए0 डी0 एम0 की फाइल में मैंने देखा है तो पाया आपकी सरकार जो हरिजनों को संरक्षण देने वाली सरकार है इसमें कुछ कार्यवाही करने की कृपा करेगी?

श्री हुकुम सिंह--

जो विवरण आपने शिकायतों का दिया, तो आप कुछ विशिष्ट शिकायतें जो हैं वह भिजवा दीजिएगा, तो जो पिछड़े वर्ग, निर्बल वर्ग और हरिजनों के अधिकारों पर डकैती डाल रहे हैं चाहे वह राजनीति में हों या ब्यूरोक्रेसी में हों उनके खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिए। ऐसा अखबारों में भी आता रहता है कि फर्जी प्रमाण-पत्र द्वारा हरिजनों के अधिकारों पर डकैती डाल लेते हैं। मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि अगर

ऐसी जानकारी आप कोई देंगे तो जांच करायी जायेगी और जांच कराने के बाद अविलम्ब कार्यवाही उस पर की जायगी ।

श्री कल्यान सिंह—

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने आरक्षण के सम्बन्ध में सरकार के पक्ष को प्रतिपादित किया है और स्पष्ट शब्दों में आरक्षण का समर्थन किया है । मैं इसके लिए सरकार को बधाई देता हूं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी आरक्षण की पूरी तरह से पक्षधर है । जहां पर उन्होंने कहा है कि कुछ राजनीतिक लोग हरिजनों या पिछड़े वर्ग के लोगों के हितों पर डकैतियां डाल रहे हैं, हो सकता है कि उनकी जानकारी हो, इसमें कोई सच्चाई हो । उन्होंने आश्वासन दिया कि इसकी जांच करायी जायगी और इस प्रकार की डकैती न पड़ सके इसके लिए व्यवस्था की जायगी । मेरा कहना है कि यह डकैती प्रशासन के अधिकारी भी डाल रहे हैं । जो शासनादेश है उसके अनुसार प्रशासनिक अधिकारी कार्यवाही नहीं कर रहे हैं । होता यह है कि चयन के समय जितने आरक्षित वर्ग के लोग हैं उनकी सूची अलग बनाकर उनका चयन किया जा रहा है । जैसे अनुसूचित जाति के लोगों के लिए 18 परसेण्ट और पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए 15 परसेन्ट तो पूरी सूची में से इनके नाम अलग छांट लिये जाते हैं, 18 परसेन्ट दे दिया अनुसूचित जाति के लोगों को 15 परसेन्ट दे दिया पिछड़े वर्ग के लोगों को तो इस प्रकार का क्रियान्वयन गलत है और शासन के आदेशों के प्रतिकूल है । होना यह चाहिए और यही शासनादेश है कि एक बार पूरी सूची बनायी जाय चाहे आरक्षित कोटे के अभ्यर्थी हों या सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी हों, वह सूची बनायी जाय और मेरिट के हिसाब से सेलेक्शन हो । अगर आरक्षण पूरा न हो तो पूरा किया जाय । लेकिन अगर कोई मेरिट के हिसाब से, ज्यादा अंक सामान्य सूची में पाता है तो उसको सामान्य अभ्यर्थी माना जाना चाहिए और आरक्षित सूची के साथ उसको सम्बद्ध नहीं किया जाना चाहिए । अभी होमगार्ड का चुनाव हुआ है तो उसमें इसी प्रकार से 18 परसेन्ट और 15 परसेन्ट के हिसाब से सूचियां बनायी गयीं । अगर कोई अपने बुद्धि बल से, बाहुबल से आये तो सामान्य सूची का माना जाना चाहिये । तो आपके शासन-देश का गलत क्रियान्वयन किया जा रहा है और कुछ निहित स्वार्थ वाले प्रशासनिक अधिकारी 18 परसेंट और 15 परसेंट की सूची अलग बना देते हैं जिससे अनुसूचित जाति के और पिछड़े वर्ग के लोगों के अधिकारों का हनन हो रहा है । मैं स्पष्ट घोषणा चाहता हूं कि क्या कोई ऐसी व्यवस्था करेंगे कि जो आपका शासनादेश है, उसका ईमान-दारी के साथ आपके प्रशासनिक अधिकारी परिपालन करें और इसकी जांच पड़ताल करा लें । जिस विभाग में ऐसा नहीं होता है उसके विभागाध्यक्ष के खिलाफ कार्यवाही करें ।

श्री हुकुम सिंह—

इसको दोबारा दिखवा लेंगे और जो शिकायतें हैं, अगर कहीं कमी है तो उसको दूर करेंगे । मैं मान्यवर, आपकी अनुमति से सदन के संज्ञान में लाना चाहता हूं कि कहीं-कहीं अनजानेपन से और कहीं-कहीं स्वार्थवश इस सारी की सारी व्यवस्था में व्यवधान पैदा किया जाता है । मेरे सामने एक बड़ा ही आश्चर्यजनक प्रकरण आया । चूंकि सम्बन्धित विषय चल रहा है इसलिये मैं आपकी अनुमति से उसको बताना चाहता हूं । हमारे जनपद के एक सज्जन जो सम्पन्न और सुजाति वर्ग के थे वह ग्राम सभा की जमीन का आवंटन अपने पुत्र के नाम करवाना चाहते थे इसलिये उन्होंने अपने नौकर की गोद में अपने बच्चे को दे दिया । वह तथाकथित उच्चवर्ग के थे और उनका नौकर अनुसूचित जाति का था । तो उसको गोद में बैठा कर रजिस्टर करा दिया और रजिस्ट्रेशन कराने के बाद एलाटमेन्ट करा लिया और उसके बाद एप्रूव भी करा लिया । अगर शिकायत न होती तो यह बात सामने न आती । कानून के अनुसार गोद लेने के

बाद सारे पैरेंटेज बदल गये और वह उसका बाप हो गया । तो कहीं कहीं ऐसे प्रकरण आते हैं तो उन पर विचार किया जाता है ।

प्रयास तो यह है कि जो उसके पीछे फिलासफी है जो उसके पीछे आशय है, वह समाप्त नहीं होना चाहिए । मैं आश्वस्त करता हूं कि जहां-जहां ऐसी बात जानकारी में आयेगी उनके आने के बाद सही नीति जो प्रतिपादित हुई है उसका परिपालन किया जायेगा ।

श्री अधिष्ठाता--

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश सार्वजनिक सेवाओं में आरक्षण का विनियमन विधेयक, 1985 को वापस लेने के लिए सदन की अनुज्ञा दी जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अधिष्ठाता--

नियम 51 के अन्तर्गत 9 सूचनाएं आज प्राप्त हुई हैं । माननीय अध्यक्ष के निर्देशानुसार उसमें श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी द्वारा सूचना दी गयी है--के0 जी0 मेडिकल कालेज, लखनऊ की एम0 डी0/एम0 एस0 की 28 जुलाई से होने वाली परीक्षा में 20 स्नातकोत्तर परीक्षार्थियों को परीक्षा से वंचित करना, इसको माननीय अध्यक्ष ने वक्तव्य के लिए स्वीकार किया है । दूसरी श्री रिछपाल सिंह बंसल और प्रधान प्रभु दयाल की है--जनपद मेरठ में सामाजिक वानिकी के अन्तर्गत लाखों रुपये का घोटाला, इसे माननीय अध्यक्ष ने केवल वक्तव्य के लिए स्वीकार किया है ।

प्रदेश में सी0 पी0 एम0 टी0 की परीक्षा में हुई व्यापक अनियमितताओं के सम्बन्ध में वक्तव्य

श्री रघुवर दयाल वर्मा--

मान्यवर, माननीय मन्त्री जी जो पढ़ना चाहते हैं उसे पढ़ा हुआ मान लिया जाय ।

जन-स्वास्थ्य एवं चिकित्सा मंत्री (श्री लोकपति त्रिपाठी)--

श्रीमन्, जो माननीय डाक्टर जौहरी जी ने बिन्दु प्रस्तुत किया है और उसका मैंने जो उत्तर दिया है उसको पढ़ने की आज्ञा दे दें । उनके प्रश्न को पढ़ा हुआ मानते हुए हमारे उत्तर को पढ़ने की आज्ञा दे दें ।

श्री अधिष्ठाता--

आपका लिखित भाषण सुनकर सबको बड़ी खुशी होगी ।

श्री लोकपति त्रिपाठी--

प्रदेश में एम0 बी0 बी0एस0, बी0 डी0 एस0, बी0 ए0 एम0 एस0, बी0 यू0 एम0 एस0 तथा बी0 एच0 एम0 एस0 पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु अभ्यर्थियों के योग्यता के आधार पर चयन के लिये प्रादेशिक स्तर पर कम्बाईंड प्री-मेडिकल परीक्षा के आयोजन का दायित्व इस वर्ष रुहेलखंड विश्वविद्यालय बरेली को सौंपा गया है । रुहेलखंड विश्वविद्यालय ने प्रदेश के कुल तेरह स्थानों--आगरा, इलाहाबाद, बरेली, फैजाबाद, गोरखपुर, झांसी, कानपुर (सिटी), देहरादून, लखनऊ, मेरठ, नैनीताल, गढ़वाल तथा वाराणसी में कुल 51 परीक्षा केन्द्रों के माध्यम से 27 व 28 जून, 1987 को उक्त परीक्षा सम्पादित करा दी है ।

2--नियम 56 की प्रश्नगत सूचना में माननीय विधायकगण ने उक्त परीक्षा में निम्नलिखित अनियमितताओं की ओर संकेत किया है :--

(1) लगभग सभी केन्द्रों पर उत्तर--पुस्तिकाओं को सील करके नहीं भेजा गया और वह स्टपिल्ड भी नहीं थीं ।

(2) उत्तर--पुस्तिकाओं पर सीरियल नम्बर नहीं थे ।

(3) हर परीक्षा केन्द्र पर परीक्षार्थियों की संख्या से कहीं अधिक परीक्षा पुस्तिकायें भेजी गयी थीं ।

(4) बनारस के उदय प्रताप महाविद्यालय व झांसी के एक परीक्षा केन्द्र पर पर्चा पहले से आऊट हो गया था ।

(5) पहले की भांति इस वर्ष छात्रों को अपने जवाब की कार्बन कापी नहीं करने दी गयी ।

(6) कुछ केन्द्रों से परीक्षा के बाद भरी हुई कापियां रुहेलखंड विश्व-विद्यालय के अधिकृत व्यक्तियों के साथ वापस नहीं भेजी गयीं ।

3--उल्लेखनीय है कि कम्बाईंड प्री-मेडिकल परीक्षा "आब्जेक्टिव" प्रश्न पत्रों पर आधारित होती है । अतः प्रश्न-पत्र उत्तर-पुस्तिका में ही मुद्रित कराये जाते हैं और वह प्रेस से ही दोनों ओर स्टपिल्ड द्वारा बन्द रहती हैं । नियम--56 की सूचना में इंगित उपर्युक्त बिन्दुओं पर क्रमागत तथ्यात्मक स्थिति निम्नवत् है :--

(1) प्रश्न-पत्र युक्त उत्तर-पुस्तिकायें प्रेस द्वारा दोनों ओर से स्टपिल्ड की गयी थीं और बीस-बीस के पैकेट पोलीथीन कवर के अन्दर बन्द करके पुनः इन पैकेटों को एक बड़े पोलीथीन कवर में रखकर बन्डल बनाया गया और उस पर टाट का कवर सिलाया गया । तदोपरान्त लाख से सील करने के उपरान्त इन बन्डलों को पुनः लकड़ी की पेटियों में रखकर लोहे की पत्तियों से बन्द कराया गया था । इन पेटियों के ठीक तरह सील बन्द प्राप्त होने का प्रमाण-पत्र निर्धारित प्रारूप में विश्वविद्यालय ने प्राप्त किये हैं ।

(2) प्रत्येक उत्तर-पुस्तिका पर प्रेस से क्रमांक इंगित किये गये थे । प्रत्येक छात्र को पहले से निर्देश थे कि परीक्षा प्रारम्भ होने पर दस मिनट के अन्दर वह उत्तर-पुस्तिका खोलकर उसके क्रमांक तथा प्रश्नों के क्रमांकों को देख लें और कोई त्रुटि दृष्टिगत हो तो केन्द्राध्यक्ष, पर्यवेक्षक, मुख्य निरीक्षक या कक्ष निरीक्षक से उत्तर-पुस्तिका को बदलवाने का अनुरोध करें । इस प्रकार मुद्रण की त्रुटि वाली उत्तर-पुस्तिकाओं को तत्काल बदलने की व्यवस्था सुनिश्चित की गयी थी किन्तु यह सही नहीं है कि उत्तर पुस्तिकाओं पर क्रमांक अंकित ही नहीं थे ।

(3) परीक्षा सम्बन्धी नियमों के अनुसार प्रत्येक केन्द्र पर निर्धारित पंजीकृत छात्रों की संख्या से दस प्रतिशत अधिक उत्तर-पुस्तिकायें इस आशय से भेजी जाती हैं कि मुद्रण की त्रुटि होने पर निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार उत्तर-पुस्तिका बदली जा सके अथवा ऐसे छात्र, जिन्हें उनके आवेदन-पत्र में उपलब्ध सूचनाओं के आधार पर कमियां पाये जाने के कारण परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु अर्ह नहीं पाया गया, को पूर्व निर्दिष्ट कमियों को दूर करने का लिखित वचन (अन्डर टेकिंग) देने पर केन्द्राध्यक्ष की अनुमति से परीक्षा में सम्मिलित करने की व्यवस्था की गयी थी, के लिये उपयोग की जा सकें ।

परीक्षा प्रारम्भ होने के तीस मिनट बाद उत्तर-पुस्तिकाओं का लेखा विवरण व प्रयोग न की गयी उत्तर पुस्तिकाओं को पर्यवेक्षक और निरीक्षक की उपस्थिति में सील करने के निर्देश थे और तद्नुसार प्रत्येक पाली की परीक्षा प्रारम्भ होने के तीस मिनट के बाद प्रश्नगत प्रयोग में न लायी गयीं उत्तर पुस्तिकायें सील कर दी गयीं ।

(4) किसी भी केन्द्र से किसी भी प्रश्नपत्र के पहले आऊट होने के सम्बन्ध में केन्द्राध्यक्ष, पर्यवेक्षक तथा निरीक्षक से कोई रिपोर्ट विश्वविद्यालय को प्राप्त नहीं हुई । वाराणसी के उदय प्रताप कालेज में एक अभ्यर्थी की उत्तर-पुस्तिका में त्रुटि पाये जाने के कारण उसे नियमानुसार बदला गया । झांसी में परीक्षा केन्द्र पर 27 जून को सायंकाल की पाली (2 बजे से 4-30 बजे) में एक अभ्यर्थी द्वारा अपनी उत्तर-पुस्तिका के अन्दर के पृष्ठों को लेकर केन्द्र से भाग जाने की सूचना विश्वविद्यालय को दी गयी है । इस घटना की उसी समय पुलिस स्टेशन में प्रथम सूचना केन्द्राध्यक्ष द्वारा दर्ज करा दी गयी ।

(5) गत वर्ष (सी0 पी0 एम0 टी0 1986) से इस परीक्षा के "की-केज" के प्रकाश की व्यवस्था निहित कठिनाइयों के कारण समाप्त करने का निर्णय लिया गया है । विभिन्न अधिकारियों के अनुभवों के प्रसंग में अभ्यर्थियों द्वारा उत्तरों की कार्बन प्रति प्राप्त करने की व्यवस्था नहीं रखी गयी । नियमों में यह अपेक्षित भी नहीं है ।

(6) प्रत्येक केन्द्र पर प्रयोग में लायी गयी तथा प्रयोग में न लायी गयी उत्तर-पुस्तिकाओं के सील्ड बन्डल 30 जून, 1987 की सायंकाल तक परीक्षा केन्द्रों से विश्वविद्यालय के कर्मचारी पुलिस सुरक्षा बल की देख-रेख में रुहेलखंड विश्वविद्यालय से वापस आ गये थे ।

4--यहां यह भी उल्लेखनीय है कि विश्वविद्यालय तथा परीक्षा केन्द्रों की व्यवस्था का पर्यवेक्षण करने के लिये शासन द्वारा भी परीक्षा के प्रत्येक स्थान पर एक-एक वरिष्ठ अधिकारी को पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया था और उन्हें यह निदेश दिये गये थे वे परीक्षा के निष्पक्ष व उचित ढंग से संचालन पर दृष्टि रखें और अपनी गोपनीय रिपोर्ट शासन को सीधे प्रेषित करें । पर्यवेक्षकों की आख्यायें प्रमुख रूप से संतोषजनक हैं । इस प्रकार उक्त महत्वपूर्ण परीक्षा के संचालन के गुरुतर कार्य के लिये विश्वविद्यालय की विश्वसनीयता पर सन्देह करने के लिये कोई कारण नहीं है ।

*डाक्टर दिनेश जौहरी--

मान्यवर, मैं पंडित जी का बड़ा आदर करता था कि पंडित जी जो भी बात कहेंगे, सही ही कहेंगे, लेकिन मान्यवर, इस वक्तव्य में जो बिन्दु 1 से 6 तक में बातें कही गयी हैं, वह गलत कही गयीं हैं । दूसरे मान्यवर, आपके माध्यम से मैं यह जानना चाहता हूं कि यह इन्क्वायरी रिपोर्ट जो भेजी गयी है, क्या वी0 सी के माध्यम से भेजी गयी है, तो मुझे इस पर आपत्ति है क्योंकि जिसकी जमानत जब्त हो गयी हो और वह अपनी रिपोर्ट अपने हाथों से भेजे तो रिपोर्ट मान्यवर, कभी भी सही नहीं हो सकती है । इसलिए मान्यवर, मैं सबसे पहले यही जानना चाहता हूं कि यह जांच किस माध्यम से कराई गयी है क्योंकि मैंने इस पर बहुत स्पष्ट आरोप लगाये हैं कि यह सारे बिन्दु 1 से 6 तक सब गलत बयान किये गये हैं । एक तो यह मान्यवर विद्यार्थियों में जो कापियां बांटी गयीं, उन पर उन कापियों के सीरियल नं0 दर्ज नहीं थे और रुहेलखण्ड विश्वविद्यालय

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

के रजिस्ट्रार ने जब अपने लोगों को भेजा कापियां लेने के लिये, तो रुहेलखण्ड विश्व-विद्यालय के कर्मचारियों को कापियां नहीं दी गयीं, इसकी लिखित सूचना उन कर्मचारियों ने वी0 सी0 को0 रजिस्ट्रार को और सरकार को भी दी है कि यहां के कर्मचारियों के माध्यम से कापियां वापस नहीं की गयी है, बल्कि केन्द्र के लोग अधिकांश आए और वे अपने-अपने केन्द्र से सम्बन्धित कापियां लेकर गये । तीसरे मान्यवर जो कार्बन कापी का तरीका था वह बहुत अच्छा तरीका था, उसमें उसकी कार्बन कापी पर उस बालक के आन्सर नं0 अंकित हो जाते थे, जिससे विद्यार्थियों को अपनी स्थिति का स्पष्ट ज्ञान रहता था, और बीच में कोई गड़बड़ी नहीं होती थी, परन्तु इस व्यवस्था को पिछले दो वर्षों से समाप्त कर दिया गया ।

श्री अधिष्ठाता--

माननीय सदस्य एक-एक बात करके पूछ लें और जब माननीय मन्त्री जी उस प्रश्न का जवाब दे दें तो दूसरा प्रश्न करें, इससे स्थिति ज्यादा स्पष्ट हो सकेगी ।

डा0 दिनेश जौहरी--

तो मान्यवर, माननीय मन्त्री जी पहले यह बताने की कृपा करें कि यह जांच किस माध्यम से कराई गयी ?

श्री लोकपति त्रिपाठी--

यह रिपोर्ट रुहेलखण्ड विश्वविद्यालय के हर मण्डल पर एडीशनल डायरेक्टर के समकक्ष एक पोस्ट होती है, के अन्तर्गत शासन द्वारा गोपनीय जांच करायी गयी है और इस रिपोर्ट में उन लोगों की सूचना भी निहित है जो वहां पर इन्विजीलेटर्स के रूप में काम कर रहे थे और दूसरे कुछ ही दिनों में परीक्षाफल आउट हो जायेंगे और जिस किसी विद्यार्थी की उत्तर पुस्तिका में यदि अंक दर्ज नहीं थे और परीक्षाफल आउट होने के बाद वह सारी कापियां रुहेलखण्ड विश्वविद्यालय के अधिकार क्षेत्र में रहेंगी, उनकी जांच करा ली जाय और अगर एक भी उत्तर पुस्तिका बिना मार्किंग के हो तो मैं इस सी0 पी0 एम0 टी0 की परीक्षाफल निरस्त करके पुनः परीक्षा करा दूंगा । (मेजों की थपथपाहट) तीसरे यह श्रीमन् जब रिजल्ट आउट हो जाए और उस समय यदि किसी को इस बात का संदेह हो कि उनके साथ किसी भी प्रकार का अन्याय हुआ है तो वह अपनी परीक्षा कापियों की जांच करा सकते हैं, दूसरे यह सारा कम्प्यूटराईज्ड सिस्टम है, प्रश्न का उत्तर प्रश्न से पहले संदर्भित कर दिया जाता है, इस लिए मैं समझता हूं कि इसमें कोई गड़बड़ी होने की संभावना नहीं है ।

श्री अधिष्ठाता--

माननीय मन्त्री जी क्या आपको कम्प्यूटर्स के बारे में हाई कोर्ट के निर्णय की जानकारी है ?

श्री लोकपति त्रिपाठी--

जो श्रीमन्, एक ही प्रश्न के कई उत्तर हो सकते हैं और यह भी कार्बन कापी के अन्तर्गत दिया गया है कि प्रश्न का जो उत्तर इस प्रश्न पुस्तिका में निश्चित किया गया है, वही उत्तर कम्प्यूटर ने सही माना है मगर पीठासीन अधिकारी ने कहा कि यह भी सही हो सकता है, यह जो उस समय विवाद उत्पन्न हुआ, तो यह प्री-मेडिकल टेस्ट के आब्जेक्टिव टेस्ट का सारा अर्थ ही बदल गया । चौथी बात यह है कि भारत वर्ष में जितने मेडिकल कालेज, इंजीनियरिंग कालेज, बिजनेस मैनेजमेन्ट या जो इन्स्टीट्यूशन्स हैं, जहां आब्जेक्टिव टेस्ट होता है, कहीं भी कार्बन कापी की व्यवस्था नहीं है ।

डाक्टर दिनेश जौहरी--

मान्यवर, मैंने जो कुछ देखा है, उसके विषय में कहना चाहता हूं कि एक महीने पहले धारणा बनी थी कि रुहेलखण्ड विश्वविद्यालय परीक्षाएं कराने जा रहा है बरेली में, उसके बाद वहां के वी0 सी0 ने अपने रेगुलर इम्प्लाइज के माध्यम से परीक्षाएं नहीं कराई सी0 पी0 एम0 टी0 की। उन्होंने अपने आदमी एप्वाइंट किये डेलीवेजेज पर और वहीं से सारी बात शुरू हुई क्योंकि डिप्टी रजिस्ट्रार को या अन्य अधिकारियों को किसी काम में नहीं लगाया गया और उन्हीं डेली वेजेज के व्यक्तियों से काम लिया गया। वे डेलीवेजेज के व्यक्ति भी बरेली के नहीं थे, बल्कि वी0 सी0 के जिले के थे। दूसरी बात यह है कि उनके घर पर कृष्णा कोचिंग के डायरेक्टर के पुत्र बराबर आते-जाते देखे गये और यह बात सुनाई देने लगी कि एक-एक लाख रुपया लेकर एडमीशन कराए जाने की बात है। सन् 85 में जब कानपुर विश्वविद्यालय ने पी0 एम0 टी0 की परीक्षा कराई थी, जो रिपीट भी हुई थी, वहां जिन मेहरोत्रा जी ने परीक्षाएं कराई थीं, उन्हीं मेहरोत्रा जी को वी0 सी0 ने इंगेज करके लगाया, जिनका चरित्र पहले से ही संदिग्ध था क्योंकि सन् 85 में परीक्षाएं रिपीट हुई थीं। इस प्रकार से ऐसे बहुत के लोगों का प्रवेश हो जायेगा जो डिजर्व नहीं करते। अच्छे डिजर्विंग छात्र सेलेक्ट नहीं होंगे। लाख डेढ़ लाख खर्च करके जो छात्र सेलेक्ट होंगे, वे पढ़कर अच्छे डाक्टर नहीं बन सकेंगे। दूसरे एक बात बताना चाहता हूं कि बनारस में जिस दिन जीव विज्ञान का पेपर मिला, उसमें 8 पन्ने कैमिस्ट्री के लगे थे। आधा घंटा बीत जाने के बाद उस विद्यार्थी को पता लगा। बाद में कापी सील हो गयी। बाद में वही कमिस्ट्री का पेपर सील हो गया। तो 8 पन्ने में 20-25 सवाल होंगे, जो आउट हो गये। आपका कहना है कि पेपर आउट नहीं हुए, इस पर आप कृपया अपना स्पष्टीकरण दे दें।

श्री लोकपति त्रिपाठी--

मान्यवर, उस दिन काशी में मैं स्वयं उपस्थित था और ऐसी कोई घटना नहीं हुई। उत्तर पुस्तिका में कुछ गड़बड़ी थी, जिसे बदल दिया गया। उस समय प्रश्न पत्र आउट होने की कोई घटना नहीं हुई।

श्री कल्याण सिंह--

मान्यवर, चूंकि लगभग 20 माह स्वास्थ्य विभाग के माध्यम से मुझे भी इस प्रदेश की जनता की सेवा करने का मौका मिला है, उस नाते से अपनी जानकारी के आधार पर पूरे वक्तव्य के संदर्भ में मैं माननीय मंत्री जी के प्रश्न संख्या 5 का जो उत्तर है, उसके बारे में कहना चाहता हूं कि जो छात्र सी0 पी0 एम0 टी0 में बैठते हैं उनको उनके उत्तरों की कार्बन कापी दी जाती रही, पहले यह प्रक्रिया नहीं थी, यह प्रक्रिया मैंने आरम्भ की थी, और इसलिये प्रारम्भ की थी कि कोई भी छात्र जो उत्तर लिखकर आया है, उसके उत्तर की ज्यों की त्यों कार्बन कापी उस छात्र के पास रहे और इसके साथ ही यह भी व्यवस्था की गयी कि जिस समय परिणाम घोषित हो, उस दिन उस अखबार के अन्दर, जिसमें परिणाम घोषित हुआ हो, उसमें आफिशियली करेक्ट आन्सर्स क्या हैं, इसकी भी टेबिल छाप दी जाय। इससे छात्र अपने घर बैठकर, उस अपनी कार्बन कापी से, इस बात का मिलान कर लेते हैं कि जो करेक्ट आफिशियल आन्सर है, उस हिसाब से उसकी क्या स्थिति रही, कितने नम्बर मिलेंगे या कितने नम्बर कटेंगे। उसमें हरेक छात्र को घर बैठकर अपनी स्थिति पता चल जाती थी। उसमें यह बात आयी थी कि जो प्रश्नों का भंडार है, यह चुकता हो जायेगा। फिर मैंने इस सम्बन्ध में विशेषज्ञों की बैठक बुलाकर, जिसका सारा उल्लेख फाइल में मौजूद है, सारा विचार-विमर्श किया। उसमें यह कहा गया कि प्रश्नों का भंडार कभी भी समाप्त नहीं हो सकता है। आबजेक्टिव्स के टेस्ट जो हैं, हर साल बनाये जा सकते हैं? यह कहा गया

कि अगर एक बार प्रश्न आउट हो जायेंगे तो फिर दूसरे छप जायेंगे । लोगों का उस व्यवस्था से भ्रम भी जल्द दूर हो जाता था कि जो लिखकर आये हैं सही हैं या गलत हो गया । छात्र उस व्यवस्था में घर बैठे ही करेक्ट आफिशियल आन्सर से अपनी कार्बन कापी में लिखे उत्तरों से मिलान कर लेते थे । आपका कहना यह है कि दूसरी जगह व्यवस्था नहीं है । जो एक अच्छी व्यवस्था थी, प्रदेश में लागू थी, उसे समाप्त नहीं करना चाहिये था । आपने कहा कि ऐसा कोई नियम नहीं है । मान्यवर, वह स्वस्थ परम्परा थी, स्वस्थ व्यवस्था थी सब लोगों का उसमें होने वाले का भ्रम का निवारण हो जाता था । नियम नहीं है, तो भी उसे लागू करके, चला सकते हैं । वह स्वस्थ व्यवस्था थी । मैं मान्यवर आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से अनुरोध कर रहा हूं कि इस प्रश्न पर पुनर्विचार करें और गम्भीरता से विचार करें कि जो एक व्यवस्था लागू थी, जिसको लोगों ने पसन्द किया था, जिसमें छात्रों को अपने द्वारा लिखे गये उत्तरों की कार्बन कापी ले जाने का हक हो, दो कार्बन कापियां मिलती थी, एक उसमें रह जाती थी, और उसको करेक्ट आफिशियल की टेबिल अखबार में छपे । मान्यवर, मैं फिर कहना चाहता हूं कि उस व्यवस्था में अखबार में करेक्ट आफिशियल आन्सर की टेबिल छपने से छात्रों का भ्रम दूर हो जाता है, वह अपना हिसाब-किताब लगा लेते हैं और उसमें ऐतराज की भी बात नहीं आती कि फलां आ गया फलां रह गया ।

श्री अधिष्ठाता--

आप प्रश्न करें ।

श्री कल्यान सिंह--

क्या माननीय मंत्री जी इस बात का आश्वासन देंगे कि जो एक स्वस्थ प्रक्रिया थी, जिसको लोगों ने पसंद भी किया था, जिसका कि अभी भली प्रकार जिक्र मैंने किया, लागू करने पर पुनर्विचार करेंगे ।

श्री अधिष्ठाता--

माननीय मंत्री जी, माननीय कल्याण सिंह के सुझाव पर कुछ कहना चाहते हैं ।

श्री लोकपति त्रिपाठी--

मान्यवर, माननीय कल्यान सिंह जी के इस विचार से सहमत हूं कि आनी चाहिये और चलती रही 1985-86 तक । मगर 1982-83, 1983-84, 1984-85 में, माननीय कल्यान सिंह और उनके साथ 2-3 चिकित्सक सहयोगी जो हैं, मैं उनकी समिति बना देता हूं, जिसमें को केसेस एल.ऊ थे, उसकी जांच कर ले । जो निर्णय लिया गया अगर कहेंगे कि निर्णय अनुचित है तो उसको परिवर्तित करने पर विचार करेंगे । यह स्वयं देख लें कि कैसे किया गया है । हम आपको साधिकारिक रूप से उसको दिखवायेंगे और देखकर निर्णय ले कि वह प्रक्रिया सही है या नहीं ?

श्री कल्यान सिंह--

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी का निमंत्रण स्वीकार कर रहा हूं । माननीय मंत्री जी, जो भी उचित समय निर्धारित करेंगे, उसमें मैं बात करने के लिये तैयार हूं । इस मामले में मेरा पूरा सहयोग उनके लिये रहेगा । हम उन्हें कनवींस कर देंगे या वे हमें कनवींस कर देंगे । हम लोग बात कर लेंगे । यह ठीक रहेगा ।

श्री लोकपति त्रिपाठी--

मान्यवर, मैं एक बात और कह दूं । सी0 पी0 एम0 टी0 का जिस तिथि को रिजल्ट आउट होगा, उसके एक माह पश्चात् मैं आपको तथा आपके साथ जो 2-3 चिकित्सक सहयोगी रहेंगे, उनको साधिकारिक रूप से सारे कागजात दिखा दूंगा ।

श्री कल्याण सिंह—

मान्यवर, हम तो आपकी सूचना की प्रतीक्षा करेंगे । जो भी आपकी सूचना होगी, हम सहयोग के लिए आ जायेंगे ।

श्री गोपाल दास यादव—

मान्यवर, सी0 पी0 एम0 टी0 की जो परीक्षायें रुहेलखण्ड विश्वविद्यालय द्वारा संचालित हुई, उसमें रुहेलखण्ड विश्वविद्यालय की यह जिम्मेदारी होनी चाहिए थी कि वह परीक्षाओं को सुचारु रूप से चलाये । पहले सब्जेक्टिव टाईप टेस्ट होता था, लेकिन जब उसमें कुछ गड़बड़ियां पाई गई तो उसे बदल कर सी0 पी0 एम0 टी0 की परीक्षायें आब्जक्टिव टाईप टेस्ट के माध्यम से होनी शुरू हो गई ताकि उसमें पूरा पाठ्यक्रम आ जाय और योग्यता के आधार पर अभ्यर्थी का चयन हो सके । रुहेलखंड यूनीवर्सिटी द्वारा जो प्रश्न-पत्र विभिन्न सेन्टर्स को भेजे थे क्या वे विश्वविद्यालय से ही भेजे गये थे क्या फिर जहां पेपर छपे, वहीं से भेजे गये । दूसरा माननीय मंत्री जी ने कहा कि यू0 पी0 (उदय प्रताप) डिग्री कालेज में एक अभ्यर्थी के प्रश्न-पत्र में गड़बड़ी थी, जिसे बदलकर दूसरा प्रश्न-पत्र दे दिया गया, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि उस प्रश्न-पत्र में क्या बड़बड़ी थी ?

श्री लोकपति त्रिपाठी—

परीक्षा लेने की विश्वविद्यालय की एक प्रक्रिया होती है, उसी प्रक्रिया के तहत इम्तिहान लिया गया, दूसरा, यह कि उदय प्रताप कालेज में एक अभ्यर्थी का प्रश्न-पत्र गलत न होकर "उत्तर पुस्तिका" गलत थी, जिसे बदल दिया गया ।

श्री गोपाल दास यादव—

मान्यवर, वही उत्तर पुस्तिका होती है और वही प्रश्न-पत्र होता है, उसी में यस और नो में उत्तर दिया जाता है । मैं भी शिक्षक रहा हूं । मैं भी जानता हूं कि सब्जेक्टिव टेस्ट क्या होता है, आब्जेक्टिव टेस्ट क्या होता है और ओप बुक सिस्टम क्या होता है, आखिर उत्तर पुस्तिका में कौन-सी गलती थी, जिसके कारण इसे बदलना पड़ा ?

श्री लोकपति त्रिपाठी—

वाराणसी के उदय प्रताप डिग्री कालेज में एक अभ्यर्थी के उत्तर पुस्तिका में त्रुटि थी और वह त्रुटि मिस प्रिन्ट थी ।

डा0 दिनेश जौहरी—

जो रिप्रिजेन्टेटिव गये थे, उन्होंने मुझे स्वयं बताया ।

श्री लोकपति त्रिपाठी—

मान्यवर, मैं स्वयं उस दिन वहां उपस्थित था, आपकी तो निश्चित जानकारी है ।

श्री अवनीश कुमार सिंह—

माननीय मंत्री जी ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक केन्द्र पर पर्यवेक्षक भेजे गये थे । उदय प्रताप और हरीश चन्द्र कालेज में जो पर्यवेक्षक भेजे गये थे, उनकी क्या रिपोर्ट है ?

रुहेलखण्ड यूनीवर्सिटी द्वारा प्रत्येक सेन्टर पर दो पर्यवेक्षक परीक्षाओं के संचालन करने के लिए भेज गये थे, जिनका काम उत्तर पुस्तिकाओं को सील करके ले जाना

था । क्या यह सही है कि बनारस के हरीशचन्द्र कालेज के प्रभारी द्वारा उन पर्यवेक्षकों को वापस कर दिया गया और वहीं के दो लोगों को पर्यवेक्षक बनाकर भेज दिया गया, इसकी मंत्री जी जांच करायेगें ?

श्री लोकपति त्रिपाठी--

प्रश्न स्पष्ट नहीं हुआ ।

श्री अधिष्ठाता --

आप अपना प्रश्न स्पष्ट कर दें ।

श्री अवनीश कुमार सिंह--

मैंने दो चीजें जाननी चाहीं, पहली चीज तो यह कि शासन के द्वारा प्रत्येक केन्द्र पर आपके द्वारा पर्यवेक्षक भेजे गये थे, बनारस के सम्बन्ध में भी रिपोर्ट आयी होगी क्योंकि वहां दो जगहों पर गड़बड़ हुई है, क्या माननीय मंत्री जी वह रिपोर्ट सदन में प्रस्तुत करेंगे ? दूसरा प्रश्न यह है कि परीक्षाओं का संचालन करने के लिये रुहेलखंड विश्वविद्यालय द्वारा प्रत्येक केन्द्र पर दो लोग भेजे गये थे, जिनको उत्तर पुस्तिकाओं को सील करके अपने साथ लाना था, बनारस के हरिशचन्द्र विश्वविद्यालय द्वारा उन लोगों को वापस कर दिया गया और वहीं के दो लोग उन उत्तर पुस्तिकाओं को लेकर आये । क्या इसकी भी जांच करायेंगे ?

श्री लोकपति त्रिपाठी--

जो प्रश्न-पत्र गया, तो जो पर्यवेक्षक रुहेलखण्ड विश्वविद्यालय द्वारा नियुक्त थे, उन्हीं के साथ पुलिस कस्टडी में भेजा गया ।

श्री अनुग्रह नारायण सिंह--

चिकित्सकीय शिक्षा प्राप्त करने के लिये प्रि-कम्बाइण्ड मेडिकल टेस्ट होता है, उसमें एम0 बी0 बी0 एस0, बी0 डी0 एस0, बी0 ए0 एम0 एस0, बी0 यू0 एम0 एस0, बी0 एच0 एम0 एस0 पाठ्यक्रमों के लिये प्रवेश दिया जाता है, क्या माननीय मंत्री जी रुचि के अनुसार जो विद्यार्थी जिस वर्ग में प्रवेश चाहता है, उसको उस वर्ग में प्रवेश देने के लिये परीक्षा लेने का कष्ट करेंगे ?

श्री लोकपति त्रिपाठी--

जो फार्म सर्कुलेट होता है, उस फार्म के अन्दर यह जो विद्यार्थी द्वारा परीक्षा में बैठने वाली बात है, उसकी च्वाइस रहती है, प्रथम, द्वितीय, तृतीय एवं अन्य च्वाइस के अनुसार उसको दिया जाता है ।

डाक्टर बंगाली सिंह--

मैं जानना चाहता हूं कि आपने अपने उत्तर में यह कहा है कि हम कापियां सेण्टरों पर 10 प्रतिशत अधिक भेजते हैं, मैं जानना चाहता हूं कि पूरे प्रदेश में जो ज्यादा कापियां थी, उसमें से कितनी काम में आयीं, कितनी नहीं आयीं, कितनी खराब हुई ?

श्री लोकपति त्रिपाठी--

20-20 का एक-एक पैकेट था, कवर में बन्द, 35 हजार बच्चे बैठे थे सारे प्रदेश में 51 जगह केन्द्र थे ।

डाक्टर दिनेश जौहरी—

400 छात्र थे, 600 कापियां गयी हैं, एक-एक केन्द्र पर ।

श्री लोकपति त्रिपाठी—

आप स्पेसिफिक बता दें कि किस केन्द्र पर ऐसा हुआ है ?

डाक्टर दिनेश जौहरी—

इसीलिये तो मैं जानना चाहता था कि हर सेण्टर पर कितनी कापियां गयी थीं ?

श्री लोकपति त्रिपाठी—

हर सेण्टर पर जितने बालक थे, उसकी 10 प्रतिशत अधिक कापियां गयी थीं ।

श्री अवनीश कुमार सिंह—

मान्यवर, मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं आया । शासन के द्वारा जो पर्यवेक्षक भेजे गये थे, उन्होंने बनारस के बारे में क्या रिपोर्ट दी है ?

श्री अधिष्ठाता—

मन्त्री जी उन्होंने दो सवाल किये थे जिसमें से उत्तरार्ध का उत्तर आपकी तरफ से आ गया था पूर्वार्ध का नहीं, वही वह जानना चाह रहे हैं अवनीश जी ।

श्री लोकपति त्रिपाठी—

शासन को जो रिपोर्ट मिली है, उसी के आधार पर हमने यह वक्तव्य दिया है ।

श्री यदुनाथ सिंह—

जैसा कि मन्त्री जी ने अपने वक्तव्य में स्वीकार किया है कि एम0बी0बी0एस0, बी0 डी0 एस0, बी0 ए0 एम0 एस0 तथा बी0 यू0 एम0 एस0 और बी0 एच0 एम0 एस0 में प्रवेश हेतु कम्बाइन्ड प्री-मेडिकल टेस्ट की प्रक्रिया अपनायी गयी है । आपको जानकारी है कि उत्तर प्रदेश में जगह-जगह कोचिंग सेण्टर हो गये हैं । मेडिकल प्रवेश-परीक्षा महत्वपूर्ण है और जो कोचिंग सेण्टर खुले हुए हैं जैसे कृष्णा कोचिंग सेण्टर, मिश्रा कोचिंग सेण्टर यह सब बच्चों के एक्सप्लायटेशन का अपना धन्धा बनाये हुए हैं और पैसा लूटते हैं तो क्या आप इनको बन्द करायेंगे ?

श्री लोकपति त्रिपाठी—

ऐसा संविधान में हमें कोई अधिकार नहीं है ।

श्री अधिष्ठाता—

अब हम उठते हैं, कल 11 बजे फिर बैठेंगे ।

(इसके बाद सदन 6 बजकर 05 मिनट पर अगले दिन के 11 बजे तक के लिये स्थगित हो गया ।)

लखनऊ :
13 जुलाई, 1987 ई0

भाल चन्द्र शुक्ल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश ।

नत्थी "क"

(देखिये अता0 प्र0 सं0 12 का उत्तर पीछे पृष्ठ 33 पर।)

जनपद बरेली के विकास खण्ड मीरगंज, शेरगढ़, फतेहगंज पच्छिमी तथा बहेड़ी के भवनहीन प्राइमरी विद्यालयों की सूची

विकास खण्ड मीरगंज

1	प्रा0 पा0	भथम नौगवां	26	प्रा0 पा0	तातारपुर
2	,,	मंगलपुर	27	,,	सुजातपुर
3	,,	पिपरिया	28	,,	समरिया अजमपुर
4	,,	मुगरा	29	,,	नुनहई
5	,,	बहादुरपुर–2	30	,,	ठिरिया खुर्द
6	,,	भरपुरा	31	,,	वलितया
7	,,	प्रिस्तहाबाद	32	,,	धनेटा
8	,,	धिरिया कल्याणपुर	33	,,	गुलेरिया
9	,,	कुन्दनपुर	34	,,	नरखड़ा
10	,,	बहाई पहाड़पुर	35	,,	पसीपुर
11	,,	असदनगर	36	,,	स्यामपुर
12	,,	तरनपुर	37	,,	मोहम्मदगढ़ा
13	,,	गहवरी	38	,,	नरौली रसूलपुर
14	,,	अम्बरपुर	39	,,	पुरहुरी
15	,,	मउसनपुर	40	,,	विलमास
16	,,	सियेलापुर	41	,,	सिरोधी अकगढ़पुर
17	,,	शिशमगढ़	42	,,	ढिरिया बुजुर्ग
18	,,	खमरिया सानी	43	,,	सजरपुर
19	,,	दलपुरा	44	,,	देवदास
20	,,	लूभेड़ा	45	,,	जाय
21	,,	परोरा	46	,,	नगरिया सादात
22	,,	नतखूरा	47	,,	नन्दगांव
23	,,	दियोरिया	48	,,	मनकुरा
24	,,	धानिया	49	,,	चुरई दलपतपुर
25	,,	सिमिरया	50	,,	मदनापुर

उत्तर प्रदेश विधान सभा

51 प्रा0 पा0 नौसना
52 ,, कपूरपुर
53 ,, बहादुरपुर
54 प्रा0 पा0 बनैया मीरगंज
55 ,, हल्दी खुर्द

विकास खण्ड शेरगढ़

1 प्रा0 प0 डुगरपुर
2 ,, डुचनपुर
3 ,, पिपरिया
4 ,, कुंवरगढ़
5 ,, बहाई
6 ,, गेसू
7 ,, शशिगढ़–2
8 ,, गुलठिया
9 ,, ढकिया ठाकुरान
10 ,, जरौल
11 ,, संग्रामपुर
12 प्रा0 पा0 रजपुरा
13 ,, सिधौली
14 ,, इंटाकिस–2
15 ,, डुनका–2
16 ,, सुल्तानपुर
17 ,, ढकिया गुल्ली
18 ,, जाफरपुर
19 ,, बहेड़ी
20 ,, देवरा विराट नगर
21 ,, दोदे असलमपुर
22 ,, सनाय

विकास खण्ड फतेहगढ़ पच्छिमी

1 प्रा0 पा0 जगतपुर काशी राम
2 ,, फतेहगंज–2(टाउन एरिया)
3 ,, सुकीव
4 ,, शाहपुर
5 ,, साराफरीदनपुर
6 ,, नियोधना
7 ,, रघुपुरा जागीर
8 ,, कुरदरा
9 ,, हरसेनी
10 ,, भड़ौनी
11 ,, मथुरापुर
12 ,, कुनू नगला
13 प्रा0 पा0 दोलो जवाहर लाल
14 ,, सिरसा जागीर
15 ,, काशीपुर
16 ,, कुलछा
17 ,, लालपुर
18 ,, अमौर
19 ,, जालिक नगला
20 ,, कंथेल बेनीराम
21 ,, पथरी
22 ,, लौहार नगला
23 ,, पल्ला कोंठा
24 ,, रसूला चौधरी

25 प्रा0 पा0 कहरा
26 ,, डडिया
27 ,, रफियाबाद
28 प्रा0 पा0 चितौली
29 ,, कुरतरा
30 ,, बनतिया

विकास खण्ड बहेड़ी

1 प्रा0 पा0 गोरिया रईस
2 ,, रूपपुर
3 ,, रतनगढ़
4 ,, जाजनागर
5 ,, मिर्जापुर
6 ,, मंडनपुर
7 ,, करीमगंज
8 ,, टिपुला टिपुली
9 ,, शाहपुर डाडो
10 ,, भकिमपुर
11 ,, बुझीया
12 ,, पतरासी
13 प्रा0 प0 डगनपुर
14 ,, खतौला
15 ,, आरूपा
16 ,, शाहगढ़–2
17 ,, लोधीपुर
18 ,, हरसुकाला
19 ,, जुगननागर
20 ,, नरकुण्डा
21 ,, जुआ जवाहरपुर
22 ,, मकसुदनपुर
23 ,, जामकन्तरामपुर

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ख'

(देखिये अता० प्र० सं० 19 का उत्तर पीछे पृष्ठ 35 पर)

परिशिष्ट "क"

क्रम-संख्या	विकास खण्ड	मार्ग का नाम	आवंटित धन लाख रु०	
			मिट्टी	खड़ंजा स्तर
1	2	3	4	5
		वर्ष 1984-85		
1	सालारपुर	(1) बदायूं-बरेली मार्ग से फरीदपुर मार्ग आंशिक भाग पर खड़ंजा निर्माण/पुलिया	..	4.025
		(2) बदायूं-आंवला मार्ग से ग्राम बावल में खड़ंजा	..	0.800
2	वजीरगंज	(3) वजीरगंज-ढूंगो मार्ग पर ग्राम हथरा तक खड़ंजा	..	1.913
		(4) सैदपुर से शेरन्दाजपुर तक मिट्टी का कार्य/पुलिया	1.410	..
		(5) निसौली-बदायूं मार्ग से सिगंथरा तक मिट्टी/पुलिया	0.900	..
		(6) बदायूं-निसौली मार्ग से होते हुए जैखलिया-धोरेरा तक मिट्टी/पुलिया	2.820	..
		(7) बदायूं-बिसौली मार्ग से नदवारी तक मिट्टी एवं पुलिया	0.300	..
		(8) विकास खण्ड वजीरगंज में पांच ग्रामों में खड़ंजा		
		(1) ब्योली	..	0.045
		(2) नौली हरनाथपुर	..	0.052
		(3) रसूला	..	0.051
		(4) गोठा	..	0.052
		(5) बिसौलीगंज	..	0.052
3	जगत	(9) बदायू-दातागंज मार्ग से मचलई तक अवशेष कार्य को पूर्ण किया जाना	0.580	..
		(10) उसावां से अन्डपुर तक खड़ंजा	..	0.810

1	2	3	4	5
		वर्ष 1985–86		
1	सालारपुर	(11) बदायू–बरेली मार्ग से फरीदपुर तक खड़ंजा	..	3.735
		(12) बदायूं मार्ग से मलिकपुर तक मि0/पु0	0.390	..
		(13) लाही फरीदपुर से बरीसमसपुर तक मि0/एवं पुलिया	0.400	..
		(14) ग्राम पडौलिया में खड़ंजा	..	..
		(15) ग्राम बीबीपुर से तालगांव तक मिट्टी	0.900	..
		(16) बदायूं–उसावां मार्ग से ग्राम तालगांव तक मि0/पु0	0.750	..
		(17) बदायूं–दातागंज मार्ग से कन्डेला तक मिट्टी कार्य	0.240	..
		(18) आरिफपुर–नबादो से आलमपुर तक मि0/पुलिया	0.990	..
		(19) बदायूं–उसावां मार्ग से सखान के पास हयातनगर तक मिट्टी/पुलिया	0.550	..
2	बजीरगंज	(20) हथरा–दूगों मार्ग पर खड़ंजा	..	2.817
		(21) ग्राम पुसगवां में हरिजन बस्ती तक खड़ंजा	..	0.150
		(22) बगरैन से कतगांव तक मिट्टी	0.060	..
		(23) नौली हरनाथपुर से धोमरपुरा तक मिट्टी	0.675	..
		(24) ब्योली सकेगढ़ी से पस्तोर तक मि0/पुलिया निर्माण	0.770	..
		(25) ब्योली से निजामपुर तक मि0/कार्य	0.450	..
		(26) दौलतपुर से अक्तरा तक मिट्टी कार्य	0.400	..
		योग ..	12.585	14.502

नत्थी 'ग'

(देखिये अता0 प्र0 सं0 55 का उत्तर पीछे पृष्ठ 46 पर)

महिलाओं के जलकर मरने या अन्य प्रकार से दहेज हत्याओं की सूचना वर्ष 1986, 1985 एवं 1984 जनपद झांसी

क्रम-संख्या	थाना नाम	वर्ष	कितनी महिलाओं के जल कर मरने या अन्य प्रकार से दहेज सम्बन्धी हत्याओं की सूचना दर्ज की गई है	कितने मामलों में अन्तिम रिपोर्ट दी गई	कितने मामलों में आरोप पत्र भेजे गये	कितने मामलों में सजा हुई	कितने मामले न्यायालय के विचाराधीन हैं
1	2	3	4	5	6	7	8
1	कोतवाली	1986	1	..	1	..	1
		1985	2	..	2	..	2
		1984	..	..	..	..	..
2	नवाबाद	1986	..	..	..	..	..
		1985	..	..	..	..	..
		1984	1	1	..	..	..
3	सीपरी बाजार	1986	..	..	..	..	..
		1985	1	..	1	..	1
		1984	1	..	1	..	1

उत्तर प्रदेश विधान सभा

4 मोंठ	1986	..	..	..	..	..
	1985	1	..	1	..	1
	1984	..	..	..	..	..
5 चिरगांव	1986	1	..	1	..	1
	1985	1	..	..	..	विवेचनाधीन
	1984	..	..	..	..	..
6 गरौठा	1986	1	..	1	..	1
	1985	..	..	..	..	..
	1984	..	..	..	..	..
7 मऊरानीपुर	1986	..	..	..	..	..
	1985	..	..	..	..	..
	1984	1	..	1	..	1
8 लहचूरा	1986	..	..	..	..	..
	1985	1	..	1	..	1
	1984	..	..	..	..	..

उत्तर प्रदेश विधान सभा

1	2	3	4	5	6	7	8
9	कटेरा	1986	1	1	..	..	..
		1985	..	..	..	..	..
		1984	..	..	..	..	..

महिलाओं के जल कर मरने या अन्य प्रकार से दहेज हत्याओं की सूचना वर्ष 1986, 1985 एवं 1984 जनपद जालौन

क्र0सं0	वर्ष	थाना	कितनी महिलाओं के जल कर मरने या अन्य प्रकार से दहेज सम्बन्धी हत्याओं की सूचना दर्ज की गई हैं	कितने मामलों में अन्तिम रिपोर्ट दी गई	कितने मामलों में आरोप पत्र भेजे गये	कितने मामलों में सजा हुई	कितने मामले न्यायालय के विचाराधीन हैं
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1986	कोतवाली उरई	1	..	1	..	1
		जालौन	2	1	1	..	1
		माधोगढ़	2	2	..	..	..
		कठोंद	1	..	1	..	1
		कोंच	3	1	2	1	1
2	1985	जालौन	2	2	..	..	..
		माधोगढ़	2	..	2	..	2
		रामपुरा	1	..	1	..	1
		कंलिया	1	1	..	..	..
3	1984	कोतवाली उरई	1	..	1	..	1
		कोंच	1	..	1	..	....

विधान सभा

नत्थी 'घ'

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या 93 का उत्तर पीछे पृष्ठ 55 पर ।)

जनपद में उर्दू अध्यापकों की नियुक्ति की स्थिति

क्रमांक	जनपद का नाम	उर्दू अध्यापकों के स्वीकृत पद	नियुक्त उर्दू अध्यापक की संख्या	उर्दू अध्यापकों के रिक्त पदों की संख्या
1	2	3	4	5
1	लखीमपुर-खीरी	80	80	..
2	उन्नाव	100	100	..
3	रायबरेली	90	90	..
4	हरदोई	140	91	49
5	सीतापुर	140	125	15
6	लखनऊ	90	53	37
7	बहराइच	60	60	..
8	गोंडा	70	70	..
9	सुल्तानपुर	100	100	..
10	बाराबंकी	90	90	..
11	फैजाबाद	90	90	..
12	प्रतापगढ़	90	77	13
13	देवरिया	180	180	..
14	गोरखपुर	180	180	..
15	बस्ती	180	154	26
16	आजमगढ़	180	111	69
[illegible]	बलिया	90	90	..
[illegible]	वाराणसी	180	151	29
19	गाजीपुर	110	82	28
20	जौनपुर	140	94	46
21	मिर्जापुर	70	57	13
22	मुरादाबाद	110	100	10
23	बिजनौर	70		12
24	रामपुर	40	40	..

उत्तर प्रदेश विधान सभा

1	2	3	4	5
25	कानपुर	230	230	..
26	फतेहपुर	70	50	20
27	इटावा	90	90	..
28	इलाहाबाद	180	58	122
29	फर्रुखाबाद	90	90	..
30	हमीरपुर	40	40	..
31	बांदा	80	76	4
32	जालौन	80	80	..
33	झांसी	50	44	6
34	ललितपुर	30	30	..
35	एटा	130	104	26
36	मथुरा	50	42	8
37	अलीगढ़	140	140	..
38	आगरा	140	140	..
39	मैनपुरी	140	130	10
40	गाजियाबाद	50	50	..
41	मुजफ्फरनगर	60	60	..
42	सहारनपुर	70	68	2
43	मेरठ	90	54	36
44	बुलन्दशहर	50	50	..
45	बदायूं	60	60	..
46	शाहजहांपुर	60	56	4
47	बरेली	90	90	..
48	पीलीभीत	40	31	9
49	नैनीताल	60	60	..
50	पिथौरागढ़	10	10	..
51	अल्मोड़ा	40	1	39
52	चमोली	5	3	2
53	देहरादून	50	15	35
54	पौड़ी-गढ़वाल	30	18	12
55	टिहरी-गढ़वाल	20	..	20
56	उत्तरकाशी	5	..	5
	कुल योग ..	5000	4293	707

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ङ'

(देखिये अता0 प्र0 सं0 116 का उत्तर पीछे पृष्ठ 61 पर)

प्रेषक,

सुनहरी लाल यादव,
प्रधानाध्यापक एवं
जिला प्रचार मन्त्री, प्राथमिक शिक्षक संघ

निवास : खेरिया शिकमी
गोहाना,
तहसील जसराना,
जिला मैनपुरी ।

सेवा में,

माननीय मुख्य मन्त्री जी,
उत्तर प्रदेश सरकार,
लखनऊ ।

विषय —अ0 सं0 30/87 थाना अवागढ़ (एटा) की विधिवत् एवं तत्काल विवेचना के सम्बन्ध में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में आपका ध्यान आकर्षित करते हुये निवेदन है कि थाना अवागढ़ पुलिस ने मुल्जिमान से मेल करने के कारण एफ0 आई0 आर0 प्राणघातक हमला करने एवं तहरीरी प्रमाण–पत्र मिलने पर भी पंजीकृत नहीं की । उसके बाद वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, एटा के आदेशानुसार एफ0 आई0 आर0 दर्ज करके एफ0 आई0 आर0, एस0 आई0 एस0 को विवेचना को भेज दिया । प्रमाण–पत्र के आधार से स्पष्ट धारा 307 भा0 द0 वि0 के साथ धारा 120–बी अवश्य लिखी जानी चाहिये थी जो नहीं लिखी, से स्पष्ट है कि मुल्जिमानों से थाना पुलिस अवागढ़ से मिले हैं एफ0 आई0 आर0, एस0 आई0 एस0 के विवेचनाधिकारी के पास एक माह के लगभग हुये आ गई हैं परन्तु विवेचक ने अभी तक मौका मुआइना नहीं किया और न उन प्रमाण–पत्रों के हस्ताक्षर का ही मिलान कराया है । गवाहान आदि के बयान तो बहुत ही दूर हैं ।

अतः आपसे प्रार्थना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, एटा को आदेशित करें कि वह एस0 आई0 एस0 के विवेचक को निर्देश दें कि वह तत्काल प्रमाण–पत्रों के हस्ताक्षरों का मिलान करावे तथा प्रमाण–पत्र व सामान न्यायालय में ही लेकर रघुवीर सिंह व मोहर सिंह के हस्ताक्षर प्रमाणित कराकर हस्ताक्षरों का मिलान कराये । साथ ही प्रार्थी की सुरक्षा की भी व्यवस्था को लिखें और करें । यदि कोई अप्रिय घटना मेरे साथ घटती है तो उसका पूर्ण उत्तरदायित्व शासन व प्रशासन को होगा ।

प्रार्थी,

(ह0) सुनहरी लाल यादव,
प्रधानाध्यापक ।

दिनांक 22–4–87

प्रतिलिपि—

1—श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, एटा ।

2—अध्यक्ष, प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ, लखनऊ।

पी0 एस0 यू0 पी0—3 वि0 सभा—18–11–87—813 (पी0 डी0) ।